लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[नौवां सत्र]

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

अंक 7, सोमवार, 19 जुलाई, 1982/28 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1
xतारांकित प्रश्नसंख्या	143 से 145, 149, 152 और 153	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		22—278
तारांकित प्रश्न संख्या :	146 से 148, 150, 151 और 154 से 162	22—35
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1527 से 1628, 1630 से 17 4, 1726 से 1738, 1740 और 1741	36—27
सभा पटल पर रखे गए पत्र		278—279
राज्य सभा से सन्देश		280
सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में		280
बिहार के हजारी बाग जिले में ढोया कोयला खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य		281
श्री भगवत झा आजाद		281
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .		281—312
देश में बिजली की कमी		281
श्री राजेश पायलट		281
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी		282
श्री हरिकेश बहादुर		292
श्री चिन्तामणि जेना		296

xकिसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी स्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री एच० के० एल० भगत	301
श्री रामसिंह यादव	308
विभिन्न भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदों आदि के कार्यकरण के बारे में याचिका	312
श्री कृष्ण कुमार गोयल	312
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-पुर: स्थापित	312—313
नियम 377 के अधीन मामले	313—319
(1) उत्तर प्रदेश के जोनपुर रैलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता	313
डा० ए० यू० आजमी	313
(2) राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती जिलों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता	314
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	314
(3) उत्तर प्रदेश के कतिपय पहाड़ी जिलों और बुन्देलखंड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी	315
श्री हरीश रावत	315
(4) दिल्ली में विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और कालिज खोलने की आवश्यकता	315
डा० बसन्त कुमार पण्डित	315
(5) दूसरी हुगली पुल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता	316
श्री चित्त बसु	316
(6) बिहार में ग्रेटर महानन्द बांध में पड़ी दरार को रोकने के लिए कदम उठाने और बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच समन्वय के लिए केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता	317

विषय	पृष्ठ
डा० गोलम याजदानी	317
(7) पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि का न दिया जाना	318
श्री सुधीर गिरी	318
(8) राजस्थान के जोधपुर जिले में विमान द्वारा चीनी भाषा में पर्चे तथा अन्य चीजें गिराए जाने की घटना की जांच करना	319
श्री अशोक गहलोत	319
चिट फंड विधेयक	319—375
विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	319
श्री भीकू राम	323
श्री कृष्ण कुमार गोयल	327
श्री जेवियर अराकल	334
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	342
श्री के० ए० राजन	344
श्री गिरधारी लाल व्यास	348
श्री जनार्दन पुजारी	352
खंड 2 से 90 और 1	
विधेयक को संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	355
आधे घंटे की चर्चा	375—391
कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को टेंडर	375
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	378

विषय	पृष्ठ
श्री शिवराज बी॰ पाटिल	382
श्री आर॰ वेंकटरामन	383
श्री कमला मिश्र मधुकर	384
श्री हरीश रावत	388
प्रो॰ नारायण चन्द्र पाराशर	389

लोक-सभा

सोमवार, 19 जुलाई, 1982/28 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मरुस्थल की रोकथाम के लिए वनरोपण

*14 . श्री वृद्धि चन्द जैन :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अधीन मरुस्थल की रोकथाम के लिए वनरोपण करने, घास के मैदान बनाने तथा बालू को बढ़ने से रोकने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ठंडे और गर्म दोनों सूखे क्षेत्र आते हैं;

(ग) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा किन-किन राज्यों के हैं;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ङ) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय गर्म शुष्क क्षेत्र के निम्नलिखित 17 जिले तथा ठंडे शुष्क क्षेत्र के 4 जिले लिए गए हैं :

राज्य	जिले
(क) गर्म शुष्क क्षेत्र	
1. गुजरात	1. बानसकन्ठा
	2. मेहसाना
2. हरियाणा	1. हिसार
	2. भिवानी
	3. रोहतक
	4. सिरसा
3. राजस्थान	1. जैसलमेर
	2. जोधपुर
	3. नागोर
	4. पाली
	5. बाड़मेर
	6. जालोर
	7. बीकानेर
	8. चुरू
	9. झुंझुनु
	10. सीकर
	11. गंगानगर
(ख) ठंडे शुष्क क्षेत्र	
1. हिमाचल प्रदेश	1. लाहोल का स्पीति उप-मंडल और स्पीति जिला।
	2. किन्नौर जिले का पूह उप-मंडल।
2. जम्मू तथा कश्मीर	1. लेह जिला
	2. कारगिल जिले का जंसकार खण्ड।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों) किया गया है। 1978-79 तक, कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। 1979-80 के पश्चात्, व्यय को केन्द्र तथा सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है।

(ङ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल को रोकथाम करना, स्थानीय संसाधनों में वृद्धि करना और स्थानीय निवासियों के लिए अधिक उत्पादन, आय तथा रोजगार हेतु अवसरों में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) वनरोपण (रेत के टीलों को जमाना, वायुरोधी पौधरोपण जिसमें सड़क के किनारे पौध लगाना भी शामिल है, फार्मवानिकी तथा चारागाह और चारा विकास),

(2) लघु सिंचाई जिसमें भू-जल विकास भी शामिल है;

(3) भूमि तथा जल सरक्षण और शुष्क भूमि पर खेती: और

(4) पशुधन विकास।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम हैं सन् 1977-78 में शुरू हुआ था। इसके लिए सिक्सथ फाइव ईयर प्लान में जो प्रोविजन रखा गया है वह सौ करोड़ रुपये का है। 1978-79 तक सेन्ट्रल्ली स्पोन्सर्ड स्कीम के नाते इस कार्यक्रम के लिए सारा प्रावधान सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती थी। राजस्थान और कश्मीर ऐसे प्रदेश हैं जिनकी फायनेन्शियल स्थिति बहुत कमजोर है और वे इस प्रोग्राम के लिए अपना पूरा शेअर नहीं दे पाते हैं जिसके कारण यह पूरा कार्यक्रम शिथिल पड़ गया है। हिल्ली एरियाज का जो प्रोग्राम है उसके लिए 90 परसेन्ट शेअर सेन्टर देता है और 10 परसेन्ट शेअर राज्यों को वहन करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों में केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम को सेन्ट्रल्ली स्पोन्सर्ड स्कीम के रूप में चलाएगी और इसके लिए पूरा शेअर कंट्रीब्यूट करेगी ?

इसके लिए जो राशि है सौ करोड़ वह बहुत नाकाफी है। इसको क्या आप बढ़ाएंगे ? जैसे हिल्ली एरियाज के लिए स्पेशल स्कीम्ज की राशि छठी योजना में तीन गुना बढ़ा दी गई है पांचवीं योजना के मुकाबले में क्या इसकी राशि भी बढ़ाकर इस कार्यक्रम को आप यूजफुल कार्यक्रम बनाएंगे ?

श्री बालेश्वर राम : यह ठीक है कि पहले सारा खर्च सेन्टर से मिलता था। लेकिन छठी योजना जब शुरू हुई उसमें शेयर बेसिस 50-50···

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : उससे पहले ही हो गया था।

श्री बालेश्वर राम : 1979-80 में जब जनता रेजमी था तभी हो गया था। 1972-73 में सौ प्रतिशत खर्च सेन्टर देता था। लेकिन 1979-80 में इस कंसेप्ट को बदल दिया गया था। तब से यह परिपाटी चली आई है और प्लानिंग कमिशन ने भी इसको एप्रूज किया हुआ है कि 50-50 परसेन्ट शेयर बेसिस पर इसको चलाया जाए। सौ करोड़ का प्राविजन है। लेकिन वह भी खर्च नहीं हो पाता है। यह ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी लिमिटेशंज है। नेशनल

डिवलेपमेंट काउंसिल जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर सदस्य हैं उसने भी इसको एप्रूज दिया है। इस वक्त हम उस परिपाटी को बदल नहीं सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्राग्रेस और अचीवमेंट्स नहीं हुई है। काफी हुई है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बहुत ही असन्तोषजनक उत्तर दिया गया है। नेशनल डिवलेपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमिशन के सामने आप फिर से इसको पुट अप कर सकते हैं। राजस्थान और कश्मीर अपना पूरा शेयर नहीं दे पाते हैं और उसका इस कारण स युटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। एफारेस्टेशन का कार्यक्रम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवेज के दोनों तरफ पेड़ नहीं लग पाए हैं, डिफेन्स रोड्ज के दोनों तरफ नहीं लग पाए हैं, स्टेट रोड्ज के दोनों तरफ नहीं लग पाए हैं। एफारेस्टेशन का काम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। मेरी मांग है कि राशि बढ़ाकर केन्द्र इसकी जिम्मेवारी ले। इस प्रकार से कंज्युअल के मैं उत्तर देने से कोई काम नहीं होगा। इसको आप महत्व दीजिए। राजस्थान में ये जो डेजर्ट एरियाज हैं ये बोर्डर एरियाज हैं। वहां पर लोगों के मारेल को बूस्ट करने की आवश्यक है। वहां राजस्थान में चार साल से लगातार फैमिन पड़ा हुआ है। इस वास्ते इस प्रश्न को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट एक्टिव हो और इस काम में इंटरेस्ट ले और हमको सेटिसफाई करे।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, यह एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० वी० देसाई।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, वे प्रश्न संख्या 143 के बारे में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। महोदय, इसका सम्बन्ध हमारे राज्य से है।

अध्यक्ष महोदय : श्री देसाई जी मैंने आपसे प्रश्न संख्या 143 पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा था। परन्तु आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज निकले।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, मैंने सोचा मुझे प्रश्न संख्या 144 पूछने के लिए कहा जा रहा है। यह प्रश्न मेरे नाम से है।

श्री मूलचन्द डागा : सौ करोड़ की राशि आपने मरुस्थलों के वास्ते मुकर्रर की है। 1980 के बाद आपने घोषणा कर दी कि जो खर्चा है वह आधा-आधा मीट होगा, आधा राज्य सरकार को करना होगा और आधा केन्द्रीय सरकार देगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देसाई साहब को बुलाया था और बोलने डागा जी लग गए हैं। उन को आपने अपना रिप्रिजेंटेटिव बनाया है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने इस प्रश्न के लिए केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी है।

श्री बी० वी० देसाई : अब मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा । थोड़ा सा जबरदस्ती करते हैं ये ।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, उनका राज्य इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री बी० वी देसाई : महोदय, क्या वे माननीय मन्त्री महोदय की ओर से मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ? वास्तव में मुझसे जब इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा गया तो मैंने समझा मुझे अपने प्रश्न संख्या 144 को पूछने के लिए कहा जा रहा है जो कि आज प्रश्न सूची में है । अब प्रश्न संख्या 143 पर आते हुए, मैं यह निवेदन करता हूं कि इसमें कोई सदेह नहीं कि माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर में कुछ बातें आ जाती हैं ।

परन्तु वास्तव में वनरोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है । और इस उद्देश्य के लिए केवल एक या दो राज्यों पर नहीं अपितु सम्पूर्ण देश पर ध्यान दिया जाना है । जब तक हम व्यापक स्तर पर वनरोपण को नहीं अपनायेंगे और हमारे पास बहुत सारे वन नहीं होंगे तब तक वर्षा नहीं होगी और हमें उसके परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा । यह एक दुशचक्र है । वास्तव में सरकार ने इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया है और इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी दोषी ठहरायेगी । इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बड़े पैमाने पर वनरोपण को अपनाने जा रही हैं और क्या वे इस आधार पर कुछ करने की सोच रहे हैं ?

श्री बालेश्वर राम : यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सुझाव हैं, प्रश्न कोई नहीं है ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : वनरोपण योजना पिछले 3-4 वर्षों से बहुत पिछड़ रही है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1979-80 से वनरोपण के विषय को ग्रामीण विकास योजना के साथ नत्थी कर दिया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वनरोपण और मरुभूमि विकास कार्यक्रम तकनीकी विषय हैं । मरुभूमि विकास विषय पर्यावरण मन्त्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए । क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि क्या वनरोपण के लिए कोई अलग मन्त्रालय स्थापित करने की योजना है ताकि उसे वनरोपण के विशिष्ट कार्य का कार्यभार सौंपा जा सके । उसे ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता नहीं है जिसमें वे पेड़ लगाने हेतु प्रति वर्ष वन महोत्सव आदि मनाते हैं । जब तक आप तकनीकी ज्ञान से युक्त किसी मन्त्रालय को वनरोपण तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम का कार्य नहीं सौंपेंगे तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा ।

श्री बालेश्वर राम : हमने इस सुझाव को नोट कर लिया है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : नोट क्यों किया है ? वास्तव में इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

"ट्राईसेम के" कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण

*144. श्री बी० बी० देसाई :

श्री पी० एम० सईद : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण युवकों को स्व-नियोजन के लिए प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राईसेम) को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में सभी विकास खंडों में निर्धनता रेखा से नीचे के युवकों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या "ट्राईसेम" के लिए जिसे अब एकीकृत ग्रामीण विकास में शामिल कर लिया गया है उनकी वर्तमान आय सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय के अनुसार प्रत्येक परिवार से केवल एक ही लाभ प्राप्तकर्ता लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की अन्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) व (ख) केन्द्र सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किए जाने वाले ग्रामीण युवकों का चयन करने हेतु सर्वेक्षण सभी विकास खंडों में किया जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका "ट्राइसेम" अब एक भाग है के अन्तर्गत सभी खण्डों में लाभभोगियों का पता लगाने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण पहले ही किए जा रहे हैं। सर्वेक्षणों से "ट्राइसेम" के लाभभोगियों के बारे में आंकड़े प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों की आय के वर्तमान स्तर के बारे में सूचना भी एकत्र की जाती है। जैसा कि प्रश्न में सही उल्लेख किया गया है; सर्वेक्षण योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रथम कदम है।

(ग) "ट्राईसेम" कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल प्रत्येक परिवार से केवल एक लाभभोगी को ही लिए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) "ट्राईसेम" कार्यक्रम की अन्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) वजीफे की मन्जूरी, संस्थाओं/प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण खर्च, कच्चे माल का प्रावधान और उपदान की स्वीकृति।

(2) प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा मास्टर शिल्पियों/प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(3) प्रशिक्षण देने के समय प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 250 रुपए तक का औजार किट निःशुल्क सुलभ किया जाता है।

(4) प्रशिक्षण के पश्चात् परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता सुलभ की जाती है जिसे ऋण तथा उपदान सुलभ करने हेतु सुविधा के साथ-साथ बैंक ग्राह्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाता है ताकि लाभभोगी स्व-रोजगार के अपने व्यवसायों को स्थापित कर सकें।

(5) छात्रावासों,शयनागारों, उपकरणों, कक्षा के कमरों, कर्मशालाओं तथा प्रशिक्षण उपकरणों और सहायक वस्तुओं के निर्माण के रूप में विद्यमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ङ) इस कार्यक्रम को छठी पचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जाना है।

श्री बी० बी० देसाई : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना में ग्रामीण युवकों स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। यह विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है और सरकार इस पर अत्यधिक बल देने की सोच रही है। इसके पीछे ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों में स्व नियोजन हेतु क्षमता का सृजन करने का विचार है। उन्होंने इसे विकास खण्डों के माध्यम से अथात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है।

हमने सरकार पर देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बार-बार जोर डाला है और हमें यह बताया गया है कि सरकार प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। यदि हम अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखकर हिसाब लगाएं तो प्रत्येक परिवार से एक सदस्य लेने पर हमे एक करोड़ युवा उपलब्ध होंगे।

यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इसे सही रूप में लिया है और जैसा कि यह बताया गया है सर्वेक्षण एक बहुत ही महत्वपूण चीज है। मोटे तौर पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक परिवार से एक युवा लेने पर कुल युवकों की संख्या एक करोड़ हो जाएगी। इस सीमा तक विकास कार्यक्रम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना कहां तक सफल होने जा रही है?

श्री बालेश्वर राम : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। परन्तु इस मन्त्रालय के अधीन प्रत्येक खंड से प्रतिवर्ष 40 युवाओं को लिया जाएगा और इस प्रकार

दो लाख युवा हो जाएंगे जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना होगा और जो स्व-रोजगार प्राप्त करेंगे। परन्तु जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है हम इसकी प्रगति से सन्तुष्ट नही हैं। इसकी प्रगति कोई उत्साहवर्धक नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री बी० बी० देसाई : क्यों ?

श्री बालेश्वर राम : हमने इस कार्यक्रम को इस वर्ष पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रारम्भ किया है और हमें इसके लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण करना है। वर्ष 1979-80 में हमारी प्रगति यह रही कि 0,184 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 13,735 युवकों ने स्व-रोजगार प्राप्त किया। 1980-81 में ,22,596 युवकों को प्रशिक्षित किया गया और 45,494 युवको ने स्व-रोजगार प्राप्त किया, 1981-82 में 1,32,128 युवक प्रशिक्षित किये गए और 60,588 ने स्व-रोजगार प्राप्त किया। इस प्रकार हम प्रत्येक वर्ष स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक युवा के लिए प्रतिमाह 125 रुपये वजीफे का प्रावधान किया है। और यदि कोई गांव में ही प्रशिक्षक प्राप्त करता है तो 'मास्टर क्राफ्टसमेने को प्रति प्रशिक्षार्थी 50 रुपये मिलेंगे' और चार या छः महीनों के प्रशिक्षण के बाद एक युवा 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता का अधिकारी हो जाता है और इसके दुगने अर्थात् 6,000 रुपये अथवा 8,000 रुपये ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। अतः हम इस कार्यक्रम में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक पक्ष हमें सहयोग प्रदान करेगा और यह कार्यक्रम गति पकड़ लेगा।

श्री बी० बी० देसाई : महोदय, जैसा कि इस कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है यह एक स्व-रोजगार की योजना है। निःसन्देह बुनियादी रूप से इसमें कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि वजीफा और अन्य चीजें कहां तक सहायता करेंगी, परन्तु आप मुझसे इस बारे में सहमत होंगे कि वे प्रशिक्षार्थी को पढ़ाने या सिखाने में तो सहायता कर पायेंगे परन्तु कमाने में नहीं। अतः यदि वह स्व-रोजगारी होना चाहता है उसे कुछ ऋण की आवश्यकता होगी। बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए उसे ऋण प्राप्त योग्य होना चाहिए अथवा उसे कुछ प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक बैंक ऋण का सम्बन्ध है क्या इनको इस प्रकार की कठिनाई से मुक्त किया जाएगा और क्या सरकार ने बैंक को ये अनुदेश दिए हैं कि स्व-प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवक को कुछ ऋण अवश्य दिया जाएगा ताकि वह अपना कार्य आरम्भ कर सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 5000 रुपयों तक किसी प्रकार की प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। और अधिकांशतः प्रशिक्षार्थी स्व-रोजगार वाले लोग होते हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होती है।

इसका अर्थ यह हुआ कि गांव में पहले से विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्ति भी अपनी

कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक सहायता तथा बैंकों से ऋण तथा 250 रुपए तक की राशि उपकरण आदि खरीदने हेतु प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, यहां तक कि मास्टर-क्राफ्टमैन गांव में ही उपलब्ध कराया जाता है। जहां उन्हें एक महीने से अधिक अवधि के प्रशिक्षण के लिए होस्टल में जाना होता है वहां उन्हें वजीफा दिया जाता है, अन्यथा उन्हें अपने गांव या उसके निकटवर्ती गांव में प्रशिक्षक हेतु प्रति प्रशिक्षण 4 से 5 रुपयें का दैनिक भत्ता दिया जाता है।

डा० बी० एन० सिंह : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को बैंक से ऋण का आश्वासन किया जाता है परन्तु हम जानते हैं कि बैंक के असहयोग के कारण यह कार्यक्रम छोटा नागपुर डिवीजन में लगभग असफल रहा है। छोटा नागपुर डिवीजन में जहां लगभग 600 से 1000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, वहीं बैंक 50 से अधिक लोगों को ऋण प्रदान करने में असमर्थ क्यों रहे हैं? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन बैंकों को अनुशासित करने हेतु वे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ताकि यह महत्वपूर्ण योजना सफल सिद्ध हो।

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरे विचार में हम इस आम कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि बैंक सहयोग नहीं करते। यह प्रत्येक बैंक और उसके स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर करता है। कुछ बैंक बहुत ही सहयोग देने वाले हैं परन्तु जहां कहीं हमें किन्हीं कठिनाइयों अथवा शिकायतों का पता चलता है तो हम उस मामले में कार्यवाही करते है।

डा० बी० एन० सिंह : मैंने छोटा नागपुर डिवीजन की बात कही है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह एक अकेला मामला है।

डा० बी० एन० सिंह : छोटा नागपुर में तीन जिले आते हैं। हजारी बाग, गिरिडीह और धनबाद।

राव वीरेन्द्र सिंह : इस क्षेत्र में कई बैंक चल रहे होंगे। कई बैंक इसी कार्य में संलग्न होंगे। यदि आप किसी प्रखण्ड विशेष अथवा जिले विशेष की कठिनाइयां हमारे ध्यान में लाएंगे और बैंकों का नाम बताएंगे तब हम वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के साथ यह प्रश्न उठाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू हाउसिंग स्कीम, 1979 के अन्तर्गत निकाले गए फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

*145. प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री राम प्यारे पनिका : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम, 1979 (हुडको), के अन्तर्गत लाट्री निकालकर कुछ फ्लैट निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार उनकी संख्या क्या है;

(ग) कितने व्यक्ति आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा उन्हें कब तक फ्लैट आबंटित हो जाने की आशा है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस योजना को शुरू करने के समय फ्लैटों के घोषित मूल्यों में 75 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि कर दी है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को कब तक पत्र जारी कर देगा, जिन्हें हाल में फ्लैट आबंटित किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, आबंटित फ्लैटों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

श्रेणी	लाटरी निकाल कर आबंटित किए गए फ्लैटों की सं०	कालोनियां
मध्य आय वर्ग	1428	विकासपुरी, दिलशाद गार्डन, जनकपुरी, रामपुरा,
निम्न आय वर्ग	4598	विकासपुरी, राजोरी गार्डन, बोडेला, शालीमार बाग, रामपुरा, पीतमपुरा, लारेंस रोड
जनता	7897	राजोरी गार्डन, अशोक बिहार अवन्तिका, विकासपुरी, दिलशाद गार्डन, नन्द नगरी, पीतमपुरा, शालीमार बाग।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि न्यू पैटर्न आवास पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत लगभग 1,57,077 पंजीकृत व्यक्ति आबटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त

तथा भवन निर्माण सामग्रियों के उपलब्धता होने पर ही इन सभी व्यक्तियों को 5 से 7 वर्ष की अवधि के दौरान आबंटन हो जाने की आशा है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस योजना के आरम्भ होने के समय, विवरणिका के उल्लिखित कुर्सी क्षेत्रफल तथा अनुमानित लागत केवल अन्दाजन थे और उनको भी बदला जा सकता था जो कि विन्यास, निर्माण इत्यादि की लागत पर निर्भर था। फ्लैटों के रिलीज/आबंटन करते समय ये कीमतें क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती हैं जो कि कुर्सी क्षेत्रफल तथा विशिष्टियों पर निर्भर करते हैं और बिना लाभांश को शामिल करके वास्तविकतागत पर निकाली गई थी।

(ड.) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह आशा की जाती है कि हाल ही में जो फ्लैट आबंटित किए गए हैं उनके लिए मांगपत्र आबटन पत्र एक महीने के समय के भीतर जारी कर दिए जायेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (ग) को देखें। मैंने पूछा था कि क्या मकानों की कीमत 75 प्रतिशत के लगभग बढ़ी हुई है? इसका कोई भी उल्लेख जवाब में नहीं किया गया है। मैं मान लेता हूं मंत्री महोदय की चुप्पी से कि वास्तव में मकानों की कीमत में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको निवास योजना अल्प आय के व्यक्तियों के लिए प्रचारित की गई थी। पिछले तीन वर्षों में इसकी कीमत में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जैसा कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगले पांच से सात वर्षों में सब लोगों को मकान मिल जायगा तो वैसी स्थिति मे हम गलत नहीं होंगे अगर यह सोच लें कि कीमत 225 प्रतिशत बढ़ जायगी। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने मकान पसन्द किया था और जिन लोगों ने सोचा था कि ऐसा मकान उनकी आमदनी की सीमा के अन्दर होगा, जब 225 प्रतिशत उसकी कीमत में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी की सीमा के बाहर ये सब मकान चले जायेंगे। 18-12-81 को मन्त्री महोदय ने दूसरे सदन में यह स्वीकार किया था कि प्रसाद नगर में जो मकान बने हैं उन मकानों में सब-स्टैण्डर्ड मैटीरियल इस्तेमाल किए गए हैं और कांस्ट्रक्शन भी सब-स्टैण्डर्ड हुआ है। ऐसी स्थिति जब 225 प्रतिशत कीमत बढ़ जायगी तो ऐसे लोगों का जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी मकान मिल पाएंगे क्या? हम तो समझते हैं कि उनकी आमदनी की सीमा के बाहर चले जाने के कारण उन लोगों को मकान नहीं मिल पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना जवाब खुद ही दे रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : तो मन्त्री महोदय ऐसी योजना प्रसारित ही क्यों करते हैं जो अमल में न आवे? इससे तो केवल जमीन की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने का उनका विचार है?

श्री ब्रज मोहन महन्ती : मैं जनता फ्लैटों की लाइन में वृद्धि के बारे मे माननीय सदस्य की

चिन्ता से सहमत हूं। वर्ष 1979 में जब इनकी लागत का अनुमान लगाया था उसके बाद मूल्य में वृद्धि हो गई है और मूल्यों में इस सीमा तक वृद्धि हो गई है जिसकी उस समय कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : इस मूल्य को किसने बढ़ने दिया ?

श्री बृज मोहन महन्ती : यदि मैं सही हूं तो क्या माननीय सदस्य को याद है कि जब वह इस्पात मन्त्री थे उस समय उन्होंने इस्पात के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की थी ? उसे याद रखा जाना चाहिए। सरकार बहुत ही सावधान और जागरुक है और दिल्ली विकास प्राधिकरण भी सतर्क है कि मूल्यों मे वृद्धि न हो और जो भी वृद्धि हुई है, वह अवश्य ही सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। मैं इस सभा के समक्ष आकड़ें रख सकता हू। हम भूमि बहुत ही सस्ती दरों पर, अर्थात् 6% रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। भूमि का यह मूल्य बाजार भाव से बहुत सस्ता होगा। अतः मैं निर्धन लोगों की मकान खरीदने की कठिनाई समझता हूं, परन्तु परिस्थितिवश हम कुछ नहीं कर सकते।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैने पूछा था क्या कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने का आपका विचार है—इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री बृज मोहन महन्ती : यह हुडको द्वारा क्रियान्वित नही किया जा रहा। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न लाभ, न हानि के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : कुछ दिन पहले पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि इस प्रकार कीमत का जो अनुमान लगाया जाता है उसमें मार्केट में कीमतों के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ अधिक अनुमान लगाया जाए ताकि एकाएक साइकोलोजिकल इफेक्ट ऐसा न हो कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं···।

अध्यक्ष महोदय : यह आंकड़े यहां थोड़े ही दिए जायेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : कम से कम उस प्रतिवेदन को ध्यान में रखने का विचार है या नहीं ? अगर उसको ध्यान में नहीं रखा गया है तो उसका क्या कारण है ? साथ ही इसमें सरकार की ओर से कुछ सब्सिडाइज करने का भी इरादा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोक लेखा समिति की सिफारिशों और समाचार पत्रों में प्रकाशित आम समाचारों को दृष्टि से रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण के नये उपाध्यक्ष की नियुक्ति का मामला पूर्णतः प्रशासनिक मामला है। परन्तु जैसा कि मेरे सम्मानित मित्र ने अभी उत्तर दिया है, हम लोक लेखा समिति की सिफारिशों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और हम अभूतपूर्ण मूल्य वृद्धि के कारण भी चिन्तित हैं। सरकार को इसकी बहुत चिन्ता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो एडमिनिस्ट्रेटिव बताया है उन्होंने।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह प्रश्न मैं सूचनार्थ पूछ रहा हूं। वह हां या न में उत्तर दे सकते हैं। वे सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं?

चीनी उद्योग को ऋण और गोदामों की आवश्यकता

***149. श्री गुफरान आज़म :**

श्री के० लकप्पा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग को चीनी का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण तुरन्त ऋण की आवश्यकता और चीनी के भंडारण के लिए अपर्याप्त गोदामों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) सरकार ने चीनी के स्टाक के भंडारण और ऋण सुविधाओं के लिए सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान, चीनी के रिकार्ड उत्पादन की दृष्टि में ऋण सम्बन्धी आवश्यकता और अपर्याप्त गोदाम स्थान की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया गया था।

(ख) यद्यपि फैक्ट्रियों के पास 7-6-1982 को 53.2 लाख मी० टन के अधिकतम स्टाक के प्रति 55.6 लाख मी० टन का संयुक्त भण्डारण स्थान था फिर भी व्यक्तिगत मामलों में कठिनाइयों की प्रत्याशा की गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने उपयुक्त मामलों में बाहर के गोदामों में जिस चीनी का शुल्क नहीं दिया गया है उसके भण्डारण की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार, फैक्ट्रियों की ऋण सीमा को पिछले वर्ष उनके द्वारा लिए जा रहे अधिकतम ऋण से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, भारत का रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर व्यक्तिगत मामले में और भी ऋण मंजूर करने के बारे में भी विचार कर रहा है।

श्री गुफरान आजम : अध्यक्ष महोदय, दक्कन शुगर फैक्ट्रीज एसोसिएशन ने यह मांग की की थी कि उनको तरकीबन 484 करोड़ रुपये की क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत है जब कि रिजर्व बैंक ने स्ट्रिक्टली यह तय किया कि इसको 500 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से इन शुगर फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय इस सिलसिले में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री से चर्चा करके इनको सहायता दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट का ध्यान पहले से इस चीज की तरफ है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस सिलसिले में बातचीत हो चुकी है तथा जितना कुछ हो सकेगा सरकार इसके लिए करेगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हर एक फैक्ट्री का अलग-अलग केस मेरिट पर देखकर क्रेडिट बढ़ाना स्वीकार कर लिया है। क्रेडिट बढ़ाने के सिलसिले में जब किसी बैंक की तरफ से मांग आयेगी कि फलां केस में ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, उस केस में रिजर्व बैंक ने गौर करना मन्जूर कर लिया।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की तरफ 15 जून, 1982 तक गन्ना किसानों का 103 करोड़ रुपया बकाया है मैं जानना चाहता हूं कि किसानों का यह जो 103 करोड़ रुपया बकाया है। यह कब तक उनको दिलाया जायेगा। जो मिल-मालिक 14 दिनों के अन्दर बकाये का भुगतान नहीं करेंगे उनको 15 फीसदी का ब्याज देना होगा, ऐसा "गन्ना कन्ट्रोल आर्डर, 1966" के तहत कानून बना हुआ है। इस तरह का ब्याज कितनी शुगर मिलों से उत्तर प्रदेश में वसूल करके किसानों को दिलाया गया है—मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत का काफी रुपया बकाया है, मैं आनरेबिल मेम्बर की इस बात को मानता हूं। बकाये का भुगतान कराना स्टेट गवर्नमेंट के जेरे-निगरानी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ है। अगर कोई मिल इस रकम को न दे तो स्टेट गवर्नमेंट ही कार्यवाही करती है।

श्री जगपाल सिंह : ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा।

राव बीरेन्द्र सिंह : ब्याज की बात मुझे मालूम नहीं है कितनी फैक्ट्रीज ने कितना दिया है। आप अलग से सवाल भेजेंगे तो देखूंगा। इस वक्त तो गन्ना सीजन चल रहा है, उसके बाद मालूम होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैंने जब आपको अनुमति नहीं दी है तो आप इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं।

श्री के० मल्लप्पा : इसमें दो महत्वपूर्ण और बड़े मामले अन्तर्गत हैं। गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का रिकार्ड उत्पादन किया है और आज देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन भी हुआ है।

इसका श्रेय सरकार को जाता है । परन्तु गन्ना उत्पादकों और मिल मालिकों की बहुत-सी शिकायतें हैं । मिल मालिकों की शिकायत हैं कि उनकी ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और न ही चीनी के भण्डारण हेतु भण्डारागार सुविधाएं हैं । क्या सरकार ने ऋण सम्बन्धी और गोदाम सम्बन्धी आवश्यकताओं का कोई जायजा लिया है ।

अधीनस्थ विधान समिति और बहुत-सी अन्य समितियों ने सिफारिश की है कि मिल-मालिकों को यथासम्भव गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान करना चाहिये और स्थिति से निपटने के लिए सरकार को चीनी का निर्यात करना चाहिये और उपभोक्ताओं तथा मिल मालिकों दोनों के ही साथ न्याय करना चाहिए । क्या सरकार ने यह अन्दाजा लगाया है कि मिल मालिकों के पास रक्षा उत्पादकों की कितनी बकाया राशि पड़ी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : देश में गन्ना उत्पादकों को उसके गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए फैक्टरियों को बाध्य करने हेतु कानून पहले से ही विद्यमान है । यदि वे 14 दिन में इसका भुगतान नहीं करते हैं तो फिर उन्हें ब्याज देना पड़ेगा । यदि यथोचित समय पर गन्ने के मूल्य के भुगतान न किए जाने के गम्भीर मामले सामने आते हैं तो उस देश में सरकार मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की कार्यवाही कर सकती है । चीनी और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उन्हीं के कारण चीनी के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है । गत वर्ष के 51.48 लाख टन चीनी के उत्पादन के मुकाबले इस वर्ष 63.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है । इस तथ्य के बावजूद कि गन्ने के उत्पादन में अच्छी वृद्धि नहीं हुई है, हमें इस वर्ष 84 लाख टन का उत्पादन होने की आशा है । मैं माननीय सदस्य को यही बताना चाहता हूं । गन्ने के उत्पादन में तो केवल 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसकी तुलना में चीनी के उत्पादन में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कैसे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फैक्टरियों ने अधिक गन्ने की पिराई की है और उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त चीनी मिलों को लाभकारी मूल्य मिला रहा है । वे किसानों को अच्छा मूल्य दे सकते हैं सब गन्ना उत्पादकों के साथ-साथ मिल-मालिकों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार की नीतियों के कारण हुआ है । जिससे कि इस वृद्धि को बनाए रखा जा सके ।

(व्यवधान)

मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों को केसरी दाल का निर्यात बन्द करना

*152. **श्री गदाधर साहा :**

श्री जायनल अबेदिन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केसरी दाल की घातक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश से चावल खाने वाले राज्यों को उसका निर्यात बन्द करने वाली है ।

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उपायों का क्या ब्योरा है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रा निरोधक अधिनियम, 1955 के नियम 44-क के अन्तर्गत सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति खेसरी चना, खेसरी दाल, खेसरी दाल का आटा तथा उसके उत्पाद या उनके मिश्रण की न तो बिक्री करेगा और न बिक्री हेतु प्रस्तुत ही करेगा या किसी भी नाम से बिक्री के उद्देश्य से अथवा कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करने में इनके तत्वों के प्रयोग के लिए अपने अधिकार ही में रखेगा । उपरिलिखित निषेध लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करना आवश्यक है । मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने उपरिलिखित निषेध लागू कर दिया है । मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से इस निषेध को अधिसूचित करने के लिए समय समय पर अनुरोध किया गया है । इस प्रकार पश्चिम बंगाल व बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश से खेसरी दाल या इसके उक्त उत्पादों को प्राप्त करने तथा उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है ।

श्री गदाधर साहा : यूरोप के देशों और भारतीय के राज्यों में केसरी दाल के आयोग पर रोक लगाए जाने के कारण तथा आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों के इस मत को ध्यान में रखते हुए कि लम्बे समय तक केसरी दाल खाने से शरीर के अंगों का प्रक्षाघात हो जाता है, भारतीय राज्यों में भी इस दाल की खेती पर भी पाबन्दी लगाने के लिए कौन-सी कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है । क्या यह सच है कि भारत के कुछ भागों में खेती हर मजदूरों को मजदूरी के बदले यह दाल दी जाती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस सदन में पहले भी इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई है । मेरा माननीय सदस्य के इस मत से कोई मतभेद नहीं कि यह एक जहरीला उत्पाद है । में पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इसमे क्या कुछ कर सकती है । किसानों द्वारा इस दाल की खेती पर पाबन्दी लगाये जाने की जहां तक बात है, उसकी कठिनाईयों का मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं । ऐसा करना सम्भव नहीं लगता है । सर्वोत्तम सम्भव तरीका यह है कि इस दाल की बिक्री पर रोक लगा दी जाए । सभी राज्यों ने सरकार को सहयोग दिया है । उन तीन राज्यों ने जिनका मैंने किया है इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की हैं उनके यहां यह दाल भारी मात्रा में पैदा होती है । हम उन्हें मानने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री गदाधर साहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जैसा कि डा० राव ने प्रस्ताव किया है क्या केसरी दाल की खेती और उपयोग के लिए ठोस कार्यवाही कार्यक्रम किया गया है और क्या बिहार, मध्य प्रदेश तथा बंगाल को इसे कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जिन उपायों का मैंने उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त, हमने केसरी दाल की कुछ ऐसी किस्में तैयार की हैं जोकि कम विषाक्त हैं । हम किसानों को अपने विस्तार विभाग के माध्यम से इस किस्म की बजाय कम विषाक्त दाल की खेती करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जायनल अबेदिन ।

श्री गदाधर साहा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न-विशेष का उत्तर नहीं दिया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है अनुमति नहीं है । मेरे विचार से यह पर्याप्त है श्री जायनल अबेदिन ।

श्री जायनल अबेदिन : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी समन्वित कार्यवाही कार्यक्रम पर विचार कर रही है जिससे कि केसरी दाल की खेती और उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह तो वही प्रश्न है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मूल प्रश्न का उत्तर देते समय मन्त्री महोदय ने एक बहुत ही विभिन्न उत्तर दिया है और उनकी सिचाई करने में मुझे आपका सहयोग चाहिये । (व्यवधान) निस्सन्देह, महोदय मैं यह अनुभव करता हूं खींचने के लिए यह एक बहुत भारी शरीर है ।

उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि केसरी दाल एक जहरीला तत्व है और इसलिए यह बहुत हानि पहुंचाती है यहां तक कि मानव शरीर के अंगों के विकृता करती है ।

मेरा मतलब है जो लोग इसका सेवन करते हैं उनके । और इसी के साथ ही साथ उनका कहना है कि हमने इस जहरीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी है परन्तु हम इसके उत्पादन को बन्द नहीं कर सकते हैं ।

महोदय, एक अवसर पर इस सभा में आपने जो अभिमत दिया था मैं उसकी याद दिलाता हूं । यहां पर जब नकली दवाईयों और नकली शराब का प्रसंग आया था तो आपने

सदन में एक बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और आपने कहा था कि सरकार को यह देखने के लिए अवश्य कदम उठाने चाहिये कि इस प्रकार की नकली शराब बिल्कुल नहीं बनने पाए। यहां पर वे कहते हैं कि हम इस प्रकार की जहरीली केसरी दाल की बिक्री बन्द कर देंगे, परन्तु हम इसके उत्पादन पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यह कहना उतना ही बुरा है जितना कि यह कहना कि आप नकली दवाएं और शराब बना तो सकते हैं। परन्तु आप उसे बेच नहीं सकते। यह उतना ही बुरा है जितना कि वह। अत: क्या आप मन्त्री महोदय को निदेश देंगे कि "मैं आपके उत्तर को स्वीकार नहीं करता हूं और इसलिए आपको यह निदेश देता हूं कि जहरीली केसरी दाल के उत्पादन पर कानूनी तौर पर पाबन्दी लगाई जाए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा निदेश दिया जायेगा। प्रो० रंगा मेरी इस बात से सहमत होंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, देश के कुछ भागों में यह भोजन की एक आम मद है और किसान इसका उत्पादन अपने उपयोग के लिए करते हैं और वे इसका उपयोग भी जानते हैं। यदि विशेष ढंग से पकायी जाय तो यह जहरीली और हानिकारक नहीं रह जाती है। जैसा कि मैंने कहा है यदि लोग इसका उत्पादन करते हैं और बिना किसी नुकसान के खाते है तो लोगों के अपने उपयोग के लिए इसकी खेती पर रोक लगाना सरकार के मतानुसार ठीक न होगा, परन्तु हम तो अच्छी किस्में विकसित कर रहे हैं। (व्यवधान) चार के लिए भी। (व्यवधान) मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दो।

श्री बीजू पटनायक : वह स्वयं स्वीकारते हैं कि यह विषक्त है। आपका कहना है कि एक ऐसी किस्म है जिसे आप खा सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे किस प्रकार पकाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं बात ऐसी नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आप मेरे बताए अनुसार इसे खाएं तो इसका बुरा असर नहीं होगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप केवल एक तरीके से ही खा सकते हैं अर्थात मुख से। इसका खाने का दूसरा तरीका क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कम से कम इस सम्बन्ध में वे चाहते हैं कि आप उनकी सलाह मानें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उनका कहना है कि यदि आप उनके बताने अनुसार इसे खाएं तो यह

विषाक्त नहीं रहेगी । और खाने का एक ही तरीका है, मुंह । उसको खाने का दूसरा ढंग क्या है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : आप मेरे बताए तरीके से इसे खाएं । वह मेरी सलाह भी हो महोदय, हजारों वर्षों से देश में इसकी खेती होती है। लोग इसको खाते रहे हैं और उत्पादक इसे···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप इससे सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ बात कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी ने कहा कि लाखों की संख्या में लोग केसरी दाल खाते हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपने खाई है या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : बारह साल तक खाई है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपको क्यों कुछ नहीं हुआ ?

श्री राम विलास पासवान : इसलिए कि मैं दाल के साथ दूसरी चीजें भी खाता था । लेकिन ये लोग तो नमक रोटी ही खाते हैं । जब तक लोगों को मालूम नहीं था कि यह जहर है तब तक तो ठीक था ।

लेकिन जब आप कह रहे हैं और आपकी सरकार कबूल करती है कि यह जहर है फिर आप कहते हैं कि पहले से थोड़ा रिफाइन्ड वे में जहर पैदा करेंगे ? अभी भी सरकार कम जहरीला खाद्य-पदार्थ पैदा करने पर विचार कर रही है ।

मंत्री जी ने पिछले सत्र में कहा था कि रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से यह बतलाने का काम करेंगे कि यह पायजनस है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, एक दिन भी इन माध्यमों से इसका प्रचार नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का प्रचार करने का माध्यम क्या है ।

पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को जो इन्होंने पत्र लिखे, उनका क्या उत्तर आया ? यह बताने की कृपा करें ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आशा करता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, वह आज अखबारों के अन्दर आ जायेगा और खूब प्रचार हो जायेगा केसरी दाल के बारे में । पार्लियामेंट में सवाल और जवाब हो रहे हैं, फिर प्रचार न हो, यह कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्पेशल और करवा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि इसके प्रचार का स्पेशल कार्यक्रम बनाइये जिससे लोगों को इसके बारे में पता हो, पूरा प्रचार रेडियो से भी और दूसरे तरीके से भी किया जाए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपको तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कर तो रहा हूं, मैंने मंत्री जी को कहा है।

श्री राम विलास पासवान : आज आप कह रहे हैं मंत्री जी को, यहां एक साल पहले मंत्री जी ने कहा था कि प्रचार करवा रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ ?

राव वीरेन्द्र सिंह : अखबारों में केसरी दाल के बारे में लेख निकले हैं।

कपास के लिए समर्थन मूल्य

153. **श्री उत्तम राठौर :**
श्री नरसिंह मकवाना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए कपास का कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था और किस तारीख को निर्धारित किया गया था;

(ख) कपास की उत्पादन लागत तथा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य में कितना अन्तर है और क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उसका लाभकारी दाम मिलें और बिचौलियों द्वारा उनका शोषण न हो, क्या योजना तैयार की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार ने 1981-82 के मौसम के लिए कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। सरकार किसानों को लाभप्रद मूल्य सुलभ कराने तथा आदानों के मूल्य बढ़ाने पर उनकी क्षतिपूर्ति करने की नीति पर निरन्तर रूप से अमल कर रही है। कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों को इस आशय से संशोधित किया गया था कि आयोग को कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें

क्षेत्र से बिक्री अथवा परिसंस्करण केन्द्र तक आने वाली परिवहन लागत को भी ध्यान में रखना होता है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कपास उगाने वालों को अपने उत्पादों को अलाभकर मूल्यों पर बेचने के लिए विवश न होना पड़े केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों जैसे भारतीय कपास निगम महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ तथा अन्य राज्य सहकारी विपणन संघों के माध्यम से मण्डी समर्थन सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं। इन एजेंसियों द्वारा लगभग 40 प्रतिशत कपास की खरीद की जा रही है।

श्री उत्तम राठौर : आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब यह प्रश्न ध्यानाआकर्ष प्रस्ताव द्वारा उठाया गया था तो मैंने कहा था कि कृषि मूल्य आयोग ने कपास का मूल्य वर्ष 1981-82 के लिए इसलिए निर्धारित नहीं किया क्योंकि कृषि मूल्य आयोग ने पंजाब की एक सिंचित किस्म पी० ए० 320 एफ० के आधार पर लागत विश्लेषण करती है वर्ष 19×0-81 के मूल्यों को अगले वर्ष भी जारी रहने दिया गया और वही मूल्य कपास उत्पादन सभी क्षेत्रों पर लागू रहे महाराष्ट्र में जहां कपास की पैदावार वर्षा पर निर्भर है, एक मांग रखी है। लागत विश्लेषण का यह विशेष तरीका उनके लिए लाभकारी नहीं है। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के लिए अपना कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया है।

महोदय, पिछले वर्ष कृषि मूल्य आयोग द्वारा 359 रुपये समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई जबकि राज्य सरकार द्वारा 638 रुपये की सिफारिश दी गई अभी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ? सरकार ने 1980-81 के मूल्यों को आज तक जारी क्यों रखा है।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग ने कपास उत्पादकों के साथ अन्याय किया है क्योंकि इसने सितम्बर के अन्त में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में यह कारण दिया है कि मई महीने में जब पंजाब में कपास बोई जाती है उस समय उर्वरकों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, अतः मूल्य वृद्धि करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है साथ ही पुराने समर्थन मूल्य जारी रहे और कपास उत्पादकों को कहा गया कि वे इस बात का ध्यान में रखकर अपने मूल्य निर्धारित करे। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग को ऐसा करने की अनुमति कृषि मंत्रालय ने क्यों दी तथा कृषकों को क्यों हानि होने दी।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, महाराष्ट्र की कपास खरीदने की एकाधिकारवादी योजना है और यदि सरकार ने कपास उत्पादन की लागत का अनुमान लगाने हेतु किसी एजेंसी की नियुक्त की है तो मेरे विचार से इससे किसानों के हितों का ध्यान रखा जा सकेगा जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं। सरकार ने कपास का कोई मूल्य इसलिए घोषित नहीं किया क्योंकि ऐसा समझा गया कि कपास के बाजार में प्रचलित मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए

गए मूल्यों से कहीं अधिक थे और हमने सोचा कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर मूल्य घोषित करने से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इसमें बाजार में कीमतें कम हो जाएगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सब कुछ किसानों के हितों में किया गया था और जहां कहीं सरकार यह महसूस करती है कि मूल्य काफी गिर रहे हैं, वहां उपरोक्त एजेंसियां पहले से ही विद्यमान है जो कि बाजार में आती हैं और खरीद करती है।

श्री उत्तम राठौर : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे प्रश्न (क) और (ख) के अपने उत्तर को कैसे न्यायसगत सिद्ध करेंगे? प्रश्न (ख) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कृषि मूल्य आयोग से कहा है कि वह मूल्य निर्धारित करते समय कि गैर-कृषि उत्पादों और कृषि में प्रयुक्त की जाने वाली सभी वस्तुओं को भी ध्यान में रखे। अब वह अपने वर्तमान कथन को कैसे न्यायसंगत सिद्ध कर सकते हैं? क्या उन्होंने कभी उन खास उत्पादकों के वर्तमान भाग्य का भी ख्याल रखा है, जहां वर्षा अधिक होती है और क्या वह पी० ए० 320 एफ० जैसी कपास के मूल्य भी बाजार भाव के समान रखने की अनुमति देंगे?

राव वीरेन्द्र सिंह : श्रीमन्, मुझे शक है कि जो कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह किसानों के हित में भी होगा या नहीं। कृषि मूल्य आयोग से उर्वरक की बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर पिछली सिफारिशों को संशोधित करने के लिए कहने के बाद, मेरे ख्याल से अगर मुझे सही याद है तो, कृषि मूल्य आयोग ने 380 रु० की सिफारिश की थी, जबकि उस समय भाव 500 रु० से अधिक चल रहा था। इसलिए हमने सोचा कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर मूल्य घोषित करना उचित नहीं होगा। अब अगर माननीय सदस्य भाग (क) और (ख) मे दिये गये मेरे उत्तर का आधार जानना चाहते हैं तो, मैं समझता हूं कि अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब मेरे मित्र कृषि मन्त्री को इस बात का विश्वास हो गया है कि कृषि मूल्य आयोग की गणना में कोई कमी जरूर है, क्योंकि उसके द्वारा सुझाये गए भाव बाजार भाव से काफी कम थे, लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने एक समझदारी का कार्य किया है कि नकली आंकड़ों को, झूठे आंकड़ों को जो कृषि मूल्य आयोग ने सुझाये थे, घोषित नहीं किया। निश्चिय ही कुछ गड़बड़ है, जिसकी कि मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति

*146. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिचाई से सम्बन्धित परियोजनाओं का, विशेष रूप से उनकी प्रगति के बारे में, कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन को और मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था के लिए उन परियोजनाओं का अत्यधिक महत्व है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की प्रगति क्या है ; और

(घ) जिन स्थानों पर कार्यन्वयन की गति धीमी है, वहां काम में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) सिंचाई कार्यक्रमों और उनके सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति का नये 20-सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में मूल्याकन किया गया है और उनकी पुनरीक्षा तथा मानीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग सहित, मंत्रालय में विभिन्न संगठनों द्वारा सतत रूप से की जा रही है।

(ख) नये 20-सूत्री कार्यक्रम में यथा-परिकल्पित पतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से, योजनागत परिव्यय में वृद्धि करने के लिए केवल अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि अन्य विभिन्न उपाय करने की भी आवश्यकता है, जैसे, जहां भी आवश्यक हो, संगठन को सुदृढ़ करना, दुर्लभ सामग्री की आपूर्ति, विस्तृत अभिकल्पों तथा अनुमानों को समय पर तैयार करना और निर्माण आदि के लिए अभिकरण नियत करना ।

(ग) और (घ) 1980-81 तथा 1981-82 के लिए सिंचाई क्षमता के लक्ष्य तथा उनकी तुलना में प्राप्त हुई प्रगति मिलियन हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1980-81	2.542	2.277
1981-82	2.677	2.522

प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है :

(1) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे परियोजनाओं की ध्यान पूर्वक मानीटरिंग

के लिए राज्य स्तर पर और उसके अलावा परियोजना स्तर पर मानीटरिंग सेल स्थापित करें। कुछ राज्यो मानीटरिंग सेल पहले ही स्थापित कर लिए हैं।

(2) चुनी हुई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई सेक्टर को पर्याप्त धन आबंटित करें और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दें।

(4) केन्द्रीय सरकार कोयला, सीमेंट, इस्पात, डीजल, इत्यादि जैसी दुर्लभ निर्माण सामग्रियो को उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

(5) बृहत्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति तथा उनके कार्य-निष्पादन का राज्यवार पुनरवलोकन करने के लिए आवधि बैठकें की जा रही हैं।

(6) लघु सिंचाई के सम्बन्ध में, देश में सिंचाई पम्प सेटों की प्रचालन सम्बन्धी कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति गठित की गई है।

(7) वार बन्दी तथा रात्रि में सिंचाई लागू करके और खेत—नालियों के निर्माण द्वारा कार्यक्रम जल प्रबन्ध को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(8) प्रगति का पुनरवलोकन करने और योजनागत कार्यक्रमों के सफल क्रियान्ववयन के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए सिंचाई तथा कमान-क्षेत्र विकास मन्त्रियों का सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है।

वनस्पति तेल की कीमत में वृद्धि

*147. श्रीमती सुशील गोपालन :
श्री एस० एम० : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वनस्पति तेल की कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का कीमतों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) व (ख) जी हां। वनस्पति उत्पादकों को दिए जाने वाले आयातित तेलों के अनुपात में कमी करने तथा

इन तेलों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप, उद्योग ने अपनी स्वैच्छिक मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत वनस्पति के 16.5 कि० ग्राम० के टीन का कारखाना मूल्य 192 रु० से 217 रु० जिसमें उत्पादन शुल्क भी शामिल है किया है।

(ग) व (घ) सरकार ने वनस्पति उद्योग पर बार-बार इस बात के लिए जोर दिया है कि उत्पादकों, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं, सभी स्तरों पर मूल्य नियंत्रण बरतने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वनस्पति के भण्डार तथा स्टाक सीमा से सम्बन्धित कानून के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें। कदाचार करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, ताकि इस अधिनियम की कमियों को दूर किया जा सके तथा अपराधियों को अधिक कड़ी सजायें दी जा सकें।

ग्रामीण सड़कों का विकास

148. **श्री रामावतार शास्त्री :** ग्रामीण विकास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982-83 के लिए ग्रामीण सड़कों के विकास की कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा और इस वास्तविक कार्यक्रम का लगभग 50 प्रतिशत 1985 तक पूरा किया जाएगा। छठी योजना में 1165 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है और राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना 1982-83 में 195.19 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में परिव्यय सुलभ किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई योजना नहीं है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1982-83 (अनन्तिम)
1. आन्ध्र प्रदेश	200
2. असम	600
3. बिहार	2500
4. गुजरात	500
5. हरियाणा	40
6. हिमाचाल प्रदेश	640
7. जम्मू तथा काश्मीर	300
8. कर्नाटक	850
9. केरल	424
10. मध्य प्रदेश	800
11. महाराष्ट्र	1750
12. मणिपुर	250
13. मेघालय	95
14. नागालैण्ड	45
15. उड़ीसा	550
16. पंजाब	200
17. राजस्थान	1000
18. सिक्किम	230
19. तमिलनाडु	1000
20. त्रिपुरा	300
21. उत्तर प्रदेश	6000
22. पश्चिम बंगाल	800
योग । राज्य	19074

1	2	3
1.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	81.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	80
3.	चण्डीगढ़	12.80
4.	दादरा तथा नगर हवेली	—
5.	दिल्ली	10
6	गोवा, दमन तथा द्वीप	3
7.	लक्षद्वीप	2.20
8.	मिजोरम	236
9.	पाण्डिचेरी	19.58
	योग : केन्द्र शासित क्षेत्र	445.08
	महा योग	19519.08

(स्रोत: योजना आयोग)

मरुस्थलीय जिलों का विकास

150. श्री नवीन रवाणी : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मरूस्थली जिलों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस परियोजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) मरूस्थल विकास कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था ; और

(घ) अब तक की उपलब्धि का ब्योरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) : सरकार ने मरूस्थीकरण पर नियंत्रण पाने और स्थानीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए मरूभूमि खास कार्यक्रम पहले ही शुरू किया हुआ है ताकि इन क्षेत्रों में उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि की जा सके। कार्यक्रम का ब्योरा विवरण में दिया गया है जिसे सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये (केन्द्र तथा राज्य दोनों) का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम अब 21 जिलों में चल रहा है जिनमें से देश के 17 जिले गर्म शुष्क क्षेत्रों में हैं और 4 जिले शीत शुष्क क्षेत्रों में हैं। कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा कृषि आयोग के भूतपूर्व सदस्य (कृषि), डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस मन्त्रालय द्वारा गठित एक कार्यबल द्वारा की गई थी। कार्यदल ने कच्छ (गुजरात) और कारगिल (जम्मू तथा काश्मीर) जिले के भागों को छोड़कर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ में लिए गए सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम का जारी रखने का सुझाव दिया था। कच्छ में, इस कार्यक्रम को अब चल रहे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है जिसके मोटे तौर पर एक जैसे ही उद्देश्य हैं। कारगिल जिले में, कार्यदल ने कार्यक्रम को मौजूदा 5 खंडों में से 4 खंडों में बन्द करने की सिफारिश की थी जिनमें वर्षा, वनस्पति तथा सिंचाई की मात्रा काफी है। कार्यदल की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

1982-83 से कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार है :--

राज्य का नाम	जिला
गर्म शुष्क क्षेत्र	
1. गुजरात	1) बानसकन्ठा
	2) मेहसाना
2. हरियाणा	1) हिसार
	2) भिवानी
	3) रोहतक
	4) सिरसा
3. राजस्थान	1) जैसलमेर
	2) जोधपुर
	3) नागौर
	4) पाली
	5) बाड़मेर
	6) जालौर
	7) बीकानेर
	8) चुरू

1	2
	9) झुन्झुनु
	10) सीकर
	11) गंगानगर
शीत शुष्क क्षेत्र	
1. हिमाचल प्रदेश	1) लाहौल का स्पिती उप-मंडल और स्पिती जिला
	2) किन्नौर जिले का पूह उप-मंडल*
2. जम्मू तथा काश्मीर	1) लेह जिला
	2) कारगिल जिले का जेंसकार खण्ड

*1982-83 से शामिल किया गया है।

(घ) कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 31 जनवरी, 1982 तक इसके अन्तर्गत लगभग 47.79 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्यक्रम के लिए अब तक लगभग 41.83 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां बंटित की गई है। पौधारोषण जिसमें ईंधन तथा चारे के लिए पौधारोषण भी शामिल है, के अन्तर्गत 319,18 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है। वायुरोधी (शेल्टर बेल्ट) पौधारोषण 20,8?3 किलो मीटर भूमि पर किया गया है। रेत के टीलों के जमाने का कार्य 7,218 हैक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। 1401 खुदे कुओं।पम्प सैटों को शक्ति चालित किया गया है और 445 गांवों से बिजली पहुंचाई गयी है। लगभग 59.57 लाख श्रम दिनों का रोजगार पैदा किया गया है।

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आरगनाइजेशंस को दिए गए निर्देश

*151. श्री डी॰ एम॰ पुत्ते गौड़ा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में स्थापित अनेक टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग आरगनाइजेशन्स केन्द्र द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्र का विचार प्रत्येक राज्य से उनके द्वारा की गई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट मांगने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) "नगर तथा ग्राम आयोजन" राज्य का विषय है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश/अनुदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल कार्यालय खोला जाना

*154. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल कार्यालय आरम्भ करने और उसे त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम और कोचीन डिवीजनों में कार्य बढ़ने के कारण केरल में एक नए मंडल की आवश्यकता हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय लेने में देरी होने के कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) केरल में एक सर्किल कार्यालय के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

*155. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०, डी० ए० सैल्फ फाइनेन्स ओनर्स सोसाइटी ने फ्लैटों के मूल्यों में अत्याधिक और मनमाने ढंग से वृद्धि करने तथा घटिया किस्म का निर्माण करने के मामले को उच्च न्यायालय में देने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने घटिया किस्म के फ्लैटों का निर्माण किया है तथा उनमें निम्न कोटि की सामग्री का प्रयोग किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डी० डी० ए० सल्फ फाइनेन्स फ्लैट आनर्स सोसाइटी (रजि०) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्यों के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ डी० टी० सी० डिपो के पीछे मुनीरका में स्ववित्त पोषित फ्लैटों की कीमत में वृद्धि को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है जिसका नम्बर 1916/82 है। उक्त रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवासीय परियोजनाओं के लिए निजी भवन निर्माताओं को लगाना

***156. श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में डी० डी० ए० के मकानों का निर्माण कार्य निजी भवन निर्माताओं को देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की पूर्व नीति को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निजी पार्टियों को वह कार्य देकर डी० डी० ए० की अपर्याप्त भवन निर्माण क्षमता बढ़ाई जा सकती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में मकान निर्माण गतिविधि में निजी निर्माणकर्ताओं का शामिल करने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों के दबाव के भीतर, दिल्ली विकास प्राधिकरण पर्याप्त सीमा तक समाज के विभिन्न वर्गों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने में सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय

लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन जैसे सार्वजनिक अभिकरण प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक तथा तार विभाग जैसे अन्य केन्द्रीय विभाग और स्थानीय निकायों ने स्टाफ क्वार्टर बना कर मकानों की संख्या में वृद्धि की है/बढ़ा रहे हैं। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है। सार्वजनिक आवास के क्षेत्र में अन्य अभिकरणों को शामिल करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अनाज की उपलब्धता

*157. **श्री रूप चन्द्र पाल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निकट भविष्य में कम मात्रा में उपलब्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक मजदूर को उसकी दैनिक मजदूरी के एक भाग के रूप में एक किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। इस आशय के अनुदेश सभी राज्य सरकारों। केन्द्रशासित क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहेगी ; जहां तक चालू वित्तीय वर्ष के बाद की अवधि का सम्बन्ध है' खाद्यान्नों की उपलब्धता पर विचार करते हुए उचित समय पर सरकारी निर्णय लिया जाएगा।

डी० डी० ए० के फ्लैट और प्लाट खरीदने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को सुविधाएं

*158. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं की हैं कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण से मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के प्लाट तथा फ्लैट खरीद सकें और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार उन सभी निचली श्रेणियों से संबंधित लोगों को ऐसी सुविधाएं देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्गों के अन्तर्गत, प्लाटों के आबंटन के

मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 2० प्रतिशत का आरक्षण है। इसी प्रकार फ्लैटों के आबंटन के मामले में इन जातियों के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के नागरिक पूर्ति निगम को घाटा

*159. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री भीकू राम जैन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नागरिक पूर्ति निगम को भारी घाटा हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक इसे कुल कितना घाटा हुआ है ?

(ग) ऐसे भारी घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (ग) वर्ष 198 .-82 के दौरान निगम को लगभग 57 लाख रुपए की अनुमानित हानि हुई. इसका मुख्य कारण उक्त वर्ष के दौरान चीनी के व्यापार में हुआ घाटा था;

(घ) निगम से अन्य कई आवश्यक व वस्तुओं के वितरण का कार्य आरम्भ किया है जिनसे उचित लाभ मिल रहा है।

खाद्य तेलों की बचत के लिए गैर-खाद्य तेलों का उपाय

*160. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साबुन जैसी अनेक वस्तुओं के निर्माण के लिए खाद्य तेलों का प्रयोग न करके गैर-खाद्य तेलों, जैसे नीम और साल का तेल प्रयोग करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) "आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वृक्ष तथा बनमूल के तिलहनों/तेलों का विकास कार्यक्रम" नाम से एक स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए तैयार

की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार को चुना गया है। उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले न साल के बीज एकत्र करने तथा उनके संसाधन के लिए एक बिजा-यक निष्कर्षण संयंत्र लगाने हेतु एक परियोजना भेजी है। परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बिहार तथा मध्यप्रदेश के मामले में भी परियोजनायें तैयार की जा रही हैं।

कोको उत्पादकों को संरक्षण दिया जाना

*161. **श्री एम० रामन्ना राय :**

श्री एम० नोला लोहितादसन नाडार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एकाधिकारी पूंजीपतियों के सिकंजे से कोको उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक और केरल में पैदा की जाने वाली कोको की किस्म के बारे में गलत प्रचार संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सबंध मे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिह) (क) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

कोको उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) कोको की वैज्ञानिक खेती तथा उसके उपचार के लिए किसानों को शिक्षा देने हेतु प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना व कोको उत्पादकों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(2) केरल सरकार ने सहकारी क्षेत्र में अधिप्राप्ति और परिसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की है तथा केरल के कोको उत्पादक क्षेत्रों में कोको की फली की खरीद व उनके परिसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। नम फलियों के लिए लगभग प्रति कि० ग्राम 6 रुपए अदा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार खरीददारों को प्रोत्साहन के रूप में नम फलियों के लिए प्रति कि० ग्राम 1 रुपया की राजसहायता प्रदान कर रही है।

(3) केन्द्रीय सुपारी विपणन तथा संसाधन सहकारी लिमिटेड, मंगलूर भी केरल तथा कर्नाटक राज्यों में कोको की फलियों/पोड़ों के एकत्रीकरण, अधिप्राप्ति तथा संसाधन के कार्य में लगी हुई है।

(4) कोको पोड/फलियों की अधिप्राप्त के लिए सहाकारी समितियों द्वारा उत्पादकों को सीधे राजहायता प्रदान करना।

(5) भारतीय कोको फलियों के उत्पादन, किण्वन और संसाधन की जांच करने के लिए खाद्य कृषि संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों व फ्रान्स सरकार से सहायता ली गई है ताकि उनके अनुभवों से उत्पादकों को लाभ मिल सके।

(6) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में उत्पादकों को कोको के पौधों का वितरण करना।

फसल की कटाई के बाद हुए नुकसान के कारणों की पुनरीक्षा

*162. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न फसलों की कटाई के बाद हुए नुकसान ने विभिन्न कारणों की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पुनरीक्षा समिति ने पिछले तीन वर्षों में हुए नुकसान का अनुमान लगाया है ;

(घ) विभिन्न फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी हां, जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध हैं। एक विशेषज्ञ समिति ने 1966 में खाद्यान्नों की कटाई के बाद की हानियों के कारणों की समीक्षा की थी और उन्होंने विभिन्न कारणों से हानियों के निम्नलिखित अनुमान प्रस्तुत किये थे :—

थ्रेशिंग	—1.68%
विधायन	—0.92%
परिवहन	—0.15%

मूषक	—2.50%
पक्षी	—0.85%
कीटाणु	—2.55%
नमी	— 0.68%
जोड़	—9.33%

पिछले तीन वर्षों की हानियों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

(घ) और (ड.) कटाई के बाद की हानियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।—

(1) देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 17 अन्य सुरक्षा अभियान दलों की नियुक्ति की गई है ताकि प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार सम्बन्धी तरीकों के माध्यम से कई एक उन्नत तौर-तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित, प्रेरित किया जा सके और उन्हें मनाया जा सके और अनाज के भण्डारण की दृष्टि से आदर्श गांवों का विकास किया जा सके;

(2) हापुड़ में भारतीय अनाज संचयन संस्थान स्थापित किया गया है और उसके लुधियाना, हैदराबाद, जोरहाट, जबलपुर और उदयपुर में पांच फील्ड स्टेशन स्थापित किए गए, हैं, । ये भण्डारण ढांचों और क्षेत्रीय आधार पर अन्य सगत विधियों सहित उन्नत संचयन विधियों को तैयार और विकसित करने में लगे हुए हैं ;

(3) फार्म स्तर पर भण्डारण में सुधार करने के लिए ऋणों और सहायक अनुदानों के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता भी सुलभ की गई थी ;

(4) राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों ने वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण गोदामों का निर्माण कार्य शुरू किया है और उसके द्वारा रखे गए खाद्यान्नो के बारे में भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है ; और

(5) उन्नत भण्डारण की आवश्यकता को उजागर करने और परिहार्य हानियों से बचने की आवश्यकता को सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाने के उद्देश्य से सेमिनारों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।

बागवानी उपनिवेशक के विरुद्ध विचाराधीन सतर्कता संबंधी मामले

1527. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली उपनिदेशक, बागवानी के विरुद्ध कुछ सतर्कता सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन के बारे में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण शीघ्र ही कार्यवाही करने के सभी प्रयास कर रहा है। उनके लिए समय का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि कब तक कार्रवाई को निपटा दिया जाएगा।

वनों का कटाव

1528. श्री ई० बाला नन्दन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पेड़ों के अंधाधुंध और अवैध कटान के कारण तेजी से वृक्षहीन हो रहे वनों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : वनों के संरक्षण तथा प्रबन्ध के लिए राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। अन्धाधुंध और अवैध कटाई के कारण वनों को निर्वनीकरण से बचाने के लिए राज्यों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

1. वैज्ञानिक आधार पर कार्यकारी योजानाओं को तैयार करना तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना।

2. ठेकेदारों की एजेंसी के माध्यम से अवैध कटाई की गुंजाइश समाप्त करने के लिये वनों की विभागीय कार्यप्रणाली।

3. चलते फिरते विशेष दस्तों के माध्यम से गश्त लगाना।

4. रक्षक दलों की स्थापना करना, जिसमें वनों के संरक्षण में सहायता करने के लिए स्थानीय ग्रामीण शामिल होते हैं।

5. जहां कहीं आवश्यक हो, वहां वन संरक्षण कर्मचारियों को आग्नेय अस्त्र उपलब्ध कराना।

6. संगठित गिरोहों का सामना करने के लिए पुलिस की सहायता लेना।

7. अवैध कटाई करके ठेकों का उल्लंघन करने के मामलों में सजा देना।

8. मुखबीरों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन तथा पुरस्कार देना।

शान्ति निकेतन कालोनी को पानी की सप्लाई

1529. **श्री जगजीत यादव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी मिलिटेड, नई दिल्ली की शान्ति निकेतन कालोनी को अधिकार में लिए जाने से पूर्व इस कालोनी में इसके अपने जलाशय से 24 घन्टे पानी सप्लाई होता था ;

(ख) क्या अधिकार में लिए जाने के पश्चात इसे दिन में (सुबह और शाम, दोनों को मिलाकर) केवल 4-5 घन्टे पानी सप्लाई किया जाता है और कभी-कभी बिल्कुल पानी नहीं आता, जैसे कि 8 जून, 1982 की शाम को हुआ था ;

(ग) इस कालोनी में पानी की सप्लाई बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस कालोनी के बिल्कुल सामने रामकृष्णा पुरम, सेक्टर 12 में दोपहर को भी लगभग एक घन्टे के लिए पानी सप्लाई किया जाता है ; और

(ङ.) यदि हां, तो इस कालोनी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शान्ति निकेतन कालोनी की जल-सप्लाई सेवायें 1976 में ली गई थीं। इससे पूर्व यह कालोनी अपने ही नलकूप के अतिरिक्त म्यूनिसिपल की मुख्य पाइप लाइन से काफी संख्या में कनैक्शन लेकर जल सप्लाई प्राप्त कर रही थी। इसलिए सप्लाई सीमित करने की आवश्यकता हुई।

जैसाकि संस्थान ने सूचित किया है सल्यूस-वाल्व के एक जाने के कारण शान्ति निकेतन कालोनी में 8 जून, 1982 को जल सप्लाई भंग हो गई थी।

(ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि शान्ति निकेतन कालोनी को पालम जलाशय से पानी की सप्लाई की जाती है। इस जलाशय से जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक योजना निष्पादनाधीन है। इस योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात शान्ति निकेतन कालोनी को जल सप्लाई में सुधार हो जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ.) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पालम जलाशय में जल सप्लाई बढ़ाने की योजना के निष्पादित हो जाने पर शान्ति निकेतन कालोनी में जल सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाएगा। वर्तमान जलाशय से अपर्याप्त जल सप्लाई के कारण सीमित सप्लाई है।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में पानी के खराब मीटर

1530. **डा० ए० यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में पानी के अधिकांश मीटर खराब है तथा उपभोक्ताओं को तदर्थ अथवा समान दर (फ्लैट-रेट) से बिल भेजे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो मीटरों की खराबी दूर करने के लिए तथा सही मीटर देखकर पानी का शुल्क लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या रायसीना रोड स्थित केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के ब्रांच-स्टोर से अगस्त, 1980 से प्रति मास 605/-रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि पहले 105/-रुपये और 230/-रुपये प्रति मास लिए जाते थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा मीटर-रीडिंग के अनुसार ब्रांच-स्टोर से पानी का शुल्क लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में मीटर वाले 35,000 कनक्शन हैं जिनमें से कुछ—प्रतिशतता हमेशा खराब रहती है। जिस अवधि में मीटर खराब रहते हैं, उपभोक्तओं को अन्तन्तिम आधार पर बिल दिये जाते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा शिकायतें प्राप्त करने पर पानी के मीटरों की जांच की जाती है और यदि खराब पाए जाते हैं तो उन्हें बदल किया जाता है तथा खराब मीटरों को नई दिल्ली नगर पालिका की कर्मशाला में मरम्मत के लिए भेज दिए जाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका ने हाल ही में 5000 नए मीटर खरीदे हैं जिनसे खराब पानी के मीटरों से उत्पन्न समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

खराब मीटरों की तबदीली पर कुछ समय तक पानी के उपभोग को देखरेख की जाती है तथा औसतन उपभोग के आधार पर पहले वसूल किए गए अनन्तिम प्रभार पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं तथा अन्तर, यदि कोई होता है तो बाद के बिलों में समायोजित कर दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि 1978 में अनन्तिम प्रभार 105/- रुपये की दर से लगाए गये थे। बाद में जबकि मीटरों की रीडिंग की गई तो स्टोर को 230/- रुपये की दर से बिल दिया गया। जून, जुलाई, 1980 में जब मीटर रीड किए गए तो उन्होंने 340 कि० मीटर प्रति माह का वास्तविक उपभोग दिखाया तथा उसके बाद सितम्बर, 1980 से 400 कि० मीटर के अनन्तिम उपभोग पर आधारित ये प्रभार 605/-रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिए गए थे।

नई दिल्ली नगर पालिका अब मीटर चैम्बर को अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने तथा पुराने खराब मीटरों को बदलने के लिए कदम उठा रही है। तबदीली के बाद मीटर पर कुछ महीनों तक उपभोग की देख रेख करने के बाद अनन्तिम प्रभारों को निर्धारित किया जाएगा तथा भावी बिलों के माध्यम से समयोजन निखाया जाएगा।

नुन्थर में बागमती नदी पर बांध

1531. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मन्त्री नुन्थर में बागमती नदी पर बांध के बारे में 8.3.82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० जी० नेपाल से यह जानने के लिए सम्पर्क कर लिया गया है कि उन्होंने बागमती नदी पर उच्च बांध बनाने के लिए अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधवाड़ा नदी समूह के लिए बिहार सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम में, धोंस, बागमती नदियों के दोनों किनारों पर अकारबर घाट तथा हैया घाट के बीच पक्का तटबंध बनाने और उन पर पक्की सड़कें बनाने तथा बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई सुविधाओं के लिए उपयुक्त दूरियों पर स्लूस फाटक एवं चैनल्स का निर्माण भी शामिल है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) यद्यपि इस विषय पर आगे बातचीत करने के लिए हमने नेपाल की महामहिम सरकार से अनुरोध किया है, परन्तु फरवरी, 1982 के बाद अब तक सरकारी स्तर पर आगे कोई बातचीत नहीं की जा सकी है।

(ग) बिहार सरकार ने अब सूचित किया है कि अधवाड़ा नदी समूह के लिए कोई विशिष्ट परियोजना अभी तक तैयार नहीं की गई है। बागमती वृहद (मास्टर) योजना में, लखनदेई और

बलवा चैनल पर पश्च तटबन्धों सहित, हैया घाट तक नई तटबंध प्रणाली का निर्माण, और हैया घाट के नीचे तटबन्धों को ऊंचा करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना और उसके साथ ही अन्य निर्माण कार्य जैसे, बाढ़-रोधी जल-द्वारा नियामक, नियन्त्रण संरचनाएं, वलय (रिंग) बन्ध उनमें शामिल कर लिए गए हैं।

आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

1532. श्री दिगम्बर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हरियाणा और पंजाब में आटा मिलों को पीसने के लिए कितना गेहूं, प्रति क्विटल, किस दर पर सप्लाई किया गया/किया जाएगा;

(ख) क्या आटा मिलों को आटा, मैदा और सूजी तथा अन्य उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की छूट है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इन उत्पादों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता के लिए जारी दुकानों के माध्यम से जनता के लिए जारी करने हेतु खरीदती है, यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किस दर पर;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि मिल मालिकों के पास बहुत अधिक मुनाफे की गुंजायश है और इस मुनाफे के अलावा वे सूजी और मैदे को खुले बाजार में बेचकर बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कभी किसी स्तर पर पिसाई प्रभारों पर लेखा परीक्षा की यदि हां, तो ऐसे मामले में लाभ की अनुमत गुंजाइश क्या है; और

(च) बहुत अधिक मुनाफे में कटौती करने के लिए और उपभोक्ता तक लाभ पहुंचाते हेतु उनका क्या कार्यवाही करने का विचार, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जनवरी 1982 से जून, 1982 तक पंजाब और हरियाणा के राज्यों की रोलर फ्लोर मिलों को क्रमशः 102.4 हजार मीटरी टन और 49.1 हजार मीटरी टन गेहूं 155/-रुपये प्रति क्विटल की दर पर सप्लाई किया गया है। क्योंकि केन्द्रीय भंडार में गेहूं की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर आबंटन किए जाते हैं, इसलिए आवासी महीनों के लिए सप्लाई के बारे में अग्रिम रूप से बताना सम्भव नहीं है।

(ख) हालांकि मैदा और सूजी के मूल्य केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकारों द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारिय किए गए हैं, लेकिन अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में

रखते हुए राज्य वितरण कार्यों पर अपना नियन्त्रण रखते हैं । पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि गेहूं के उत्पादों की सुगम उपलब्धता को देखते हुए उन्होंने मिलों को गेहूं उत्पाद खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है । जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मिलों को गेहूं के उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए अनुमति दे दी जाती है । पंजाब सरकार ने होलमील आटा के मूल्य भी निर्धारित कर दिए हैं । यह आटा अंशतः उचित दर की दुकानों के माध्यम से भी वितरित किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार गेहूं का कोई उत्पाद नहीं खरीदती है । पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए अप्रैल, 1982 और जून, 1982 के बीच मिलों से 162.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 9054.4 मीटरी टन होलमील आटा खरीदा है । उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं के उत्पादों की कोई निर्धारित मात्रा नहीं खरीदी गई है । यह मात्रा उनकी अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास भिन्न-भिन्न होती है । पंजाब और हरियाणा के राज्यों में मैदा और सूजी के निकासी मूल्यों का ब्योरा इस प्रकार है :—

(प्रति क्विंटल)

	मैदा	सूजी
पंजाब	210.50	210.50
हरियाणा	210.00	205.00

(घ) फ्लोर मिलों को जिन मिलिंग मार्जिनों की अनुमति देनी होती है उनमें संशोधन होने तक, केवल मैदा और सूजी के मूल्य ही सांविधिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह अनुदेश जारी किए थे कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये उत्पाद उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्यों पर ही उपलब्ध किए जाएं ।

(ङ) और (च) मिलिंग मार्जिनों के बारे में एक अध्ययन 1968 में किया गया था । केन्द्रीय सरकार ने 1981 में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से अनुरोध किया था कि वे इस सम्बन्ध में नये सिरे से अध्ययन करें ताकि केन्द्रीय सरकार मार्जिनों में संशोधन कर सके । मिलिंग मार्जिनों को अन्तिम रूप देने के बाद, गेहूं के सभी उत्पादों के मूल्यों को सांविधिक रूप से निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

देश में बाढ़ नियंत्रण के लिए धनराशि

1533. श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की है।

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) बाढ़ नियन्त्रण एक राज्य-विषय होने के कारण बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के आयोजन तथा कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और इन स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था उनकी अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं में की जाती है। बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम को दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले बाढ़ नियन्त्रण निर्माण-कार्यों के कार्यान्वियन में तीव्रता लाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण सेक्टर के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि कर दी है। राज्यों की कुछ निर्धारित बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिए उन स्कीमों को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सीमित मात्रा में केन्द्रीय ऋण सहायता की भी व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तथा अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए 17/.26 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 32.6) करोड़ रुपये केन्द्रीय सेक्टर में हैं।

सामुदायिक विकास खंडों का विभाजन

1534. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि कुछ मौजूदा अनियन्त्रित ऐसे सामुदायिक विकास खण्डों को विभाजित कर दिया जाए जो बहुत बड़े-बड़े हैं तथा जिनके सम्बन्ध में असुविधा होती है उसके बदले और नए विकास खंड बनाए जाएं;

(ख) यदि हां, तो जिन खंडों को विभाजित करने की सिफारिश की गई है उनके क्या नाम हैं और प्रत्येक जिले में जो नए खंड बनाए जाएंगे उनके क्या नाम हैं;

(ग) इस सबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है और इसमें देरी होने के क्या कारण है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जैसी योज-

नाओं के कार्यान्वयन हेतु खंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए हिमाचल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, राज्य सरकार ने विभाजित किये जाने वाले खंडों तथा नए बनाये जाने वाले खंडों का ब्यौरा नहीं दिया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि हम समन्वित ग्रामीण विकास आबंटन के प्रयोजन के लिए 2-10-1980 के पश्चात् किसी भी खंड को सृजित करने पर विचार नहीं कर सकते हैं।

सलौली सिंचाई परियोजना को मंजूरी

1535. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ की सलौली सिंचाई परियोजना को मन्जूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा 3529.03 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर जून, 1982 में स्वीकार किया गया है।

(ग) इस परियोजना में पश्चिम की ओर बहने वाली संगुइम नदी पर मिट्टी के एक बांध, और बांध से निकलने वाली बाग तट नहर के निर्माण की परिकल्पना है। बांध की सकल संचयन क्षमता 8.375 हजार मिलियन क्यूसेक है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर, इससे 21.244 हैक्टेयर के सिंचाई लाभ की व्यवस्था होगी। इस जलाशय से घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन लगभग 35 मिलियन गैलन जल की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

वनरोपण में सहयोग के लिए स्विटजरलैंड का प्रस्ताव

1536. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड ने भारत के साथ वनरोपण सामाजिक वानिकी पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) स्विटजरलैंड ने देश के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित पर्वतीय विकास में भारत सरकार के साथ सहयोग करने में अपनी इच्छा प्रकट की है। इसमें वनरोपण, मृदा संरक्षण तथा पारिस्थिति की सन्तुलन के पुनः स्थापन पर बल दिया जाएगा। इसने भारत में ग्राम समुदायों की सहकारिता पर आधारित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में सहयोग करने की इच्छा भी प्रकट की है।

2. इस प्रकार के लिए पांच वर्ष अधिक अवधि पर 8.8 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से उत्तर प्रदेश के टेहरी जिले में "आपरेशन साइल वाच अगलर नदो" नामक परियोजना तैयार की गई है। यह परियोजना बहुक्षेत्रीय स्वरूप की है तथा इसका लक्ष्य लगभग/481 वर्ग किलोमीटर के अन्तर्गत अगलर नदी की पनधारा का विकास करना है। इस परियोजना के मुख्य कार्यकलाप वनरोपण, उजड़े वनों को पुनः लगाना, वन तहत कृषि भूमि दोनों में मृदा तथा जल संरक्षण के उत्तम, चारागाह विकास आदि करना है। स्विटजरलैंड के प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इस समय परियोजना पर कार्यवाही की जा रही है।

3. फिर भी सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्विटजरलैंड के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बाढ़, तूफान और सूखे के कारण फसल को हुई हानि

1537. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बाढ़, तूफान और सूखे के कारण राज्यवार कितने मूल्य की फसल का नुकसान हुआ है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्यों को कितनी सहायता दी और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्यों द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक बाढ़, समुद्री तूफान और सूखे के कारण राज्यवार फसल को हुई हानि नीचे दी गयी है :—

राज्य का नाम	प्रकोप का स्वरूप	फसल हानि
असम	बाढ़	0.69 लाख हैक्टार
कर्नाटक	अचानक बाढ़	जानकारी नहीं दी गई
उड़ीसा	तूफान	1.5 लाख हैक्टार
राजस्थान	मानसून-पूर्व सूखा	74 लाख हैक्टार

(ख) केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

असम :—राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है ।

कर्नाटक :—अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता मन्जूर नहीं की गयी है । तथापि प्रधान मंत्री ने प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष से 3.00 लाख रुपये दिए हैं ।

उड़ीसा :—भारत सरकार ने उपायकारी अग्रिम राशि के रूप में 5 करोड़ रुपये दिए हैं; कृषि आदानों के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त अल्पावधि ऋण के रूप में, 5.000 हेक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में धान की सामुदायिक नर्सरियां लगाने के लिए 45 लाख रुपए और समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए मन्जूर किए हैं । प्रधान मन्त्री ने भी प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में से 5 लाख रुपए दिए हैं ।

केन्द्रीय दल, जिसने उड़ीसा का 22 से 25 जून तक दौरा किया था, की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सहायता देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान :—37.03 करोड़ रुपये ।

चावल का उत्पादन और उसकी खपत

1538. श्री अजीत कुमार साहा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किस-किस राज्य में चावल का उत्पादन होता है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में चावल का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार देश में चावल की खपत का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) संलग्न विवरण चावल पैदा करने वाले राज्यों के नाम तथा 1980-81 तक गत 5 वर्षों के दौरान इन राज्यों में पैदा किए गए चावल की मात्रा दर्शाता है। 1981-82 के लिए चावल उत्पादन के निश्चित अनुमान सभी राज्यों से अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ग) देश में चावल की खपत के सही अनुमान उपलब्ध नहीं है । तथापि, गत पांच वर्षों के दौरान देश में खपत के लिए उपलब्ध चावल की कुल निवल मात्रा के अनुमान निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (हजार मीटरी टन)
1977	38,852
1978	46,223
1979	48,295
1980	41,056
1981	49,740

विवरण

1976-77 से 1980-81 की अवधि के दौरान राज्यवार चावल का उत्पादन

लाख मीटरी टन

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
आन्ध्र प्रदेश	49.3	56.0	74.3	63.1	71.3
असम	21.3	23.1	21.7	18.8	25.2
बिहार	47.5	55.0	54.9	35.9	54.8
गुजरात	5.7	6.7	5.3	4.4	5.6
हरियाणा	8.2	9.7	12.3	9.4	12.3
हिमाचल प्रदेश	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0
जम्मू और कश्मीर	3.5	5.2	5.5	4.8	5.5
कर्नाटक	14.8	22.8	21.7	23.7	22.1
केरल	12.5	13.0	12.7	12.9	12.9
मध्य प्रदेश	28.0	44.4	35.6	18.3	40.0
महाराष्ट्र	20.0	23.4	21.0	18.3	23.6
मणिपुर	2.7	3.0	2.6	2.3	2.7
मेघालय	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
नागालैंड	0.7	0.7	0.8	0.5	0.9
उड़ीसा	32.2	43.2	44.0	26.2	43.3
पंजाब	17.4	24.9	30.9	30.4	32.2

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	2.1	2.4	2.3	1.0	1.5
तमिलनाडु	4 ..1	57.1	55.6	58.0	39.8
त्रिपुरा	3.4	3.6	3.7	3.0	3.9
उत्तर प्रदेश	42.9	52.0	59.6	25.5	54.4
पश्चिम बंगाल	59.5	74.9	66.8	58.9	74.7
संघ शासित क्षेत्र	3.1	3.2	2.9	2.9	3.3
अखिल भारत	419.2	526.7	537.7	423.3	532.3

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पानी की टंकियों का निर्माण

1539. **श्री जैनुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान पेयजल सुविधा प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पानी की कितनी टंकी बनाई गई है और कितने लोगों को पेयजल की सुविधा दी गई है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी पानी की टंकियों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और ये टंकियां किन-किन स्थानों पर बनाई जाएंगी तथा कितने लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उ० प्र० के गाजीपुर जिले मे वित्तीय वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान निर्मित पानी की टंकियों तथा व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पेय जल सुविधा मुहैया कराई गयी, निम्नलिखित है :—

वर्ष	गाजीपुर में निर्मित पानी के टैंकों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
1980-81	5	97,322
1981-82	14	89,172

(ख) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान निर्माण के लिए प्रस्तावित पानी की टंकियों की स्थल-वार संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पेयजल पूर्ति सुविधा मुहैया कराई जानी है, निम्नलिखित है :—

निर्माण किए जाने वाली पानी की टंकिया	पानी की टंकियों का स्थान	लाभान्वित जनसंख्या
14	1. भरसार	71,705
	2. अन्धों	
	3. देवकाली	
	4. सावेरी	
	5. धुंवर जुन	
	6. मेदनीपुर	
	7. सुहबात	
	8. अमीरा	
	9. देश गांव	
	10. सुखाढेरा	
	11. परसा	
	12. बेड़ाचबर	
	13. मैसपुर मनहेरी	
	14. शारपुर	

सूखे की समस्या को समाप्त करना

1540. **श्री सुभाष चंद बोस अल्लूरी :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान सूखे की समस्या को जैसे कि आन्ध्र प्रदेश के कुडापाह तथा अनन्तपुर को प्रति वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या स्थायी उपाय किए जाने का विचार है अथवा किए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चूंकि देश के कुछेक भागों में बार-बार सूखा पड़ता रहता है अत: एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का नाम दे दिया गया है, को 1970-71 के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादन तथा

रोजगार में वृद्धि करने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना यथा अनन्तपुर जिलों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यह कार्यक्रम कुडापाह जिले के पांच खंडों को छोड़कर इन जिलों में चल रहा है। इन खंडों की कार्यदल जिसने देश में इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र की पुनरीक्षा की थी, की सिफारिश पर 1982-83 से इस कार्यक्रम से निकाल दिया गया है।

(ख) अप्रेल, 1984 से जनवरी, 1982 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनन्तपुर तथा कुडापाह जिलों में क्रमश: लगभग 1099 लाख रुपये तथा 1011 लाख रुपये का व्यय किया गया है। 1982-83 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनन्तपुर के लिए 240 लाख रुपये तथा कुडापाह के लिए 90 लाख रुपये का आबंटन है। कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं—सिंचाई का विकास, भूमि संरक्षण तथा शुष्क भूमि पर खेती, बनरोपण तथा चारागाह विकास, पशुपालन तथा कोशकीट-पालन का विकास।

भूमि की अधिकतम सीमा

1541. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और बिना सिंचाई काफी अलग-अलग भूमि की राज्य-वार अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भूमि की अधिकतम सीमा

राज्य का नाम	सिंचाई वाली भूमि	गैर-सिंचाई वाली भूमि
आन्ध्र प्रदेश	10 से 27 एकड़	35 से 54 एकड़
असम	50 बीघा (16-2/4 एकड़)	50 बीघा (16-2/3 एकड़)
बिहार	15 से 25 एकड़	30 से 45 एकड़
गुजरात	10 से 26 एकड़	0 से 54 एकड़
हरियाणा	7.25 से 10.9 हैक्टेयर	21. हैक्टेयर
हिमाचल प्रदेश	10 से 15 एकड	30 से 70 एकड़
जम्मू तथा काशमीर	8-13/14 से 12.5 एकड़	14-12/17 से 22-8/11 एकड़

1	2	3
कर्नाटक	10 से 30 एकड़	54 एकड
केरल	12 से 15 एकड़	12 से 15 एकड़
मध्य प्रदेश	18 से 27 एकड़	54 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 36 एकड़	54 एकड़
मणिपुर	5 हैक्टेयर	6 हैक्टेयर
मेघालय	—	—
उड़ीसा	10 से 15 एकड़	30 से 45 एकड़
पंजाब	7 से 11 हैक्टेयर	20.5 हैक्टेयर
राजस्थान	18 से 27 एकड़	54 से 175 एकड़
सिक्किम	12.5 से 50 एकड़	12.5 से 50 एकड़
तमिलनाडु	12 एकड़	60 एकड़
त्रिपुरा	4 से 12 हैक्टेयर	4 से 12 हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश	7.30 हैक्टेयर	10.95 से 18.25 हैक्टेयर
पश्चिम बंगाल	5 हैक्टेयर	7 हैक्टेयर

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास आबंटन के लिए अन्तर पूल व्यवस्था

1542. श्री हरीश रावत : क्या निर्माण और आवास मन्त्री सेवा निवृति सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास आबंटन के लिए अन्तराल व्यवस्था के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के आतरांकित प्रश्न संख्या 6725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास बाजार किराए/दनीय किराए पर तब तक रखने की अनुमति देगी जब तक अन्तर-पूल व्यवस्था के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा जब कभी अन्तर-पूल व्यवस्था के संबंध में अनुकूल निर्णय ले लिया जाएगा तब निष्कासन आदेश मिलने पर अपने वर्तमान आवास को खाली करने वाले सेवानिवृति कर्मचारियों के बच्चों को आवास आबंटित करेगी; और

(ग) 1 मई, 1981 तक सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कितने निष्कासन आदेश जारी किए जा चुके हैं जिनके बच्चे उस पूल के बजाए दूसरे पूल में हैं जिससे वे सेवानिवृत हुए थे और तब से कितने आवास वास्तव में खाली किए जा चुके हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं, जहां तक सामान्य पूल का सबंध है।

(ख) जो भी निर्णय लिया जाएगा यह उस पर तथा सरकारी वास के लिए आश्रित की पात्रता पर निर्भर करेगा।

(ग) जहां तक सामान्य पूल वास का संबंध है, चार मामलों में बेदखली के आदेश पास किए गए हैं। तथापि केवल एक मामले में बेदखल किया गया है।

चकबन्दी की योजना

1543. श्री डी० पत्तु स्वामी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गांव मुंडका में 1975 में शुरू की गई चकबन्दी की योजना को अब उस समय में संशोधित किया जा रहा है जब वह पूरी होने को है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन कुछ कालोनाइजरों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिन्होंने पहले भूखण्डों हेतु अपनी मांग पंजीकृत नहीं कराई थी यद्यपि उनमें से कुछ मुंडका गांव के निवासी भी नहीं हैं।

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आबंटियों ने अपने भूखण्ड फैक्टरी मालिकों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेच दिए है यद्यपि उनके भूखण्ड आवासीय प्रयोजनों के लिए थे, इस प्रकार चकबन्दी योजना का उल्लंघन किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है और बेईमान पार्टियों तथा दिल्ली प्रशासन के संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरिजन परिवारों को भूमि का आबंटन

1544. श्री राम विलास पासवान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन ने मार्च, 1977 में मांगलोई प्रखण्ड (दिल्ली) के रिथाला गांव में 110 हरिजन परिवारों को उनके कुंए के समीप भूखण्ड आबंटित किए थे ;

(ख) क्या भूमि के आबंटन के पश्चात इन परिवारों को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे और क्या संबंधित दस्तावेज जारी किए जाने के कारण गांव के धनी जमींदारों/किसानों ने उस भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया जो अब भी उनके कब्जों में है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1975-76 से उस भूमि के हरिजनों को आबंटन करने हेतु "चकबन्दी" के माध्यम से अधिग्रहण किया था;

(घ) क्या उन किसानों को जिनकी भूमि चकबन्दी के माध्यम से अधिग्रहीत की गई थी, उस समय भूमि के मूल्य से दुगनी कीमत का भुगतान किया गया था, उसी भूमि पर इन किसानों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्लाटों को 20- सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं बांटा गया है अपितु चकबन्दी की प्रक्रिया के दौरान 78 में 239 भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटित किया गया है ।

(ख) ऐसे मामलों में मालिकाना प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाते हैं क्योंकि आबंटियों के नाम राजस्व रिकार्डों में स्वामी के रूप में दर्ज किए जाते हैं । चकबन्दी की योजना के अनुसार, भूमिहीनों को प्लाटों का कब्जा दे दिया गया है । क्योंकि आबंटित रिहायशी प्लाटों का कब्जा पहले ही दे दिया गया है, अतः आबंटी उन्हें उपलब्ध कानूनी उपचारों का आश्रय ले सकते हैं यदि किसी ने प्लाटों का अतिक्रमण किया है ।

(ग) 75-76 के दौरान चकबन्दी प्रक्रिया जारी थी परन्तु वास्तविक आबंटन 78 में किया गया था ।

(घ) विस्तारित आबादी में जिन किसानों की भूमि उपभोग में लाई गई थी उन्हें कानून के प्रावधानों तथा चकबन्दी की योजना के अनुसार कृषि भूमि के ऐसे क्षेत्रों की दुगनी कीमत दी गई थी । यदि किसानों ने प्लाटों पर अतिक्रमण किया है तो आबंटी उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में यथोल्लिखित कानूनी उपचारों का सहारा ले सकते हैं ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, तो आबंटियों द्वारा की जानी है ।

तुर्कमान गेट क्षेत्र में आवासीय क्वार्टर

1545. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में कितने आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या तुर्कमान गेट पर जिन लोगों के मकान गिराये गए उसके परिणाम स्वरूप विस्थापित उन सभी व्यक्तियों को आवास की व्यवस्था कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 414 टेनामेंट बनाए जा चुके हैं तथा 26 और टेनामेंट पूर्ण होने वाले हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तुर्कमान गेट के उन सभी वास्तविक निवासियों को जिन्हें वर्ष 1976 में उस क्षेत्र से हटाया गया था, वैकल्पिक वास दिया जा रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासने सूचित किया है कि 637 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। तथा उनमें से 520 आवेदक पात्र पाये गए थे। 47 आवेदनपत्रों को निरस्त कर दिया गया था तथा 70 को विवादग्रस्त मामलों के रूप में सूची में रखा गया था क्योंकि उनमें और आगे जांच की आवश्यकता थी। 393 टेनामेंटों के आबटन के लिए 520 आवेदकों को व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप में पात्र पाया गया था। तदनुसार, 393 टेनामेंटों का आबंटन कर दिया गया है तथा 175 टेनामेंटों का कब्जा पहले ही दे दिया है। 70 विवादग्रस्त मामलों की मांगें और जांच लगभग पूर्ण हो गई है तथा पात्रता सूची शीघ्र ही प्रकाशित किया जाती है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के मिलों का आधुनिकीकरण करने के प्रति मिल मालिकों का विरोधपूर्ण रवैया

1546. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिलों के मालिक चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने के विरुद्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस रवैया के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना उत्पादकों को गन्ने से रस की प्राप्ति को निम्न प्रतिशतता और असामयिक पेराई के कारण भारी नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए मिल मालिकों को अपने मिलों का अधुनिकीकरण करने के लिए निदेश देगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मिल मालिकों को अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देगी जैसाकि कपड़ा मिलों को आसान शर्तों पर ऋण दिए गए हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को सुगम ऋण सहायता देने की पहले ही एक योजना शुरू की है ताकि उन्हें अपने प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अत: देश की चीनी फैक्ट्रियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और अपने प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कोई चीनी मिल मालिक अपनी फैक्ट्री का जानबूझ कर आधुनिकीकरण नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मिल की आवश्यकताओं पर विचार करना और उनका हिसाब लगाना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। यह चीनी फैक्ट्रियों पर निर्भर करता है कि वे स्वयं अपने तौर पर आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के बारे में हिसाब लगाएं और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय संस्थानों से अनुरोध करें। गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत एक विकास निधि का सृजन किया गया है जिसका नाम "चीनी विकास निधि" है। इस निधि का इस्तेमाल केन्द्रीय सरकार द्वारा कमजोर/रुग्ण चीनी फैक्ट्रियों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण करने के लिए भी किया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे "सुगम ऋण योजना" का काम सौंपा गया है, ने सूचित किया है कि उन्होंने 30 जून, 1982 तक बिहार की एक चीनी परियोजना के लिए 50.00 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश की 17 चीनी परियोजनाओं के लिए 956.85 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस तारीख तक औद्योगिक वित्त निगम के पास आधुनिकीकरण करने के प्रयोजन के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की किसी भी चीनी परियोजना से वित्तीय सहायता के लिए कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं था।

घोड़ों की नस्ल-सुधार

1547. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोड़ों की देशी नस्ल को समाप्त होने से बचाने के प्रयोजन से सम्बन्धित सरकार की, घोड़ों की नस्ल-सुधार संबंधी, कोई विशेष परियोजनाएं हैं।

(ख) इन योजनाओं के लिए कितना बजट-आबंटन किया गया है तथा कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं अथवा किए जाने का विचार है, और

(ग) कार्यान्वियन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में दूध की सप्लाई

1548. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत एक वर्ष से दूध की कमी है;

(ख) दिल्ली में दूध की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और इसके लिए कितना दूध सप्लाई किया जा रहा है,

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में दूध-केन्द्र मैनेजरों की सांठगांठ से बड़ी संख्या में दूध की बोतलें अधिक दाम पर बेची जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो दूध की सप्लाई में सुधार करने के लिए तथा दूध केन्द्रों पर कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) आम तौर से गर्मी के महीनों में दूध की सप्लाई की कमी अनुभव की जाती है, जबकि दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में भैंस के दूध के उत्पादन में गिरावट आ जाती है, जनसंख्या-प्रवाह मांग का मूल्य और उपलब्ध के साथ सम्बन्ध होने जैसे पहलुओं के कारण, दिल्ली में दूध की वार्षिक मांग का ठीक से अनुमान बताना सम्भव नहीं है। दो डेरियां, अर्थात् मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना आजकल प्रतिदिन लगभग 7 लाख लिटर दूध की सप्लाई कर रही है। दोनों डेरियों द्वारा की जाने वाली मौजूदा सप्लाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की दैनिक सप्लाई की मात्रा से प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख लिटर अधिक है।

(ग) और (घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध केन्द्रों से दूध की बिक्री "पहले आये पहले पाये" के आधार पर की जाती है। दिल्ली दुग्ध योजना के पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित और अकस्मात निरीक्षण किये जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूध के वितरण में कोई कदाचार न हो। जब कभी कदाचार का कोई मामला पाया जाता है, अथवा प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, तो तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

खाद्यान्न के भंडार

1549. श्री आर०एन० राकेश : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि । नवम्बर, 1978, 1979, 1980 को सरकारी भंडारों में कितना खाद्यान्न था और इस समय कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री कुमारी कमला कुमारी) : पहला नवम्बर, 1978 1979, 1980 और पहली जून, 1982 को सरकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों के स्टाक का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

लाख मीटरी टन में

को	मात्रा
पहली नवम्बर, 1978	163.0
पहली नवम्बर, 1979	186.9
पहली नवम्बर, 1980	116.3
पहली जून 1982 (अनन्तिम)	140.6

धार्मिक संस्थाओं द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करना

1550. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सनातन धर्म (हरि मन्दिर) तिमारपुर, दिल्ली के सामने की सरकारी जमीन आवास के लिए निर्धारित की गयी थी ;

(ख) क्या कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यों के लिए उपर्युक्त जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया था ;

(ग) क्या उपर्युक्त जमीन का उपयोग दिल्ली की वृहत योजना के अनुकूल किया गया है; और

(घ) दिल्ली में धार्मिक संस्थाओं ने कितनी जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और सरकार का इस स्थिति से निबटने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, सनातन धर्म सभा के अनधिकृत दखल में सरकार की लगभग 500 वर्ग गज भूमि है।

(ग) क्षेत्रीय योजना के अनुसार प्रश्नगत स्थल भू-उपयोग ग्रुप आवास के लिए है। इसलिए धार्मिक प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग दिल्ली की वृहद योजना के अनुरूप नहीं है।

(घ) सरकार ने दिल्ली/नई दिल्ली में सभी अनधिकृत धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए 1977 में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 54,310 वर्ग गज

की सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों का अनधिकृत कब्जा था। इस समिति ने सिफारिश की है। कि इन धार्मिक स्थलों द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने तथा तथा कतिपय शर्तों को मानने पर नगर आयोजना की अपेक्षताओं के अनुसार या तो उसी स्थान पर या वैकल्पिक स्थल नियमित किया जाय। समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और मार्ग निर्देश जारी किए गये हैं।

अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की दरों में संशोधन करना

1551. श्री चिंतामणि जेना : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की गयी भूमि के लिए किसानों को दिये जा रहे मुआवजे की दरों मे संशोधन करने का हैं क्योंकि वर्तमान दरें बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य वार मुआवजे देने की दरें क्या हैं ;

(ग) इस संशोधन के बाद किस दर पर भुगतान किया जायेगा ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार वर्तमान दरों में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1982 (1982 का विधेयक संख्या 67) पहले ही लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। यद्यपि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारित करने हेतु विचार किये जाने वाले मामलों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है तथापि भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की दर को वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। भुगतान न किए गए मुआवजे की धनराशि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर को भी कब्जे लेने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक वर्तमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया जा रहा है। यदि इसमें एक वर्ष से अधिक का विलम्ब होता है तो एक वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 15 प्रतिशत हो जायेगी। इस विधेयक के बन जाने के पश्चात इन प्रावधानों के फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण के लिए देय धन-राशि में वृद्धि हो जायेगी।

पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना के लिए बिहार का ऋण हेतु अनुरोध

1552. श्री ए० के० राय : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि राज्य सरकार के पास धन की कमी होने के कारण बिहार

में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों तथा छोटा नागपुर में कई मध्यम दर्जे की और छोटी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति रुकी हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अपनी सिंचाई की क्षमता को, विशेष रूप से पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ाने हेतु निधि के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार ने पहाड़ी और आदिम जाति भागों में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वय के लिए धन की कमी के बारे में किसी कठिनाई को सिंचाई मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया है। इसके विपरीत, उन्होंने यह सूचित किया है कि सिंचाई परियोजनाओं—विशेषकर आदिम जाति उप-योजना क्षेत्रों में बृहत और मध्यम स्कीमों की प्रगति, भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय जनता के विरोध के कारण धीमी रही है। पहाड़ी और आदिम जाति क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करने के लिए अतिरिक्त धन हेतु राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध सिंचाई मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रेणी-चार के सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्रता

1553. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 700 रुपये से 1000 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को श्रेणी चार के सरकारी आवास के आबंटन सम्बन्धित नियमों में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को श्रेणी चार के सरकारी आवंटन करने हेतु पात्रता का निर्धारण करते समय हाल ही में मूल वेतन में शामिल किए गए महंगाई भत्ते को शामिल नहीं किया गया ;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों को जिनका वेतन महंगाई भत्ता शामिल किए जाने के बाद 1000 रुपये से अधिक हो जाता है उन्हें श्रेणी चार के आवास पाने का पात्र बनाने के लिए सम्बद्ध नियमों में संशोधन करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार के वे कर्मचारियों जो 700-999 रुपये प्रतिमाह के वेतनमान की सीमा में थे उन्हें आगे पुनरीक्षा की शर्त पर 13 फरवरी, 1981 से तदर्थ आधार पर टाइप-डी आवास के लिए पात्र बनाया गया था। पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप 1 जून, 1982 से इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते आदि के भुगतान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने की मंजूरी दी गई है परन्तु सामान्य पूल वास की पात्रता के प्रयोजन के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति की सिफारिशें

1554. श्री धर्म दास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्राधिकरण के अध्ययन तथा दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था;

(ख) क्या इस समिति की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 1981-82 के लिए बोनस की बजाय उत्पादकता के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्णय किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1981-82 के लिए उत्पादकता के आधार पर अनुग्रह राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है और कितने प्रतिशत राशि का भुगतान करना शेष है और पूरा भुगतान न करने के क्या कारण हैं, और कब तक शेष भुगतान कर दिया जाएगा और तत्सम्बंधि ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों के दौर

1555. **श्री के० ए० राजन :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि जो वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे उनके खेतों के दौरे रद्द कर दिए गए थे। (हिन्दुस्तान टाइम्स, 9 जून .9८2) और, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ये अधिकारी उचित स्वीकृति लिए बिना ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गये थे, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि संयुक्त सचिव, डी० ए० आर० को अनेक अन्य आई० ए० एस० अधिकारियों सहित, अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर करने और खेत में कृषि अनुसंधान को देखने के लिए मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। भारत-अमरीकी उप-आयोग को बैठक में दल के भाग लेने के उद्देश्य स अमरीका की यात्रा करने और इस बैठक के पश्चात् क्षेत्रीय भ्रमण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सचिवों की समिति की अनुमति और प्रधान मन्त्री की स्वकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था। प्रधान मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को केवल उप-आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए ही स्वीकृति दी थी। चूंकि प्रधान मन्त्री वे उप-आयोग की बैठक के बाद भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को क्षेत्रीय दौरों में भाग लेने की मजूरी नहीं दी थी, अतः न तो कोई क्षेत्रीय भ्रमण निर्धारित किया गया था और न ही उसमें भाग लिया गया था।

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सचिवों की समिति/प्रधान मन्त्री की पूर्व अनुमति से ही अधिकारीगण अमरीका की यात्रा पर रवाना हुए थे। अतः उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) भारत सरकार और मैक्सिको के बीच खाद्य प्राद्योगिकी और कृषि अनुसंधान सम्बन्धी सहयोग के विशेष कार्यक्रम में नयाचार के प्रावधानों के अन्तर्गत, मैक्सिको का एक प्रतिनिधि-मण्डल, अगस्त-सितम्बर, 1981 के दौरान भारत के दौरे पर आया था। नयाचार के तहत प्रस्तावित कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना के बारे में विचार विमर्श करने और इसे अन्तिम रूप देने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का वापसी दौरा अनिवार्य था।

तथापि, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि मंडल द्वारा किसी नयाचार पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने थे। इस प्रावधान के अनुपालन में एक तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मडल जिसमें (1) डा० सुखदेव सिंह, कुलपति, पंजाब कृषि विश्व विद्यालय, लुधियाना (नेता), (2) श्री पी० एन० राव, संयुक्त सचिव, कृषि अनुसधान और शिक्षा विभाग और (3) डा० आर० नागर सरकार, निदेशक, केन्द्रीय भेड़ ऊन अनुसधान संस्थान, अविकानगर शामिल थे, को 10 जून, 1982 से सात दिन की अवधि के लिए मैक्सिको का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रथम दो अधिकारियों अर्थात् डा० सुखदेव सिंह और श्री पी० एन० राव को वाशिंगटन में होने वाली भारत-अमरीकी उप-आयोग की बैठक में भी भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था और वहां से मैक्सिको के लिए रवाना हुए थे। इसकी वाशिंगटन की यात्रा से यात्रा लागत पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ा था। वाशिंगटन में उनके प्रवास के दिनों के लिए ही उन्हे प्रति "डाइम" का भुगतान किया गया था। प्रारम्भ में इस प्रतिनिधि मडल द्वारा फरवरी, 1982 में दौरा किये जाने की योजना थी, लेकिन ससद का बजट सत्र शीघ्र प्रारम्भ होने वाला था, इसलिए दौरा स्थगित करना पड़ा था।

(घ) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की दौरा सम्बन्धी रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम के चण्डीगढ़ कार्यालय में प्रदर्शन

1556. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी पालेदार संघ ने अप्रैल, और मई, 198 के अन्तिम सप्ताह में क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के सामने धरना दिया था और विरोध में जनसभाओं का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास पंजाब क्षेत्र में कोई विभागीय श्रमिक नहीं है। तथापि कुछ व्यक्ति, जोकि अपने आपको तथा कथित भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी पल्लेदार सघ से सम्बन्धित बताते हैं, अप्रैल, 1982, के अन्तिम सप्ताह से क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब के सामने धरना देते रहे हैं। उनकी मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम के हैंडलिंग तथा ट्रांसपोर्ट के ठेकेदारों को अपने को रजिस्ट्रार पंजाब, के यहां पंजीकृत करवाना चाहिए, उन्हें मूल सुविधाए देनी चाहिएं और श्रमिकों का समुचित रिकार्ड रखना चाहिए।

(2) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के बीच के झगड़ों को दूर करने के लिए सुपुर्दगी सम्बन्धी नीति के बारे में बताया जाना चाहिए और उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(3) मांगें पूरी होने तक, संगरूर जिले के कुछ ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों के रोके गये भुगतान को दे दिया जाए।

(ग) जहां तक भारतीय खाद्य निगम का सम्बन्ध है, उन्होंने अपने सम्बन्धित अधिकारियों को परामर्श दिया है कि वे संविदा श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 को कार्यान्वित करने के बारे में आवश्यक अनुदेशों का अनुसरण करें। निगम ने बताया है कि संगरूर में ठेकेदारों द्वारा जो भुगतान रोका गया था उसे अब श्रमिकों को दे दिया गया है।

दिल्ली की कालोनियों को पाइप लाइन से कुकिंग गैस की सप्लाई

1557. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के गरीब लोगों को पाइप लाइन से कुकिंग गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से कितने परिवार लाभान्वित होंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय एवं मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों को पाइपलाइनों के माध्यम से कुकिंग गैस देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, यह संस्थान ओखला स्थित जल मल शोधन संयंत्र से सीवरेज गैस सप्लाई करने की एक योजना का निष्पादन कर रहा है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात लगभग 10,000 गैस कनेक्शन उपलब्ध होंगे।

वनों का अंधाधुंध विनाश

1558. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1982 की प्रेस रिपोर्ट के "इण्डिया बीकमिंग ए वेस्ट लैण्ड" शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विकास परियोजनाओं के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर वनों को बर्बाद किया जाता है और क्या वनों का अन्धाधुंध नाश किया जा रहा है और इसके साथ ही कृषि भूमि भी नष्ट हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और भूमि को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ताकि देश को बंजर भूमि होने से बचाया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) 1951-52 और 1978-79 के बीच लगभग 43.2 लाख हैक्टार वन क्षेत्र को गैर बन-सम्बन्धी कार्यों के उपयोग में लिया गया था। किन्तु, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने के बाद, किसी भी वन भूमि को गैर वन सम्बन्धी कार्यों के उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया है। इसके फलस्वरूप, अक्तूबर, 1980 से जून, 1982 तक अपरिहार्य कारणों से केवल 5417 हैक्टार वन क्षेत्र को गैर वन-सम्बन्धी कार्यों के उपयोग में लाने की अनुमति दी गयी थी।

(ग) सरकार ने मृदा-क्षरण और भू-अपकरण रोकने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। 1981 तक मृदा और जल संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न उपायों से 748 करोड़ रुपय की लागत से लगभग 243.7 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया था। छठी योजना (1980-85) के दौरान 495 करोड़ रुपए के परिव्यय से 65 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने का प्रस्ताव है।

विकास परियोजनाओं के पर्यावरण सम्बन्धी सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए पर्यावरण विभाग ने पर्यावन सम्बन्धी दृष्टि कोण से चुनींदा विकासात्मक परियोजना की स्वीकृति देने के लिए कार्यविधि तैयार की है। नाजुक क्षेत्रों में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार हेतु क्षेत्रीय कार्यों का आयोजन करने के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड की भी स्थापना की जा रही है।

सूखा राहत सहायता का भुगतान किया जाना

1559. **श्री तारिक अनवर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 197. में जामनगर, गुजरात में जाली नामों पर सूखा राहत सहायता के भुगतान किए जाने के मामले ध्यान में आए हैं,

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि विभिन्न राज्यों को सहायता की आवंटित राशि का प्रभावित व्यक्तियों को केवल भविष्य में भुगतान किया जाए; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रभावित लोगों को राहत देना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी हैं। आपात राहत देने के लिए राज्यों के पास सीमान्त धनराशि के रूप में पहले से ही धनराशि उपलब्ध होती है। राहत सम्बन्धी नियमावली में राहत की रकम वितरित करने सम्बन्धी विस्तृत अनुदेश तथा प्रक्रिया दी गयी है और केन्द्रीय सरकार इस सहायता के दुरुपयोग की आशा नहीं करती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू करने के लिए मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता

1560. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता स्वीकृत की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के कार्यान्वियन के लिए चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए 660.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। तथापि, पहली दो तिमाहियों में कार्य निष्पादन पर निर्भर करते हुए इस वर्ष की शेष दो तिमाहियों के लिए इतनी ही धनराशि आबंटित किए जाने की सम्भावना है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने बराबर के अन्शदान के रूप में दी जाएगी।

वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाएं

1561. **एस० एम० श्रीकृष्ण :**

श्री मगन भाई बरोट : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982-83 के दौरान कतिपय ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौनसी ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) राज्यों केन्द्रशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

छठी योजना के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रत्येक खण्ड में छोटे। सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले कम से कम 3000 परिवारों को उपदानों तथा संस्थागत ऋण के माध्यम से सहायता पहुंचाने की अपेक्षा की गई है जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। उपदान की दर छोटे किसानों के लिए परियोजना लागत 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों, कृषि, श्रमिकों आदि के लिए 33 1-/3 प्रतिशत है जो अधिक से अधिक 3000 रुपये तक दिया जा सकता है। आदिवासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत है लेकिन यह ,000 रुपये से अधिक नहीं दिया जा सकता। कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से लिये जाने हैं और कुछ लाभों के कम से कम 30 प्रतिशत लाभ ऋण तथा उपदान के माध्यम से इन वर्गों को पहुंचाए जाने हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर बराबर के आधार वहन किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करना और उसके माध्यम से स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करना है जिससे समाजार्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधार भूत ढांचा सुदृढ़ होगा। 10 प्रतिशत परिव्यय ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है जिनका अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राज्यों। केन्द्रशासित क्षेत्रों को आबंटन करते समय कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों की जनसंख्या पर और 75 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य में गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय को 1-4-1981 से केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है।

(3) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक ये हैं :

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध :

(2) भूमि तथा जल संरक्षण और रोपण ;

(3) फसल प्रतिमान की पुनःसंरचन और और चारागाह विकास ,

(4) शुष्क भूमि पर कृषि की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना, और

(5) पशुधन विकास ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को इस समय देश के 69 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है ।

(4) मरूभूमि विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भौतिक, मानवीय तथा पशुधन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके उत्पादकता, लोगों की आए के स्तरों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गर्म तथा ठंडे दोनों प्रकार के रेगीस्तानी क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित मुख्य गतिविधियां वनरोपण चारागाह विकास, भूजल विकास, जल संचयन ढांचों के निर्माण, पम्पसेटों को शक्तिचालित करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि विकास बागबानी और पशुपालन से सम्बन्धित हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 21 जिले लिए गए हैं। मरूभूमि विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय को भी केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है ।

(ग) इन सभी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था होती है।

मछली उद्योग को प्रोत्साहन/रियायत

1562. श्री चिंगवांग कोयनक :
श्रीमती सयोगिता राणे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े उद्योग गृहों की मछली उद्योग के प्रति भूमिका सन्तोषजनक नहीं रही है और यह क्षेत्र में नए उद्यमियों को आकर्षित करने में असफल हुआ है; और

(ख) मछली उद्योग को अतिरिक्त प्रोत्साहन और रियायत देने के लिए सरकार के

विचाराधीन क्या प्रस्ताव हैं ताकि विशेष रूप से देश के आर्थिक संकट वाले क्षेत्रों में मछली का उपयोग किया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) देश में उपलब्ध गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 68 वाणिज्यिक जलयानों में से 23 जलयान बड़े उद्योग गृहों के अधीन हैं । इस क्षेत्र ने नए उद्यमियों को भी आकर्षित किया है ।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और रियायतें निम्न प्रकार हैं :—

(1) विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराये पर लेना ।

(2) संयुक्त उद्योग ।

(3) मत्स्यन जलयानों का चयनात्मक आयात ।

(4) देश में निर्मित जलयानों की लागत पर राजसहायता ।

(5) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण ।

(6) कुछ श्रेणियों के जलयानों के लिए हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद कर में छूट ।

हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद कर की छूट सम्बन्धी योजना में परिवर्तन केवल अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही घोषित किये जा सकते हैं ।

नदी जल प्रबंध व्यवस्था को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए कानून बनाना

1563. **श्री एम० एम० कृष्ण :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी जल प्रबन्ध व्यवस्था को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए कानून बनाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश की नदियों के जल प्रबन्ध को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए नियत धन राशि

1564. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए उसकी मांग के अनुरूप धनराशि नियत की गई है और यह कि उसे 1980-81 में नियत धनराशि की तुलना में बहुत कम धनराशि नियत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावोंपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई स्कीमों (लघु स्कीमों) के लिए अपने वार्षिक राज्य योजनाओं आबंटनों में निम्न प्रकार व्यवस्था की है :—

1980-81	53·00 करोड़ रुपये
1981-82	53·90 करोड़ रुपये
1982-83	49·54 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस तरह से कुल 55·54 करोड़ रुपये हो गए हैं।

(ख) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ?

अनिवार्य वस्तुओं का वितरण

1565. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन संस्थानों द्वारा अनुशासित अनिवार्य वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1983 और 1984 के लिए क्या कार्यक्रम तथा योजनाएं हैं; और

(ग) वर्ष 1983 और 1984 में योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं, चावल, चीनी आयतित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक, और कंट्रोल के कपड़े की सप्लाई केंद्रीय, सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्रों की कुछ नामित एजेंसियों द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर की जाती है। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात की छूट है कि वे आम खपत की अन्य वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर लें और कई राज्यों

में चाय, काफी, दालें, नमक, नहाने के साबुन, कापियां आदि जैसी वस्तुएं भी इस प्रणाली के माध्यम से वितरत की जा रही हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में उचित दर 50,000 और दुकानें खोल कर सार्वजजिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों में कितनी-कितनी दुकानें खोली जायेंगी इसका ब्योरा उन राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दूरदराज के इलाके में चल दुकानें खोलने व औद्योगिक मजदूरों, छात्रावासों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है। इस संबंध में 1983-84 के लिए कार्यक्रम चालू वर्ष के दौरान होने वाली प्रगति के आधार पर तय किए जाएगे।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियम अधिनियम की प्रभावहीनता

1566. **श्री सूरजभान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम के प्रभावहीनता के कारण दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमत बहुत तेजी से 4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से भी अधिक बढ़ गई है और लगभग 600 अनधिकृत कालोनियां भी बन गई हैं जिनमें लाखों लोग और अनायोजित मकान हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में तत्व क्या हैं और कौन से उपाय अपनाए गए हैं; और

(ग) क्या उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस प्रकार का?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) भूमि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों में नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम, 1976 का लागू होना भी एक कारण हो सकता है। यह अधिनियम दिल्ली अनधिकृत कालोनियों के बनने के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। भूमि के मूल्यों में वृद्धि आम मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति तथा मुक्त खरीद के लिए प्लांटों की कम उपलब्धता के कारण प्रतीत होती है। तथापि, नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम के कार्यान्वियन में व्यावहारिक कठिनाइयों और उसके उपबन्धों में कमियों को दूर करने की दृष्टि से नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और इस अवस्था में उसके ब्यौरे पर विचार करना लोक हित में नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी के मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां

1567. श्री रेशमा मोतीराम भोईं : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी में काम करने वाले कितने कर्मचारियों का देहावसान हुआ है;

(ख) उनका विवरण क्या है और वे किन किन तारीखों को मरे थे;

(ग) क्या इन सभी मामलों में मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके माता-पिता के स्थान पर नियुक्तियां दी गई हैं; और

(घ) उन मृतकों का विवरण क्या है, जिनके कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार नहीं दिया गया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तीन।

(1) श्री हरदेवा, निम्न श्रेणी लिपिक की 30.12.79 को मृत्यु हुई।

(2) श्री भगत राम, वाइन्डर की 11.12.81 को मृत्यु हुई।

(3) श्री केवल कृष्ण, वाइन्डर की 20.12.81 को मृत्यु हुई।

(ग) स्वर्गीय सर्व श्री हरदेवा और केवल कृष्ण के पुत्रों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए श्री भगतराम के पुत्र का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि वह इस विषय पर सरकार की नीति मार्ग निर्देशन के अन्तर्गत नहीं आता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सप्लाई किए गए खाद्यान्न

1568. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए कुल 1.00 लाख मीटरी

टन चावल तथा 50.000 मीटरी टन गेहूं की मात्रा आवंटित की गई है। शेष दो तिमाहियों के लिए इतनी ही मात्रा बटित किए जाने की सम्भावना है। कार्यक्रम के लिए सम्पूर्ण आवंटित मात्रा के मुकाबले में चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली दो तिमाहियों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आवंटित खाद्यान्न (मीटरी टनों में)		
		गेहूं	चावल	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	16,250	16,250
2.	असम	—	3,000	3,000
3.	बिहार	—	24,200	24,200
4.	गुजरात	6,100	—	6,100
5.	हरियाणा	960	—	960
6.	हिमाचल प्रदेश	435	435	870
7.	जम्मू व कश्मीर	480	480	960
8.	कर्नाटक	—	7,100	7,100
9.	केरल	—	5,250	5,250
10.	मध्य प्रदेश	7,000	4,315	11,315
11.	महाराष्ट्र	17,930	—	17,930
12.	मणिपुर	—	150	150
13.	मेघालय	—	140	140
14.	नागालैण्ड	—	150	150
15.	उड़ीसा	—	8,200	8,200

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	1,680	—	1,680
18.	राजस्थान	3,510	—	3,510
1[illegible].	सिक्किम	—	100	100
19.	तमिलनाडु	—	12,685	12,685
20.	त्रिपुरा	—	510	510
21.	उत्तर प्रदेश	16,000	10,720	26,720
52.	पश्चिम बंगाल	—	9,000	9,000
	केन्द्र शासित प्रदेश			
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	150	150
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	100	100
22.	मिजोरम	—	100	100
26.	पांडचेरी	—	150	150
		54,095	103,185	157,280

भूमि सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए केरल को वित्तीय सहायता

1569. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1978-79, 1979-80 के दौरान केरल राज्य को राज्य में भूमि सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटियों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 1978-79 के दौरान केरल राज्य को 3, 0,574 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 1979-80 के दौरान उस राज्य को इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी।

मध्य प्रदेश सरकार गांधी सागर के ऊपरी हिस्से में बांधों का निर्माण

1570. **श्री जयनारायण रौत** :

श्री मूलचन्द डागा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ किये गये

करार का उल्लंघन करते हुए चम्बल नदी पर गांधी सागर के ऊपरी हिस्से में बांध/कोई "कट" बना लिए हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस करार को लागू करने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) चम्बल के जल के उपयोग के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने केन्द्र को सूचित किया था कि मध्य प्रदेश सरकार गांधी सागर जलाशय के प्रवाह क्षेत्र में चम्बल बेसिन के ऊपरी भागों में कई सिंचाई स्कीमों का निर्माण कर रही है, । जिसके कारण गांधीसागर जलाशय में जल का अन्तर्वाह कम हो जाएगा और उसके परिणामस्वरूप उनके राज्यों को मिलने वाले सिंचाई और विद्युत लाभ कम हो जाएंगे। सिंचाई मन्त्रालय द्वारा यह मामला मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था। इस बीच, फरवरी, 1981 में राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि वे इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ द्विपक्षी आधार पर हल कर लेंगे।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री से हाल में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार से कहा जाए कि जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता, तब तक वे ऊपरी भागों में कोई नई सिंचाई स्कीम हाथ में न लें। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री ने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि यह मामला दोनों राज्य सरकारों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाए।

बिहार में दालों का विकास

1571. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अप्रैल, 1982 को बिहार में बरहिया, मोकामे ताल क्षेत्र में दालों के विकास की सम्भावनाओं पर चर्चा करने के लिए कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में इस क्षेत्र को विशेष व्यवहार की अपेक्षा है; और

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जी हां। बिहार के बरहिया मोकामे ताल क्षेत्र में दालों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह एक वृहत योजना सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत करें।

बिहार में गन्दी बस्तियों को नागरिक सुविधाएं देना

1572. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियां हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कितने स्थानों पर अनिवार्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की कितनी योजनाएं हैं, और

(ख) इस बारे में पूरे ब्यौरे क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध

1573. **श्री दौल राम :**
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :
श्री बाजुबन रियाज :
श्री माधव राव सिंधिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद तथा समाचार पत्रों मे आलोचना के बावजूद मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने से इन्कार कर दिया है और यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने उत्पादन के सम्बन्ध में उच्च लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने केसरी दाल के स्थान पर वैकल्पिक सस्ती फसल के उपलब्ध न होने के कारण केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केसरी दाल के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के इस फसल के स्थान पर अन्य दलहन फसलों की खेती करके इसकी खेती को कम करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गयी विषैली किस्मों की खेती करने की सलाह दी गयी है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मानव उपभोग के लिए केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायें।

डी० डी० ए० द्वारा यमुना पार नोयडा के इर्द गिर्द भूमि का अधिग्रहण

1574. **श्री जगन्नाथ राव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण अधिनयम, 1894 की धारा-4 के अधीन वर्ष 1970 के दिल्ली के बाहर और उत्तर प्रदेश सीमा पर नोयडा के इर्द-गिर्द की भूमि अधिग्रहण किया था,

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी,

(ग) क्या उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उस भूमि के सम्बन्ध में जिसके लिए धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना पहले जारी की गई थी, पुनः अधिसूचना जारी की गयी, यदि हां, तो यह अधिसूचना किन-किन तारीखों को जारी गई थी,

(घ) डी० डी० ए० इस अधिसूचना भूमि को कब अपने अधिकार में लेगा और वहां मकानों के निर्माण हेतु कब उसका विकास करेगी, और

(ङ) क्या इस प्रकार अधिगृहीत भूमि के लिए धारा 11 के अन्तर्गत मुआवजा दिया गया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु पश्चिम बंगाल के लिए खाद्यान्न दिया जाना

1575. **श्री नीरेन घोष :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न देने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने उस अपील को माना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि तथा ग्रामीण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन निर्माण कार्यों पर लगाए गए

मजदूरों को उनकी मजदूरी के एक भाग का भुगतान करने के लिए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 1 किलो ग्राम की दर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का बंटन किया जाता है। तदनुसार वर्ष 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 2,500 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई थी। राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 की न उठाई गई मात्रा के मुकाबले में 4,800 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पास 1-4-1981 को 1622 मीटरी टन खाद्यान्नों की उपयोग में न लाई गई मात्रा शेष थी। राज्य सरकाम द्वारा भेजी गयी उपयोगिता रिपोर्टों के अनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान कुल 12.22 करोड़ रुपये (7.31 करोड़ रुपये मजदूरी और 4.91 करोड़ रुपये सामग्री पर) की नकद धनराधि उपयोग में लाई गयी थी। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक किलो-ग्राम की दर से खाद्यान्नों के विवरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 के दौरान आबंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा पर्याप्त से अधिक हो जानी चाहिए थी।

चाल वर्ष के दौरान 11250 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा तथा 674 लाख रुपये नकद निधियों का पुनः आबंटन किया गया है। तथापि, इसका बंटन नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार, गत वर्ष व्यय में सन्तोषजनक प्रगति नहीं दिखा सकी।

भूमि सीमा कानून का कार्यान्वयन

1576. श्री पी० के० कोडियन : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में आगे कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो (क) घोषित अतिरिक्त सीमा भूमि (ख) अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि (ग) वितरित भूमि के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) अतिरिक्त भूमि के वितरण से अब तक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) इससे लाभ प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या कितनी है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि	40,05,169 एकड़
(ख) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में ली गई फालतू भूमि	26,96,656 एकड़
(ग) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित भूमि	18,79,019 एकड़
(घ) लाभान्वित भूमिहीन परिवारों की संख्या	13,54,030
(ड.) अनुसूचित जाति के लाभभोगियों की संख्या	5,66,009
(च) अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों की संख्या	1,70,615

भुवनेश्वर में डेयरी संयंत्र स्थापित किया जाना

1577. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में विशाल मात्रा में दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग परियोजना के रूप में एक डेयरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त सयंत्र के लिए राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। भुवनेश्वर में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के एक भाग के रूप में प्रति दिन 60,000 लीटर दूध संभालने की क्षमता वाली एक डेरी परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना पर कुल अनुमानित लागत 258.91 लाख रुपये आएगी। उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष के अन्त तक इस परियोजना के पूरा होने की सभावना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा किसी केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की गई है, क्योंकि भुवनेश्वर में डेरी परियोजना के कार्य के लिए आपरेशन फ्लड-2 के तहत भारतीय डेरी निगम द्वारा बिल मुहैया किया जाएगा।

प्याऊ का दुरुपयोग

1578. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता के उपयोग के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आई० एन० ए० मार्किट के पीछे एक प्याऊ का निर्माण किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्याऊ का उपयोग पान-बीड़ी सिगरेट, ठण्डे पेय पदार्थ और गन्ने का रस की बिक्री के लिए एक दुकान के रूप में किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इस प्याऊ को जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पुन: उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि प्याऊ बूथ पान सिगरेट की बिक्री के लिए एक व्यक्ति को इस शर्त पर आबटित किया गया है कि वह व्यक्ति पानी भी पिलायेगा उन्हें इस बूथ पर कोल्ड ड्रिंक्स तथा गन्ने का रस बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उपर्युक्त प्याऊ में पानी पिलाया जा रहा है।

तिलहनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी

1579. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश द्वारा तिलहनों के आयात पर प्रति वर्ष भारी विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है और इस में भविष्य में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिलहन उत्पादन पिछले कुछ वर्ष अवरुद्ध रहा है और उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं किया गया ;

(ग) तिलहनों की नई किस्मों का विकास करने, समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों का मूल्य 1981-82 में 524.00 करोड़ रुपये और 1979-80 में 610.49 करोड़ रुपये के बीच रहा है।

(ख) तिलहनों का उत्पादन 198-54 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 51 लाख मीटरी टन की औसत से 1979-80 की पांच वर्ष की अवधि में 82.6 लाख मीटरी टन तक बढ़ गया है। 1981-82 में तिलहनों का 115 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है। उत्पादन बढ़ाने में प्राप्त हुई सफलता मुख्यत तिलहन विकास की उपलब्ध प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ही सम्भव हो सकी है। तथापि, इसके उत्पादन में हर वर्ष उतार-चढ़ाव आता रहा है क्योंकि तिलहनों के अन्तर्गत आने वाला लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा-सिंचित है।

(ग) और (घ) (1) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तिलहन अनुसंधान कार्य को, कुछ और केन्द्रों की स्थापना करके तथा मौजूदा केन्द्रों में अतिरिक्त स्टाफ तथा कार्य सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाकर उनके सुदृढ़ीकरण द्वारा और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। अनुसंधान सम्बन्धी परिणामों को किसानों तक पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से विस्तार और अनुसंधान कार्य में लगे विभिन्न स्तर के श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में एक संचार और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

(2) मूंगफली के मामले में, लगभग 30 उन्नत किस्में विकसित और काश्त के लिए निर्मुक्त की गई हैं जिनकी प्रति हैक्टार पैदावार की औसत 800 से 3000 किलोग्राम है। 830 किलोग्राम प्रति हैक्टार की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 90 दिन में पकने वाली और प्रति हैक्टार 18000 किलोग्राम की पैदावार देने वाली "जे एल-24 किस्म" का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(3) तोरिया और सरसों के मामले में, विशुद्ध फसल के रूप में उगाने पर 1000 से 2500 किलोग्राम प्रति हैक्टार की पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का विकास किया गया है जबकि राष्ट्रीय औसत 500 किलोग्राम प्रति हैक्टार है।

(4) तिल की लगभग 14 किस्मों का विकास किया गया है और इन्हें काश्त के लिये निर्मुक्त किया गया है।

(5) कुसुम की छः उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। 300 किलोग्राम के सामान्य पैदावार के स्तर के मुकाबले इनकी प्रति हैक्टार पैदावार 380 से 1500 किलोग्राम के बीच है।

(6) देश के विभिन्न भागों में खेती के लिए विदेशी सूरजमुखी की किस्मों का सुधार किया गया है अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्म "बी एस एच-1" का विकास किया गया है

जिसकी पैदावार 1600 किलोग्राम प्रति हैक्टार है। 75 से 80 दिन की अल्पावधि में, पकने वाली एक किस्म का विकास किया गया है।

(7) अलसी की लगभग 12 उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इनकी प्रति हैक्टार पैदावार का स्तर 250 किलोग्राम की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 700 किलोग्राम से 1200 किलोग्राम के बीच है।

(8) अरण्डी की कम समय में पकने वाली अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास किया गया है। इनके तैयार होने की अवधि 150-160 दिनों के बीच है और प्रति हैक्टार पैदावार की क्षमता 1500 किलोग्राम तक हैं, जबकि प्रति हैक्टार सामान्य औसत 490 किलोग्राम और फसल के तैयार होने की अवधि 220 दिन है।

(9) भारत सरकार प्रमुख खाद्य तिलहनों के समर्थन मूल्यों की घोषणा करती रही है। विभिन्न राज्यों में समर्थन कार्य नाफेड द्वारा किये जाते हैं।

दुग्ध चूर्ण का आयात

1580. **श्री राम सिंह यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जून, 1982 में दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे खरीदने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है;

(ग) उपभोक्ताओं के लिए आयातित दुग्ध चूर्ण का प्रति लिटर खुदरा मूल्य क्या होगा; और

(घ) क्या इस समय देश में दूध, दुग्ध-चूर्ण और इसके अन्य उत्पादों की कमी है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना को देश में क्रियान्वित करने के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा किये गए वायदे के भाग के रूप में भारतीय डेरी निगम ने जून, 1982 के दौरान यूरोपियन आर्थिक समुदाय से लगभग 2500 मीटरीटन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण उपहार स्वरूप प्राप्त किया।

(ख) कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई, क्योंकि स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण उपहार स्वरूप मुफ्त प्राप्त हुआ था।

(ग) यूरोपियन आर्थिक समुदाय से आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के अन्तर्गत उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली आयातित जिसे तरल दूध में पुनर्मिश्रण करने के लिए डेरियों को सप्लाई करने के लिए होती हैं। कैलेंडर वर्ष, 1982 में डेरियों के लिए स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का निर्माण मूल्य 12,000 रुपये प्रति मीटरी टन है।

(घ) यद्यपि देश में समग्र दुग्ध उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा है, तथापि यह देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है। इस समय देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि, राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा सिफारिश की गयी दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 201 ग्राम औसतन न्यूनतम पोषाहार मांग से काफी कम है। तदनुसार तरल दूध और दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए दूध की उपलब्धि में भी कमी है।

वर्ष 1982 तक पेय जल की सप्लाई पाने वाले गावों की संख्या

1581. प्रो मधु दंडवते : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांवों को (एक) 1947, (दो) 1977 से 1979 और (तीन) 1980 से 1982 तक पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (भीष्म नारायण सिंह) 1971 की जनगणनानुसार, भारत में ग्रामों की संख्या लगभग 5.76 लाख थी। इनमें से लगभग 2.31 लाख ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पहचाने गए थे और 1-4-1980 को इनमें जल सप्लाई सुविधाएं मुहैया की जानी शेष थी। 1977-78 से पेय जल मुहैया किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित है :—

वर्ष	पेय जल मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1977-78	12922 + 1782 वासस्थान
1978-79	20920
1979-80	22822
1980-81	25978
1981-82	28873 (अनन्तिम)

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

1582. श्री राम लाल राही : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास सड़कों के निर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1165 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें से कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश में खर्च की जानी है और इस सम्बन्ध मे पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य क्षेत्र में 1165 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है।

(ख) छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 315 करो रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है जिसमें से 46 करोड़ रुपये 1980-81 की वार्षिक योजना में और 31·33 करोड़ रुपये 1981-82 की वार्षिक योजना म सुलभ किए गए थे। 1982-83 की वार्षिक योजना में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मजदूरों के लिए राशन कार्ड

1583. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली राशन कार्ड वाले लोगों को पकड़ने/गिरफ्तारी के विरोध में लोगों के द्वारा विरोध किया जाता रहा है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या यह सच है नहीं है कि दिल्ली में हजारों की संख्या में रह रहे निर्धन तथा बेसहारा खेतिहर मजदूरों को राशन कार्ड तथा सस्ते अनाज की आवश्यकता है; और

(ग) क्या वास्तव में दोषी उचित दर की दुकानों के मालिकों तथा अन्य व्यापारियों के विरुद्ध जो अनाज की जमाखोरी करते हैं तथा हमेशा निर्धारित 500 क्विंटल मात्रा से अधिक अनाज रखते हैं, के विरुद्ध कोई अभियान चलाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यद्यपि यह हो सकता है कि स्थानीय स्वरूप की कुछ घटनाएं घटी हों, तथापि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जाली राशन कार्डधारियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोगों द्वारा आम तौर पर कोई विरोध नहीं किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली प्रशासन की वर्तमान नीति के अनुसार नया स्थायी कार्ड निवास स्थान सम्बन्धी तथ्य के सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है, जिसमें यह भी देखा जाता है कि

आवेदक जिस मकान में रहता है वह वास्तव में उसी के पास है और यह भी कि यदि उसे पहले कोई राशन कार्ड जारी किया गया हो तो क्या उसके द्वारा वह वापिस कर दिया गया है। तथापि अस्थायी कार्ड उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई निश्चित अथवा पहचान योग्य स्थान नहीं है। उन श्रमिकों की सुविधा के लिए, जो एशियाड की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए दिल्ली में आये थे, उनके ठेकेदारों के माध्यम से आटा और चावल नियन्त्रित मूल्य पर दिये गये हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था भट्टा मजदूर संघर्ष समिति के माध्यम से ईंटों के भट्टों के श्रमिकों के लिए की गई थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तक खण्ड ने जनवरी-जून, 1982 की अवधि के दौरान 670 उचित दर दुकानों पर छापे मारे। 52 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गयी है और 44 मामलों में दोषी पार्टियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गयी है।

ऋण प्राप्त करने में किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयां

1581. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है, परन्तु क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसानों को ट्यूब वैलों और पम्प सैटों के लिए बैंकों तथा अन्य संस्थानों में ऋण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऋण लेने की प्रक्रिया को उदार तथा आसान बनाने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में बैंकों तथा राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इन निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) प्रधान मन्त्री के नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सिंचाई सम्बन्धी सम्भाव्यताओं को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। सहकारी तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार के बैंकों को सुझाव दिया गया है कि वे कुओं की खुदाई/गहरा करने, खोदे कुओं, उथले और गहरे नलकूपों के निर्माण, छिड़काव सिंचाई सैटों, पम्प सैटों आदि का विद्युतीकरण जैसी लघु सिंचाई योजनायें ही एकमात्र सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है, जिसके लिए किसानों को ऋण दिए जाते हैं। वित्त वर्ष

1981-82 के दौरान कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा, जो अब कृषि और ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय बैंक हैं, लघु सिंचाई के लिए 270·22 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया, जब कि गत वर्ष के दौरान 252.46 करोड़ रुपये दिए गये थे। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने में किसानों द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी कठिनाई के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, देश के कुछ क्षेत्रों में भू-जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया है। राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर के सर्वेक्षण कर रही हैं, ताकि लघु सिंचाई योजनाओं की यथासम्भव और वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में वास्तविक स्तर का पता लगाया जा सके। ऋण देने की वर्तमान प्रणालियां आसान हैं। यदि भूमिगत जल की सम्भाव्यता उपलब्ध हो तो छोटे किसान केवल 5 प्रतिशत का तत्काल भुगतान करके ऋण ले सकता है जिसके लिए भुगतान की तिथि 15 वर्ष तक की होती है, ऐसे ऋणों पर 10·25 प्रतिशत के ब्याज की निम्न दर होती है, जबकि अन्य किसानों को तत्काल भुगतान 10 से 15 प्रतिशत करना पड़ता है तथा ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि 9 वर्ष की होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

नारियल तेल के लिए भारत और फिलीपीन्स के बीच व्यापार विकास

1585. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है हाल ही में एक भारतीय शिष्टमंडल ने फिलीपीन्स की, दोनों देशों के बीच व्यापार विकास के लिए यात्रा की थी;

(ख) क्या नारियल की तेल बेचने के फिलीपीन्स के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में नारियल तेल का आयात किया जाएगा;

(घ) क्या इस आयात के परिणामस्वरूप देशी नारियल उत्पादकों और नारियल तेल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ङ) देश में नारियल उत्पादकों के डर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ङ) सितम्बर अक्तूबर, 1981 में एक भारतीय शिष्टमंडल ने विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का आयात करने के प्रयोजन से इन तेलों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अन्य देशों के साथ-साथ

फिलिपाइन का दौरा भी किया था। फिलिपाइन के मामले में कोई विशिष्ट करार नहीं है, क्योंकि यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

उच्चाधिकारी समिति का मध्य प्रदेश में ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

1586. **श्री प्रताप भान शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली सरकार की उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों का भी दौरा किया है; और

(घ) नुकसान का अनुमान क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने ओले एवं सूखे के सम्बन्ध में निम्नलिखित राहत उपायों के लिए 30-9-82 तक 677 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है :—

	(लाख रुपये)
1. क्षति ग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सहायता	14.00
2. पीने के पानी की सप्लाई	15.00
3. रोजगार सूचित करने वाले कार्यों को तेज करना	333.00
4. नलकूपों/कुओं को गहरा करने नगर पालिकाओं द्वारा पीने के पानी सप्लाई के स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रावधान	315.00
योग	677.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय दल के अनुसार 41 जिलों के 4636 गांवों में ओले पड़े तथा लगभग 5 लाख हैक्टार क्षेत्र की रबी फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त, 439 मवेशी मारे गए और 14,239 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।

राज्य सरकार के ज्ञान में दी गई रिपोर्ट के अनुसार विदिशा तथा रायसेन में निम्नलिखित क्षति हुई :—

	विदिशा	रायसेन
प्रभावित गांवों की संख्या	216	1520
प्रभावित रबी फसल (लाख हैक्टार क्षेत्र)	0.55	1.14
मारे गये मवेशी/क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	शून्य	शून्य

इण्डिया पोटाश लिमिटेड द्वारा हल्दिया में आयातित उर्वरकों का हैंडलिंग

1587. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम इण्डिया पोटाश लिमिटेड द्वारा हल्दिया पत्तन पर आयातित उर्वरकों की हैंडलिंग का कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यह कार्य उसको सौंपे जाने के क्या कारण हैं .

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत में उर्वरकों की मांग पूरी करने की दृष्टि से आयातित उर्वरकों की सम्भाल के लिए प्रयोग किए जा रहे बन्दरगाहों मे से हल्दिया एक है। इसलिए यह बन्दरगाह हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड जैसी संभाल एजेंसियों द्वारा जो देश के इस भाग में आयातित उर्वरक सप्लाई करती हैं, प्रयोग किया जाता है। 1978 से जून, 1982 की अवधि के दौरान भारतीय पोटाश लिमिटेड ने हल्दिया बन्दरगाह पर केवल 2 आयतित उर्वरक लदानों की संभाल की।

संसद सदस्यों को फ्लैटों/प्लाटों का आबंटन

1588. श्री सुभाष यादव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना बारी के वरीयता के आधार पर प्रत्येक संसद सदस्य को फ्लैट/प्लाट आबंटित करने के सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक संसद सदस्य को फ्लैट/प्लाट आबंटित करने के लिए कोई अन्य योजना तैयार करने का है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) संबन्धित विभागों के विचारों का पता लगाया जाना है।

(ग) इस समय दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई कला क्षेत्र

1589. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत है तथा कितना क्षेत्र गैर-सिंचाई वाला है, और

(ख) वर्तमान सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भूमि उपयोग से संबंधित आंकड़े कृषि विभाग के आर्थिक और संख्यिकी डिवीजन द्वारा संकलित किए जाते हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े 1978-79 वर्ष के लिए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश में कुल फसली क्षेत्र 175.18 मिलियन हैक्टे० है जिसमें से 48.09 मिलियन हैक्टे० सकल सिंचित क्षेत्र है।

(ख) वर्तमान सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बड़े पैमाने पर खेत-नालियों के निर्माण-कार्य को हाथ में लिया गया है।

(2) राज्यों को रात्रि में सिंचाई करने तथा वाराबन्दी लागू करने का परामर्श दिया गया है।

(3) नहरों और वितरण-प्रणाली का रख-रखाव अच्छी तरह से करने का राज्यों को परामर्श दिया गया है।

(4) वितरण प्रणाली से उपयुक्त मोघा (आउटलेट) संरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है।

पर्यावरण सुधारने की दृष्टि से नगरों की वृहद योजनाओं में संशोधन करना

1590. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें पर्यावरण सुधार की दृष्टि से उनकी वृहत योजनाओं में संशोधन करने का विचार है,

(ख) उन पर कितना व्यय होगा,

(ग) क्या गंगा नदी के तट पर स्थिति मुख्य-नगरों के पर्यावरण को सुधारने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है, और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) "नगर आयोजन" राज्य का विशेष है, शहरों के लिए वृहद योजनाएं संबंधित स्वायत निकायों या राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार को ऐसी योजना की कोई जानकारी नहीं है।

सहकारी समितियों के लिए केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना

1591. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम के समान भारत की सहकारी समितियों के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) "सहकारी समितियों" का विषय राज्यों का है। तदनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सहकारिता सम्बन्धी अपने कानून बनाये हैं। तथापि, जिन सहकारी समितियों का कार्य-क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में होता है, वे केन्द्रीय सरकार के कानूनी तथा कार्यकारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार की समितियां विद्यमान बहु-एकक सहकारी समिति अधिनियम, 1942 द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो कि केवल अधिकार देने वाला कानून है। अधिकार प्रदान करने वाले वर्तमान अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक बहु-राज्य सहकारी समिति कानून बनाने पर अग्रिम चरण में कार्यवाई की जा रही है।

खाण्डसारी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी

1592. श्री कुंभा राम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाण्डसारी जिलों में पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1979-80 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) इस पर वर्ष-वार कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया, और

(ग) उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां ये खाण्डसार मिलें चल रही हैं तथा उन्हें कौन चला रहा है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) क्योंकि खाण्डसारी उद्योग गैर-संगठित क्षेत्र में आता है, इसलिए इसके उत्पादन के ठीक-ठीक आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, एक अच्छे वर्ष में, लगभग 8 से 10 लाख मीटरी टन खाण्डसारी का उत्पादन किया जाता है (जिसमें 50-60 प्रतिशत सल्फर किस्म की होती है)। 1979-80 और 1980-81 के दौरान गुड़ और खांडसारी दोनों का उत्पादन क्रमशः 75.48 लाख मीटरी टन और 82-27 लाख मीटरी टन का होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष 1981-82 के दौरान खण्डसारी और गुड़ के उत्पादन के अनुमान मौसम के अन्त को अर्थात् 30.9.1982 के बाद उपलब्ध होंगे।

(ख) 1979-80 और 1980-81 के दौरान खण्डसारी पर क्रमशः 4.26 करोड़ रुपये और 15.16 करोड़ रुपए का उत्पादन शुल्क इकट्ठा किया गया था। 1981-82 के दौरान फरवरी, 1982 तक अनन्तिम रूप से 15.00 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई है।

(ग) क्योंकि खण्डसारी उद्योग गैर-सगठित क्षेत्र में आता है और यत्र अधिकांशतः दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित है, लगभग सभी 5,000 खण्डसारी यूनिटों के नाम और पते बताना सम्भव नहीं हैं। तथापि, उनकी राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है :—

	उत्तर प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	अन्य	कुल
(क) सल्फर	1,000	300	200	1,500
(ख) अन्य	3,000	—	500	3,500
जोड़	4,000	300	700	5,000

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि से ऋण

1593. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी, अर्थात् कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि ने भारत को मध्य प्रदेश में एक मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 25.5 मिलियन डालर का ऋण देने का विचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि द्वारा यह प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था और इस योजना के स्थान, क्षमता तथा वित्तीय परिव्यय संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी विदेशी मुद्रा सहायता प्राप्त हो चुकी है और 1983 तक कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ,

(घ) क्या यह परियोजना शुरू की जा चुकी है, यदि हां, तो इसके पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है,· और

(ङ) कृषि विकास की अन्तर्राष्ट्रीय निधि से पूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की मध्यम सिंचाई परियोजना को सह-वित्तपोषित करने के लिये 25.06 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ (25-6-82 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस ऋण से पांच वर्ष की अवधि (1981-82) से 1985-86) के दौरान सिंचाई के एक कार्यक्रम, जिससे मध्य प्रदेश में करीब 195 करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन में सहायता देना अभीष्ट है ।

(ग) से (ङ) क्योंकि इस करार पर अभी हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं अतः अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा निधि का संवितरण, जो 1982-83 से लेकर 1986-87 तक किया जायेगा, अभी तक आरंभ नहीं किया गया है । उप परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनके मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। ऋण की अवधि 31.3.1986 तक समाप्त हो जाने की आशा है और ऋण की राशि का 31.3.1987 तक पूरी तरह भुगतान कर दिये जाने की आशा है।

खाद्य कार्डों की जांच का पूरा किया जाना

1594. **श्री हरीश कुमार गंगावार** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अब तक खाद्य कार्डों और उसमें दर्शाये गये यूनिटों की जांच खत्म हो चुकी है,· और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब तक पूरा हो जाने की सभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) अप्रैल और मई, 1982 के महीनों में दिल्ली प्रशासन द्वारा 5 मंडलों में घर-घर जा कर खाद्य कार्डों की जांच कराई गयी थी । तथापि, जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिये नमूने

के तौर पर खाद्य कार्डों की जांच करने का कार्य लगातार चलते रहने वाला कार्य है और यह चलता रहेगा।

प्रसाद नगर में एम० आई० जी० फ्लैट का मूल्य

1595. श्री जे० एस० पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसाद नगर में एम० आई० जी० के फ्लैटों के मिश्रित मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निवासियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान की गई धनराशि का लेखा जोखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रसाद नगर, चरण-2 में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की मिश्रित लागत का ब्यौरा क्या है :—

	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	ऊपर तल
	रु०	रु०	रु०	रु०
निर्माण लागत	59385	65851	72136	65613
भूमि का प्रीमियम	5600	4300	4600	4300
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के रिहायशी एककों की कीमत को कम करने के लिए केवल भू-तल के फ्लैटों के लिए अतिरिक्त 7 1/2 प्रतिशत की दर पर	4900	—	—	—
बिक्री लागत	69885	70151	76736	69913
या कहा जाए	69900	70200	76800	70000

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ये फ्लैट ऊपर बताई गई बिक्री लागत पर आबंटित किए गए हैं। इसने सूचित किया है कि किराया खरीद आबंटित के अन्तगत आबंटन के समय फ्लैटों की कीमत का 50 प्रतिशत लिया जाता है और शेष 50 प्रतिशत सात वर्षों की अवधि में बराबर किस्तों में लिया जाता है। मासिक किश्तों के द्वारा समान आधार पर

ब्याज 7 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर से लिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आबंटियों द्वारा दी गई कुल राशि का पता किराया-खरीद की अवधि के समाप्त होने पर ही चल सकेगा।

त्रिवेणी कला और संगीत अकादमी को आबंटित भूमि का दुरुपयोग

1596. श्री डी० पी० यादव :

श्री आर० पी० यादव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय कला केन्द्र, त्रिवेणी कला संगम, संगीत भारतीय तथा गंधर्व महाविद्यालय को दिल्ली/नई दिल्ली में कितना भूमि क्षेत्र आबंटित किया गया है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक संस्थान द्वारा क्रमशः कर्मचारी क्वार्टरों, होस्टलों, कक्षा कमरों तथा कैंटीनों के लिए कितना क्षेत्र उपयोग में लाया गया है;

(ग) क्या उनमें से किसी संस्थान को भूमि के दुरुपयोग के लिए कोई जुर्माना किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस संस्थान पर कितना जुर्माना किया गया और किन कारणों से किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारतीय कला केन्द्र, त्रिवेणी कला संगम, संगीत भारती और गंधर्व महाविद्यालय को क्रमशः 1.71 एकड़ 0.884 एकड़, 0.672 एकड़ और 0.627 एकड़ माप की भूमि आबंटित की गई है।

(ख) प्रत्येक संस्थान द्वारा होस्टलों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए क्रमशः 21700.6 वर्ग-फुट, 6684.00 वर्गफुट, 906.00 वर्ग फुट और 600 वर्ग फुट का क्षेत्र उपयोग में लाया गया है। कक्षा आदि के कमरों के लिए क्रमशः 54644. 2 वर्गफुट, 2975.00 वर्ग फुट, 10432 वर्गफुट और 14717 वर्ग फुट का क्षेत्र उपयोग में लाया गया है। उनमें से किसी भी संस्थान ने कैंटीन का निर्माण नहीं किया है।

(ग) तथा (घ) यह सूचित किया गया था कि इन संस्थानों द्वारा भवन के कुछ भागों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूमि तथा विकास कार्यालय ने लीज डीड के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

जिला कोटा के चुने हुए गांवों का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन विकास

1597. **श्री चतुर्भुज** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिले के अन्ताना गांव सहित चुने हुए गावों के चहुंमुखी विकास का कार्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है ;

(ख) क्या चुने हुए गांवों के सीमान्त तथा छोटे किसानों की आय तथा अन्य किसानों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सर्वेक्षण किए गए है :

(ग, क्या चुने गए गावों मे केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अधीन काम आरम्भ हो गया है और प्रत्येक गांव में क्या क्या कार्य आरम्भ किए गए हैं; और

(घ) चुने गए गांवों के विकास के लिए कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

समुद्र तूफान के कारण उड़ीसा के समुद्री उद्योग को हुई हानि

1598. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को हाल में आये ये (3 जून को) समुद्री तूफान से उड़ीसा के समुद्रीय उद्योगों को हुई हानि के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो समुद्रीय उद्योगों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या समुद्रीय उद्योगों को हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ,और

(घ) उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार से समुद्री तूफान के संबंध में प्राप्त हुई ज्ञापन के अनुसार, इस तूफान मे कुल 1·51 देसी नावें, 244 यन्त्रीकृत नावें और 3763 मछली पकड़ने के जाल नष्ट हुए । विभागीय भवनों, फार्मों, नावों, हैचरियों तथा बांधों को भी क्षति पहुंची है ।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने 22 तथा 25 जून, 1980 के बीच तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था । दल ने समुद्री तूफान से नष्ट हुई सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत और उसके पुनर्स्थापन तथा इन मछुओं सहित प्रभावित लोगों के

लिए राहत व पुनर्वास हेतु व्यय की उचित अधिकतम सीमाओं की सिफारिश की है। केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत प्रदान करने के लिए राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने दल की सिफारिशों पर विचार किया है।

गावों को बारह महीने चलने वाली सड़कों से जोडना

1599. **श्री बाला साहिब विखे पाटल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि 1990 के अन्त तक देश में 1500 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को अच्छे मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लक्ष्य का 50 प्रतिशत 1985 तक प्राप्त कर लिया जाएगा ;

(ग) यदि हा, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त योजना पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या ग्रामीण सड़कों के निर्माण की लागत को कम कारने के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, नई दिल्ली में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा और इस कार्यक्रम के लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) राज्य क्षेत्र में छठी-योजना में 1165 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया है जिसमें से 201.96 करोड़ रुपए वार्षिक योजना 1980-81 में तथा 195.65 करोड़ रुपए वार्षिक योजना 1981.82 में सुलभ किए गए थे। वार्षिक योजना 1982-83 में 195.19 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(घ) व (ङ) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ग्रामीण सड़कों के लिए कम लागत वाली तकनीकों को विकसित करने के कार्य में निरंतर लगा हुआ है। केन्द्रीय-सड़क अनुसधान संस्थान द्वारा कम लागत वाली विशिष्टिताओं का विकास करने में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री अर्थात कंकरीली मूरम, कंकड़, लेटराइट जैसा हल्के मिश्रण का

अधिक से अधिक प्रयोग करना है। इन स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों को उन क्षेत्रों जहां सख्त पत्थर काफी दूर से लाना होता है, को सख्त पत्थर के स्थान पर शामिल करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान परिषद ने उन काली कपास की मिट्टी वाले क्षेत्रों जहां सड़क का निर्माण करना विशेष समस्यायें हैं, में चूने से मिट्टी को स्थिर करने की किफायती तकनीको की भी सिफारिश की है। इसी प्रकार, रेत तथा कंकड़ के साथ चिकनी मिट्टी का सम्मिश्रण करना, कुछ मात्रा में सीमेंट तथा चूना मिलाकर विभिन्न प्रकार की मिट्टी को स्थिर करना आदि जैसे अन्य तरीकों का क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1600. **श्री आयनल अबेदीन :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार और वर्ष-वार खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ और तत्सबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : 1976-77 से 1980-81 की अवधि के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाज, कुल धान, दालों तथा कुल खाद्यान्नों का राज्य-वार उत्पादन अनुबंध 1 से 6 तक में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 42/76/82] वर्ष 1981-82 के लिए इसी प्रकार के खाद्यान्नों के ब्योरे अभी सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

पम्प सेटों से सिंचित क्षेत्र

1601. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों में विद्युत पम्प सेटों से सिंचित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग समृद्ध वर्ग के उन लोगों से संबंधित है, जो कृषक जनसंख्या में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से संबंधित ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि इन योजनाओं का लाभ समृद्ध वर्ग के लोगों की बजाय गरीब किसानों को मिले?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम में राज्य सरकारों, तथा उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे निगमों द्वारा कार्य तथा

इसके अतिरिक्त जहां कहीं आवश्यक हो, संस्थागत वित्त व्यवस्था की सहायता से स्वयं कृषकों द्वारा भूतल और भूमिगत जल संसाधनों पर बिजली के पम्प सेटों की प्रतिष्ठापना करना शामिल है। यह कार्यक्रम पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और केन्द्रीय सरकार बिजली के पम्प सेटों की प्रतिष्ठापना में शामिल नहीं होती है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जो लघु सिंचाई स्कीमों के लिए भूमि विकास बैंकों तथा वाणिज्यक बैंकों आदि के लिए मुख्य ऐजेन्सी है, की 1980-81 वर्ष की 18 वीं वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के अन्तर्गत जिसमें बिजली के पम्पसेट भी शामिल हैं, लघु सवितरण का 63.8 प्रतिशत भाग 80-81 के दौरान छोटे और समान्त कृषकों को दिया गया था। पम्प सेटों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए बिजली के पम्प सेटों की कुल संख्या, जिनमें खुदाई कूओं, निजी उथले नलकूपों, गहरे सरकारी नलकूपों तथा भूलत जल संसाधनों, झीलों, टैंकों तथा सरिताओं पर प्रतिष्ठापित पम्प सेट शामिल हैं, के बारे में सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) आई० आर० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत/सामुदायिक लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए छोटे और सीमान्त कृषकों को निम्नलिखित पद्धति पर आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है :—

व्यक्तिगत लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(1) सीमान्त कृषक (एक हैक्टे० की जोत तक)	33-1/3% अधिकतम 3,000/-रुपये तक और सूखा प्रवण क्षेत्रों की परियोजना के क्षेत्र में 4,000/-रुपए तक।
(2) छोटे कृषक (एक से दो हैक्टे० की जोत तक)	25% अधिकतम 3,000/-रुपए तक और सूखा प्रवण क्षेत्रों की परियोजनाओं के क्षेत्रों के लिए 4,000/-रुपए तक)
(3) आदिम जाति कृषक	50%, अधिकतम 5,000/-रुपए तक।

सामुदायिक लघु सिंचाई निर्माण कार्य

स्कीम के अयाकट में लघु और सीमान्त कृषकों को उनकी जोत के आधार पर लागत के संविभाजन के आधार पर पूंजीगत लागत की 50% राशि।

विवरण

राज्य का नाम	79-80 के दौरान उपलब्धि	80-81 के दौरान उपलब्धि	81-82 के दौरा दौरान संभावित उपलब्धि
1. आन्ध्र प्रदेश	46124	58762	50182
2. असम	428	210	24
3. बिहार	8370	7747	4180
4. गुजरात	25055	28374	20390
5. हरियाणा	22133	22094	1 575
6. हिमाचाल प्रदेश	85	92	204
7. जम्मू तथा काश्मीर	83	41	14
8. कर्नाटक	12826	18411	23697
9. केरल	11623	13526	12758
10. मध्य प्रदेश	34578	37557	3 657
11. महाराष्ट्र	60179	70584	51225
12. मणिपुर	10	शून्य	शून्य
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
14. नागालैण्ड	1	शून्य	शून्य
15. उड़ीसा	3692	3235	2929
16. पंजाब	29049	20679	24146
17. राजस्थान	28110	24151	25541
18. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
19. तमिलनाडु	44181	31935	26358
20. त्रिपुरा	64	120	305
21. उत्तर प्रदेश	37413	41115	31487
22. पश्चिम बंगला	1642	818	764
जोड़ राज्य	365676	379751	323396
जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	1377	1582	1312
जोड़ अखिल भारत	367053	381333	324708
अर्थात्	367000	381000	325000

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई की योजना

1602. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों तथा 1982 में अब तक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई के लिए प्रस्तुत की गई नई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ; और

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायया का उपयोग किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने में राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए योजनायें स्वीकृत की गई हैं उनकी लागत सहित राज्य वार संख्या की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (10.7.1982 तक) के दौरान दी गई निधियां विवरण-2 में बताई गई हैं।

(घ) 1980-81 में निधियों के उपयोग के ब्यौरे विवरण-2 में दिये गये हैं। 1981-82 के उपयोग के प्रमाण पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अभी प्राप्त होने हैं।

विवरण-1

1980-81

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	उन गांवों की संख्या जिनके लिए योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं	लागत (लाख रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	03	13.50
2. असम	88	296.52

1	2	3
3. बिहार	151	369.398
4. गुजरात	138	06.92
5. हरियाणा	197	840.71
6. हिमाचल प्रदेश	471	362.796
7. जम्मू तथा कश्मीर	13	31.14
8. कर्नाटक	शून्य	
9. केरल	9	187.443
10. मध्य प्रदेश	3405	2808.423
11. महाराष्ट्र	907	4821.39
12. मणिपुर	48	185.50
13. मेघालय	34	86.89
14. नागालैण्ड	शून्य	
15. उड़ीसा	शून्य	
16. पंजाब	34	19.367
17. राजस्थान	335	1306.02
18. सिक्किम	10	53.34
19. तमिलनाडु	शून्य	
20. त्रिपुरा	शून्य	
21. उत्तर प्रदेश	शून्य	
22. पश्चिम बंगाल	38	155.85
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3	10.24
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
25. चण्डीगढ़		
26. दिल्ली	शून्य	
27. दादर तथा नागर हवेली		
28. गोआ, दमण तथा द्वीव	शून्य	

1	2	3	4	5
29. लक्ष द्वीप				
30. मिजोरम		शून्य		
31. पाण्डिचेरी		शून्य		

	1981-82		1982-83 (10 जुलाई, 82 तक	
राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	उन गांवों की संख्या जिनके लिए योजना स्वीकृत की गई है	लागत (लाख रुपयों में)	उन गांवों की संख्या जिनके लिए योजना स्वीकृत की गई है	लागत (लाख रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	7	39.75	शून्य	
2. असम	332	1350.48	,,	
3. बिहार	60	196.336	,,	
4. गुजरात	528	511.06	,,	
5. हरियाणा	18	37.55	,,	
6. हिमाचल प्रदेश	49	14.10	,,	
7. जम्मू तथा कश्मीर	शून्य		,,	
8. कर्नाटक	2336	1587.44	,,	
9. केरल	28	547.87	,,	
10. मध्य प्रदेश	289	259.362	37	108.48
11. महाराष्ट्र	1	28.12	शून्य	
12. मणिपुर	शून्य		,,	
13. मेघालय	71	192.355	40	113.77
14. नागालैंड	शून्य		शून्य	
15. उड़ीसा	3751	1489.532	,,	
16. पंजाब	शून्य		,,	
17. राजस्थान	2114	2393.48	,,	

1	2	3	4	5
18. सिक्किम	11	42 84	29	102.70
19 तमिलनाडु	1526	924.99	शून्य	
20. त्रिपुरा	शून्य		,,	
21. उत्तर प्रदेश	शून्य		629	201.62
22. पश्चिम बंगाल	132	512.48	63	282.90
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2	5.17	6	20.64
24. अरुणाचल प्रदेश		44	21.50	
25. चण्डीगढ़				
26. दिल्ली	शून्य		शून्य	
27. दादर तथा नागर हवेली				
28. गोआ, दमण तथा द्वीव		शून्य	8	49.34
29 लक्ष द्वीप				
30. मिजोरम	शून्य		शून्य	
31. पाण्डिचेरी	8	7.26	,,	

विवरण-2

(लाख रुपयों में)

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	ए० डब्लू० आर.एस.पी. के अन्तर्गत कार्यों के लिए दी गई निधियां 1980-81	ए.आर.डब्लू. एस.पी के अन्तर्गत कार्यों के लिए उपयोग की गई निधियां 1980-81	ए.आर.डब्लू. एस.पी. के अन्तर्गत कार्यों के लिए दी गई निधियां 1981-82	ए.आर. डब्लू.एस. पी. के अन्तर्गत कार्यों के लिए नियत की गई निधियां 1982-83	10.7.82 तक दी गई निधियां 1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	432.23	531.75	370 75	358.50	180.00
2. असम	427.11	469.12	400.75	469.00	235.00

1	2	3	4	5	6
3. बिहार	503.36	965.65	562 50	559.50	270.00
4. गुजरात	354 60	309.59	396.25	132.50	65.00
5. हरियाणा	355.00	355.00	33.500	90 00	45.00
6. हिमाचल प्रदेश	561.77	583.14	364.50	90.50	45.00
7. जम्मू और कश्मीर	313.00	302.35	424.75	869.50	430.00
8. कर्नाटक	248.81	228.07	485,50	568.00	280.00
9. केरल	328.40	323.38	526.25	615.50	300.00
10. मध्य प्रदेश	690 00	721.56	1033.75	909.00	450.00
11. महाराष्ट्र	659.00	786.47	552.00	496.00	250.00
12. मणिपुर	105.00	110.59	146.00	89.50	45.00
13. मेघालय	149.00	121.80	242.00	283.00	140.00
14. नागालैंड	150.00	153.70	178.50	134.00	65.00
15. उड़ीसा	307.00	306.30	593.00	544.00	370.00
16. पंजाब	128.95	46.12	88.17	79.50	40.00
17. राजस्थान	559.10	490.69	1504.19	1947.50	970.00
18. सिक्किम	19.50	31.48	69.74	102.50	50.00
19. तमिलनाडु	500.00	387.21	563.71	528.50	265.00
20. त्रिपुरा	112.44	173.94	85.50	40 00	20.00
21. उत्तर प्रदेश	944.95	384.63	1018.13	2115.00	1050.00
22. पश्चिम बंगाल	443.50	738.75	571.30	802.00	425.00
23. अण्डमान तथा निकोबाद द्वीप समूह	7.00	उपलब्ध नहीं है	19.50	22.00	—
24. अरुणाचल प्रदेश	35.00	19.68	35.00	58.50	30.00
25. चन्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
26. दिल्ली	13.50	37.33	9.50	शून्य	—
27. दादर तथा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—

1	2	3	4	5	6
28. गोआ दमण तथा द्वीप	11.46	5,75	14,25	25.50	12.00
29. लक्ष द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
30. मिजोरम	26.25	531	शून्य	6.00	3.00
31. पाण्डिचेरी	7.00	10.96	12.00	14.00	7. 00
योग	83[illegible]1.33	8629.72	10902.48	12000.00	6042.00

विभिन्न कृषि उत्पादों का उत्पादन उनकी वसूली और मूल्य स्थिति

1600. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गेहूं, धान, गन्ना, कपास, तम्बाकू आदि का राज्यवार, कुल कितना उत्पादन हुआ ,

(ख) सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा उपर्युक्त उत्पादों की कितनी खरीद की जाने का निर्णय किया गया है और अब तक कितनी खरीद राज्यवार की गयी है;,

(ग) इन उत्पादों की मूल्य स्थिति क्या है ; और

(घ) जनवरी, 1980 से इन वस्तुओं के माह-वार मूल्य सूचकांक क्या है और वर्ष 1979-80 से उनके आकलित मूल्य क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981-82 की फसल के लिए उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) फसल वर्ष 1981-82 के लिए खरीफ और रबी खाद्यान्नों की खरीद के कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । वर्ष 1981-82 की फसल के लिए भारतीय कपास निगम ने खरीद कार्यक्रम में कपास की 13.50 लाख गांठें और भारतीय पटसन निगम ने पटसन की 17.50 लाख गांठें निर्धारित की हैं । सार्वजनिक खरीद अभिकरणों द्वारा गेहूं, धान (चावल के रूप में) मोटे अनाज, पटसन और कपास की अब तक की गई राज्यवार खरीद अनुबन्ध-1 में दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-4277/82] जहां तक गन्ने का प्रश्न है, वैक्यूम पेन शर्करा कारखानों द्वारा पेरी गई मात्रा अनुबन्ध-2 में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-4277/82]

(ग) इन जिन्सों की मूल्य-स्थिति अनुबन्ध-3 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4277/82]

(घ) जनवरी, 1980 से इन जिन्सों के मूल्य सूचकांक और उनके आकलित मूल्य क्रमश अनुबन्ध 4 और 5 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4277/82]

सीसा पानी में कमला नदी पर बांध को अंतिम रूप देना

1604. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मन्त्री 19 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 8299 और 8499 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के लिए पूर्ण सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पन-बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सीसा पानी में कमला नदी पर बहुत-उद्देश्यीय बांध के निर्माण तथा सोन कोसी को उससे जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए भारत सरकार अथवा बिहार सरकार ने नेपाल नरेश (एच० एम० जी०) से सम्पर्क करने की कोई पहल की है अथवा की जा रही है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या नेपाल द्वारा गोडार में बनाए जा रहे बांध तथा पश्चिम कोसी नहर के लिए कमला नदी पर साइफन संरचना के निर्माण में लगने वाले समय और भारी लागत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त बांध का निर्माण और भी आवश्यक हो जाता है ; यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) से (ग) दोनों देशों के लाभ के लिए, नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों के जल संसाधनों के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों पर पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षी आधार पर बातचीत होती रही है। कमला नदी पर तथा नेपाल से भारत में बहने वाली अन्य नदियों पर बहुद्देश्यी जल संचयन बांधों के विषयों पर सचिव स्तर की पिछली बैठक फरवरी, 1982 में हुई थी। प्रस्तावित बांध स्थल नेपाल की सीमा के अन्दर स्थित है और नेपाल की महामहिम सरकार को अपनी सीमा के अन्दर इन उच्च बहुद्देश्यीय बांधों के अन्वेषण और निर्माण के लिए अपनी सहमति देनी है। कमला नदी सहित, साझी नदियों पर नेपाल में जल संचयन बांधों के अन्वेषण और निर्माण के मामले पर किसी समझौते पर पहुंचने हेतु द्विपक्षी बातचीत के द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निजी कम्पनियों को सहायता

1605. श्री विशम्भर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जहाजरानी विकास कोष समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर दिये जाने वाले ऋण के अलावा कम्पनियों को निम्न प्रकार की सहायता भी उपलब्ध होती है :—

(1) देश में निर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राज सहायता ।

(2) निर्धारित शर्त के आधार पर अधिक गति वाले डीजल पर उत्पाद कर में छूट, तथा ।

(3) प्रमुख और छोटे बन्दरगाहों पर पत्तनों की सुविधायें ।

विवरण

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी निजी कम्पनियों के नाम	क्या जहाजरानी विकास निधि समिति से आसान शर्तों पर ऋण लिया गया ?
1. भारतीय तोबाको कम्पनी लि०, कलकत्ता,	नहीं
2. ब्रिटानिया उद्योग लि० बम्बई	नहीं
3. टाटा तेल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बम्बई	नहीं
4. यूनियर कारबाइड इण्डिया लि० नई दिल्ली,	नहीं

1	2
5. कोंकल मात्स्यकी प्रा० लिमिटेड बम्बई,	नहीं
6. न्यू इन्डिया, फिशरीज लि० बम्बई,	नहीं
7. डालफिन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई,	नहीं
८. एसमारियों निर्यात उद्यम, क्विलों, केरल	नहीं
9. इन्डो-आइसलेंडिक लिमिटेड, मद्रास,	नहीं
10. फोइनिक्स इन्डिया मेरीन (पी) लिमिटेड, हैदराबाद,	जी
11. श्री निवास सी फूडस प्रा० लि० विशाखापटनम,	जी
12. वाणी मरीन प्रा० लि०, विशाखापटनम,	जी
13. प्रोन मेगनेट प्रा० लि०, विशाखापटनम	जी
14. मेरीन फिशरीज (पी) लि०, विशाखापटनम,	जी
15. नवभारत फेरो अलायस लि०, हैदराबाद,	नहीं
16. एम० एम० पा० लाइनस, प्रा० लि०, कलकत्ता,	नहीं
17. वेस्ट कोस्ट मेरीन प्रा० लि०, कोचीन,	जी

1	2
18. सूरज मात्स्यकी प्रा० लि०, नई दिल्ली।	जी
19. यमुना सी फूड्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।	जी
20. यूनी मेरीन प्रा० लि०, नई दिल्ली	जी
21. मार्शल सी फूड स प्रा० लि०, कलकत्ता।	जी
22. मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई,	नहीं
23. ट्रोपिकल शिपिंग प्रा० लि०, विशाखापटनम,	नहीं
24. वरुण मेरीन प्रोडक्टस प्रा० लि०, नई लिल्ली।	नहीं
25. बाटल ग्लास प्रा० लि०, नई दिल्ली।	नहीं

राज्यों में ट्रैक्टरों की संख्या

1606, श्री गदाधर साहा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में राज्यवार, इस समय कितने ट्रैक्टर काम में लाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : राज्यवार ट्रैक्टरों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पशुधन गणना के अनुसार राज्यवार ट्रैक्टरों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	असम	1
3.	बिहार	10

1	2	3
4.	गुजरात	11
5.	हरियाणा	34
6.	हिमाचल प्रदेश	क
7.	जम्मू व कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	8
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	15
11.	महाराष्ट्र	12
12.	मनिपुर	क
13.	मेघालय	क
14.	नागालैंड	उ० न०
15.	उड़ीसा	2
16.	पंजाब	57 (अनुमानित)
17.	राजस्थान	28
18.	सिक्किम	—
19.	त्रिपुरा	क
20.	तमिलनाडु	7
21.	उत्तर प्रदेश	71
22.	पं० बंगाल	1
23.	अन्डमान-निकोबार	क
24.	अरुणाचल प्रदेश	क
25.	चन्डीगढ़	क
26.	दादर नागर हवेली	क
27.	दिल्ली	2

1	2	3
28.	गोवा दमन द्वीप	क
29.	लक्ष्य द्वीप	क
30.	मिजोरम	सूचना नहीं दी गई है
31.	पांडिचेरी	क
		योग 270

क—500 से नीचे

एस० एफ० डी० ए०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और "ट्रायसेम" योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग खर्च की गई धनराशि

1607. श्री गदाधर साहा,
श्री आनन्द पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में एस० एफ० डी० ए०, एन० आर० ई० पी०, डी० पी० ए० पी०, आई०आर०डी०पी० और "ट्रायसेम" योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक योजना के लिए वित्त-व्यवस्था करने में राष्ट्रीकृत और अन्य बैंकों का अंशदान क्या रहा है;

(ग) उपरोक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत वस्तुत: कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 वर्षों में अलग-अलग इससे पैदा रोजगार दिवसों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के वर्षों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा खर्च की गई/बंटित निधियों तथा वर्ष 1982-83 के लिए प्रावधानों को दर्शाते हुए लघु किसान विकास एजेंसी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में विवरण-1, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में विवरण-2 तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में विवरण-3

और ग्रामीण युवक के सरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के बारे में विवरण-4 संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4278/82]

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाओं के अंशदान को दर्शाने वाले लघु किसान विकास एजेंसी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में विवरण-5 तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में विवरण-6 संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4278/82] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ट्राइसेम योजना में कोई संस्थागत वित्त शामिल नहीं है।

(ग) व (घ) लघु किसान विकास एजेंसी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, तथा ट्राइसेम योजना के बारे में अपेक्षित सूचना क्रमश: 7 से 10 तक के संलग्न विवरणों में दर्शायी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4278/82]।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय, लक्ष्मीबाई नगर द्वारा शिकायतों को दूर करने में देरी

1608. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली आवंटितों द्वारा मकानों की मरम्मत की शिकायतों को तत्परता से दूर नहीं करता है और वह इस कार्य के लिए हफ्तों और महीनों का समय ले लेता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिकायतों को तत्परता से दूर करने के लिए अधिक कर्मचारीवृन्द देने के सम्बन्ध में कौन से उपचारी उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुमोदित मानदण्डानुसार पूछताछ कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है।

टाइप-चार के क्वार्टरों में "सिंक" की व्यवस्था

1609. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप चार सरकारी क्वार्टरों में कुछ आबंटतियों के अनुरोध करने पर "सिंक" की व्यवस्था की गई है और कुछ को इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुरोध करने वाले सभी आबंटतियों के लिए कब तक "सिंक" की व्यवस्था कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आबंटियों के अनुरोध तथा निधियों की उपलब्ध होने पर टाइप iv के कुछ क्वार्टरों में कीचन सिंक लगाये जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में सिंक लगाने के अनुरोध पर्याप्त निधियों की कमी के कारण नामंजूर किये गए हैं।

(ग) वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए कोई समय सीमा बताई नहीं जा सकती।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था

1910. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था करते समय वे कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विशेष ध्यान रखें;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इसे कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) अब तक इसके क्या परिणाम निकलते हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अब तक दी गई सूचना के अनुसार बताई गई प्रगति इस प्रकार है :—

लाभान्वित जनसंख्या (19⁻1 की जनगणना के अनुसार)
(हजारों में)

वर्ष	कुल लाभ भोगी	अनुसूचित जाति लाभ भोगी	अनुसूचित जनजाति लाभ भोगी
1980- 1	15531.929	1424.322	1374.035
1981-82	16899.802	2375.759	1660.478

नोट : कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अभी भी पूर्ण सूचना प्राप्त की जानी है।

पीतम पुरा के लिए वर्षा के पानी की निकासी की योजना

1611. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री पीतमपुरा, दिल्ली में वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था करने के बारे में 15 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति में पीतमपुरा के लिए वर्षा के पानी की निकासी की योजना कब से विचाराधीन है;

(ख) इस योजना को अन्तिम रूप देने में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए डी०डी०ए० द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना को अन्तिम रूप देकर उसे स्वीकृत किया जाए तथा इसका कार्य जल्दी ही शुरू हो, क्योंकि वहां वर्षा के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को कठिनाई हो रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरस्वती कुंज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को भूखण्डों का आबंटन

1612. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरस्वती कुंज ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सुल्तान सिंह बिल्डिंग कश्मीरी गेट दिल्ली द्वारा सितम्बर, 1980 तक 1700 बनाए गए थे;

(ख) क्या प्रत्येक सदस्य से प्रतिमास 100 रुपये लिए जाते हैं;

(ग) क्या सदस्य बनाये जाते समय उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को 100 गज का भूखण्ड दिया जाएगा लेकिन अब उनसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक सदस्य को "रोहिणी" में एक एक मकान दिया जाएगा और लोगों को लाखों रुपयों से ठगा जा रहा है और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर्स लिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार उपरोक्त सोसाइटी के कार्यों की जांच कराएगी; और

(ङ) उन्हें कब तक भूखण्डों का आबंटन कर दिया जाएगा अथवा उनकी धनराशि वापस लौटा दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) पंजीकरण सहकारी समिति, दिल्ली ने सूचित किया है कि सरस्वती कुंज सामूहिक आवास समिति ने बताया है कि सितम्बर, 1980 तक नामांकित किए गए सदस्यों की संख्या 625 थी और अब इस समिति के 1606 सदस्य है।

(ख) समिति ने सूचित किया है कि 14 सितम्बर, 1980 को हुई समिति की आम सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक सदस्य निधियों को जमा करने में सुविधा के लिए प्रति माह 100/-रुपये अदा करे। समिति ने यह भी सूचित किया है कि केवल 577 सदस्य इसे नियमित रूप से अदा कर रहे हैं।

(ग) समिति ने सूचित किया है कि सदस्यों के नामांकन के समय "रोहिणी" में 100 गज के प्लाट अथवा एक मकान के आबंटन का ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। प्रत्येक सदस्य से 500-रुपये के मूल्य के स्टाम्प पेपर्स एकत्रित करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध की जा रही है।

(घ) पंजीकार, सहकारी समिति, दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्होंने समिति के कार्य-करण के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है कि अतः इस अवस्था में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह एक सामूहिक आवास समिति होने के कारण इसके सदस्यों को प्लाट के आवटन का प्रश्न ही नहीं उठता। सदस्यों द्वारा जमा की गई धन राशि के लौटाने का जहां तक सम्बन्ध है, समिति ने सूचित किया है कि किसी भी सदस्य को जो सदस्यता से त्यागपत्र देता है; जमा का भुगतान कर दिया जाएगा।

सरकारी आवास सोसाइटियों के सदस्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम राशि

1513. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सामूहिक आवास सोसाइटियों के सदस्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मकान निर्माण अग्रिम राशि नियमों के अधीन मकान बनाने के लिए अग्रिम राशि के पात्र नहीं हैं क्योंकि राष्ट्रपति के नाम गिरवी रखने के लिए उनके पास कोई भूमि नहीं होती;

(ख) क्या सरकार मकान बनाने के लिए अग्रिम राशि लेने हेतु भूमि को गिरवी रखने संबंधी नियमों में संशोधन करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सामूहिक आवास योजना के अधीन मकान लेने में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्य हैं, फिलहाल गृह निर्माण अग्रिम लेने के पात्र नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) यह मामला जांच की प्रारंभिक अवस्था में है।

जाली राशनकार्डों के आधार पर पुनर्वास कालोनियों में भूखण्डों का आबंटन

1614. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में अनेक व्यक्तियों को पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जाली राशन कार्डों के आधार पर विभिन्न नामों के भूखंड आबंटित करा लिए है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता की जांच करने और इसे ठीक करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे ऐसी कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पानी साफ करने पर हुआ खर्च

1615. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपूर्ति एवं मल निकास संस्थान दिल्ली द्वारा 1981-82 में 3030 लाख गैलन पानी साफ करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई और संस्थान को जल की सप्लाई से कितनी आय हुई;

(ख) वर्षा के पानी के कुओं और नलकूपों से कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया गया और उन कुओं की संख्या कितनी है जो ठीक कार्य कर रहे हैं और कितने नलकूपों में मीटर लगाए गए; और

(ग) यदि नलकूपों का पानी योग्य है तो नई दिल्ली नगरपालिका और छावनी बोर्ड ने किन कारणों से नलकूप नहीं लगवाए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि जनवरी, 1982 तक वर्ष 1981-82 के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। विगत वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान जलपूर्ति पर व्यय 935.64 लाख रुपये था। तथापि, इसमें दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा 1981-82 के दौरान अदा किये जाने वाले ऋण प्रभार शामिल नहीं है। विगत वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान जलपूर्ति से हुई आय लगभग 1228.00 लाख रुपए थी।

(ख) संस्थान के अनुसार, 1981-82 के दौरान रेनी वैल तथा ट्यूब वैलों से निकाले गए पानी की औसत मात्रा लगभग 260 लाख गैलन प्रतिदिन (एम॰ जी॰ डी॰) थी। 1981-82 के दौरान रेनी वैल तथा 199 ट्यूब वैल चालू हालत में थे। ट्यूब वैलों में पानी के प्रवाह को मापने के लिए मीटर नहीं लगे हुए हैं। जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया है, उनके क्षेत्र में कोई रेनी वैल नहीं लगाए गए हैं। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में 46 ट्यूब वैल कार्यरत है। तथा उनसे 25 लाख से 30 लाख गैलन पानी प्रति दिन लिया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका ने 18 ट्यूब वैलों में मीटर लगाए हुये हैं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि जहां कहीं पानी पीने के लिए ठीक पाया जाता है वहां ट्यूब वैल लगा कर वह पानी की सप्लाई को बढ़ा रही है।

राज्यों द्वारा मकानों के लिए स्थानों का आबंटन

1616. प्रो॰ नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 जनवरी, 1982 को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम शुरू करने के (एक) शहरी (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के स्थान आबंटित करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और राज्यवार उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास पर बल दिया गया है। ये दोनों योजनायें 20-सूत्री कार्यक्रम के अंग हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की आवास-स्थल योजना के अन्तर्गत भूमिहीन कामगारों के परिवारों को लगभग 100 वर्गगज के आवास स्थल निःशुल्क आबंटित किये जाते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में इन परिवारों को सहायता और/या 500 से 6500 रुपए के मध्य विभिन्न दरों से निर्माण सहायता भी दी जा रही है। जहां तक समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास का संबंध, छठी योजना की नीति न्यूनतम संरचना के साथ "स्थल व सेवा" मुहैया कराना है। कई राज्यों ने स्थल व सेवा तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान निर्माण दोनों योजनाओं के लिए हुडको की ऋण सहायता प्राप्त की है। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको के ऋण रियायती ब्याज की दरों पर दिए जाते हैं। 31.3-82 तक ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को आबंटित आवास स्थलों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत रियायशी एककों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

हजार में

राज्य	राज्य सरकारों द्वारा आबंटित आवास स्थल	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत रिहायशी एकक
1. आन्ध्र प्रदेश	1466	98
2. असम	47	-- (96 केवल)
3. बिहार	39 730 (1)	18
4. गुजरात	520	122
5. हरियाणा	225	12
6. हिमाचल प्रदेश	5	— (134 केवल)
7. जम्मू और कश्मीर	6	2
8. कर्नाटक	981	200
9. केरल	47	114
10. मध्य प्रदेश	762	15
11. महाराष्ट्र	471	20

1	2	3
12. उड़ीसा	211	24
13. पंजाब	295	28
14. राजस्थान	949	43
15. तमिलनाडु	1305	52
16. त्रिपुरा	38	—
17. उत्तर प्रदेश	1460	49
18. पश्चिमी बंगाल	267	4

(1) आवास भूमि अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण नियमितीकरण द्वारा

(2) यह आवास भूमि योजना चार राज्यों (मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम) में तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम में कार्यान्वयन नहीं की जा रही है

संघ राज्य क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—
2. चण्डीगढ़	—	3
3. दादरा और नागर हवेली	1	—
4. दिल्ली	12	6
5. गोआ, दमण और द्वीप	2	— (·8 केवल)
6. पाण्डिचेरी	12	— (247 केवल)
योग	9852	810

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अधीन गुजरात को दी गई वित्तीय सहायता

1617. श्री नवीन रवाणी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकाश योजना के अधीक वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए केन्द्र द्वारा गुजरात सरकार को कितती राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) अब तक किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है और गुजरात में इस योजना से कितने गांवों को लाभ पहुंचा तथा परियोजना पर वास्तव में कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) देश में ग्रामीण विकास योजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई; और वर्ष 1982-83 के लिए राज्यवार कितनी राशि का आबटन किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है :—

वर्ष	खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन)	नकद निधियां (लाख रुपए में)
1980-81	26695.80	396.90
	(पिछले वर्ष का अधिशेष भी शामिल है)	
1981-82	15450	560.0
	(पिछले वर्ष की पुनर्वधिकृत मात्रा भी शामिल है)	(खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है)

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र वार कार्यों के ब्योरे तथा उन पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण (1) संलग्न है। तथापि, लाभान्वित गांवों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में 190.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों को उनके बराबर के अंशदान के रूप में देनी पड़ती है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अभी तक केन्द्रीय सहायता के आबंटन चालू वर्ष की दो तिमाहियों के लिए ही किए गए हैं। उन्हें दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान किए गए निर्माण कार्यों तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपये में)

वर्ष	किए गए कार्य का राज्यवार ब्योरा	अतिरिक्त उपलब्धियां	परियोजना पर खर्च की गई धनराशि	इस योजना से लाभान्वित गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1. 1980-81	(1) वृहद मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्य (योजना)	9,500 हैक्टेयर (सिंचाई संभाव्यता)	173.00	अप्राप्य
	(2) भूमि तथा जल संरक्षण कार्य (योजना)	0.72 लाख हैक्टेयर मेड़ बंधी	116.69	—यथोपरि—
	(3) सड़कें जिनमें राज्य के राज मार्ग भी शामिल हैं (योजना)	2829 कि० मी० (अन्तर्गत लायी गयी सड़कों की लंबाई)	175.00	—यथोपरि—
	(4) स्थानीय विकास के कार्य (योजना)	1448 स्थानीय विकास के निर्माण कार्य	99.62	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
2. 1981-82	(1) सरकारी भूमि पर वनरोपण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र तथा सामाजिक वानिकी कार्य (हैक्टेयर)	2376 हैक्टेयर बीजांकुर/पौधे लगाना 155 लाख 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है।	52.74	— यथोपरि—
	(2) सड़कें जिनमें राज्य के राज मार्ग भी शामिल हैं (कि० मी०)	मरम्मत की गई/सुधारी गई 533 कि० मी० ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	160.92	अप्राप्य
	(3) भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार (हैक्टेयर)	3271 हैक्टेयर 38 प्लग 2 नाला-तालाब 20 निर्माण कार्य प्रगति पर	89.47	— यथोपरि—
	(4) लघु सिंचाई कार्य जिनमें ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो बाढ़ बचाव, जल निकासी और जल लग्नता निवारक कार्य, तथा सिंचाई से संबंधित क्षेत्र में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों, खेत की नालियों का निर्माण और भूमि समतली-करण से संबंधित है (हैक्टेयर)	9 बाढ़-बचाव कार्य पूरे किए गए 1000 हैक्टेयर 3 कार्य जारी रखे गए 8473 घन मीटर 1185 हैक्टेयर	52.92	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
1918-82	(5) ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	34 तालाब पूरे किए गए 79 तालाबों का कार्य जारी हैं। कार्य प्रगति पर है।		
	(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, आवास तथा भूमि विकास आदि	32 स्कूल कम्पाउंड कुएं निर्माण कार्य 28 स्कूल भवन पाइप लाइनों का निर्माण 3 पेय जल पाइप लाइन निर्माण कार्य 2 सुरक्षा दीवारें 1 मत्स्यपालन कार्य 2 पंचायत घर 1 मठ का निर्माण 1 जल निकासी लाइन 1 सामुदायिक केन्द्र	49.76	
		कुल रुपए	405.81	

† भारत सरकार द्वारा सप्लाई किए गए 15,450 मीटरी टन खाद्यान्नों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को किया गया भुगतान 242.78

+ राज्य योजना निधि से सचिवालय कर्मचारियों के लिए किया गया खर्च 1.34

महायोग (वर्ष 1981-82) 649.93

विवरण-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्यों के अंश सहित निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1896.00
2	असम	400.00
3.	बिहार	2420.00
4.	गुजरात	560.00
5.	हरियाणा	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00
7.	जम्मू व कश्मीर	160.00
8.	कर्नाटक	828.00
9.	केरल	804.00
10.	मध्य प्रदेश	1320.00
11.	महाराष्ट्र	1420.00
12.	मणिपुर	20.00
13.	मेघालय	20.00
14.	नागालैण्ड	20.00
15.	उड़ीसा	820.00
16.	पजाब	252.00
17.	राजस्थान	468.00
18.	सिक्किम	16.00
19.	तमिलनाडु	1480.00
20.	त्रिपुरा	60.00

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	3340.00
22.	पश्चिम बंगाल	1348.00
23.	अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
25.	मिजोरम	16.00
26.	पांडिचेरी	16.00
27.	चण्डीगढ़	4.00
	योग	18000 00

किसानों को दिया गया गन्ने का मूल्य

1618. श्री ई० बालानन्द : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना पेराई के मौसम 1981-82 के प्रत्येक माह में प्रत्येक मिल द्वारा गन्ना-उत्पादकों को गन्ने का प्रति क्विंटल कितना मूल्य वास्तव में दिया गया; और

(ख) 1981-82 को गन्ना पेराई मौसम में 31 मई, 1982 तक उत्पादकों द्वारा प्रत्येक मिल को कुल कितने मूल्य का गन्ना सप्लाई किया गया और देश में प्रत्येक मिल द्वारा उस मूल्य की कितनी राशि का 1 जून, 1982 तक भुगतान नहीं किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सभी प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में फैक्ट्रियां सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गन्ने के मूल्य को देती हैं। 1981-82 के लिए दिए गए/दिए जाने के लिए सुझाए गए मूल्य उपाबन्ध I के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०-4279-8]

(ख) एक विवरण (उपाबन्ध II) संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4279/82]

थ्रेसर मशीनों से हुई दुर्घटनाओं में मरे/घायल व्यक्ति

1619. श्री ई० बालानन्द : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान बिजली

से चलने वाली थ्रेसर मशीनों से भूसी निकालते समय हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए; और

(ख) इन दुर्घटनाओं तथा हताहतों की संख्या कम करने और मृतकों अथवा उनके आश्रितों को शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त राहत दिलाने के लिए एक उपयुक्त तन्त्र की स्थापना करने हेतु, जिसके पास वे लोग आसानी से जा सकें, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने विद्युत चालित थ्रेसरों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। ये नीचे दिए गए है :—

(1) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे प्रत्येक थ्रेशिंग मौसम से पूर्व "अपना हाथ बचाओ" अभियान चलायें, जिसके लिए किसानों और काम करने वालों को विस्तार और श्रव्य दृश्य प्रचार माध्यमों से विद्युत चलित थ्रेशरों के सुरक्षित उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने के प्रशिक्षण सिविरों का आयोजन किया जाए।

(2) विभिन्न प्रकार के थ्रेशरों के लिए सुरक्षित आभरण उपकरणों को तैयार और विकसित किया गया है। भारतीय मानक संस्थान ने इस सम्बन्ध में चार मानक तैयार किए हैं। मानक सुरक्षित उपकरणों को तैयार करने सम्बन्धी सूचना विनिर्माताओं को दी गयी हैं ताकि वे केवल अनुमोदित डिजाइन के थ्रेशरों का निर्माण करें। भारतीय मानक संस्थान ने अपने प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 52 थ्रेशर विनिर्माताओं को प्रप्रमाणपत्र जारी किए हैं।

(3) सरकार (उद्योग मन्त्रालय) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत विद्युत चालित थ्रेशरों, जो कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होते, के विनिर्माण, बिक्री के लिए भण्डारण, बिक्री और वितरण पर पाबन्दी के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और उन्हें इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकार दिए गए हैं।

(4) कृषि मन्त्रालय की पहल पर ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शयूरेन्स कंपनी लि० ने, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत थ्रेशर संचालन कार्य में लगे कामगारों को थ्रेशर मालिकों द्वारा के भुगतान के दायित्व के लिए उचित लागत पर बीमा पालिसी क्षतिपूर्ति तैयार की है। तथापि, वे ही थ्रेशर इस योजना के अन्तर्गत आएंगे, जिनके पास भारतीय मानक संस्थान प्रमाणपत्र होगा कि थ्रेशरों में सुरक्षा के पर्याप्त यन्त्र लगे हैं।

पहले ही उपयोग में आ रहे थ्रेशर आवश्यक वस्तु अधिनियम के आदेश के अन्तर्गत नहीं आते। अतः सुरक्षा के स्वीकृत मानकों के अनुसार पावर थ्रेशरों के बिनिर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव है। दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से थ्रेशरों का अनिवार्य बीमा करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधान के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर कठोर दण्ड दिया जाएगा।

कावेरी जल विवाद

1620. श्री बी० वी० देसाई : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने प्रधान मन्त्री से कावेरी जल विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केरल सरकार के अनुसार सम्बन्धित राज्यों के बीच बातचीत का कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसी सौहार्दपूर्ण हल पर सहमति न हो पाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक सरकार ने समझौते के लिए एक ठोस प्रस्ताव किया था परन्तु अन्य सम्बन्धित राज्य उससे सहमत न हो सके;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) दिसम्बर, 1980 में कावेरी जल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री द्वारा बुलाई गई मुख्य मन्त्रियों की पिछली बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के सभी बेसिन वाले राज्यों ने कावेरी के जल के बटवारे के बारे में अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में कोई अधिक सामान्य आधार नहीं है।

(ङ) ऐसी कोई निश्चित समय अवधि सूचित करनी सम्भव नहीं है जिसमें विवाद को हल किया जा सके क्योंकि हल निकालने में बहुत कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग तथा सहायता पर निर्भर करता है। कर्णाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों ने अक्तूबर, 1981 में द्विपक्षी विचार-विमर्श किया था किन्तु वे किसी स्वीकार्य समाधान पर नहीं पहुंच सके थे।

केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री कावेरी के जल के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों की एक अन्तर्राज्यिक बैठक बुलाने के लिए दिसम्बर, 1981 से प्रयास करते रहे हैं। तथापि, बैठक अभी तक नहीं बुलाई जा सकी है, क्योंकि सभी मुख्य मन्त्रियों के लिए उपयुक्त कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकी है। 1 अगस्त, 1982 के मध्य में एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक को किसानों की मांगें क्रियान्वयन करने हेतु सहायता

1621. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिमोगों में आन्दोलनकारी किसानों की मांगें स्वीकार करके उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को ऋण प्रदान करके उसकी मदद करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य को कितना ऋण दिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) शिमोगों में आन्दोलन करने वाले किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार से सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश की सहायता

1622. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : आन्ध्र प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान 948.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित तथा बंटित की गई है। वर्ष की शेष दो तिमाहियों के लिए उन्हें इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने बराबर के अंशदान के रूप में दी जाएगी।

कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की नई किस्मों की संख्या

1623. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा उत्पादित चावल गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की नई संकर किस्मों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितनी किस्मों का उपयोग लोगों द्वारा किया गया और किन राज्यों में;

(ग) उन नए प्रयोगों का ब्योरा क्या है जो चल रहे हैं; और

(घ) उनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा और लोगों को उपयोग के लिए दे दिया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान यूनिटों द्वारा चावल और गेहूं की अनेक अधिक पैदावार देने वाली किस्में तथा मक्का, ज्वार और बाजरे आदि की संकर/किस्में विकसित की गई हैं। ये किस्में केन्द्रीय/राज्य किस्म रिलीज समितियों द्वारा रिलीज की गयी हैं। इन किस्मों की देश की एक या अधिक विभिन्न कृषि पारिस्थिति की स्थितियों के लिए सिफारिश की गयी है। इन किस्मों के बीज का समवर्धन किया जा रहा है और ये किसानों में लोकप्रिय हो रही हैं। इन किस्मों और संकर किस्मों में से प्रत्येक को किस क्षेत्र में उगाया जा रहा है, इसका ब्योरा देना बहुत कठिन है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्य फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों संकर किस्मों की सूची और विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के लिए उनकी उपयुक्तता का विवरण (संलग्न) में दिया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) खाद्य उत्पादन बढ़ाने हेतु फसलों के प्रजनन में नए दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। मक्का, ज्वार मोटे अनाज आदि जैसे संकर परागनों में सश्लेषित मिश्रित और उन्नत संख्या के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिससे संकर किस्मों के मामलों में प्रत्येक वर्ष कीमती बीजों के बदले सस्ते बीज तैयार किए जा सकें। रबी मौसम में उगाने के लिए मक्का, ज्वार और मूंगफली की किस्मों के विकास के लिए संयुक्त प्रयास किए गए हैं। बहु किस्मों के विकास को गेहूं जैसी स्वपरागित फसलों में अपनाया गया है जिससे रतुवा की प्रजातियों के नए शरीर क्रिया विज्ञान को सन्तुलित किया जा सके जो विभिन्न यांत्रिकों के माध्यम से हमेशा उत्पन्न होते हैं। जौ की अर्ध बौनी नेकेड टाइप्स (किस्म) जिसमें लाइसिन की अधिक मात्रा है, विकसित की जा रही हैं। दालों में खासकर अरहर में प्लांट किस्म की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का प्रजनन, किया जा रहा है जो प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक पौध संख्या वाली है और अधिक उत्पादकता को प्रोत्साहित करने वाली हैं।

कुछ नए दृष्टिकोण से पहले ही महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। मक्का में, संकर और संश्लेषित किस्में पूर्वी भारत में रबी मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है, ज्वार में संकर और प्रायद्वीपीय भारत में रबी के मौसम में रोपाई के लिए उपयुक्त किस्में, जो में करण 18, करण 19 जैसी नेकेड टाइप (किस्म), गेहूं में एम० एल० के० एस० 11, के एस० एम० एल० 3 और के एम० एल० 7406 गेहूं में अनेक किस्में कुछ ऐसी हैं जिन्हें हाल ही में विकसित किया गया है।

अधिक पैदावार वाली किस्में/मिश्रित संकर किस्मों का विकास एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें अनेक स्थानों में किए जाने वाले अनुसंधान और जांच के साथ समन्वित बहु शाखोय दृष्टि-कोण सम्मिलित किए गए हैं, जो कई वर्षों से किए जा रहे हैं। मिनीकीट, राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रयोग शाला से खेत कार्यक्रमों, किसान मेला आदि के माध्यम से उनकी उपयोगिता को प्रमाणित प्रौद्योगिकी के द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है।

फसल	किस्म	उपयुक्तता
चावल	स्वर्ण	आन्ध्र प्रदेश, तमिलयाडु, पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र तथा कर्नाटक (धारवाड़ तथा केरल) के बारानी निचली भूमि।
	सस्याश्री	आन्ध्र प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल।
	अनामिका	खरीफ के मौसम हेतु पश्चिम बंगाल, बिहार उड़ीसा तथा असम।
	आई० आ०र-36	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल।
	फोउ-ओबी	मणिपुर राज्य
	पुन्शी	मणिपुर राज्य
	जी० आर-०1009,)	
	साथुरो, पल्लवी,)	उड़ीसा
	रामकृष्ण, सामली)	
	राजेन्द्र धान 202	बिहार
	फाल्गुन	केरल
	सी० ओ०-42	तमिलनाडु
	बी० एल० के० 39	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र
	लोकवन	मध्यवर्ती क्षेत्र
	शिप्रा) एच० डी०-2239	मध्य प्रदेश (उत्तरी जलोढ़ क्षेत्र को छोड़कर) गुजरात, कोटा तथा राजस्थान के उदयपुर प्रखण्ड तथा उ० प्र० के बुन्देलखण्ड क्षेत्र।

1	2	3
	के० एस० एम० एल-3	भारत का पूरा उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरिया, राजस्थान का हिस्सा, उ० प्र० तथा दिल्ली का हिस्सा शामिल है।
	एच० एस०-86	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की निचली तथा मध्य पहाड़िया जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, हि० प्र० तथा उ० प्रदेश राज्य आते हैं।
	एच० डब्लू-517	दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र (तमिलनाडु की नील-गिरी तथा पोलनी हिल्स तथा केरल के बड़े क्षेत्र)।
	एम. एल. के. एस.-11	उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें पजाब, हरियाणा, जम्मू, पश्चिम उ० प्र०, दिल्ली तथा राजस्थान (कोटा तथा उदयपुर प्रखण्ड को छोड़कर) शालिम है।
	एच० बी०-208 एच० यू० डब्ल्यू०-37	जम्मू और कश्मीर, हिताचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के निचली, मध्यम और ऊंची पहाड़ियां उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
	डी. डब्ल्यू. एल.-5023 राज 1555 और जे० यू० 12	देश के ड्यूरम उगाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
ज्वार		
	सी० एच० एस०-9	देश के खरीफ और रबी दोनों ज्वार उगाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त (कर्नाटक के नमीयुक्त क्षेत्रों को छोड़कर)।
बाजरा		
	पूसा 793 डब्ल्यू० सी० सी०-75	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा सभी बाजरा उगाने वाले क्षेत्र (पंजाब और राजस्थान को छोड़कर)

1		2	3
		पी० एस० बी-8	पंजाब।
	मक्का		
		तरुण	सम्पूर्ण गंगा-सिन्धु का मैदान (राजस्थान को छोड़कर)
		हेक० ऐन०-103) (ई. एच. 400175))	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और असम।
		अगेती: 76	उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के तराई क्षेत्र को छोड़कर सभी मक्का उगाने वाले क्षेत्र।
दालें	चना।	पूसा-209	राजस्थान, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार।
		पन्त-114	उत्तरी मैदानी पश्चिमी क्षेत्र जिसमें हरियाणा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मैदानी पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, और उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल हैं।
	अरहर	पूसा-74:	गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग
	उड़द		
		पन्त यू-19:	उत्तरी मैदानी पूर्वी क्षेत्र जिसमें मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सामान्य खरीफ बोए जाने वाले संपूर्ण उत्तरी-पूर्वी-राज्य
		पन्त यू-30:	हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश

1	2	3
मूंग		
	पूसा-7:	बसन्त और ग्रीष्म दोनों कैच क्राप के रूप में तथा सारे देश में खरीफ फसल के रूप में भी।
	पूसा-10	बसन्त और ग्रीष्म दोनों कैच क्राप के रूप में तथा सारे देश में खरीफ फसल के रूप में भी।
मसूर		
	पन्त-639:	उत्तरी मैदान-पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मैदान और पूर्वी क्षेत्र जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, शामिल है तथा उत्तरी पूर्वी राज्य और मध्यवर्ती क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1624. श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का यह दृष्टिकोण है कि जिन प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है उनके सन्दर्भ में यदि विचार किया जाए तो राष्ट्रीयकरण करने से इसका कोई हल नहीं निकलता है।

इसके अलावा राष्ट्रीयकरण से सरकार को वित्तीय और प्रबन्ध से सम्बन्धित भारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी जिनसे उनकी तुलना में लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार यह महसूस करती है कि इसका वास्तविक हल यह है कि रुग्ण मिलों की उनके प्लाट्स का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने में सहायता की जाए। उनके पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने में उनकी मदद करने के लिए चीनी विकास निधि स्थापित की गई है। वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा, अधिकांश चीनी मिलें सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में हैं अर्थात् 42 सार्वजनिक क्षेत्र में. 152 सहकारी क्षेत्र और केवल 128 प्राइवेट क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 14 चीनी मिलों का प्रबन्ध उद्योग विकास और विनियमन (अधिनियम तथा चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम के अधीन अपने अधिकार में अस्थायी रूप से ले लिया गया है।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता बन्द कर देना

1625. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों में वित्तीय सहायता के वितरण में कदाचारों के कारण किसी भी राज्य को वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है जिसके माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवासहीन लोगों की संख्या

1626. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अनुसार भारत में इस समय कितने भूमिहीन लोग ऐसे है जिनके पास आवासीय सुविधा नहीं है ;

(ख) क्या उन्हें आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली के सम्बन्ध में भी ऐसी कोई योजना सरकार के पास है और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान है कि 1985 तक आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के कुल 145 लाख परिवारों को सहायता आवश्यकता होगी। इस योजना में ऐसे प्रत्येक परिवार को लगभग 100 वर्ग गज के मुफ्त आवास स्थलों के आबटन तथा निर्माण सहायता की व्यवस्था का विचार किया गया है। योजना के आरम्भ होने से पहले 77 लाख परिवारों को आवास-स्थल दे दिए गए थे तथा : लाख 60 हजार परिवारों को मकान बनाने में सहायता दी गई। तदनुसार, छठी योजना अवधि के कार्यक्रम में सभी पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचाने के लिए 68 लाख आवास-स्थलों का आबन्टन तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता शामिल है। नगरीय देशों में आवास-स्थल अथवा आश्रय हीन व्यक्तियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक 11996 आवास स्थल आबन्टित किए गए हैं।

कृषि विश्वविद्यालय

1627. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) सरकार ने अब तक इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के कार्यचालन के सम्बन्ध में हाल ही में कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के 16 प्रमुख राज्यों में 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि विश्वविद्यालयों की एक सूची विवरण-1 में दी गई है।

(ख) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास के लिए भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से 103.51 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च की गई। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्र से दी गयी सहायता को दर्शाने वाला एक वक्तव्य विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) तथा जी नहीं, श्रीमान्। विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में हाल में।

(घ) सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि कि सन 1977 में सरकार ने भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के विवेशनात्मक वृद्धि तथा विकास के मूल्यांकन के लिए डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में एक कृषि विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति की नियुक्त की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समित की प्रमुख उपलब्धियों तथा सिफारिशों के बारे में लोक-सभा में दिनांक 14-8-1978 को प्रश्न संख्या 4111 के उत्तर में बतालाया गया था। सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया था। इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के प्रगति के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समय-समय पर राज्य सरकारों से बातचीत करती रहती है।

विवरण 1

कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
   राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (आं० प्र०)
2. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013 (असम)
3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
   पो० आ० पूसा, जिला समस्तीपुर-848128
   (बिहार)
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
   सरदार कृषि नगर,
   पोस्ट दन्तीवाडा, जिला बनासकांठा,
   गुजरात
5. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालत,
   हिसार-123 01 (हरियाणा)
6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
   पालमपुर, जिला कांगड़ा हि० (प्र०)

7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
हैब्बल, बंगलौर 560024, कर्नाटक

8. केरल कृषि विश्वविद्यालय,
मन्नुथी-680651 (केरल)

9. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर-482004 (म० प्र०)

10. कोंकण कृषि विद्यापीठ,
डपोली-415712, जिला रत्नागिरि (महाराष्ट्र राज्य)

11. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,
राहुड़ी-413722, जिला अहमद नगर (महाराष्ट्र राज्य)

12. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय,
परभणी-431401 (महाराष्ट्र राज्य)

13. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
कृषि नगर—अकोला-444001 (महाराष्ट्र राज्य)

14. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;
भुवनेश्वर-751003 (उड़ीसा)

15. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना-140001.

16. उदयपुर विश्वविद्यालय,
उदयपुर-313001 (राजस्थान)

17. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,
कोयम्बटूर-6410003 (तमिलनाडु)

18. चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 (उ० प्र०)

19. गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, पन्तनगर-263145 नैनीताल (उ० प्र०)

20. नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
फैजाबाद (उ० प्र०)

21. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
हरिनघाट्टा, पो० आ० मोहनपुर,
नाडिया-741246 (पश्चिम बंगाल)

22. बिरसा कृषि विश्वविद्याल,
रांची (बिहार)

विवरण-2

(कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास के शीर्ष के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान)

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालयों का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	रु० 974.95
2.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	" 718.22
3.	उदयपुर विश्वविद्यालय	" 637.21
4.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्याअय, भुवनेश्वर	" 472.35
5.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	" 678.37
6.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व-विद्यालय, जबलपुर	" 674.42
7,	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर	" 752.60
8.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	" 344.22

1	2	3
9.	असम कृषि विश्वविद्यालय' जोरहाट	" 676.41
10.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	" 318.43
11.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	" 576.79
12.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला	" 258.31
13.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार	" 7 6.68
14.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	" 475.19
15.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	" 355.79
16.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी	" 488.47
17.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	" 382.03
18.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	" 231.95
19.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	" 155.11
20.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	" 191.44
21.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	" 201.70
	रिलीज किया गया कुल अनुदान रु०	10,351.69

पंजाब में खाद्यान्नों की बर्बादी

1628. श्री अजित कुमार साहा :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री हन्नान मोल्लाह :

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है;

(ख) इन खाद्यान्नों को देश के अकालग्रस्त राज्यों में न भेजने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) परिरक्षण की आधुनिक पद्धतियों का अनुसरण करके भण्डारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेन्सियों के पास पड़े खाद्यान्नों के स्टाक की यथेष्ट रूप से देखभाल की जाती है।

(ख) और (ग) पंजाब से नियोजित आधार पर खाद्यान्नों का नियमित संचलन होता है। औसतन 5.68 लाख मीटरी टन खाद्यान्न रेल आदि के द्वारा पंजाब से बाहर भेजा जाता है। पिछले छ महीने के दौरान, 34.10 लाख मीटरी टन की मात्रा इस राज्य से बाहर भेजी गई थी।

सुपर बाजार द्वारा घटिया स्थानापन्न दवाओं की बिक्री

1630. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि राजधानी में, विशेषकर कनाट प्लेस में स्थित सुपर बाजार के केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से औषधालयों के लाभ प्राप्त कर्ताओं को कैश मेमो में उन मानक दवाइयों के पैसे लेते हुए जो विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई हैं, के बदले घटिया अथवा सस्ती स्थानापन्न दवाइयां बेच रहा है जैसा कि दिनांक 24 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "मैडिसन ट्रिक' एट सुपर बाजार', शीर्षक से समाचार छपा है :

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार द्वारा की जा रही ऐसी गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सुपर बाजार द्वारा अपनाई जा रही ऐसी अनैतिक बातों और कदाचारों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) 24 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार लोक नायक जय प्रकाश नारायण हस्पताल में स्थित सुपर बाजार की शाखा द्वारा एक ग्राहक को दी गई किसी दवाई के

बारे में था। समाचार में उल्लिखित आरोप की सुपर बाजार के प्रबन्धकों द्वारा पूरी जांच की गई और इस जांच से पता चला है कि योग्यता प्राप्त भेसजज्ञ (फार्मसिस्ट) ने नुस्खे तथा कैश मीमों के अनुसार ग्राहक को सही दवाई दी थी। रोगी ने भी इस बात से इन्कार किया है कि उसने गलत दवाई देने के बारे में ऐसी कोई शिकायत की है।

(घ) प्रश्न नहीं उटता।

एकान्तिक आर्थिक समुद्रा क्षेत्र में विदेशी नौकाओं द्वारा गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ा जाना

1631. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौकाएं भारत की एकान्तिक आर्थिक समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछलियां पकड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मछली पकड़ने के इस गैर-कानूनी कार्य की रोकथाम के लिए कोई कठोर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ग) हमारी एकांतित आर्थिक समुद्री क्षेत्र में मछलियां पकड़ते समय पकड़ी गई विदेशी नौकाओं की संख्या और उनका ब्योरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में नौकाओं और मत्स्य-नौकाओं की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिकतम समुद्री उत्पाद प्राप्त करने के लिए उनकी सख्या बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ख) सरकार ने अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने के लिए पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं। भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 को 2 नवम्बर, 1981 से लागू किया गया था। इस अधिनियम में भारी जुर्माने सहित कड़े दण्ड, कारावास तथा मत्स्यन जलयानों के जब्त किए जाने की व्यवस्था है।

(ग) 1981 में जब्त किए गए और सजा दिए गए मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों

की कुल संख्या और उनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

ताइवान	—	9
थाईलैंड	—	14
श्रीलंका	—	4
योग	—	27

अपराधियों को सजा दी गयी है तथा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 16 मामले न्यायालयों में विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) छठी योजनाओं के अन्त तक देश में बने, आयातित और किराये पर लिए गए मछली पकड़ने वाले जलयानों को समुचित रूप से लेकर इनकी संख्या 350 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता

1632. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्माल फार्मर्स डिवलपमेंट एजेंसी द्वारा देश में राज्य वार विशेष रूप से बिहार के सन्दर्भ में छोटे और सीमान्त किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता की बकाया धनराशि के अब तक के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि स्माल फार्मर्स डिवलपमेंट एजेंसी का काम सारे देश में ही अस्त-व्यस्त हैं और जरूरतमन्द किसान बहुत परेशान हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार करने/लाने के लिए भी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसी की भूतपूर्व योजना और वर्तमान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने लाभभोगियों को देय उपदान ऋण के समायोजन में वित्तीय संस्थाओं को दिया जाता है। छुट-पुट निवेशों जहां ऋण से सम्बन्ध जोड़ने पर कोई बल नहीं दिया जाता है, के मामले में उप-

दान सेवाओं अथवा सामग्री की आपूर्ति करने वालों को दिया जाता है। सरकार के पास लघु कृषक विकास एजेंसियों जिनका स्थान 2-10-1980 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने ले लिया है, की ओर बकायों के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित, बंटित तथा उपयोग में न लाई गयी निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग) जी नहीं, लघु कृषक विकास एजेंसियों संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थीं यद्यपि कार्य निष्पादन का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। तथापि, लघु कृषक विकास एजेंसी योजना को 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है और लघु कृषक विकास एजेंसियों का स्थान जैसा कि भाग (क) में उल्लेख किया जा चुका है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने ले लिया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों का चयन आय-प्रतिमान के आधार पर किया जाता है और लाभभोगियों की सूची को यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष भी रखा जाना है कि केवल उन पात्र किसानों का चयन किया जाता है जो निर्धनता की रेखा से नीचे के हैं।

विवरण

1980 81 और 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति।

अनन्तिम
(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटनx		केन्द्रीय बंटनx		कुल व्यय (अनन्तिम) (राज्य का अंश भी शामिल है)	
		1980-81	1988-82	1981-82	1981-82	1980-81	1981-82
1	2	3		5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	810.00	972.00	715.39	1434.765	1656.070	2571.88
2.	असम	315.00	402.00	46.60	148.50	27.250	299.24
3.	बिहार	1467.50	1761.00	551.59	1249.06	1034.770	3133.68
4.	गुजरात	545.00	654.00	466.87	508.79	842.560	1041.42
5.	हरियाणा	217.50	261.00	161.15	299.93	356.280	647.08
6.	हिमाचल प्रदेश	172.50	207.00	167.55	176.10	107.1[illegible]0	403.55
7.	जम्मू तथा काश्मीर	187.50	225.00	59.05	180.07	37.420	2[illegible]1.84
8.	कर्नाटक	437.50	525.00	376.86	360.30	956.130	874.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	360.00	432.00	351.66	371.54	460.274	720.73
10.	मध्य प्रदेश	1145.00	1374.00	708.94	1374.00	1356.000	1894.06
11.	महाराष्ट्र	740.00	888.00	713.1875	693.02	1272.110	1332.45
12.	मणिपुर	65.00	78.00	32.50	13.50	82.500	27.00
13.	मेघालय	60.00	72.00	13.28	16.50	38.580	90.67
14.	नागालेंड	52.50	63.00	73.42	63.00	1 0.270	128.11
15.	उड़ीसा	785.00	942.00	680.34	731.19	669.080	1451.28
16.	पंजाब	292.50	351.00	277.50	351.00	647.660	834.05
17.	राजस्थान	580.00	696.00	580.00	676.09	1078.350	1571.22
18.	सिक्किम	10.00	12.00	3.00	6.00	3.760	9.82
19.	तमिलनाडु	942.50	1131.00	655.749	1272.00	1420.800	2810.64
20.	त्रिपुरा	42.50	51.00	41.26	50.00	90.330	82.74
21.	उत्तर प्रदेश	2100.00	2628.00	1407.657	2513.58	2823.840	4873.12
22.	पश्चिम बंगाल	837.50	1005.00	42.08	39.84	224.360	221.22
23.	अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25.00	30.00	—	—	अप्राप्य	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	अरुणाचल प्रदेश	240.00	288.00	52.00	130.00	4.958	130.00
25.	चण्डीगढ़	5.00	6.00	5.00	—	अप्राप्य	—
26.	दादरा तथा नागर हवेली	5.00	6.00	—	—		
27.	दिल्ली	25.00	30.00	17.88	30.00	23.94	18.89
28.	गोवा, दमन तथा दीव	60.00	72.00	52.78	72.00	60.75	72.00
29.	लक्षद्वीप	25.00	30.00	8.00	—	अप्राप्य	—
30.	मिजोरम	100.00	120.00	15.00	60.00	अप्राप्य	30.00
31.	पांडिचेरी	20.00	24.40	6.66	23.40	16.11	18.57
	अखिल भारत योग	12780.00	15336.00	8258.45350	12844.935	15391.302	25579.26

x राज्यों के बारे में 50 प्रतिशत का बराबर अन्शदान राज्यों द्वारा दिया जाता है।

वाणिज्यिक फसलों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

1633. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि उत्पादों, विशेषकर वाणिज्यिक फसलों के मूल्य स्थिर नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) सरकार की नीति मूल्यों में उतार-चढ़ावों को कम करने तथा वाणिज्यिक फसलों सहित कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने की है। सरकार वर्षों से प्रमुख कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित तथा घोषित कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को मंडी समर्थन प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है ताकि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकें।

आयातित उर्वरकों का मूल्य

1634. **श्री मूल चंद डागा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा गत दो वर्षों के दौरान आयात किए गए उर्वरकों का किस्मवार मूल्य क्या है और उसका क्या आधार है;

(ख) क्या यह सच है कि कुल उर्वरक उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग गोदामों में पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष उर्वरकों का आयात करने के क्या कारण हैं जबकि देश में उत्पादित उर्वरकों के पूरे उपयोग की ही गुंजायश नहीं है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा चालू वर्ष (मई, 1982 तक) के दौरान लागत तथा भाड़ा मूल्य के आधार पर आयातित उर्वरकों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

उर्वरक का नाम	लागत तथा भाड़ा मूल्य रुपये में/करोड़ (निम्न वर्ष के दौरान)		
	1980-81	1981-82	1982-83 (मई, 1982 तक)
यूरिया	539.98	416.75	27.25
म्यूरिएट आफ पोटाश	156.07	132.50	10.42

1	2	3	4
डाई-अमोनियम फास्फेट	214.70	164.57	7.94
सलफेट आफ पोटाश	3.78	2.35	—
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	9.16	—	—
अमोनियम सल्फेट	1.52	0.46	—
योग :	925.21	716.63	45.61

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि आदानों को खरीदने के लिए ऋण

1635. **श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल का अच्छा उत्पादन करने के लिए राज्यों को कुल 100 करोड़ रुपए दिए हैं जिससे वे कृषि आदान जैसे उर्वरक, बीज और कीटाणु नाशक औषधि खरीदने के लिए किसानों को अल्पकालीन ऋण दे सके;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके निष्पदा वितरण के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक किसान को कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ङ) कितने राज्यों में ये ऋण वितरित किए गए हैं;

(च) क्या ऐसी धनराशि जम्मू और कश्मीर राज्य के किसानों को भी दी गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (छ) भारत सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर सहित राज्य सरकारों को खरीफ, 1982 के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए, संलग्न विवरण के अनुसार, 103.50 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण स्वीकृत किए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकतर राज्य सरकारों ने संस्थागत एजेंसियों को राशि दे दी है। हर किसान को दिए जाने वाले अल्पावधि ऋणों की जानकारी एकत्र नहीं की जाती है।

विवरण

खरीफ, 1982 के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत अल्पावधि-ऋण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	खरीफ, 1982 के दौरान स्वीकृत राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.00
2.	असम	2.00
3.	बिहार	7.00
4.	गुजरात	8.50
5.	हरियाणा	6.75
6.	हिमाचल प्रदेश	0.50
7.	जम्मू तथा कशमीर	1.00
8.	कर्नाटक	6.00
9.	केरल	1.50
10.	मध्य प्रदेश	8.00
11.	महाराष्ट्र	8.00
12.	मणिपुर	0.78
13.	मेघालय	0.67
14.	उड़ीसा	8.00
15.	पंजाब	10.00
16.	राजस्थान	7.00
17.	सिक्किम	0.30
18	त्रिपुरा	0.50
19.	उत्तर प्रदेश	1500
20.	पश्चिम बंगाल	7.00
	योग :	103.50

भूमि सुधार कानूनों का नवम अनुसूची में शामिल किया जाना

1636. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों में चुनौतियां देने से बचाने के लिए, संविधान की नवम् अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा कानून में धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए इसे आवश्यक समझा गया है;

(ग) क्या सरकार के संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वित करना एक बड़ा कार्य है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सभी प्रमुख अधिकतम भूमि सीमा कानून पहले ही नवीं अनुसूची में शामिल है। कुछ नए संशोधन कानूनों जिन्हें न्यायालयों में कुछेक चुनौतियां दिए जाने की सम्भावना है, को शामिल करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का कार्यान्वयन, फालतू भूमि का वितरण और भूमि अभिलेखों का संकलन संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की मदों में से एक मद है।

(घ) प्रस्ताव के कानूनी तथा अन्य पहलुओं की जांच करने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी कार्य में हिन्दी को प्रोत्साहन देने की योजना

1637. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या गृह मन्त्रालय के सरकारी भाषा विभाग ने सभी मन्त्रालयों निगमों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में वर्ष 1982-83 मे लागू करने के लिए कोई कार्यक्रम जारी किया;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त उनके विभाग में पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के प्रावधान के अन्तर्गत "क" क्षेत्र के राज्यो को 66 प्रतिशत कार्य हिन्दी मे कामकाज करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में इस विभाग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकारी काम के लिए हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी योजना का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग), (घ) और (ङ.) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 की धारा 4 (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्रालय या विभाग और क्षेत्र "क" में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, अवधारित करे।

तदनुसार गृह मन्त्रालय ने वर्ष 1982-83 के लिए एक योजना तैयार की जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्रालय या विभाग "क" क्षेत्र में स्थित किसी सम्बद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय के बीच कम से कम दो तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाए।

क्योंकि इस विभाग के अधीन कोई सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम या निगम नहीं, इस सम्बध में वर्ष 1982-83 के लिए इस विभाग में कार्यान्वयन के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ (नाफेड) द्वारा अर्जित लाभ

1638. **श्री के० लकप्पा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लिमिटेड (नाफेड) ने 1980-82 के दौरान अच्छा लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो अर्जित लाभ का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संघ का विचार छोटे किसानों की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो लाभ और निधि का समुचित उपयोग करने के लिए संघ द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) नाफेड को सहकारी वर्ष 1980-81 (जुलाई, 80 से जून, 81) के दौरान 1.84 करोड़ रुपये

की निवल आय हुई है। लेखा परीक्षित विवरण के अनसार 189.14 करोड़ रुपये का व्यापार कुल बिक्री व्यापार का 0.90 प्रतिशत बैठता है। जिसे सन्तोषजनक माना जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ (नाफेड) अधिप्राप्ति विपणन, परिसंस्करण और निर्यात सम्बन्धी कार्य करने का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य दिलाना है। नाफेड द्वारा दालों, फलों तथा सब्जियों, जिसमें प्याज आलू, अदरख आदि तथा अन्डे भी शामिल हैं की अधिप्राप्ति तथा विपणन का कार्य छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहा है।

(घ) संघ द्वारा 1980-81 के दौरान अर्जित किया गया निवल लाभ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा नाफेड के उप-नियमों के अनुसार वितरित किया गया है और अधिकांशतः पूंजी निर्माण के प्रयोजन के लिए सुरक्षित तथा दूसरी विधियां तैयार करने के लिए उपयोग में लाया गया है। तथापि, एक लाख रुपये की बहुत कम राशि "कृषक कल्याण निधि" को आबंटित की गई है। इस निधि का प्रयोजन किसानों तथा उनके परिवारों का कल्याण करना है जिसका लक्ष्य कृषक समुदाय की आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार तथा सामान्यतया उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस निधि को उपयोग में लाने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।

निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

1639. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है;

(ख) इन परियोजनाओं की नींव कब-कब रखी गई थी तथा उनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कारणों से निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) निर्माणाधीन बृहत सिंचाई परियोजनाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4280/82]

(ख) सिंचाई परियोजनाओं की आधार-शिला रखने के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों

का है। संलग्न विवरण में उल्लिखित 99 परियोजनाएं छठी योजना अवधि के दौरान पूरी कर लिए जाने की सम्भावना है। शेष सिंचाई परियोजनाएं परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में आगे ले जाई जाएंगी।

(ग) और (घ) जी, हां। सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कुछ मुख्य कारण ये हैं :—

1. राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की संख्या का बहुत अधिक होना, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रबन्ध सम्बन्धी तथा तकनीकी संसाधनों का कम पड़ जाना।

2. भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयां;

3. क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के आकार में परिवर्तन;

4. गहन अन्वेषणों की कमी;

5. निर्माण, आयोजन और मानीटरिंग सम्बन्धी संगठन का अभाव;

6. सीमेंट, इस्पात आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों की अनुपलब्धता।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को धनराशि का आबंटन

1640. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में सिफारिश की है कि संसाधनों के आबंटन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अत्याधिक उच्च प्राथमिकता दी जाए;

(ख) क्या राज्य सरकारें उसे कार्यान्वित कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष प्रत्येक राज्य को इस कार्यक्रम के अधीन कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) विभिन्न निर्धनता निवारक कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने और कुशल कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु डा० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को संसाधनों के आबंटन में नितांत उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

(ख) केन्द्रीय सहायता सुलभ करने हेतु संसाधनों के आबंटन को प्राथमिकता पहले दी जा रही है। तदनुसार राज्य सरकारें भी अपना बराबर का अंश उपलब्ध कर रही है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान किए गए व्यय, सृजित रोजगार और भौतिक परिसंपत्तियों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाले विवरण (1 व 2) संलग्न है, कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष को प्रथम दो तिमाहियों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियों को दर्शाने वाला एक अन्य सिवरण (3) भी संलग्न है। चालू वर्ष की शेष दो तिमाहियों के लिए इतना ही आबंटन किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए अपने बराबर के अंश के रूप में केन्द्रीय सहायता के बराबर धनराशि दी जाती है।

विवरण-1

वर्ष 1981-82 के दौरान किए गए व्यय और सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1981-82 के किया गया व्यय जिसमें उपयोग में लाए खाद्यान्नों का मूल्य भी शामिल	वर्ष 1981-82 के दौरान किया सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	अवधि जिससे कालम (4) को सूचना सम्बन्धित है
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4743.49	503.55	मार्च, 1982
2.	असम	532.00	53.20	"
3.	बिहार	1562.04	58.32	दिसम्बर, 1981
4.	गुजरात	652.14	56.55	मार्च, 1982
5.	हरियाणा	442.67	24.35	दिसम्बर, 1981
6.	हिमाचल प्रदेश	128.53	12.38	मार्च, 1982
7.	जम्मू एवं काश्मीर	227.95	11.00	"
8.	कर्नाटक	1291.11	233.94	"
9.	केरल	1719.55	128.32	"

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	2660.50	357.68	,,
11.	महाराष्ट्र	3116.00	468.00	,,
12.	मणिपुर	1.76	0.20	,,
13.	मेघालय	—	शून्य	,,
14.	नागालैंड	60.00	शून्य	,,
15.	उड़ीसा	1168.97	115.86	मार्च, 1982
16.	पंजाब	702.84	33.48	,,
17.	राजस्थान	1156.35	95.48	,,
18.	सिक्किम	9.42	1.00	,,
19.	तमिलनाडु	3018.70	746.80	मार्च, 1982
20.	त्रिपुरा	182.08	14.90	,,
21.	उत्तर प्रदेश	4696.27	230.75	,,
22.	पश्चिम बंगाल	1475.07	195.38	,,
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.31	2.02	,,
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.28	0.07	,,
25.	मिजोरम	8.00	शून्य	सितम्बर, 1981
26.	पाण्डिचेरी	3.24	0.24	मार्च, 1982
	योग	295.71.21	33.43.47	

विवरण-2

1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक लाभों को दर्शाने वाला विवरण

7.7.82 की स्थिति

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वनरोपण/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुएं आदि (संख्या)	ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ बचाव कार्य आदि (है०)	भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार (है०)	ग्रामीण सड़कें (कि० मी०)	स्कूल तथा बालवाड़ी भवन पंचायत घर (संख्या)	अन्य निर्माण कार्य (संख्या)	अवधि जिससे सम्बन्धित है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4339	72482	202	28124	541	16509	2730	2965	मार्च 1982
2.	असम	86	79	123	1885	2200	846	471	—	मार्च 1982
3.	बिहार	—	100	101	7867	—	172	25	49	दिसम्बर 1981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	हरियाणा	2933	55	87	4	—	1607	923	2	दिसम्बर 1981
5.	गुजरात	2376	54.4	34	2885	3271	533	11	—	मार्च 1982
6.	हिमाचल प्रदेश	120	10	45	3	—	32	225	—	दिसम्बर 1981
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	54	387	—	मार्च 1982
8.	कर्नाटक	5641	346	3561	1735	25915	3696	3303	276	मार्च 1982
9.	केरल	457	276	91	2904	48474	8464	40	1628	मार्च 1982
10.	मध्य प्रदेश	17200	—	—	—	—	—	—	—	मार्च 1982
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	मार्च 1982
12.	मणिपुर	—	4	4	21	—	36	3	1	मार्च 1982
13.	मेघालय	—		अनुसूचित	—	—	—	—	—	
14.	नागालेंड	—	—	—	—	—	—	—	—	दिसम्बर 1981
15.	उड़ीसा	35125	641	630	2635	13984	5119	1435	56	दिसम्बर 1981
16.	पंजाब	—	—	—	9688	—	—	305	—	मार्च 1982
17.	राजस्थान	365	388	486	6	179	289	4978	—	मार्च 1982
18.	सिक्किम	—	—	—	—	7	2	1	—	दिसम्बर 1981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	तमिलनाडु	1139	1870	1986	13483	471	9472	1992	—	मार्च 1982
20.	त्रिपुरा	404	225	200	221	190	902	113	—	मार्च 1982
21.	उत्तर प्रदेश	17505	355	—	—	39581	572	24	—	मार्च 1982
22.	पश्चिम बंगाल	905	7382	279	4980	8819	8902	1374	573	दिसम्बर 1981
	केन्द्र शासित क्षेत्र									
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	23	1	7	—	—	216	2	2	मार्च 1982
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	सितम्बर, 81
25.	मिजोरम	—	—	—	—	—	168	60	46	सितम्बर 1981
26.	पाण्डिचेरी	—	—	—	4	—	35	—	—	मार्च 1982
	योग :	18279	89638	7836	76445	143632	57626	18402	5598	

*जम्मू प्रभाग से सम्बन्धित ।

विवरण-3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए अनन्तिक आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	आबंटित धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	948.00
2.	असम	200.00
3.	बिहार	1210.00
4.	गुजरात	280.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	414.00
9.	केरल	402.00
10.	मध्य प्रदेश	660.00
11.	महाराष्ट	710.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10.00
14.	नागालैंड	10.00
15.	उड़ीसा	410.00
16.	पंजाब	126.00
17.	सिक्किम	8.00
18.	राजस्थान	234.00
19.	तमिलनाडु	740.00
20.	त्रिपुरा	30.00

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00
22.	पश्चिम बंगाल	674.00
केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
25.	मिजोरम	16.00
26.	पाण्डिचेरी	16.00
27.	चण्डीगढ़	14.00
		योग : 9034.00

निर्धनता से नीचे ग्रामीण जनसंख्या

1941. श्री गदाधर साहा : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 तक निर्धनता रेखा से नीचे ग्रामीण जनसंख्या राज्यवार प्रतिशतता कितनी है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण जनसंख्या का 1977-78 राज्यवार अनुमानित प्रतिशत नीचे दिया गया है :···

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	गरीबी की रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	43.89
2. असम	52.65
3. बिहार	58.91
4. गुजरात	43.20
5. हरियाणा	23.25
6. हिमाचल प्रदेश	28.12
7. जम्मू तथा कश्मीर	32.75
8. कर्नाटक	49.88
9. केरल	46.00

1	2
10. मध्य प्रदेश	59.82
11. महाराष्ट्र	55.85
12. मणिपुर	30.54
13. मेघालय	53.87
14. नागालैण्ड	अप्राप्य
15. उड़ीसा	68.97
16. पंजाब	11.87
17. राजस्थान	33.75
18. तमिलनाडु	55.68
19. त्रिपुरा	64.28
20. उत्तर प्रदेश	50.23
21. पश्चिम बंगाल	58.94
22. सभी केन्द्र शासित क्षेत्र	34.30
अखिल भारत (तुलन)	50.82

1980 में गरीबी की रेखा स नीचे रह रही ग्रामीण जनसंख्या का राज्यवार अनुमानित प्रतिशत अलग से उपलब्ध नहीं है।

सहकारी समितियों के माध्यम से आदिवासियों को शराब की बिक्री

1642. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी समितियों के माध्यम से आदिवासियों को शराब की बिक्री को प्रोत्साहित किया है ;

(ख) उन सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या है जहां शराब की बिक्री के लिए विशेषतौर पर आदिवासियों और कमजोर वर्गों को ताड़ी पिलाने हेतु इन समितियों का प्रयोग होता है ; और

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों की सहकारी समितियों के माध्यम से की जाने वाली इस गतिविधि को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर, जहां राज्य सरकार ने विभागीय एजेंसियों और आदिवासी

सहकारी समितियों द्वारा अथवा आदिवासियों को सीमित नीलामी द्वारा शराब की बिक्री की अनुमति दे रखी है, भारत सरकार को सहकारी समितियों द्वारा आदिवासियों को शराब बेचन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सरकारों तथा अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके यहां सहकारी समितियों के माध्यम से आदिवासियों को शराब बेचने की कोई पद्धति अथवा व्यवस्था नहीं है। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

2. भारत सरकार के गृह मन्त्रालय सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को सलाह दी है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह आदिवासियों के शोषण का स्रोत है तथा आदिवासियों को केवल अपने सामाजिक एव घरेलू प्रयोजनों के लिए ही शराब निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। अत: राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों में अलकोहल-युक्त शराब की वाणिज्यिक बिक्री पर प्रतिबन्ध हों, बेशक राज्य ने अन्य भागों से प्रतिबन्ध उठा लिया हो। शराब की वाणिज्यिक बिक्री समाप्त करने के लिए आदेश जारी करते समय देशी शराब तथा अन्य प्रकार की शराब में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए।

3. "सहकारी समिति" राज्य का विषय है और सहकारी क्षेत्र द्वारा शराब अर्क की बिक्री (यदि कोई हो) सम्बन्द्ध राज्य सरकारों द्वारा विनियमित की जानी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार अधिक से अधिक केवल मार्गदर्शन तथा सलाह ही दे सकती है।

किराये पर ली गई विदेशी मत्स्य नौकाएं

1643. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इस समय भारतीय सामुद्रिक सीमा में वास्तव में मछलियां पकड़ने का कार्य कर रही किराये पर ली गई विदेशी मत्स्य-नौकाओं की संख्या कितनी है और उनका मूल देश सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने किराये पर ली गई इन मत्स्य नौकाओं को प्रायोजित किया है;

(ग) विदेश मत्स्य-नौका किराये पर ली गई सम्बन्धी नीति से क्रमश 1982, 1983 और 1984 में विदेशी मुद्रा की कितनी कमाई होने की सभावना है; और

(घ) 1982 के दौरान अब तक क्या परिणाम रहे हैं, तथा अलग-अलग भारतीय कम्पनियों द्वारा की गई कमाई का ब्योरा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : अब तक निम्नलिखित चार भारतीय कम्पनियों को सिंगापुर की कम्पनियों के माध्यम से ताईवान के 35 जलयानों को भाड़े पर लेने की अनुमित दी गयी है : -

1. मैसर्स मेट्रोपालिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई

2. मैसर्स ट्रोपिकल शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०, विशाखापटनम

3. मैसर्स वरुन मेरिन प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली

4. मैसर्स बाटल ग्लास प्रा० लि,० नई दिल्ली

रिपोर्ट दी गयी है कि 15 जलयान पहुंच गए हैं और मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया है।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना रिपोर्टों के आधार पर इन 35 जलयानों से सालाना 29,745 लाख अमरीकी डालर की निवल विदेशी मुद्रा को आमदनी होने का अनुमान लगाया गया था —

(घ) मैसर्स मेट्रोपालिटन ट्रेडिंग कम्पनी ने 1982 में अब तक 125,561,82 अमरीकी डालर निवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने की रिपोर्ट दी है। अन्य कम्पनियों ने हाल ही मे मछली पकड़ना आरम्भ किया है।

दूध के उत्पादन में कमी

1644. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दूध के उत्पादन में मिली असफलता की ओर दिलाया गया है जैसा कि डा० वी० के० आर० वी० राव के लेख फूड न्यूट्रीशन एण्ड पावर्टी इन इन्डिया (पेट्रियट 14-6-) 82में कहा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों के दौरान दूध का उत्पादन न्यूनतम रहा और गुजरात में जिसे आपरेशन फल्ड एक और दो के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि दी गयी थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान और भी कम रहा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यान्वियन एजेंसियों का शीघ्र पुनर्गठन करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण बिकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अनुमानों के और (ख) उपलब्ध जानकारी और अनुमानो के अनुसार 1971-72 में दुग्ध उत्पादन 225.00लाख मीटरी टन था जो 1980-81 में बढ़कर 315 लाख मीटरी टन हो गया।

1977-78 से 1979-80 के दुग्ध उत्पादन के अस्थायी अनुमान निम्न सारणी में दिये गये हैं :–

वर्ष	लाख मीटरी टन
1977-78	283.5
1978-79	291-00
1979-80	302.00
1980-81	315.00

यद्यपि देश में दुग्ध उत्पादन में समग्ररूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि बढ़ती हुई मांग के बराबर उत्पादन नहीं हुआ। गुजरात में वर्ष 1977 से 1980 के लिये अनुमानित दुग्ध उत्पादन नीचे दिया गया है जो समेकित नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है :

(हजार टन में)

वर्ष	गाय का दूध	भैंस का दूध	बकरी का दूध	कुल
1977-78	604	1382	202	2188
1978-79	606	1391	168	2165
1979-80	583	1392	140	2115

उपरोक्त से यह पता चलता है कि गाय और भैंस के दुग्ध उत्पादन में धीरे-धीरे कोई कमी नहीं हुई है। गाय वाले प्रमुख क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गाय के दूध में मामूली सी कमी हुई।

(ग) डेरी विकास/आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। परियोजना के समग्र निष्पादन सम्बन्धी प्रबोधन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी कार्यक्रम की समीक्षा की है।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के भवन में दरार

1645. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के भवन में एक बड़ी दरार पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दरार के पूरे विशाल भवन पर प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के भवन में दरारें पड़ गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रभावित भाग की मरम्मत करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में हरिजनों के लिए मकानों का निर्माण

1646. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों और जिलों के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में मकान बनाकर उन्हें हरिजनो को आबटित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकान कब तक आबटित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार उनको झूटे आश्वासन दे रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टाईप 2,3,4, के क्वार्टरों का निर्माण

1647. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे श्रेणी-चार के क्वार्टरों की संख्या बहुत कम है और श्रेणी-तीन और दो के क्वार्टरों के निर्माण के मुकाबले श्रेणी-चार के क्वार्टरों का निर्माण बहुत कम होता है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान श्रेणी दो, श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के कितने क्वार्टरों का निर्माण हुआ और इस स य प्रत्येक श्रेणी के कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ; और

(ग) श्रेणी-चार के और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में विद्यमान टाइप-4 (डी) के क्वार्टरों की संख्या और ऐसे क्वार्टरों के निर्माण के लिए कार्यक्रम टाइप-2 (बी) और टाइप 3 (सी) की अपेक्षा कम है परन्तु टाइप-4 (डी) क्वार्टरों की कुल मांग टाइप-2 (बी) और टाइप-3 (सी) की अपेक्षा भी कम है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संशोधनों की कमी के कारण इस समय टाइप-4 (डी) के और अधिक मकानों का निर्माण करना सम्भव नहीं हैं।

विवरण

क्रम संख्या	टाइप	बनाए गए क्वार्टरों की संख्या					1-4-82 को
		77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 (बी)	245	606	614	1:06	3.0	2946
2	3 (सी)	118	476	186	3046	1733	4647
3	4 (डी)	—	—	62	—	56	16

राष्ट्रीय उद्यानों में आदमखोर

1648. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय उद्यानों, विशेषकर सुन्दरबन, कोरबेट नेशनल पार्क तथा दूधिया नेशनल पार्क में आदमखोरों का आतंक बढ़ गया है ;

(ख) इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना फिर से तैयार की जायेगी ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उद्यान में बाघों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) बाघ परियोजना इस समस्या से अवगत है और इस संकट को दूर करने के लिए

उपाय किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए परियोजना को नया रूप देने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	सुन्दरवन	कारबेट	दुधवा
1979	51	—	2
19›0	50	—	4
1981	2›	—	3
1982 (जनवरी से जून तक)	23	1	2

उड़ीसा में तूफान से प्रभावित सिंचाई परियोजना

16 19. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन मध्यम अथवा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा संख्या क्या हैं जो 3 जून, 1982 को राज्य में आए तूफान से प्रभावित हुई है ;

(ख) उड़ीसा की उन सिंचाई परियोजनाओं को कितनी हानि हुई हैं ;

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत और निर्माण के लिए अब तक क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 7 वृहद सिंचाई परियोजनाएं, नामशः महानदी डेल्टा, महानदी सालन्दी सिंचाई, आनन्दपुर बराज, हीराकुड बांध, बैतरणी नहर प्रणाली, कानुपुर और 13 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, अर्थात सालिया ,बुधबुधियानी, दानुका, कुंआरिया, रमियाला, दाररा घाटी, ओनली, बरजांग, रेमल, कन्झारी, सुनेई, कालो तथा खरके, 3 जून, 1982 को आए चक्रवात से प्रभावित हुई थी।

(ख) नहरों के किनारों में 4254 दरारें आई, 2 नहर लाकों को क्षति पहुंची;

3 नहर लाक कपाटों को क्षति पहुंची, और 203,19 किलो मीटर लम्बे नहरों के मरम्मत कार्य को क्षति पहुंची।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खरीफ फसल हेतु जल की सप्लाई करने के लिए क्षतिग्रस्त खण्डों में दरारों को अस्थायी रूप से पाट दिया गया है। चक्रवात से पूर्व की स्थितियों तक पूर्ण मरम्मत कार्य खरीफ की फसलें काटने के बाद करने का कार्यक्रम बनाया गया है। क्षतिग्रस्त खण्डों में लवणीय तटबन्धों में आई 415 दरारों में से 113 दरारें पाट दी गई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आगामी बाढ़ मौसम से पहले दरारों को पाटने और नहर से जल की सप्लाई पुनः शुरू करने के लिए तात्कालिक उपाय हाथ में लिए गए हैं।

जम्मू और काश्मीर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थायें

1650. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित की गई संस्थायें कौन सी हैं ; और

(ख) क्या इन संस्थाओं का विकास करने के लिये जम्मू और काश्मीर सरकार से सहयोग मिल रहा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की है ;

संस्थान के केन्द्र	अनुसंधान संस्थान/केन्द्र	स्थान
भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	मानसबाल
केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	अनुसंधान केन्द्र	हरवान श्रीनगर
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	क्षेत्रीय केन्द्र	श्रीनगर

उपर्युक्त संस्थानों के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के निम्नलिखित केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है :—

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का नाम	केन्द्र के स्थान
चावल	खुडवानी, श्रीनगर
गेहूं	श्रीनगर

1	2
दालें	जम्मू
मक्का	श्रीनगर
चुकन्दर	श्रीनगर
सोयाबीन	श्रीनगर
आलू	पहलगांव
सब्जियां	श्रीनगर
फल विकास	शालीमार
फसली कीटों का जैविक नियन्त्रण	श्रीनगर
बारानी कृषि	धानीसार (सम्बा)
जल प्रबन्ध	जम्मू
सस्य विज्ञान अनुसंधान	रणबीर सिंह पूरा (जम्मू) बागतीशेरू (श्रीनगर)
राष्ट्रीय प्रदर्शन	बारामुल्ला राजौरी
बकरियां	लेह (लद्दाख)
खुरपका और मुंहपका रोग का महामारी विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन	जम्मू

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

उचित दर की दुकानों में वृद्धि

1651. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष उचित दर की दुकानों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष 1982-83 के दौरान देश में उचित दर की 50,000 और दुकानें खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार, वे इस वर्ष 300 नई उचित दर की दुकानें खोलने का विचार कर रहे हैं।

कृषकों को घासपातनाशी औषधियों की खरीद के लिए दी गई राज सहायता

1652. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों को घासपातनाशी औषधियों की खरीद के लिए कोई राज सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) "स्थानीमरिक क्षेत्रों में खरपतवार नियन्त्रण सहित कृषि महत्व के कीटों एवं रोगों के नियन्त्रण और उन्मूलन" से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गेहूं की फसल से सम्बन्धित फालारिस माइनर और एवेना फातुआ के नियन्त्रण के लिए खरपतवार नाशी की लागत पर 25 प्रतिशत तक राजसहायता दी जा रही है। तथापि, यह राज सहायता सम्बन्धित राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाती है। संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत की सम्पूर्ण राजसहायता भारत द्वारा वहन की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन लिए एक विशेष परियोजना के अन्तर्गत प्रति हैक्टार 200/- रुपये की दर से खरपतवार नाशियों की लागत पर भी राजसंघ को प्रदान कर रही है तथा गहन पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन और मेस्ता पर खरपतवार के नियन्त्रण के लिए प्रति हैक्टार 200/- रुपये तक राजसहायता प्रदान की जाती है।

भारत गेहूं के उत्पादन के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का पूर्वानुमान

1655. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने "फूड आउटलुक" में सूचित किया है कि इस वर्ष भारतीय गेहूं का कुल उत्पादन पहले के गेहूं उत्पादन के लगाए गए अनुमान की तुलना में लगभग 10 लाख टन कम हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य तथा कृषि संगठन के इस पूर्वानुमान के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा किए गए दावे के अनुसार गेहूं की वसूली सर्वाधिक है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की वसूली आशा से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक गेहूं की कितनी वसूली हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। आशा है कि 1981-82 में गेहूं का उत्पादन 360 लाख मीटरी टन होगा। जबकि पहले यह अनुमान था कि गेहूं का उत्पादन 375 लाख मीटरी टन होगा।

(ग) सरकार द्वारा विपणन मौसम 1982-83 के लिए गेहूं की वसूली का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 16 जुलाई, 1982 तक लगभग 75·7 लाख मीटरी टन गेहू वसूल किया जा चुका है जबकि पिछले मौसम की उसी अवधि मे 64.2 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया गया था। वर्तमान विपणन मौसम मार्च, 1983 तक चलता रहेगा और गेहूं की वसूली अभी भी की जा रही है। अब तक 80 लाख मीटरी टन गेहूं की अधिकतम वसूली की गई है, यह वसूली 1979-80 विपणन मौसम में की गई थी।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, राज्य में 14-7-1982 तक 13·4 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया गया था जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख तक 14·1 लाख मीटरी टन गेहू वसूल किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को आबंटन

1654. श्री बी० वी० देसाई : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 90 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह धनराशि पहले से आवंटित उस 1900 करोड़ रुपये के वर्तमान परिव्यय के अतिरिक्त है, जिसे इस योजना के लिए वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि समतुल्य राशि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस उपर्युक्त राशि में से विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न प्रतिशतता निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से किस सीमा तक रोजगार के अवसर पैदा करने की आशा की जाती है, और चालू वर्ष के दौरान किस सीमा तक इसमें सलफता मिली है?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बजट में वर्ष 1982-83 के लिए 190 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है न कि 1900 करोड़ रुपये का। प्रथम दो तिमासियों के लिए 190 करोड़ रुपये चालू वर्ष के लिए कार्यक्रम हेतु समग्र प्रावधान का भाग है और यह इससे अलग नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) व (ङ) जी नहीं। सामाजिक वानिकी के लिए संसाधन का 18 प्रतिशत और केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्यों के लिए अन्य 10 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए गए हैं।

(च) चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 से 400 मिलियम श्रम दिनों का रोजगार सृजित किए जाने की सम्भावना है। चालू वर्ष के लिए अभी तक प्राप्त रिपोर्टों से केवल 208.89 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने का पता लगा है।

छात्र ससद

1655. आर० एन० राकेश : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्र संसद आयोजित करने के लिए स्कूलों का चयन करने के लिए मानदण्ड क्या है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान छात्र संसद के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चुने गए थे: और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान छात्र-संसद कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) वर्ष 1962 में बम्बई में हुए चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश पर वर्ष 1966-67 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कृत्रिम संसद योजना प्रारम्भ की गई थी। तत्पश्चात् आठवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिपर इस योजना का नाम "युवा संसद योजना" के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों से परामर्श के पश्चात् इस योजना में भाग लेने वाले विद्यालयों को प्रायोजित करना है।

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान हुई युवा ससद प्रतियोगिता के लिए शिक्षा निदेशालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 53 विद्यालय प्रायोजित किए गए और केवल 46 विद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिमा लिया। इन 46 विद्यालयों में से 7 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से थें ; और

(ग) युवा संसद प्रयियोगिता आयोजित करने के लिए प्रासगिक व्यय विद्यालयों के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। किफायत करने के लिए विद्यालयों को युवा संसद सायोजित करने के लिए विद्यालय का हाल व फर्नीचर आदि उपयोग में लाने के लिए सलाह दी जाती है।

संसदीय कार्य विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह के समय ट्राफी, पुरस्कार आदि खरीदने और विद्यार्थियों तथा अतिथियों को जलपान कराने एवं विविध खर्चों पर, रु० 16,100 की धनराशि खर्च की दई थी।

सरकारी आवास का आबंटन

1656. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणीवार ऐसे कुल कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है अर्थात् जो 31 मार्च, 1962 को अथवा इससे पूर्व भर्ती किए गये थे लेकिन उन्हें अद्यतन किसी सरकारी आवास की पेशकश नहीं की गई है। आवास आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को 20 वर्ष की नियमित सेवा से पूर्व अथवा पूरी होने पर सरकारी आवास मिल सके।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार ने पहले ही सामान्य पूल के लिए क्वार्टरों का निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम चलाया हुआ है। इन क्वार्टरों के बन जाने पर कर्मचारियों की प्रतीक्षा अवधि में कुछ हद तक कमी हो जायेगी।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा डिजाइन किए गए कम लागत वाले मकानों का निर्माण

1657. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा डिजाइन किये गए कम लागत वाले ग्रामीण मकान निर्मित किये गये हैं;

(ख) सभी राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत कब तक शामिल कर लिया जायेगा;

(ग) कम लागत वाले ग्रामीण मकानों के आबंटन का मापदण्ड क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है कि यह आबंटन केवल पात्र और अधिकृत व्यक्तियों को ही किया जाने हो इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठन ने अपने ग्रामीण आवास स्कंधों के माध्यम से 14 राज्यों तथा 5

संघ राज्यों नामतः असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, दमन तथा द्वीप मिजोरम तथा पाण्डिचेरी में 10 से 20 मकानों के कम लागत के प्रदर्शन एकक स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त, 3 और राज्यों नामतः अन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा केरल में कम लागत प्रदर्शन मकानों के क्लस्टर बनाये जा रहे हैं जिनके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। ये केवल प्रदर्शन परियोजनाएं हैं तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के डिजाइनों को अपनाना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है। क्योंकि यह एक प्रगति परक कार्यक्रम है, यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही सभी राज्य राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के कम लागत डिजाइनों से लाभ उठायेंगे।

(ग) तथा (घ) आवास राज्य का विषय होने के कारण मकानों का निर्माण तथा आबन्टन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें मकानों के आबन्टन के अपने स्वयं के मापदण्ड निश्चित करती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबन्टन पात्र व्यक्तियों को किया जाता है, आबन्टियों को प्रायः विभिन्न आय वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और किसी विशेष आय वर्ग के लिए बनाए गए मकानों को सामान्यतः आय मापदण्ड के अनुसार आबन्टित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश को सिंचाई योजनाओं के लिए नियत की गई/नियत की जाने वाली धनराशि

1656. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को उसकी सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई/उपयोग में लाई गई तथा तथा केन्द्रीय सहायता किन-किन योजनाओं पर दी गई; और

(ख) आगामी दो वर्षों के लिए क्या योजना है?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय तथा उन पर किया गया व्यय नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	परिव्यय/व्यय	बृहत तथा मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	जोड़
1979-80	परिव्यय	155.00	36.00	191.00
	व्यय	158.78	42.69	201.47
1980-81	परिव्यय	168.00	53.00	221.00
	व्यय	186.58	51.49	238.07
1981-82	परिव्यय	173.80	53.90	227.70
	व्यय	178.00	57.52 प्रत्याशित	235.52

उत्तर प्रदेश सहित, किसी भी राज्य को इन वर्षों के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी।

(ख) 1982-83 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित परिव्यय 253.50 करोड़ रुपये (बृहत् तथा मध्यम सिंचाई के लिए 204.02 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई के लिए 49.54 करोड़ रुपये) है। वर्ष 1983-84 के लिए परिव्यय को यथा समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक आवास योजना को लागू करना

1659. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी सामाजिक योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं में से उत्तर प्रदेश आजकल 6 सामाजिक आवास योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में बाढ़ द्वारा हुई क्षति

1660. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के सप्ताहों में विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कारण जान और माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अपनाये गए राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यत: राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को आपातिक व्यय पूरा करने हेतु सीमान्त धनराशि दी गई हैं। हाल के सप्ताहों में बाढ़ों से प्रभावित राज्यों के पास उपलब्धत सीमान्त धनराशि नीचे दी गई हैं :—

राज्य का नाम	लाख रुपए
आन्ध्र प्रदेश	458
असम	346
कर्नाटक	200
उड़ीसा	871

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम तथा कर्नाटक राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने साधनोपाय पेशगी के रूप में 5 करोड़ रुपये; कृषि आदानों के लिए अतिरिक्त अल्प-कालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये; 3000 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में धान की सामुदायिक नर्सरियां उगाने के लिए 45 लाख रुपये तथा समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री ने उड़ीसा को 5 लाख रुपए तथा कर्नाटक को 3 लाख रुपए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से निर्मुक्त किए।

विवरण

विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कारण जान और माल की हुई क्षति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्रभावित समस्यागत क्षेत्र लाख हैक्टार	प्रभावित जनसंख्या	पूरी तरह तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान	मृत मानव	मारे गए पशु	सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति (मरम्मत तथा पुन: स्थापना की लागत)
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	सूचित नहीं किया गया है	सूचित नहीं किया गया है	987	11	13	447.00
असम	0.09	1.50	202	1	1	सूचित नहीं किया गया है
कर्नाटक	सूचित नहीं किया गया है	—	714	18	—	24·00
उड़ीसा	1.05	73·23 लाख	8·18 लाख	245	11468	9600.00

पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश का क्रियान्वयन

1661. श्री के० ए० स्वामी क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम बांध के क्रियान्वयन के अनुमानित समय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्य शायद पोलावरण परियोजना, चरण-I (सोपान-I) के कार्यान्वयन के कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं।

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों को दृष्टि में रखकर इस परियोजना की संशोधित रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हो जाने और योजना आयोग द्वारा उसे तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति और अनुमोदित किए जाने के बाद ही, इस परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ किया जा सकता है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने छठीयोजना के अपने प्रस्तावों में इस परियोजना को शामिल कर लिया है।

विशाखापटनम में अपने विदेशी चार्टर ट्रालरों को ठहराने के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुमति देना

1662. श्री के० ए० स्वामी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भारतीय कम्पनियों को विशाखापटनम में अपने विदेशी चार्टरों ट्रालरों को ठहराने की अनुमति दी गई है;

(ख) भारतीय ट्रालरों के लिए भी घाट पर लगाने की कम जगह को देखते हुए इनके 'बर्थिंग' और 'बंकरिंग' के लिए क्या वैकल्पित प्रबन्ध दिए गए हैं;

(ग) इन विदेशी चार्टर ट्रालरों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय पत्तनों पर कार्यरत इन विदेशी चार्टर ट्रालरों में से जिसने भी अपने द्वारा पकड़ी गई मछली के बारे में सूचना दी है तो उसके द्वारा पकड़ी गई मछली की किस्मों तथा मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जारी किए गए अनुमति पत्र के अनुसार केवल एक कम्पनी, अर्थात मैसर्स ट्रोपिकल शिपिंग

कम्पनी प्रा० लि०, विशाखापटनम, को ही 1981 में घोषित नई चार्टर नीति अन्तर्गत विशाखापटनम में चार्टर किए गए जलयान को ठहराने की अनुमति दी गई है।

(ख) लदान बन्दरगाहों के बाहरी घाटों पर वैकल्पिक स्थान सुलभ है।

(ग) किराए पर लिए गए मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है।

(घ) दिसम्बर, 1981 में जून, 1982 तक की अवधि के लिए मैसर्स मैट्रोपालिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर एक विवरण संलग्न है। 1981 में घोषित चार्टर नीति के अन्तर्गत जलयानों का संचालन करने वाली अन्य कम्पनियों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी हैं।

विवरण

किस्म	मात्रा (मीटरी टनों में)
1. प्रान	0·930
2. पामफ्रेट्स	11·530
3. स्क्विड्स/कटल फिश	99·220
4. ईल्स	4·260
5. स्नैपर्स	2·880
6. रिबन फिश	55·050
7. क्रोकर्स	19·080
8. इण्डियन सलमान	14·340
9. स्पेनिश मेकरल	12·670
10. थ्रेड फिन	4·710
11. लाबस्टर	0·440
12. अन्य	495·968
कुल	711·038

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार

1663. **श्री सूरज भान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में काम के बदले अनाज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कितने लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़े और स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाई गई और इनका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) कितने नियोजित व्यक्तियों को दीर्घविधि स्थाई या निरन्तर रोजगार मिला ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में राज्यवार किया गया व्यय तथा सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। इन तीन वर्षों में राज्यवार भौतिक परिसम्पत्तियों को अलग से दर्शाने वाले विवरण 2 से 4 भी संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4281/82]

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं जब वे कहीं भी लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकने में असमर्थ हों। इसलिए दीर्घावधि स्थायी और निरंतर रोजगार के सृजन का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के निलम्बन आदेशों को वापस लेना

1664. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री जगरांव (लुधियाना) में आन्ध्र प्रदेश के सनतनगर के लिए लादे गए रेलवे वैगनों में गेहूं और चावल की मात्रा में कमी हो जाने के बारे में ,0 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, जगरांव से सनतनगर (आंध्र प्रदेश) और शोलापुर (महाराष्ट्र) के लिए गेहूं की कम मात्रा भेजने के लिए जिम्मेदार दस अधिकारियों को, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक निलम्बित किया गया था और फिर उनके निलम्बित आदेशों को रद्द किया गया था और इन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा वापस ले लिया गया है;

(ख) क्या एक अधिकारी को छोड़कर सभी अधिकारियों को एक ही जिले में रखा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ए० एम० (डिपो) के खिलाफ बहुत सी शिकायतें मिली हैं और इसे सम्बन्धित अधिकारी को अधिक महत्वपूर्ण पद दिया गया है; यदि हां तो प्रत्येक शिकायत का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कम गेहूं भेजने के मामले में सम्बद्ध इन दस अधिकारियों को प्रदेश से बाहर न भेजने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) इन अधिकारियों के बारे में पहले जारी किए गए निलंबन आदेशों को बाद में वापस ले लिया गया था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने उनके निरन्तर निलम्बन को अब और आवश्यक नहीं समझा था। इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रमुख पेनल्टियों के लिए शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है।

(ख) उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही की दृष्टि में, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था और उसी जिले के अन्दर अन्य स्थानों पर उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया था जिसके लिए उनकी प्रायः उपस्थिति भी आवश्यक होगी।

(ग) सबंधित सहायक प्रबंधक (डिपो) के विरुद्ध पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच की जा रही है। उनका जगरांव से पटियाला जिले के सरहिन्द मंडी में स्थानान्तरण कर दिया गया है जो कि खासकर सम्वेदनशील स्थान नहीं।

(घ) पंजाब क्षेत्र के कार्यभार और उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निगम ने उनका सामूहिक रूप से क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझा है।

दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में पानी की सप्लाई

1665. **श्री भीखा भाई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में कालका जी, चितरंजन पार्क, मदनगीर और चिराग दिल्ली जैसी अनेक बस्तियों के लिए पानी सप्लाई लाइन जारी नही रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बस्तियों को पानी की सप्लाई लाइन को नियमित रूप से बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कालोनी को की गई पानी की सप्लाई दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी;

(घ) क्या सरकार ने पानी की सप्लाई सुधारने का कोई प्रयत्न किया है; और

(ङ) क्या सरकार ने पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए किसी ऊपरि टंकी, पानी एकत्र करने की टंकी का निर्माण कराया है अथवा कोई अन्य साधन तैयार किया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि अलग अलग कालोनियों को सप्लाई किए गए जल का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखिति 4 कालोनियों को जलपूर्ति की लगभग मात्रा निम्न प्रकार होगी :—

(1) चितरंजन पार्क	0.6 एम० जी० डी० (मिलियन गैलन प्रतिदिन)
(2) कालका जी	0.6 एम० जी० डी०
(3) मदनगिर	0.2 एम० जी० डी०
(4) चिराग दिल्ली	0.3 एम० जी० डी०

(घ) तथा (ङ.) इस संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में स्थापित किया जाने वाला 100 एम० जी० डी० का जल शोधन संयन्त्र और नए खोदे गए बरसाती कुएं मूल रूप से दक्षिण दिल्ली और शाहदरा के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। संस्थान ने आगे बताया है कि शाहदरा के 100 एम० जी० डी० के जल शोधन संयन्त्र से दक्षिण दिल्ली को जल के वितरण के लिए एक योजना बनाई गई है और निष्पादनाधीन है। इस योजना में कैलाश में भूमिगत टैंकों और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य पम्पिंग लाइने बिछाने का कार्य शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत, मदनगीर, दक्षिणपुरी तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे निकटवर्ती सांस्थानिक क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों के लिए जलपूर्ति की वृद्धि के लिए एक ऊपरि टंकी के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता सूत्र

1666. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतन का 1 जनवरी, 1973 के बाद से संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जहां तक वेतन समझौते, की लागत और मंहगाई भत्ते के नमूने का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय उर्वरक निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जैसे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में व्यापक असमानताए हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को कम लाभांशों का प्रस्ताव करने के कारण क्या हैं और इस महगाई भत्ता सूत्र सबंधी बातचीत की नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम मामूली अन्तर के साथ केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों और मंहगाई भत्ते के पैटर्न, जोकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में सरकार द्वारा तैयार किया गया था, का अनुसरण कर रहा है, तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों और फ्रिंज-लाभों में 1.1.1973 अर्थात् जिस तारीख से वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया था, से संशोधन किया गया था। उसके बाद केन्द्रीय सरकार और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे और केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते के पेटर्न के साथ बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के साथ बीतचीत द्वारा वेतन के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है।

(घ) निगम की कुछेक स्टाफ यूनियनों, जिन्होंने वेतनमानों में संशोधन करने की मांग की है, ने औद्योगिक मंहगाई भत्ते के पैटर्न को स्वीकार करने की अपनी उत्सुकता दिखाई है। उनकी मांग निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन हैं और उनके साथ यह पता लगाने के लिए बातचीत की जा रही है कि क्या कर्मचारी औद्योगिक मंहगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने के लिए उत्सुक भी होंगे।

उनके मन्त्रालय के अधीन उपक्रमों के निदेशक मण्डल पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का नामांकन

1667. **श्री भीखा भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें उनके निदेशक मण्डलों में गैर-सरकार निदेशक अंशकालिक निदेशकों का नामांकन किया जाना है: —

(ख) इन बोर्डों का गठन किस तारीख से किया गया है और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों के निदेशक मंडलों में गैर सरकारी निदेशक। अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामांकन के दौरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों : कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है', और

(घ) क्या सभी सरकारी उपक्रमों तथा उनकी उप-कम्पनियों को आवश्यक आदेश जारी किए जायेंगे कि इन उपक्रमों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक। अंशकालिक निदेशक के रूप में अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक व्यक्ति का नामांकन किया जाना चाहिए ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) मेरे मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहे तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित, (2) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा (3) आवास तथ नगर विकास निगम सीमित हैं। उनके निदेशकों के विद्यमान बोर्डों का गठन निम्न तारीखों को हुआ था :—

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित	—	दिसम्बर, 1980
हिन्दुस्थानप्रीफैब लिमिटेड	—	अप्रैल, 1980
आवास तथा नगर विकास निगम सीमित	—	मार्च, 1981

उनके कार्यक्रम की अवधिक्रमशः (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित) दिसम्बर, 1982 में, (हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड) अप्रैल, 1983 और (आवास तथा नगर विकास निगम) दिसम्बर, 1983 में समाप्त होगी।

(ग) तथा (घ) सरकार की नीति सार्वजनिक उद्यमों के बोर्डों में जाति, पन्थ, समुदाय व धर्म पर विचार किए बिना उन सदस्यों के नियुक्त करने की है जो प्रमाणित योग्यता रखते हों और जिनकी उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, व्यापार संघ आदि से सार्वजनिक क्षेत्र में आस्था हो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्णकालिक का अन्शकालिक निदेशकों के पदों का कोई आरक्षण नहीं है। चूंकि निदेशकों के बोर्ड का गठन प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को हिदायतें जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यमुना बिहार में पीने के लिए ट्यूबवैल का पानी

1668. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी यमुना बिहार में पीने के लिए नलकूप के पानी का सुझाव दिया जा रहा है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसे न पीने योग्य घोषित किया था,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 1982 के अन्त तक इस कालोनी को गंगा का पानी सप्लाई किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सूचित किया है कि सप्लाई किए जा रहे पानी की दिल्ली परीक्षण गृह/ दिल्ली नगर निगम प्रयोगशाला से परीक्षण करा दिया गया है और इसे मानव उपभोग लिए उचित करार दिया गया है। इस प्रधिकरण ने आगे बताया है कि क्लोरिनेटरों की व्यवस्था कर दी गई है और शेष बची क्लोरीन की मात्रा इत्यादि के लिए आवधिक रूप से परीक्षण किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि शाहदरा में निर्माणाधीन 100 एम० जी० डी० का जल शोधन संयत्र मूलरूप से शाहदरा तथा दक्षिण दिल्ली में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इस संयत्र को 1983 में चालू किया जाना है। तथापि इस संयत्र के प्रथम चरण को पहले चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या

1679. **श्री जैनल बशर :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकासमन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। अब बाद वाला कार्यक्रम ही चल रहा है। वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमदिनों में सृजित रोजगार की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(7-7-1982 की स्थिति)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान सृजित रोजगार की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख श्रम दिन)

क्रम संख्या राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1981-82	अवधि, जिससे सूचना संबंधित है ।
1. आन्ध्र प्रदेश	503.55	मार्च, 1982
2. असम	53.20	मार्च, 1982
3. बिहार	58.32	दिसम्बर, 1981
4. गुजरात	56.55	मार्च, 1981
5. हरियाणा	24.35	दिसम्बर, 1981
6. हिमाचल प्रदेश	12.38	मार्च, 1982
7. जम्मू और काश्मीर	11.00	मार्च, 1982
8. कर्नाटक	233.94	मार्च, 1982
9. केरल	128.32	मार्च 1982
10. मध्य प्रदेश	357.68	मार्च, 1982
11. महाराष्ट्र	468.00	मार्च, 1982
12. मणिपुर	0.20	मार्च, 1982
13. मेघालय	शून्य	मार्च, 1982
14. नागालैंड	शून्य	
15. उड़ीसा	115.86	मार्च, 1982
16. पंजाब	33.48	मार्च, 1982
17. राजस्थान	95.48	मार्च, 1982
18. सिक्किम	1.00	मार्च, 1982

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	746.80	मार्च, 1982
20.	त्रिपुरा	14.90	मार्च, 1982
21.	उत्तर प्रदेश	2?0.75	मार्च, 1982
22.	पश्चिमी बंगाल	1?5.38	मार्च, 1982
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2.02	मार्च, 1982
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.07	मार्च, 1982
25.	मिजोरम	शून्य	सितम्बर, 1981
26.	पाण्डिचेरी	0.24	मार्च, 1982
	योग :	3343.47	

विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत ट्यूबवैलों की राज्यवार संख्या

1670. **श्री ज़ैनुल बशर :** क्या सिंचाई यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत 31 मार्च, 1982 तक राज्यवार कितने ट्यूबवैल स्वीकृत किए गए हैं ;

(ख) इनमें से अब तक कुल कितने ट्यूबवैल लगाए जा चुके हैं, और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य-वार कितने और ट्यूबवैल स्वीकृत करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विश्व बैंक सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य में अप्रैल, 1980 से सीधी सिंचाई वाले 500 सरकारी नलकूपों के प्रतिष्ठापन के लिए केवल एक परियोजना आरम्भ की गई है ।

(ख) प्रगति के बारे में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च, 1982 तक 277 नलकूपों ऊर्जित कर दिए गए हैं ।

(ग) इस परियोजना का चरण-दो, जिसमें 1982-83 मे प्रारम्भ करके पाँच वर्ष की अवधि के दौरा 2?0 अतिरिक्त नलकूपों का प्रतिष्ठापन शामिल है, विचाराधीन है । चरण-दो में 1982-83 में प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नलकूपों की अनन्तिम संख्या केवल ?0 है ।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की देवकली पम्प नहर और जमानिया पम्प नहर योजनाओं के लिए दी गई सहायता

16 1. श्री जैनुल बशर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की देवकली पम्प नहर और जमानिया पम्प नहर योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता राशि नियत की है;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी राशि दी जा चुकी है ;

(ग) क्या कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) माननीय सदस्य सम्भवतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को लाभ पहुंचाने वाली जमानिया पम्प नहर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि केन्द्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार जामरियान पम्प नहर स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है।

सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन तथा उनका वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समग्र राज्य के लिए दी जाती है और यह विकास के किसी सेक्टर अथवा परियोजना के साथ जुड़ी नहीं होती है। इन स्कीमों की केन्द्र द्वारा मानीटरिंग नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा अब तक किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	1981-82 तक हुआ स्थल व्यय
देवकाली पम्प नहर	14.29	13.89
जमानिया पम्प नहर	10.89	4.28

"एमब्रियो ट्रान्सफर टेकनीक" को अपनाया जाना

1672. श्री भीकू राम जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमब्रियों ट्रान्सफर टेकनीक ("अनेक पश्चिमी देशों में खेती के

पशुओं की संख्या बढ़ाने" संकटग्रस्त नस्लों को नष्ट होने से बचाने तथा जंगली जानवरों की तदाद बढ़ाने का सफल प्रयोग किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नई तकनीक का प्रयोग करने, विकास करने और अपनाने का है ताकि अनेक दुर्लभ जानवरों की नस्लों को नष्ट होने से पहले बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। कुछ उन्नत देशों में फार्म पशुओं की संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण की अपेक्षा उसमें शीघ्रता से अधिक अनुवंशिक सुधार लाने के लिए "एम्ब्राय ट्रान्सफर टेक्नीक" उपयोग में लायी जा रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) भारत में, एम्ब्राय ट्रान्सफर को प्रौद्योगिकी में पूर्णता लाने के लिए कुछ परीक्षणों में प्रगति जारी हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र को भी भारत-अमेरिका कृषि उप-आयोग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग से अनुसंधान को हाथ में लेने के लिए चुना गया है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाथ में ली जाने वाली जीव-प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित प्रयोजना में समावेश हेतु यह मद भी एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय कृषि अनुसधान परिषद पशु आनुवंशिक संसाधन का एक ब्यूरो स्थापित कर रही है। जोकि इस तरह से सरक्षण और पशुओं तथा मुर्गियों की कुछ नस्लों के और आगे संवर्धन के लिए विकसित की गयी तकनीकों का उपयोग करेगा जहां-पर इनकी संख्या तेजी से घट रही है।

वनों की कटाई

1673. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारम्बार बाढ़ों, भू-कटाव, नदियों में गाद जम जाने के बावजूद वनों की कटाई का कार्य पेड़ लगाने अथवा उनकी पुनःस्थापना की तुलना में अधिक गति से और तेजी से किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट और दृढ़ नीति निर्धारित की है और क्या यह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वनों की कार्यप्रणाली जिसके संरक्षण और प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सीधे राज्य सरकारो के

हाथ में होता है, वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई कार्यकारी योजनाओं में निर्धारित विशिष्टताओं पर आधारित होती है। वृक्षों की कटाई की जाती है जो मुद्रा प्रबन्ध तथा उससे सम्बन्धित पहलुओं, जिसमें काटे गए वृक्षों के स्थान पर पुन:रोपण करना भी शामिल है, पर पर्याप्त विचार करने के पश्चात उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। योजना में उजड़े वनों को पुन: स्थापित करना भी सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) वनों में प्रबन्ध में सरकार द्वारा परिस्थिति की संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार की यह भी नीति है कि उसके प्रभावों पर पूर्ण विचार किये बिना वन भूमि को वन स्तर प्रयोजनों के लिए बदलने की अनुमति न दी जाय। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों हेतु बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। जहां परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाता है, वहां राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ एवं मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजती है।

मछली पकड़ने के उत्पादन को प्रोत्साहन

1674. श्री के० कुन्हम्बु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमजोर वर्ग के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने के बेड़ों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या बड़ी संख्या में मछली पकड़ने का व्यवसाय अपनाने वाले व्यक्तियों मदद करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई भावी योजना है तो उसका क्या ब्योरा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारत सरकार भारतीय शिपयार्ड को राजसहायता के रूप में जलयान की लागत का 33 प्रतिशत देती है। द्विपक्षीय सहायता के तहत गोआ शिपयार्ड को, विशेषकर, मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए मजबूत बनाया गया है। सरकार देश में निर्मित जलयानों की लागत का 95 प्रतिशत सरल शर्तों पर ऋण के रूप देती है, जिसकी अदायगी 15 वार्षिक किस्तों में करनी होती है, जिसमें एक वर्ष की विलम्बन अवधि भी शामिल है। कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र लघु जलयानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मोटरों और डीजल पर छूट देने की योजना को कार्यान्वित कर रही है। समुद्रतटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परम्परागत मछुओं के लाभ के लिए उन्हें यन्त्रीकृत मत्स्यन कार्य शुरू करने के लिए मछुआ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन उपायों से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने तथा मत्स्यन उद्योग में प्रवेश लेने के लिए नये उद्यमियों का पर्याप्त रूप में आकर्षित होने की सम्भावना है।

छठी योजना अवधि के अन्त तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 350 जलयानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आवास समस्या के हल के लिए विदेशी सहयोग

1675. श्री के० कुन्हम्बु : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम का विचार हमारी आवास समस्या के हल के लिए विदेशी सहयोग आमन्त्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके माध्यम से आवास समस्या किस प्रकार हल की जाएगी; और

(ग) इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) एक निजी क्षेत्र का संगठन, आवास विकास वित्त निगम (एच०डी०एफ०सी०) अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अभिकरण (यू०एस०ए०आई०डी०) के आवास प्रतिभू कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य पूंजी बाजार से निधियां उधार लेने इच्छुक है।

(ख) यह धन जब उपलब्ध हो जायेगा इससे आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०) के आवास के लिए धन देने के अभियान में वृद्धि होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मकानों के निर्माण के लिए मकान बनाने वाली गैर-सरकारी एजेन्सियों का सहयोग लिया जाना

1976. श्री के० कुन्हम्बु : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने पर जनता के लिए मकान बनाने हेतु मकान बनाने वाली गैर-सरकारी एजेन्सियों को प्रोत्साहन देगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयास पर आने वाले खर्च विशेष रूप से ऐसे कार्यों की लाभप्रप्रदत्ता का मूल्यांकन किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का है ये निर्माणकारी कम्पनियां किरायेदारों का शोषण न करे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) बड़े पैमाने पर आम लोगों के लिए मकान बनाने हेतु गैर-सरकारी निर्माण कम्पनियों को सीधे ही प्रोत्साहन देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने निजी आवास को प्रोत्साहन देने पर विचार करने और उसके लिए उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ साथ आवास में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, भू-विकास एवं स्थलों तथा सेवा योजनाओं पर अधिक बल देने तथा सामूहिक आवास को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी समितियों को पूर्वनिर्धारित दरों पर भूमि उदिष्ट करने की सिफारिश की है।

(ख) तथा (ग, प्रश्न ही नहीं उठता।

रबी और खरीफ फसलों की वसूली और समर्थन मूल्य

1677. **श्री दौलत राम सारण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली खरीफ और रबी की किन-किन फसलों के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी और प्रत्येक फसल के लिए घोषित किया गया मूल्य क्या है; और

(ख) समर्थन मूल्य पर राज्यवार और फसलवार कितनी मात्रा खरीदी गई है और इन फससों का राज्यवार बाजार मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 के लिए जिन खरीफ एवं रबी की फसलों के समर्थ गूल्य घोषित किए थे उनके नाम तथा मूल्य विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) समर्थन मूल्यों पर विभिन्न कृषि जिन्सों की खरीद के राज्यवार आंकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं। इन जिन्सों के राज्यवार मण्डी मूल्य विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1981-82 फसल के लिए कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य
	धान्य
	खरीफ
धान (सामान्य)	11.500
मोटे धान्य	119.00

1	2
(ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी)	
	रबी
गेहूं (सभी किस्में)	142.00
	वाणिज्यिक फसलें
	खरीफ
कच्ची पटसन	
असम के पटसन का डब्ल्यू-5 ग्रेड	175.00
छिलके वाली मूंगफली	270.00
सोयाबीन (काला)	210.00
सोयाबीन (पीला)	230.00
सूरजमुखी के बीज (एफ० ए० क्यू०)	250.00
तम्बाकू (बी० एफ० सी० एफ०-2)	
(रुपए प्रति किलोग्राम)	8.50 (हल्की मिट्टी में पैदा की जाती है)
,, ,,	8.00 (काली मिट्टी में पैदा की जाती है)
गन्ना	13.00*

* ये मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध हैं। इसके साथ-साथ उस स्तर से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम है।

विवरण-2

विभिन्न जिन्सों की राज्यवार खरीद

(हजार मीटर टन)

राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	खरीफ				कुल खरीफ	रबी (15-7-82 तक)
	चावल (चावल के रूप में धान सहित)	ज्वार	मक्का	रागी		
	धान्य					
आन्ध्र प्रदेश	1076	—	—	—	1076	—
असम	44	—	—	—	44	—

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	48	—	—	—	48	1
गुजरात	19	—	—	—	19	—
हरियाणा	881	—	—	—	881	1258
जम्मू और कश्मीर	53	—	—	—	53	16
कर्नाटक	131	1	1	4	137	—
मध्य प्रदेश	365	55	1	—	421	30
महाराष्ट्र	25	124	—	—	149	—
उड़ीसा	113	—	—	—	113	—
पंजाब	3087	—	—	—	3087	4756
राजस्थान	35	—	—	—	35	133
तमिलनाडु	522	—	—	—	522	—
उत्तर प्रदेश	689	—	—	—	689	1328
पश्चिम बंगाल	43	—	—	—	43	—
अन्य	8	—	1	—	9	8
योग	7139	180	3	4	7326	7530

वैकुम पैन सुगर फैक्टरियों द्वारा 31-5-1982 तक राज्यवार पेरे गये गन्ने

(अनन्तिम)

राज्य	पेरा गया गन्ना (अनन्तिम) लाख मीटरी टन
उत्तर प्रदेश	211.40
बिहार	37.57
पश्चिम बंगाल	1.14

1	2
असम	1.45
हरियाणा	19.26
पंजाब	14.38
राजस्थान	2.30
मध्य प्रदेश	6.45
उड़ीसा	2.60
महाराष्ट्र	271.87
गुजरात	51.76
कर्नाटक	57.15
केरल	2.02
आन्ध्र प्रदेश	63.14
तमिलनाडु	6[illegible].95
पांडीचेरी	2.56
नागालैंड	0.73
गोवा	1.20
अखिल भारत	815.93

वाणिज्यिक फसलें*

(180 किलोग्राम की हज़ार गाठें)

पटसन

असम	246
बिहार	269
उड़ीसा	82
त्रिपुरा	51

आन्ध्र प्रदेश	40
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1017
कुल (फरवरी 1982 तक)	1759

विवरण-3

विभिन्न कृषि जिन्सों के थोक मण्डी मूल्य का स्तर

(रुपये प्रति क्विटल)

राज्य	थोक मूल्यों का स्तर
(धान्य 13-14 जुलाई 1982)	
धान	
1. आन्ध्र प्रदेश	148.75-160.00
2. असम	180.00-195.00
3. बिहार	172.00-222.00
4. गुजरात	150.00
5. कर्नाटक	165.00-170.00
6. केरल	170-00-195.00
7. मध्य प्रदेश	145.00-150.00
8. महाराष्ट्र	155.00
9. उड़ीसा	130.00-160.00
10. पंजाब	140.00
11. तमिलनाडु	135.00-166.67
12. उत्तर प्रदेश	130.00
13. पश्चिम बंगाल	180.00-210.00
14. पांडिचेरी	151.70

1	2
ज्वार	
आन्ध्र प्रदेश	116.00-150.00
गुजरात	150.00-185.00
कर्नाटक	120.00-175.00
मध्य प्रदेश	125.00-142.00
महाराष्ट्र	150.00-257.50
राजस्थान	125.90-165.00
तमिलनाडु	128.00-146.46
उत्तर प्रदेश	116.00-146.00
पश्चिम बंगाल	150.00
दिल्ली	142.00
बाजरा	
आन्ध्र प्रदेश	116.00-135.00
गुजरात	148.00-165.00
कर्नाटक	116.00-140.00
महाराष्ट्र	126.00-222.50
पंजाब	190.00
राजस्थान	160.00-170.00
तमिलनाडु	117.18-130.00
उत्तर प्रदेश	162.00
दिल्ली	172.00
मक्का	
आन्ध्र प्रदेश	148.75-160.00
बिहार	158.00-185.00

गुजरात	184.00
हिमाचल प्रदेश	150.00
कर्नाटक	150.00
मध्य प्रदेश	165.00
पंजाब	135.00-192.00
राजस्थान	165.00-180.00
उत्तर प्रदेश	145.00-155.00
गेहूं	
हरियाणा	142.00-196.00
हिमाचल प्रदेश	142.00
महाराष्ट्र	190.00-350.00
पंजाब	142.00-170.00
राजस्थान	142.00-248.00
उत्तर प्रदेश	142.00-170.00
चण्डीगढ़	142.00-186.00
दिल्ली	142.00-300.00

वाणिज्यिक फसलें (2/9 जुलाई, 82)

छिलके वाली मूंगफली

आन्ध्र प्रदेश (नानडियाल)	415.00
गुजरात (राजकोट)	398.75
मध्य प्रदेश (खण्डवा)	425.00
महाराष्ट्र (सोल्हापुर)	430.00
कर्नाटक (रायचुर)	406.00
पंजाल (लुधियाना)	310.00
तमिलनाडु (पोल्लाक्ची)	400.00
उत्तर प्रदेश (कानपुर)	388.00

सोयाबीन (खाद्य एवं कृषि संगठन)

मध्य प्रदेश (देवास)	324.00
उत्तर प्रदेश (हल्द्वानी)	320 00

सूरजमुखी (खाद्य एवं कृषि संगठन)

कर्नाटक (रायचूर)	470.00
महाराष्ट्र (खाम गांव)	390.00

वी० एफ० सी० तम्बाकू (7/5/82)

आन्ध्र प्रदेश

खम्तूर (पत्ते जो दुबारा नहीं सुखाए गए)

2वी	800/950
6वी	600/800
8वी	550/750

पटसन

पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	डब्ल्यू-5	255
असम (नवगांव)	”	190 (25/6)
बिहार (पुरनीया)	”	190 (18/6)
उड़ीसा (कन्डूपत्तना)	”	220

गन्ना

रु० प्रति क्विंटल

राज्य	1981-82 में फैक्टरिया द्वारा दिया गया वास्तविक मूल्य
उत्तर प्रदेश	20.50-21.50
बिहार	20.50
पंजाब	23.00-26.00
हरियाणा	22.00

1	2
असम	19.50-20.00
पश्चिम बंगाल	16.00-23.00
उड़ीसा	14.22-20.00
मध्य प्रदेश	20.00-21.00
राजस्थान	21.00-25.00
महाराष्ट्र	17.00-22.00
गुजरात	10.00-20.00
आन्ध्र प्रदेश	16.00-23.07
तमिलनाडु	13.00-18.05
कर्नाटक	17.50-21.68
केरल	15.00-17.00
पाण्डिचेरी	16.69
नागालैण्ड	19.50
गोवा	13.50

* परिवहन सम्बन्धी राजसहायता को छोड़कर ।

राजस्थान में चना और सरसों की वसूली के लिए अपर्याप्त व्यवस्था

1678. **श्री दौलत राम सारण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान के राजगढ़ और तारानगर तहसील केन्द्रों, जो बड़ी मंडियाँ हैं, में चने और सरसों की खरीद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बाध्य होकर अपने समर्थन मूल्य की तुलना में बहुत कम मूल्यों पर अपने चने बेचने पड़ते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : देश में चना और सरसों के बाजार मूल्यों के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन जिन्सों के लिए समर्थन मूल्य तथा इनकी खरीद शुरू करने की घोषणा करना आवश्यक नहीं समझा ।

काला बाजारी पर नियन्त्रण करने हेतु राज्यों को निदेश

1679. **श्री दौलत राम सारण :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या उन्होंने वितरण के लिए दी गई अनिवार्य वस्तुओं की काला बाजारी रोकने हेतु राज्यों को निदेश दिए हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) राज्य सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध हों और व्यापारियों के बीच पाये जाने वाले असामाजिक तत्व जमाखोरी, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी करके उनका शोषण न करें। चूंकि इस बारे में कार्रवाई लगातार की जाती रही है, इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। राज्य सरकारों से समय-समय पर मिलने वाली रिपोर्टों से पता चलता है कि वे इन कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई करती रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 1982-83 के दौरान धनराशि का आबंटन

1680. **श्री नीरेन घोष :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1982-83 के लिए कुल आबंटन क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए क्या आबंटन किया गया है तथा तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए अभी तक राज्य-वार कितनी राशि रिलीज की जा चुकी है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 190.00 करोड़ रुपये की धनराशि सुलभ की गई है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा दी जानी है।

(ख) चालू वर्ष की दो तिमाहियों के लिए आबंटन किए जा चुके हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) निधियों के बंटन अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के मामले

में ही किए गए हैं। उन्हें बंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	—	948.00 लाख रुपये
तमिलनाडु	—	740.00 लाख रुपये

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए अनन्तिम आवंटन को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1. आन्ध्र प्रदेश	948.00
2. असम	200.00
3. बिहार	1210.00
4. गुजरात	280.00
5. हरियाणा	80.00
6. हिमाचल प्रदेश	60.00
7. जम्मू व कश्मीर	80.00
8. कर्नाटक	414.00
9. केरल	402.00
10. मध्य प्रदेश	660.00
11. महाराष्ट्र	710.00
12. मणिपुर	10.00
13. मेघालय	10.00
14. नागालैण्ड	10.00
15. उड़ीसा	410.00
16. पंजाब	126.00

1	2	3
17.	सिक्किम	8.00
18.	राजस्थान	234.00
19.	तमिलनाडु	740.00
20.	त्रिपुरा	30.00
21.	उत्तर प्रदेश	1670.00
22.	पश्चिम बंगाल	674.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	16.00) बराबर
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00)के अंश-
25.	मिजोरम	16.00) दान
26.	पांडिचेरी	16.00) सहित
27.	चण्डीगढ़	4.00
	योग :	9034.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1681. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितवण प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में अनिवार्य वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण की वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ग) राज्यों में इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कौन सी अनिवार्य वस्तुएं वितरित की जाती है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों की किस प्रकार सहायता करती है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ)

इस समय लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से कई आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है और ये वस्तुएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर की दुकानों और इस प्रणाली के अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पूर्वनिर्धारित मूल्यों पर वितरण के लिए दी जाती है। ये वस्तुएं है : गेहूं, चावल, चीनी आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और कन्ट्रोल का कपड़ा। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात की छूट है कि वे आम खपत की अन्य वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर लें और कई राज्यों में ऐसी अतिरिक्त वस्तुएं वितरित की जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का राज्य-वार ब्यौरा इस उत्तर के विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उन केन्द्रीय एजेंसियों, जिन्हें आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के निकट सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक वितरण सबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना भी की गई है और इसकी पहली बैठक अप्रैल, 1982 में हुई। नए बीस सूत्री कार्यक्रम में अधिक उचित दर की दुकानें खोलकर जिनमें दूर-दराज के इलाकों में चल दुकानें खोलना और औद्योगिक श्रमिकों, छात्रावासों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें खोलना भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने की परिकल्पना की गयी है। चालू वर्ष 1982-83 के दौरान ही 50,000 अतिरिक्त दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय समय पर पत्र भेजे गए हैं कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए अन्य उचित कदम उठाए।

विवरण

उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जा रही वस्तुओं का राज्य-वार ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य का नाम	उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुयें
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल, गेहूं, पामोलीन, ताड़ का तेल, मिट्टी का तेल और चीनी
2.	असम	चावल, गेहूं उत्पाद, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नियन्त्रित कपड़ा, कापियां। इसके अलावा चाय, दियासलाइयां, साबुन आदि सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं।

1	2	3
3.	बिहार	गेहूं, गेहूं उत्पाद, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल, नियन्त्रित कपड़ा, कापियां ।
4.	गुजरात	गेहूं, चावल, चीनी, मोटा अनाज, खाद्य तेल, नियन्त्रित कपड़ा ।
5.	हरियाणा	गेहूं, आटा, चीनी, चावल और मिट्टी का तेल । इसके अलावा वनस्पति, नियन्त्रित कपड़ा दियासलाइयां, साबुन (नहाने और कपड़े धोने का) टायर ट्यूबें, दालें, सोडाराख, कापियां, बैटरी सैल, चाय और नमक सहकारी समितियों/भंडारों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं ।
6.	हिमाचल प्रदेश	गेहूं, आटा, चावल, खाद्य तेल, चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, कापियां, दालें और नमक ।
7.	जम्मू व कश्मीर	चावल, गेहूं, आटा, मिट्टी का तेल और चीनी बहुविभागी बिक्री केन्द्रों तथा प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से सप्लाई की जाती हैं । ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का तेल, लेवी चीनी नियन्त्रित कपड़ा, रैपसीड तेल सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सप्लाई किये जाते हैं। शहरों में रैपसीड तेल और वनस्पति सहकारी एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है ।
8.	कर्नाटक	एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। चीनी, चावल, गेहूं, सूजी, माइलो, रागी, पामोलीन तेल, मिट्टी का तेल और ज्वार ।
9.	केरल	चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, पामोलीन, चाय और गेहूं उत्पाद ।
10.	मध्य प्रदेश	गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कपड़ा, चाय, दियासलाइयां और साबुन ।

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	चावल, गेहूं, ज्वार खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल।
12.	मणिपुर	चावल, चीनी, आटा, मिट्टी का तेल, नमक। आयातित खाद्य तेल सरकार द्वारा नामित डीलरों के माध्यम से।
13.	मेघालय	चावल, चीनी, नमक, गेहूं उत्पाद, रेपसीड तेल और आर० बी० डी० ताड़ का तेल।
14.	नागालैंड	चीनी, नमक, चावल और गेहूं उत्पाद।
15.	उड़ीसा	चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल। इसके अलावा नियन्त्रित कपड़ा और आयातित खाद्य तेल उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
16.	पंजाब	चीनी, गेहूं, आटा, चावल, मिट्टी का तेल और आर० बी० डी० ताड़ का तेल।
1[illegible].	राजस्थान	गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, नियन्त्रित कपड़ा।
18.	सिक्किम	चावल, गेहूं, गेहूं, उत्पाद, चीनी, ताड़ का तेल, परिष्कृत रेपसीड तेल।
19.	तमिलनाडु	चावल, गेहूं, गेहूं उत्पाद, चीनी, मिट्टी का तेल तथा पामोलीन। इसके अलावा हल्दी, जीरा, सरसों का तेल, सोंफ, काली मिर्च, लहसुन, मेथी, गुड़, नमक, काफी, चाय, दालें, खाद्य तेल, साबुन, फेस पाउडर, शिशु आहार, ब्लेड, शुष्क सेल, दियासलाइयां, निरोध, विक्स, अमृतांजन, सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण उचित दर दुकानों द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं।

1	2	3
20.	त्रिपुरा	नमक, चीनी, चावल, गेहूं, आटा, नियन्त्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, दालें और सरसों का तेल।
21.	उत्तर प्रदेश	गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल।
22.	पश्चिम बंगाल	चावल, गेहूं, गेहूं उत्पाद, चीनी, दालें, चाय, नहाने का साबुन, लांड्री सोफाहुन, नमक, मिट्टी का तेल, एच० एस० डी०, खाद्य तेल (आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा रेपसीड तेल) साफ्ट कोक, सीमेंट, दियासलाइयां, कापियां, मोमबत्तियां, मसाले, नियंत्रित जनता कपड़ा—19 वस्तुएं।
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय, काफी, दियासलाइयां, मिट्टी का तेल, साबुन (कपड़े धोने व नहाने का) मैदा, सूजी, आलू, प्याज, कपड़े और मसाले।
24.	अरुणाचल प्रदेश	चावल, आटा, चीनी, मिट्टी का तेल और नमक।
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	चीनी, चावल, आटा, मिट्टी का तेल। आयातित खाद्य तेल उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
26.	दादरा व नागर हवेली	चीनी, गेहूं, चावल और कपड़ा।
27.	दिल्ली	गेहूं, परिणामी आटा, मैदा, सूजी, चीनी, चावल, आर० बी० डी० ताड़ का तेल, रेपसीड तेल, मोमबत्तियां। मिट्टी का तेल, सीमेंट और कंट्रोल का कपड़ा अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

1	2	3
28.	गोआ, दमण व दीव	चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और नियन्त्रित कपड़ा ।
29.	लक्षद्वीप समूह	चावल, गेहूं, नियन्त्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, साबुन खाद्य तेल, चीनी, नमक, टायर/ट्यूबें, चना, दाल और लाल मिर्च, सीमेंट, डीजल और पेट्रोल, सफेद कागज, चाय, काफी, सस्ता कपड़ा । खाद्य तेल, शिशु आहार, शुष्क सेल केवल सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं ।
30.	मिजोरम	चावल, चीनी, गेहूं, खाद्य तेल, नमक और मिट्टी का तेल ।
31.	पांडिचेरी	चावल, गेहूं, मैदा, सूजी, चीनी, पामोलीन और मिट्टी का तेल ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ग्रामीण जनता और संगठनों का सम्बद्ध न होना

1682. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे ग्रामीण विकास की प्रमुख कमी यह है कि कार्यक्रम की संरचना और इसके कार्यान्वयन से ग्रामीण जनता और उनके संगठन वस्तुतः जुड़े नहीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यक्रम की यह कमी दूर करने हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास के केन्द्र द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में ग्रामीण लोगों तथा उनके संगठनों को प्रत्येक स्तर पर सहयोजित किया जाता है । जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण महिलाओं जैसे

कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा, इस निकाय में लोगों के चुने प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्यों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों तथा जिला परिषदों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। नीचे के स्तर पर ग्राम सभाओं तथा अन्य स्थानीय-संस्थाओं को इन कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन जिसमें लाभभोगियों का चयन भी शामिल है, में घनिष्ट रूप से सहयोजित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सुधारों का धीमा कार्यान्वयन

1683. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति राज्यों में उत्साह नहीं है;

(ग) क्या राज्यों पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे भूमि-सुधारों को युद्ध-स्तर पर शुरू करें; और

(घ) अब तक कितनी भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया, उसका अधिग्रहण और वितरण किया गया और उसमें से कितनी भूमि के लिए मुकदमेबाजी चल रही है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित भूमि	40,05,169 एकड़
(ख) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में ली भूमि	26,96,656 एकड़

(ग) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित भूमि	18,79,019 एकड़
(घ) मुकदमेबाजी के अधीन भूमि	12,03,951 एकड़

नवम भारतीय सहकारिता कांग्रेस

1684. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के इस आह्वान का, कि सहकारिता आन्दोलन अपनी भूमिका में विविधता लाए, इस आन्दोलन पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है;

(ग) अप्रैल, 1982 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में हुए नवम भारतीय सहकारिता कांग्रेस में किन प्रस्तावों को पास किया गया; और

(घ) उनके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) नौवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस, उद्घाटन प्रधान मन्त्री द्वारा 26-4-1982 को किया गया था, में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें राज्य और केन्द्रीय सरकारों सहित सहकारिता आन्दोलन के विभिन्न क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विदेश से क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल थे। कांग्रेस में भाग लेने वालों ने सहकारी आन्दोलन के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया सन्देश पहुंचाया और उनसे सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा समतावादी समाज बनाने के लिए मूल-स्तर पर सहकारी समितियों भूमिका और कार्यकलापों में और विविधता लाने को कहा।

1. प्रधान मन्त्री द्वारा सहकारी समितियों को किए गए आह्वान से देश के सहकारी आन्दोलन पर निश्चित रूप से स्थाई प्रभाव पड़ेगा तथा सहकारिता आन्दोलन, जिसके अन्तर्गत विभिन्न किस्म की 3 लाख से अधिक सहकारी समितियां आती हैं, की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

2. "सहकारी कांग्रेस का मुख्य विषय" आत्म-निर्भर सहकारी आन्दोलन की ओर तथा "सहकारी समितियों और नया 20 सूत्री कार्यक्रम" था। इन विषयों पर सहकारी कांग्रेस के संकल्प क्रमशः विवरण-1 और 2 में सलग्न हैं। सहकारिता के अतिरिक्त, कांग्रेस ने दीर्घकालीन ऋण सहित सहकारी कृषि ऋण, कृषि उत्पादक के विपणन, परि-

संस्करण और भण्डारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता सहकारी समितियों की भूमिका, शहरी ऋण सहकारी समितियां कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियां, और सहकारी शिक्षा और नेतृत्व विकास जैसे क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन के कार्यक्रमों और समस्याओं पर चर्चा की।

3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने राज्य सरकारों से सम्बन्धित संकल्पों का पता लगाया और उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की कार्यकारी समिति द्वारा संकल्पों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और संकल्पों पर अनुवर्ती कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सहकारी विभागों और संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करने हेतु देश पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों की बैठक बुलाने का भी विचार है, ताकि संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए उठाए गये कदमों के बारे में उनको जानकारी दी जा सके।

विवरण-1

"आत्मनिर्भरता सहकारी आन्दोलन और" नामक शीर्षक पर नौवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का संकल्प।

1. कांग्रेस का यह मत है कि सहकारी सगठनों के लिए आत्मनिर्भरता एक आवश्यक तत्व है। इस आन्दोलन का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं की सैद्धान्तिक तथा कार्यात्मक दोनों प्रकार की आन्तरिक शक्ति को बनाए रखना और उसे मजबूत करना है, ताकि समाज के विकास के लिए सहकारी सगठनों को स्व-प्रबन्धित, स्व-नियमित और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस सन्दर्भ में, सहकारी आन्दोलन को राज-सहायता के महत्व को समझते हुए कांग्रेस का यह विचार है कि सहकारी समितियों को इस प्रकार की सहायता अपनी स्थितियों को देखते हुए लेनी चाहिए।

2. कांग्रेस यह समझती है कि सरकार के स्तर पर सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प 1977 के अनुच्छेद 5 को कार्यान्वित करने के लिए सुझाए गए उपाय प्रभावी क्रम से अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। अतः कांग्रेस सरकार को इस बात पर बल देती है कि वह सहकारी कानून में से उन विभिन्न प्रतिबन्धात्मक उपबन्धों को निकाल दे, जो सहकारी आन्दोलन की आत्मनिर्भरता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

3. कांग्रेस इस बात पर बल देती है कि आन्दोलन में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास केवल पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस देश के सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन और प्रत्येक सहकारी संस्था से अनुरोध करती है कि वे अपने

स्तर पर आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए दीर्घावधि विकास योजना तैयार करें। इसका आगे विचार है कि इस दिशा में क्षेत्रीय संघों को पहल करनी चाहिए और उन्हें अपने समस्त क्षेत्र के लिए दीर्घावधि विकास योजना तैयार करनी चाहिए और वे इसमें इस बात का उल्लेख करें कि उनके सहायक संगठनों की भूमिका क्या है। इस प्रकार की विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहकारी आन्दोलन में से ही संसाधनों को जुटाने के प्रयास किए जाएं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की सिफारिश है कि क्षेत्रीय संघों को अपने स्तर पर एक सहकारिता विकास कोष का निर्माण करना चाहिए और इन संघों को इस कोष में अपने कार्यों से होने वाली आय को कुछ प्रतिशत देना चाहिए।

4. कांग्रेस का विचार है कि सहकारी आंदोलन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। अतः कांग्रेस यह सिफारिश करती है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राज्य सहकारी संघों और जिला सहकारी संघों जैसे प्रोत्साहनात्मक संगठनों को आन्दोलन को व्यापक समर्थन देने के लिए गहन प्रचार और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने चाहिए। इसके अलावा, व्यापक सदस्यता के उद्भव के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।

5. कांग्रेस इस बात पर जोर देती है कि आत्म विनियम आत्मनिर्भरता का रहस्य है। इसलिए कांग्रेस इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारी समितियों के गैर-सरकारी करण के लिए एक कार्यकारी कार्यक्रम तैयार करें, ताकि पंजीयकों की उन शक्तियों का पता लगाया जा सके, जिन्हें सहकारी समितियों अथवा उनके ही संघीय निकायों को हस्तान्तरित किया जा सकता है। राज्य सरकारों को तदनुसार सहकारी कानून में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

कांग्रेस यह नोट करती है कि सहकारी विका की विभिन्न योजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 914.23 करोड़ रुपये है (केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय 360.15 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र का परिव्यय 5484.08 करोड़ रुपये) इससे सहकारी समितियों की आधार पूंजी को मजबूत बनाने और उनके कारोबार को उच्चस्तर पर लाने तथा उनको सेवाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करने में उनकी सहायता करना है। इसे प्राप्त करने लिए कांग्रेस सहकारी संस्थाओं की प्रबन्धकीय और कार्यात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाने के महत्व पर अधिक बल देती है। इसलिए कांग्रेस सिफारिश करती है कि सहकारी आन्दोलन और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों, स्तरों पर सहकारी समितिों कयी प्रबन्धकीय कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएं, ताकि छठी-पचवर्षीय योजना में सहकारी विकास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

विवरण-2

"सहकारिता और नया 20 सूत्री कार्यक्रम" के विषय पर नौवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का संकलन

1. कांग्रेस आम आदमी के विकास के लिए अवसर प्रदान करने के युग का प्रारम्भ करने वाले राष्ट्र को समर्पित नए 20 सूत्री कार्यक्रम की सराहना करती है। यह कांग्रेस समुचित रूप से कार्यक्रम का समर्थन करती है तथा प्रधान मन्त्री को इस बात का आश्वासन देती है कि देश का सहकारी आन्दोलन नये 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

2. कांग्रेस नये 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा तैयार किए कार्यकारी कार्यक्रम का समर्थन करती है और विभिन्न स्तरों पर सब सहकारी संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे स्थानीय स्थितियों के आधार पर अपनी एक कार्यकारी कार्यक्रम बनाएं।

3. संगठन और कुल मिलाकर समाज के विकास के लिए उत्पादकता के महत्व को देखते हुए कांग्रेस देश की समस्त सहकारी संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे ऐसे खर्चों को कम करके जिनसे बचा जा सकता है, अपनी संगठनात्मक उत्पादकता में सुधार लाएं अपनी क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग करें और अपने सहयोगी संस्थाओं की प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार करें।

4. कांग्रेस भारतीय सहकारी संघ और राज्य सहकारी संघों से अनुरोध करती है कि वे 20 सूत्री कार्यक्रम और उससे सहकारी समितियों की उपलब्धियों के बारे में व्यापक प्रचार शुरू करें।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मिन्टो रोड स्थित मकानों पर अनधिकृत कब्जा

1685. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को मिन्टो रोड, नई दिल्ली स्थित मकान दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनधिकृत कब्जे में होने तथा आपातकाल के दौरान तुर्कमान गेट क्षेत्र से निकाले गए लोगों को आबंटन करने के लिए क्षेत्र में बनाए गए 400 से अधिक मकानों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 4.75 लाख रुपये की लाइसेन्स फीस अदा करने से इन्कार करने की हालत में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कुछ भी कार्यवाही न करने की स्थित में हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त मकानों का आबंटन उन लोगों को किया जाय जिनकी स्थिति को सुधारने के लिए उनका निर्माण किया गया था और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) मिन्टो रोड क्षेत्र में 23 स्टाफ क्वार्टर जिन्हें पुनर्विकास/पुनर्निर्माण के लिए गिराना था, दिल्ली पुलिस के कब्जे में हैं और उन्हें खाली करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं तुर्कमान गेट के बेदखलकारों को अस्थायी तौर से बसाने के लिए मिन्टो रोड क्षेत्र के 94 क्वार्टरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था। इन क्वार्टरों की लाइसेन्स फीस के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण से 4.45 लाख रुपये की मांग की गई थी, उन्होंने सूचित किया है कि इन क्वार्टरों के जिन आबंटियों ने राशि का भुगतान करना था उन्होंने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में तुर्कमान गेट में 175 टेनामेन्टों का आबंटन किया है और आबंटी शनैःशनैः केन्द्रीय सरकारी क्वार्टरों को खाली कर रहे हैं। जैसे ही क्वार्टर खाली होंगे, उन्हें पात्र-सरकारी कर्मचारियों को आबंटन करने के लिए सामान्य पूल में ले लिया जाएगा।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में प्रचार के विज्ञापन पट्ट

1686. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों में प्रचार हेतु बड़े-बड़े आकार के विज्ञापन पट्टों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् ओबराय होटल, सफदर जंग फ्लाईओवर तथा आई० एन० ए० मार्किट के सामने आदि स्थानों पर अनेक अनधिकृत विज्ञापन पट्ट लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विज्ञापन पट्टों को हटाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा ग्रामीण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि ये सभी विज्ञापन न्यायालय द्वारा पालिका के विरुद्ध जारी किए गए रोकादेशों के अन्तर्गत हैं। नई दिल्ली नगर पालिका इन रोकादेशों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

गुजरात और राजस्थान के गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था

1687. श्री मोहन लाल पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात, राजस्थान और देश के अन्य भागों में पेयजल की भारी कमी का सामना करने वाले गांवों को वर्ष 1982-83 के दौरान पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : 1982-83 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के प्रस्तावित नियतन का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1982-83 के दौरान प्रस्तावित निधियों का नितन

(लाख रुपयों में)

	एन० एन० पी० (राज्य क्षेत्र)	ए० आर० पी० (केन्द्रीय क्षेत्र)
1. आन्ध्र प्रदेश	1870	3[illegible]8.50
2. असम	810	469.00
3. बिहार	1365	559.50
4. गुजरात	1205	132.50
5. हरियाणा	1200	90.00
6. हिमाचल प्रदेश	844	90.50
7. जम्मू और कश्मीर	1100	869.50
8. कर्नाटक	153	568.00
9. केरल	741	615.50
10. मध्य प्रदेश	1235	909.00
11. महाराष्ट्र	4000	496.00
12. मणिपुर	430	89.50
13. मेघालय	400	283,00

1 2	3	4
14. नागालैंड	226	134.00
15. उड़ीसा	665	544.00
16. पंजाब	500	79.50
17. राजस्थान	1500	1947.50
18. सिक्किम	122	102.50
19. तमिलनाडु	1300	528.50
20. त्रिपुरा	230	40.00
21. उत्तर प्रदेश	3400	2115.00
22. पं० बंगाल	820	852.00
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	75	22.50
24. चण्डीगढ़	—	—
25. दिल्ली	275	—
26. दादरा और नागर हवेली	10.45	—
27. गोआ, दमण और द्वीप	67	25.50
28. लक्षद्वीप	3	—
29. अरुणाचल प्रदेश	335	58.50
30. मिजोरम	168	6.00
31. पाण्डिचेरी	22	14.00
योग	26074.45	12000.00

एम० एन० पी० न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

ए० आर० पी० त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

खाद्य तेलों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

1688. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से खाद्य तेलों के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ;

(ख) देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि तथा उनकी कमी को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है। ताकि किसी व्यक्ति के लिये न्यूनतम पोषाहार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गत तीन तेल वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1978-79	479.83
1977-80	617.18
1980-81	516.00

(ख) देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(2) सोयाबीन के संसाधन की सुविधाओं की व्यवस्था करने और आदिवासी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों के विकास और संसाधन के लिए भी दो योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(3) आधुनिक तेल कारखानों की स्थापना करने लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(4) चावल की भूमि का तेल, विशेष रूप से खाद्य ग्रेड के चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

(5) तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने की इस योजना के अलावा, उचित भण्डारण नियंत्रण आदेशों और अन्य कानूनों के प्रवर्तन के लिए संबंधित कानूनों के अन्तर्गत कई नियामक उपाय किये गये हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की उचित मूल्यों पर सप्लाई करने से बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को तेल की कुछ न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराई जा सकी है। वनस्पति उद्योग को आयातित तेलों की सप्लाई किए जाने से इस उद्योग की भारी मांग के असर से देशी तेलों का बाजार काफी हद तक मुक्त रहा है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश दिए गये हैं कि वे खाद्य तेलों तथा वनस्पति की सप्लाई बनाये रखने, उनके उपर्युक्त भण्डारण तथा उन्हें स्टाक करने के लिए विभिन्न कानूनी तथा नियामक उपायों का सख्ती से लागू करें। इन उपायों के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित कानूनों में हाल ही में संशोधन किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले और भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दरें

1989. श्री तारिक अनवर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण की किस्तों की अदायगी में विलम्ब हो जाये तो इसके द्वारा 18 प्रतिशत 24 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है ;

(ख) क्या इसकी दूसरी ओर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमा राशियों पर केवल 7 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है और वह भी नकद नहीं दिया जाता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास में स्ववित्त पोषी योजनाओं के अन्तर्गत जमा पंजीकरण राशियों पर देय ब्याज की राशि आबंटियों को पहली किस्त के लिए भेजे गये मांग पत्रों में समायोजित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य आवास और नई पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत नकद खरीद आधार पर आबंटियों से दो माह की अवधि के लिये ब्याज नहीं

लिया जाता है जबकि किराया खरीद आधार पर आबंटन किये गये आबंटियों को एक माह की अवधि के भीतर आरम्भिक जमा करवाना अपेक्षित होता है। स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत भी रियायसी एककों के आबंटियों को देय राशि जमा करवाने के लिये एक माह का समय दिया जाता है। उन दोषी व्यक्तियों से प्रथम माह में भुगतान न करने के लिए 18 प्र० श० ब्याज, दूसरे और तीसरे माह के लिये 24 प्र० श० और चौथे महीने में भी लगातार भुगतान न करने पर 36 प्र० श० ब्याज लिया जाता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पंजीकरण के लिए जमा राशि पर 7 प्र०श० की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1982 में निकाली गई लाटरी के आबंटियों की प्रथम किस्त की मांग के समय, से पंजीकरण की जमा राशि पर देय ब्याज की राशि को समायोजित नहीं किया गया था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब ब्याज निकाल लिया गया है और सम्बन्धित आबंटियों के खाते में जमा किया जा रहा है। इसने यह भी बताया है कि देय राशि को दूसरी किस्त की मांग करने पर समायोजित किया जायेगा, लेकिन यदि कोई आबंटी राशि वापस चाहता है तो इसका भुगतान अनुरोध पर ही किया जायेगा।

दिल्ली से वनस्पति घी की तस्करी

1590. **श्री तारिक अनवर :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली से वनस्पति घी पर्याप्त मात्रा में पड़ोसी राज्यों को ले जाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में वनस्पति घी की कमी बनी हुई है;

(ख) क्या ऐसा वनस्पति घी के कम उत्पादन के कारण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो वनस्पति घी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली में वनस्पति घी के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली प्रशासन ने उत्पादकों द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्र को सप्लाई करने के लिए वनस्पति का कोटा निर्धारित किया है। तदनुसार, दिल्ली में कुल मिलाकर वनस्पति घी की उपलब्धता संतोजनक रही है। तथापि, अस्थायी स्वरूप की स्थानीय कमी से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

साल्ट कोटार्स, मद्रास रेलवे माल यार्डों में पड़ा गेहूं

1691. श्री ई० बालानन्दन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपयों के मूल्य का भारी मात्रा में गेहूं भारतीय खाद्य निगम की उसे उठा पाने में असफला के कारण साल्ट कोटास (मद्रास) में रेलवे के माल यार्ड में पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस गेहूं को उठाने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रलयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) 1.7.1982 को साल्ट कोटार्स पर एक ब्लाक स्पेशल से 16,343 बोरे गेहूं उतारे गये थे और इन्हें तीन लगातार दिनों, अर्थात 2, 3 और 4 जुलाई को क्रमशः 2690,6835 और 6818 बोरे के हिसाब से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भेजा गया था। इस समय साल्ट कोटार्स में गुड्स शेड अथवा माल यार्ड में गेहूं का कोई स्टाक नहीं पड़ा हुआ है।

ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ों के कारण जान-माल की हानि और फसलों में क्षति

1692. श्री ई० बालानन्दन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र में गत पांच वर्षों के दौरान हाल की बाढ़ों सहित वर्ष-वार आई बाढ़ों के कारण कितने व्यक्ति मारे गए और कितने रुपये मूल्य की सम्पत्ति तथा फसलों की कितनी हानि हुई ;

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ों के कारण जन-जीवन की हानि, सम्पत्ति और फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मारे गये व्यक्ति (संख्या)	सम्पत्ति को हुई क्षति (लाख रुपये)	फसलों को हुई क्षति (लाख रुपये)
1977-78	57	424.33	2317.23
1978-79	2	34.14	387.70
1979-80	28	185.36	2193.46
1980-81	57	743.44	3236.58
1981-82	22	32.06	425.71

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1982-83 के दौरान 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र और 600 गांव प्रभावित हुए हैं। 30 जून तक एक व्यक्ति के मारे जाने और 10,000 हैक्टेयर फसली क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना दी गई है।

2000 ईसवी तक खाद्य सम्बन्धी जरूरतें

1693. प्रो० अजित कुमार मेहता

श्री जगपाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या वृद्धि की दर को देखते हुई 2000 ईसवी तक अनुमानित खाद्य जरूरत कितनी है और प्रत्याशित खाद्य उत्पादन तथा उपलब्धता कितनी है; और

(ख) 2000 ईसवी तक खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई अल्पावधि/दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1976 में प्रस्तुत की थी, ने विभिन्न घटकों, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, खाद्यान्नों में उत्पादन का प्रतिमान खाद्यान्नों की उपलब्धि निजी खपत खर्च में बढ़ोतरी और खाद्यान्नों के लिए मांग की व्यय लोच को ध्यान में रखकर सन् 2000 ई० तक खाद्यान्नों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया। योजना आयोग ने भी 1994-95 तक खाद्यान्नों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सन् 2000 ई० के लिए दो अनुमान लगायें हैं, जो कि 2053 लाख मीटरी टन (निम्न) और 2251 लाख मीटरी टन (उच्च) हैं। योजना आयोग ने 1994-95 में देश की खाद्यान्नों की आवश्यकता का मूल्यांकन 2050 लाख मीटरी टन किया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सन् 2000 ई० तक खाद्यान्नों का उत्पादन 2300 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना का अनुमान लगाया है।

(ख) उत्पादन नीति और कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) फसलों की खेती की उच्च सघनता प्राप्त करना ;

(2) आदनों, जैसाकि अधिक उपज देने वाले और अन्य उन्नत किस्मों के बीजों, उर्वरकों सिंचाई के लिए बिजली और डीजल की सप्लाई समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में करने की व्यवस्था करना ;

(3) कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रयासों को तीव्र करना ;

(4) सिंचित क्षेत्र का विस्तार ;

(5) मध्यवर्ती फसल और अन्तः फसल के माध्यम से उच्चावधि किस्मों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना ,

(6) संस्थागत ऋणों की अधिक सप्लाई करना ,

(7) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ।

गन्ने के रिकार्ड उत्पादन का उसके मूल्यों पर प्रभाव

1694. श्री उत्तम राठौर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों की ओर से इनकी मांग में कमी आई है ,

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इसके मूल्यों में गिरावट आई है जिससे किसानों को कठिनाई हुई है ,

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ किसानों को आगामी सीजन में कोई अन्य फसल बोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है , और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सम्भालने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्तमान चीनी मौसम (1981-82) के दौरान गन्ने का उत्पादन 1800 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि पिछले मौसम के दौरान 1500 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था । तथापि चीनी फैक्ट्रियों से गन्ने की मांग में कोई गिरावट नहीं हुई है । चीनी फैक्ट्रियों ने 1980-81 के दौरान 515 लाख मीटरी टन गन्ना उठाया था और अनुमान है कि वर्तमान मौसम के दौरान 850 लाख मीटरी टन गन्ना उठाया जाएगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और इसे पिछले मौसम की तरह चीनी वर्ष 1981-82 के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 13.00 रुपये प्रति क्विंटल के उसी स्तर पर बनाए रखा गया था । चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के वास्तव में दिए गए अथवा दिए जा रहे मूल्य भी पिछले वर्ष के स्तर के निकट है ।

(ग) फसल की पैदावार करने का चुनाव किसानों द्वारा स्वयं किया जाता है और सरकार इस सम्बन्ध में कोई जबरदस्ती नहीं करती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल की सप्लाई

1695. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने प्रतिशत समस्याग्रस्त गांवों को वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त तक सुरक्षित पेय जल की सप्लाई की गई है और प्रत्येक राज्य में ऐसे सभी गांवों को किस तारीख तक पेय जल की सप्लाई कर दी जाएगी ;

(ख) पेय जल सप्लाई योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों और कितने लोगों को (1) लाभ मिल चुका है, (2) कितनों को अभी और लाभ पहुंचाना है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार स्वरूप और ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में अर्थात वर्ष 1981-82 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पेय जलपूर्ति मुहैया करा दी गई है उनकी संख्या तथा 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के राज्य-वार ब्योरे, उसी अवधि के दौरान पेय जल पूर्ति मुहैया कराये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या तथा उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या, जिन्हें अभी पेय जलपूर्ति मुहैया कराई जानी है, के ब्योरों का विवरण-1 संलग्न है। छठी योजना अवधि के दौरान अर्थात मार्च, 1985 तक पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेय जल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

(ग) छठी योजना में इस प्रयोजन के लिए 2007.11 करोड़ रुपये का परिव्यय है जोकि पांचवीं योजना (1974-79) के 429.27 करोड़ रुपये की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक है।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय के राज्य-वार ब्योरे विवरण-2 में दिये गये हैं। ग्रामीण जलपूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) के अन्तर्गत परिव्यय के राज्य वार ब्योरे विवरण-3 में दिये गये हैं।

विवरण-1

क्रम सं० राज्य संघ राज्य क्षेत्र		1-4-80 तक बिना जलपूर्ति के ग्राम		1980-82 के दौरान पेयजल मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्राम		31-3-82 तक पेयजल मुहैया कराए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों की प्रतिशतता	जिन समस्याग्रस्त ग्रामों का अभी पेयजल मुहैया कराया जाना है।	
		संख्या	जनसंख्या (1971)	सं०	जनसंख्या (1971)		संख्या	जनसंख्या (1971)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश		8206	116:95	25195	379425 ढ	30.70	5687	79.075 ढ
2. असम		15743	85.91	2111	120843 ढ	13.41	13032	73.8257 ढ
3. बिहार		15194	114.47	5360	60966	35.28	9834	53.504
4. गुजरात		5318	38.21	1106	7.320	20.80	4212	30.890
5. हरियाणा		3440	43.63	535	7.370 ढ	15.55	2905	36.260 ढ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	11.73	2346	4.5528	30.02	5469	7.1772
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5698	22.98	625	3.225	13.30	4073	19.755
8.	कर्नाटक	15456	109.20	4969	26.358	32.15	10487	82.842
9.	केरल	1158	170.48	161	4.558 ढ	13.90	997	165.922 ढ
10.	मध्य प्रदेश	24944	111.63	1275	67.6823	51.74	12187	43.947
11.	महाराष्ट्र	12935	152.54	5 606	एन० आर०	43.34	7329	एन० ए०
12.	मणिपुर	1212	6.29	244	21693	20.13	968	4.1207
13.	मेघालय	2927	6.16	52छ	0.1653छ	1.78छ	2875छ	5.9947 छ
14.	नागालैंड	649	3.06	155 ढ	0.3186 ढ	23.88 ढ	494 ढ	2.414 ढ
15.	उड़ीसा	23616	135.41	4077	19.540ढ	17.20	19539	115.87 ढ
16.	पंजाब	1767	20.87	130	1.870	7.36	1637	19.00
17.	राजस्थान	19803	112.99	6256	19.576 ढ	31.59	13547	93.14 ढ
18.	सिक्किम	296	1.29	51 ढ	0.1594	17.23	245	1.1306
19.	तमिलनाडु	6649	144.97	1459	27.73	21.94	5190	114.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20. त्रिपुरा	2800	8.27	7[illegible]2	1.4277 ढ	27.57	2028	6.8423ढ
	21. उत्तर प्रदेश	28505	295.56	912 छ	5.5273 छ	3.20 छ	27593 छ	190.0327छ
	22. पश्चिम बंगाल	25243	242.32	2022 ज	11.0462	8.01	23221	231.2718
	23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	0.59	25	0.0843	14.45	148	0.5057
	24. अरुणाचल प्रदेश	1740	1.78	463	0,5077 ढ	26.61	1277	1.27236 छ
	25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
	26. दिल्ली	[illegible]9	1.45	62	0.941	62.63	37	0.509
	27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
	28. गोवा दमण तथा दीव	66	3.74	16	0.0663 ढ	24.24	50	3.673 ढ
	29. लक्षद्वीव	—	—	—	—	—	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8
30.	मिजोरम	214	2.57	13	0 2422	6.07	201	2.5278
31.	पांडिचेरी	118	0.67	47	0.3852 ढ	39.83	71	0.284ढ
		230784	1865.72	548͏1 ढ	324.3174 ढ	23.77	17593:ढ	1:88.8626 ढ

टिप्पणी : जनसंख्या लाख में ।

आंशिक जलपूर्ति शामिल है ।

ढ अधूरी सूचना

ढ अस्थायी आंकड़े

एन० आर० सूचित नहीं किए गए

एन० आर० उपलब्ध नहीं ।

छ 81-82 के दौरान पेयजल पूर्ति मुहैया कराए गए ग्राम शामिल नहीं हैं ।

श न्यूनतम आवश्यकया कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल के स्रोतों द्वारा पेयजल पूर्ति शामिल नहीं हैं ।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (1980-85)-निधियों का नियतन

क्रम संख्या	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	फार्मूले के अनुसार कुल नियतन (1980-85)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1891.00
2.	असम	2250.00
3.	बिहार	3062.50
4.	गुजरात	1152.50
5.	हरियाणा	963.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1200.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3375.00
8.	कर्नाटक	2457.50
9.	केरल	2722.00
10.	मध्य प्रदेश	4482.00
11.	महाराष्ट्र	2715.00
12.	मणिपुर	523.00
13.	मेघालय	1250.00
14.	नागालैंड	735.00
15.	उड़ीसा	2550.00
16.	पंजाब	458.50
17.	राजस्थान	7971.75
18.	सिक्किम	400.00
19.	तमिलनाडु	2667.00

1	2	3
20.	त्रिपुरा	319.50
21.	उत्तर प्रदेश	8378.00
22.	पश्चिम बंगाल	3600.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	94.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	247.50
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दिल्ली	23.00
27.	दादर तथा नागर हवेली	—
28.	गोआ, दमण तथा दीव	102.50
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	44.50
31.	पांडिचेरी	61.50
		55696.75

विवरण-२

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)—जलपूर्ति क्षेत्र के लिए (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) स्वीकृत परिव्यय।

	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	95.00
असम	30 00
बिहार	75.´0
गुजरात	65.00
हरियाणा	80.00

1	2
हिमाचल प्रदेश	35.00
जम्मू तथा कश्मीर	45.00
कर्नाटक	19.00
केरल	45.00
मध्य प्रदेश	60.00
महाराष्ट्र	230.00
मणिपुर	17.50
मेघालय	19.50
नागालैंड	11.75
उड़ीसा	34.00
पंजाब	68.00
राजस्थान	106.29
सिक्किम	6.00
तमिलनाडु	50.00
त्रिपुरा	12.00
उत्तर प्रदेश	220.00
पश्चिमी बंगाल	48.00
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.05
अरुणाचल प्रदेश	12.77
चण्डीगढ़	—
दादर तथा नागर हवेली	0.60
दिल्ली	7.00
गोआ दमण तथा दीव	1.70

1	2
लक्षदीप	0.13
मिजोरम	8.00
पांडिचेरी	0.82
	1407.11

सूखे तथा अकाल का सामना करने के लिए राजस्थान को ऋण/राज सहायता

1696, श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री जय नारायण रौत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखे और अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए इस वर्ष मार्च और पिछले वर्ष नवम्बर में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कितने ऋण और राज्य सहायता की मांग की है,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऋण और राज सहायता के रूप में पृथक-पृथक कितनी धनराशि दी है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में लगातार पिछले चार वर्षों से पड़ रहे सूखे और अकाल की भंयकर स्थिति को देखते हुए यह धनराशि अपर्याप्त है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अकाल और बाढ़ के लिए सहायता देने में भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाती है और अकाल की तुलना में बाढ़ कार्य के लिए अधिक सहायता देती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष (मार्च) के मानसून-पूर्व सूखे के लिए 183.42 करोड़ रुपए और 1981-82 के मानसून के बाद के सूखे के लिए नवम्बर, 1981, में 268.41 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी।

(ख) भारत सरकार ने राहत सम्बन्धी केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष के मानसून-पूर्व सूखे के लिए 37.03 करोड़ रुपए और 1981-82 (नवम्बर) के मानसून के बाद के सूखे के लिए 39.53 करोड़ रुपये के अधिकतम व्यय की स्वीकृति दी थी।

इस सहायता की मंजूरी अग्रिम योजना-सहायता के रूप में दी गई है।

(ग) जी, नहीं,। इस सहायता की राशि की मंजूरी केन्द्रीय दलों द्वारा किए गए निरीक्षण तथा राज्य स्तर के विचार-विमर्श और राहत सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गयी है।

(घ) राहत-खर्च की वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी योजना सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। सातवे वित्त आयोग ने अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत-खर्च की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए विभिन्न योजनाओं की सिफारिश की थी जो इस प्रकार है :—

सूखा

सूखें के मामले में, यदि राहत-खर्च सीमांत राशि से अधिक हो तो, राज्य सरकार को अपनी योजना में से राहत-रोजगार सुलभ कराने के लिए अंशदान देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किए जाने वाले अंशदान की मात्रा का मूल्यांकन एक केन्द्रीय दल द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी जानी चाहिए। इस अंशदान की राशि वार्षिक योजना परिव्यय के लगभग 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के इस योजना-अंशदान को उस वर्ष अतिरिक्त योजना परिव्यय माना जाना चाहिए और अग्रिम योजना सहायता द्वारा इसकी पूर्ति होनी चाहिए। अग्रिम योजना सहायता का समायोजन सूखे के बाद पांच वर्ष की अवधि में राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा से किया जाना चाहिए। यदि केन्द्रीय दलों तथा उच्च-स्तरीय समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार किसी विशेष मामले में राज्य योजना-अंशदान को हिसाब में लेने के बाद भी खर्च की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा न किया जा सके तो आधे अतिरिक्त खर्च को अनुदान के रूप में और आधे को ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाना चाहिए।

बाढ़, समुद्री तूफान तथा इसी प्रकार की अन्य आपदाएं

सीमांत राशि के अलावा कुल खर्च के 75 प्रतिशत तक गैर योजना-अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है जिसका समायोजन राज्य की योजना अथवा राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि से नहीं किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के कुली संघ द्वारा धरना

1697. श्री विजय कुमार यादव क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तराज्यीय बस टर्मिनल कुली संघ ने एक धरना आयोजित

किया था और वे अपनी मांगों को लेकर 15 मई, 1982 से अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, कश्मीरी-गेट, दिल्ली पर भूख हड़ताल पर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा है और इस मामले में कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के कुलियों की यूनियन ने 15-5-82 से 22,6,82 तक अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल में एक धरना दिया था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनकी मुख्य मांग केन्टीन को चलाने हेतु स्थान के लिए थी। इसने आगे बताया है कि इस प्रयोजन के लिये उन्हें स्थान दे दिया गया है।

बिहार के भोजपुर जिले में सन्देश पम्पिंग योजना

1698. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भोजपुर जिले में संदेश ब्लाक के अन्तर्गत संदेह पम्पिंग योजना केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा में लंबित पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह स्कीम केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जुलाई, 1980 में बिहार सरकार को लौटा दी गई थी, क्योंकि उपयोग सोन नदी के जल के उपयोग में बिहार के नियत हिस्से से अधिक है।

बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश को हानि

1699. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1981 में बाढ़ के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मुआवजे और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पिछले वर्ष विनाशकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबन्धों /बांधों का मरम्मत कार्य पूरा हो गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गए रिपोर्टों के आधार पर, 1981 के दौरान बाढ़ क्षति के ब्योरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार ने बाद राहत, पुनर्वास और 1981-82 के दौरान बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी निर्माण-कार्यों की तथा पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को गैर-योजना केन्द्रीय सहायता के लिए 45,4567 करोड़ रुपये की सीमा तक की स्वीकृति दी थी।

(ग) राज्य सरकार ने परवर्ती बाढ़ों से क्षेत्रों की शीघ्रतापूर्वक सुरक्षा करने के लिए आवश्यक मरम्मतों और तटबन्धों/बांधों तथा अन्य सरकारी निर्माण-कार्यों के पुनरुद्धार के कार्य को हाथ में लेना था ;

विवरण

1981 की बाढ़ों के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई बाढ़ क्षति के ब्यौरे को दिखाने वाला विवरण।

प्रभावित क्षेत्र लाख हैक्टे० में	प्रभावित जनसंख्या लाखों में	फसलों को क्षति		क्षतिमकानों को क्षति		मारे गए पशुओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को क्षति लाख रुपये में	फसलों, मकानों तथा जन-सुविधानों को कुल क्षति (4+6+9) लाख रुपये
		क्षेत्र लाख हैक्टे० में	मूल्य लाख रुपये में	संख्या	मूल्य लाख रुपये में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.9	146.3	16.4	36500.00	491102	12277	1356	427	11720.00	60497.6

बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई

1700, **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में 15 जून, 1982 को कितने गन्ने की पेराई शेष थी ;

(ख) उत्तर भारत में कितने चीनी मिल 15 जून के पश्चात पेराई कार्य जारी रखे हुए हैं ;

(ग) सारे गन्ने की पेराई कब तक हो जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चत करेगी कि चीनी मिलें तब तक पेराई करती रहेंगी जब तक कि सारे गन्ने की पेराई नहीं हो जाती ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी फैक्ट्रिया के आरक्षित क्षेत्रों में 15 जून, 1982 तक बिना पेरे गए गन्ने की मात्रा लगभग क्रमशः 7.50 लाख मी० टन और 1.50 लाख मी० टन थी।

(ख) 15 जून, 1982 के बाद 52 चीनी मिलें बराबर कार्य कर रही थी ।

(ग) और (घ) आशा है जुलाई, 1982 के अन्त तक बिना पेरा गया सभी गन्ना पेर लिया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

1701. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसधान परिषद के लेखा परीक्षा प्रतिवेदव में इसके मुख्यालय और संस्थानों में गम्भीर अनियमितताएं होने का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो इस में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हस्तान्तरित करने और वैज्ञानिक पर्यावरण की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं , और

(घ) इस संगठन की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक पंजीकृत सोसायटी है और अपने उप नियमों के अन्तर्गत सोसायटी का शासी निकाय लेखा परीक्षकों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर विचार कर सकती है और उस पर उचित कार्यवाई कर सकती है। वर्ष 1980-81 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके संस्थानों के लेखा रिपोर्ट पर कुल 12 संप्रेक्षणों का उल्लेख है जो इन मुद्दों पर है—जैसे अग्रिम रुके हुए समायोजन, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों जिसमें विभिन्न संस्थानों के निजी मामले शामिल नहीं है, के सम्बन्ध में बकाया लेखा-परीक्षित उपयोग सर्टीफिकेटस आदि। इन सभी मुद्दों पर परिषद के शासी निकाय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और वर्ष 1980-81 का लेखा परिषद के वार्षिक सामान्य निकाय द्वारा स्वीकृत और मंजूर कर दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में हस्तान्तरिक करने का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक उचित और स्वस्थ वैज्ञानिक पर्यावरण पहले से ही मौजूदा है।

(घ) लेखा टिप्पणियों के सम्बन्ध में, शासी निकाय के निर्णयों के अनुसार उससे बाहर जाकर पहले ही कदम उठाये गये हैं, इसलिए इस पर और आगे कार्यवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

निर्धन व्यक्तियों को प्लाटों का मुक्त आबंटन

1702. श्री सुभाष यादव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को निदेश जारी किए हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त प्लाट दिए जाएं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में वर्ष 1981-82 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों को प्लाट दिए हैं और 1982-83 में कितने लोगों को प्लाट दिये जाने की सम्भावना हैं ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई केन्द्रीय सहायता भी दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायाण सिंह) : (क) राज्य सरकारें, ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20-सूत्री

कार्यक्रम के एक अंग के रूप में आवास स्थलों के प्रावधान हेतु पहले ही योजना का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास स्थलों के आबंटन तथा 1982-83 के लिए लक्ष्यों के ब्यौरे विवरण संलग्न में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को आवाज स्थलों का आबंटन (1000 में)

राज्य का नाम	1981-82 के दौरान आबंटित आवास स्थल	1982-83 के दौरान आबंटित किए जाने वाले आवास स्थल
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	188	344
2. असम	9	17
3. बिहार	6	70
4. गुजरात	97	निर्धारित नहीं किया गया।
5. हरियाणा	3	20
6. हिमाचल प्रदेश	5	(केवल 40)
7. जम्मू तथा कश्मीर	5	6
8. कर्नाटक	32	150
9. केरल	7	67
10. मध्य प्रदेश	6	15
11. महाराष्ट्र	54	71
12. उड़ीसा	11	18
13. पंजाब	शून्य	55

1	2	3
14. राजस्थान	103	50
15. तमिलनाडु	145	80
16. त्रिपुरा	3	31
17. उत्तर प्रदेश	134	70
18. पश्चिम बंगाल	11	72
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डमान निकोबार	—	2
2. चण्डीगढ़	—	—
3. दादर तथा नागार हवेली	—	—
4. दिल्ली	—	2
5. गोआ, दमण तथा दीव	—	1
6. पांडिचेरी	1	2
जोड़	11	1123

टिप्पणी : यह योजना मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश लक्षद्वीप तथा मिजोरम में लागू नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के लेखा की जांच

1703. श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के लेखाओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम लेखों में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) क्या इस निगम को कमियां दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के उपबंधों के अनुसार, निगम के लेखों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा

परीक्षकों द्वारा की जाती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी निगम के लेखों का अनुपूरक और परीक्षण के लिए लेखा परीक्षा करते हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट और सांविधिक लेखा परीक्षका की रिपोर्ट के साथ निगम के लेखों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के टिप्पण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते है। 1981 म सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति न भी निगम के कार्य की जांच की थी। भारतीय खाद्य निगम स सम्बन्धित सरकारी उपक्रमो की समिति की 22 वी रिपोर्ट सदन को 29-4-1981 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) और (ग) जी नही। तथापि, सरकार और भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध निगम के कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखता है ताकि निगम की कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। निगम भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर किए गए टिप्पणों पर भी आवश्यक कार्रवाई करता है।

उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित करना।

1701. **श्री हरीश रावत :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को वर्ष 1982-83 के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सूखे से प्रभावित इन क्षेत्रों के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अन्य और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य दल, जिसने देश के इन कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा की थी, ने उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी। इसलिए, इन जिलों को 1982-83 के पश्चात इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सका था। सूखा स प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए इस मन्त्रालय के अधीन कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है।

दिल्ली में भवनों की ऊंचाई

1705. **श्री हरीश रावत :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भवनों की अधिकतम ऊंचाई के सम्बन्ध में समय-समय पर कोई सीमा निर्धारित की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विशेष मामलों में ऐसी सीमा में छूट दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जिन मामलों में छूट दी गई है उनका ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का संशोधन

1706. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का संशोधन किया जाएगा जिससे राज्य सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि को विकास एवं निर्माण कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अनुमति प्रदान करने में अनावश्यक बिलम्ब को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां; तो यह संशोधन कब तक किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का निपटाना करने में अनावश्यक बिलम्ब नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

बिहार की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि

1707. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राइवेट सरकारी और सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों पर क्रमश: गन्ने के लिए भुगतान की जाने वाली अद्यतन कुल कितनी राशि राज्यवार बकाया है ;

(ख) बिहार में और विशेषकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलों में शीरे की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि का शीघ्र पूरा निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) प्राइवेट, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों ने 31-[illegible]-1982 तक गन्ने के मूल्यों की जो कुल बकाया राशि अदा करनी थी, उसका ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया।

(ख) विशेषतया मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के संदर्भ में बिहार में बकायों का मिलवार ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) गन्ने के बकायों का भुगतान करवाना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, गन्ने के बकायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे बकायों का भुगतान करवाएं। गन्ने के प्रत्याशित भरपूर उत्पादन की दृष्टि में, सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं ताकि चीनी मिलों द्वारा गन्ने अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जा सके और उनकी सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा करने की क्षमता में वृद्धि की जा सके।

1. शीघ्र और देर तक पिराई करने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में रिबेट देना।

2. बैंकों से अधिक नकद ऋण सीमा प्राप्त करना।

3. मुक्त बिक्री की चीनी की सूझ-बूझ के साथ निर्मुक्ति करना ताकि गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और चीनी के उत्पादकों के परस्पर विरोधी हितों को दृष्टि में रखते हुए मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा जा सके।

कुछेक राज्य सरकारों ने रिबेट भी दिया है और चीन मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने पर कर/उप-कर वापस किया है। कानून में गन्ने की खरीदारी करने के 14 दिनों के बाद के बकायों पर 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने की व्यवस्था हैं।

विवरण 1

प्राइवेट, सहकारी और सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों पर 31-5-1982 को गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि को बताने वाला विवरण

राज्य	32-5-1982 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि लाख रुपयों में							
	चालू मौसम 1981-82 के लिए				1980-81 और पहले के मौसमों के लिए			
	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	जोड़ क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	जोड़ क्षेत्र
उत्तर-प्रदेश	1447.63	1843.02	6519.59	10210.21	50.69	11.47	210.59	272.75
बिहार	494.51	—	1729.25	2223.76	7.52	—	55.77	63.29
पश्चिमी-बंगाल	25.53	—	21.06	46.59	2.12	—	0.11	2.23
असम	—	17.38	—	17.38	—	0.57	—	3.57
पंजाब	325.09	204.05	61.96	591.10	0.23	0.05	—	0.06
हरियाणा	—	332.76	257.10	589.86	—	1.43	—	1.43
राजस्थान	—	15.36	20.420	35.78	0.20	3.38	0.62	1.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य-प्रदेश	—	13.06	40.55	53.61	—	—	26.09	26.09
उड़ीसा	—	18.09	—	18.09	—	0.61	—	0.61
महाराष्ट्र	—	2205.18	432.12	2637.30	—	44.08	147.6[illegible]	191.70
गुजरात	—	561.79	—	561.79	—	8.13	—	8.13
कर्नाटक	69.38	441.34	188.63	699.35	20.18	13.37	3.43	36.98
केरल	—	1.28	0.20	1.48	—	42.97	0.04	43.01
आन्ध्र-प्रदेश	126. 4	535.7	431.03	1093.04	0.28	1.77	28.64	30.69
तमिलनाडु	93.01	450.72	751.16	1294.89	0.06	0.54	4.64	5.24
पांडिचेरी	—	—	32.47	32.47	—	—	1.09	1.09
नागालैण्ड	42.95	—	—	42.95	—	—	—	—
गोआ	—	—	—	—	—	—	—	—
अखिल भारत	2625.01	6639.10	10885.54	20149-65	81.09	125.37	478.64	685.10

विवरण 2

बिहार में विशेष मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलों में 31-5-1982 को मिलवार बकाया राशि के ब्यौरे बताने वाला विवरण

(लाख रुपये)

फैक्ट्री	31-5-82 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि		
	1981-82 मौसम के लिए	1980-81 और पहले के मौसम के लिए	जोड़
(क) मधुबनी जिला			
लोहट	108.60	0.60	109.20
सकरी	34.25	0.25	34.50
(ख) दरभंगा जिला			
रयाम	43.72	0.45	44.17
(ग) समस्तीपुर जिला			
समस्तीपुर	63.09	0.34	63.43
हसनपुर	42.52	—	42.52
(घ) समस्तीपुर जिला			
रीघा	12.04	0.43	12.47
(ड.) अन्य जिले			
बगाह	177.84	0.07	177.91
हरिनगर	142.66	—	142.66
नरकटियागंज	85.11	—	85.11
बाराचकिया	113.55	0.16	113.71
लौरिया	221.27	—	221.27
सुगौली	124.48	—	124.48
मोतीहारी	86.04	—	86.04
चनपतिया	169.52	—	169.52

1	2	3	4
मझोलिया	89.43	—	89.43
मोतीपुर	59.68	36.12	95.80
सीतलपुर	30.24*	5.08*	35.32*
सासामुसा	40.44	—	40.44
गोपालगंज	57.45	0.06	57.51
मीरगज	111.59	—	111.59
सिधवलिया	14.25	—	14.25
मढौरा	68.68	0.03	68.71
न्यू सावन	71.79	3.05	74.84
एस. के. जी. सिदान	40.91	4.03	44.94
पंचरूपखी	कार्य नहीं किया	11.82	11.82
बनमंखी	91.25	0.41	91.66
बिहटा	33.49	0.07	33.56
गुरारू	36.79	0.04	36.83
वारसलीगज	53.08	0.28	53.36
जोड़ बिहार	2223.76	63.29	2287.05

कोसी नियन्त्रण बोर्ड

1708. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोसी नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना के समय से लेकर वर्ष 1975 तक कितनी बैठकें हुई थीं और उसके बाद अब तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा लम्बे समय से बोर्ड द्वारा काम-काज न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को कोसी नियन्त्रण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा स्थापित कोसी बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने कुल 30 बैठकें की थीं और अन्तिम

बैठक जुलाई, 1975 में हुई थी। बिहार सरकार में 18-8-81 को कोसी नियन्त्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिए आबंटित भूमि

1709. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत 1980 से अब तक कितनी विकसित आवासीय भूमि सार्वजनिक कार्यों के लिए आबंटित या नीलाम या दी गई है और किन नियमों के अन्तर्गत यह आबंटित की गई है; और

(ख) इसमें कितनी भूमि तथा किस नियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्ग के लोगों को दी गई है तथा उन लोगों के नाम क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान को गेहूं और चीनी की सप्लाई

1710. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1982 से गत तीन महीनों के दौरान राजस्थान को गेहूं और चीनी की कितनी मात्रा दी गई और इसके लिए राजस्थान सरकार की मांग कितनी है; और

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है और यदि हां तो राजस्थान सरकार गांवों में अब तक प्रति माह प्रति यूनिट गेहूं की कितनी मात्रा वितरित कर रही है और इस वितरण के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) क्या लोगों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें दुगुने मूल्य पर बाजार से खाद्यान्न खरीदने पड़ते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अप्रैल, 1982 से जून, 1982 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोलर फ्लोर मिलों के लिए राजस्थान की गेहूं और चीनी की मांग, उनको किए गए आबन्टन और गेहूं के उठान का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अप्रैल, 1982 से जून, 1982 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली-रोलर फ्लोर मिलों के लिए राजस्थान की गेहूं और लेवी चीनी की मांग, उनको किए गए आबंटन और गेहूं के उठान को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग			आबन्टन			उठान		
	गेहूं		चीनी	गेहूं		चीनी	गेहूं		चीनी
	सा० वि० प्र०	रो० फ० मि०		सा० वि० प्र०	रो० फ० मि०		सा० वि० प्र०	रो० फ० मि०	
1982									
अप्रैल	60.0	15.0	इस संबंध में	24.0	2.0	14.494	16.0	1.3	राज्य
मई	60.0	15.0	राज्य सरकार	24.0	2.0	14.494	17.1	2.1	सरकार
जून	60.0	15.0	से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।	24.0	2.0	14.494	17.2	1.0	स्वयं फैक्ट्रियों से आबन्टित चीनी को उठाने का प्रबंध कर रही है।

(सा० वि० प्र०)=सार्वजनिक वितर प्रणाली।
(रो० फ० मि०)=रोलर फ्लोर मिलें।

राजस्थान में आवास और शहरी विकास निगम द्वारा ग्रामीण आवासीय इकाइयों का निर्माण

1711. **श्री जय नारायण रौत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में हुडको (आवास और शहरी विकास निगम) द्वारा अब तक कितनी ग्रामीण आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) राजस्थान राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितनी इकाइयों के बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ग्रामीण आवास योजनाओं को निधियां देता है और वास्तविक निर्माण कार्य ऋणी अभिकरणों द्वारा किया जाता है। 30·6-1982 तक हुडको ने राजस्थान राज्य में 7.47 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 5.60 करोड़ रुपये की हुडको के ऋण की वचन बद्धता सहित 18 ग्रामीण आवास योजनाएं स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं से राज्य के कई गांवों में फैले हुए 18680 मकानों के निर्माण में सहायता मिलेगी।

(ख) तथा (ग) हुडको को आशा है कि राजस्थान राज्य में विभिन्न आवास अभिकरण वर्ष 1982-83 के लिए कम से कम 2.57 करोड़ रुपये की उसकी वचनबद्धता से ग्रामीण आवास योजनाएं बनाएंगें। 30-6-82 को समाप्त होने वाले 1982-83 के पहले तिमाही में हुडको ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 500 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ एक योजना पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिसके लिए हुडको ने 15 लाख रुपये के ऋण की वचनबद्धता कर दी हैं।

वर्ष 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य में गिरफ्तार किए गए कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों की संख्या

1712. **श्री जय नारायण रौत** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के कितने कालाबाजारियों और मुनाफाखोर गिरफ्तार किए गए;

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है और इनका मूल्य कितना है; और

(ग) इस प्रकार पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कठोर उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुर्गी पालन के लिए पेरेन्टल/ग्रांड पेरेन्टल स्टाक के आयात का बन्द किया जाना

1713. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया था कि वर्ष 1982-83 से वाणिज्यिक मुर्गी पालन के लिए "पेरेन्टल/ग्रांड पेरेन्टल स्टाक" का आयात बन्द कर दिया जाएगा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान परियोजनायें और पशु-पालन विभाग इसकी राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करेंगे;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पशु पालन विभाग लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) छठी योजना के आरम्भ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गी-पालन अनुसंधान परियोजना पर और केन्द्रीय सरकार मुर्गी पालन फार्मों पर सरकार कितनी-कितनी धनराशि खर्च कर चुकी है;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुर्गी पालन परियोजना और केन्द्रीय सरकार मुर्गी पालन फार्मों में केवल चारे पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है तथा इनसे प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी आय होती है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजनाओं तथा सरकारी मुर्गी पालन फार्मों को सहायता जारी रखने का है, हालांकि ये चारे की लागत भी पूरा नहीं कर पाते ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) चालू आयात नीति के अन्तर्गत ग्रांड पेरेन्ट कुक्कुट धन के आयात पर प्रतिबन्ध है। तथापि, पंजीकृत निर्यात कर्त्ताओं के लिए चालू आयात नीति के अन्तर्गत उनका सीमित आयात (निर्यात किए गए कुक्कुट उत्पादों के मूल्य का 10 प्रतिशत जिसके लिए कुछ वित्त सम्बन्धी सीमा होगी) जारी रहेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुक्कुट प्रजनन परियोजना तथा कृषि और सहकारिता विभाग के केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के अन्तर्गत कुछ आशाजनक अण्डों तथा मांस की किस्म

वाले कुक्कुट प्रजनक नस्लों का विकास किया गया है और इन्हें देश में हैचरियों को उनमें वृद्धि करने तथा किसानों को संकर चूर्ण सप्लाई करने के लिए उपलब्ध किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कुट अनुसंधान परियोजना में छठी योजना के प्रथम दो वर्षों (1980-81 तथा 1981-82) के दौरान कुल व्यय क्रमश: 156.52 लाख रुपए तथा 148.87 लाख रुपए हुआ ।

(घ) केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुक्कुट अनुसंधान परियोजना मे छठी योजना के दौरान पोषण पर औसत वार्षिक व्यय क्रमश: 46.72 लाख रुपए तथा 29.39 लाख रुपए हुआ । केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुक्कुट अनुसंधान परियोजना की औसत वार्षिक प्राप्तियां क्रमश: 51.61 लाख रुपए तथा 18.59 लाख रुपए रही ।

(ङ) केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कुक्कुट अनुसंधान परियोजना में प्रजनन कार्यक्रम का लक्ष्य कुक्कुट प्रजनक नस्लों के मामले में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है जिसे छठी योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत राशि

171.. **श्री सूरज भान** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय मे विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो के लोगों की बेहतरी और विकास के लिए वर्ष 1980-81 और 82 के लिए पृथक-पृथक कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) उक्त दोनों वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के लिए नियत राशि को खर्च न किए जाने/कम खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) यद्यपि, इस मन्त्रालय द्वारा केवल अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए कोई विशेष घटक योजना तैयार नहीं की गई है, तथापि, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों जिनसे अनुचित जातियों के सदस्य भी शामिल हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसी कुछ योजनायें तैयार की गई

हैं। वर्ष 1980-81 1931-82 के लिए इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत तब तक आबन्टन आदि निम्न प्रकार है : -

योजना का नाम	वर्ष	बजट आबन्टन	वास्तविक व्यय	प्रत्येक वर्ष के बारे में व्यय न करने/कम व्यय करने के कारण
1. शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास	1980-81	2.75	2.74	
	1981-82	3.50*	0.88	*मितव्ययता की दृष्टि से इस राशि को 1.00 करोड़ रु० तक सीमित किया गया था ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास	1980-81	4.75	4.75	
	1981-82	5.50	4.00x	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/राज्य सरकारों से मांग कम होने के कारण ।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन लाइसेन्स

1715. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1982 को उन व्यक्तियों की, राज्यवार संख्या कितनी थी जिनके पास, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन यथा विहित "ट्राफी और जीव जन्तु-वस्तुओं में व्यापार करने के लिए' वैध लाइसेन्स थे;

(ख) कितने व्यक्तियों ने राज्यवार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन नए लाइसेन्सों के लिए आवेदन किया है;

(ग) उपर्युक्त आवेदकों में से प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को नए लाइसेन्स दिए गए हैं; और

(घ) लाइसेन्स शुल्क कितना है और ट्राफी तथा जीव जन्तु वस्तुओं में व्यापार की देख रेख के लिए क्या तन्त्र स्थापित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) एक विवर संलग्न है ।

(ख) से (घ) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नए लाइसेन्स देने के सक्षम प्राधिकारी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों मुख्य वन्य प्राणी वार्डन हैं। केन्द्रीय सरकार कोई लाइसेन्स जारी नहीं करती है । लाइसेन्स फीस राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और लाइसेन्सशुदा व्यक्तियों के कार्य-कलापों की निगरानी भी राज्य वन विभागों के वन्य प्राणी संघ द्वारा की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 44 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेन्सों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	शून्य
2. गुजरात	10
3. हरियाणा	18
4. हिमाचल प्रदेश	शून्य
5. जम्मू और काश्मीर	251
6. कर्नाटक	8
7. केरल	11
8. मध्य प्रदेश	शून्य
9. महाराष्ट्र	41
10. मणिपुर	1
11. नागालैंड	शून्य
12. उड़ीसा	शून्य
13. पंजाब	3
14. मेघालय	3
15. राजस्थान	50
16. सिक्किम	शून्य

1	2
17. उत्तर प्रदेश	86
18. पश्चिमी बंगाल	149
19. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10
20. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
21. दादर नगर हवेली	शून्य
22. गोवा	5
23. चण्डीगढ़	3
24. दिल्ली	106
25. पाण्डिचेरी	शून्य
26. लक्षद्वीप प्रशासन	शून्य
27. मिजोरम	शून्य
28. तमिलनाडु	213
29. बिहार	उ० न०
30. असम	उ० न०
31. त्रिपुरा	शून्य
योग :	1048

टिप्पणी :—उ० न० जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्त जानकारी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1981 में दिए गए आंकड़ों पर आधारित है ।

भारतीय लाल हिरण और सौराष्ट्र के "वाइल्ड ऐसिस" जंगली गधों का संरक्षण

1716. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर-स्टैग (भारतीय लाल हिरण) और सौराष्ट्र के "वाइल्ड (जंगली गधों) की, जो कि वन्य पशुओं की दुलर्भ किस्म हैं, संख्या का पता लगाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनकी संख्या क्या थी ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों में कश्मीर-स्टेग की संख्या घटकर 1950 रह गयी है और जंगली गधे की संख्या 1250 से घट कर 150 रह गयी है;

(ङ) क्या वन्य जीव विशेषज्ञ तथा प्रसिद्ध प्रकृति-विज्ञान-विदों ने सरकार का ध्यान समाप्त हो रही वन्य पशुओं की इन जातियों की ओर दिलाया है; और

(च) यदि हां, तो कश्मीर-स्टैग और सौराष्ट्र जंगली गधों के संरक्षण के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) इन प्रजापतियों की नवीनतम स्थिति के बारे में सम्बन्धित राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और इनके परिणामों की जानकारी कुछ समय बाद मिल सकेगी।

(घ) विगत में कश्मीरी हिरणों और वन्य गधों की संख्या में कमी आई थी, किन्तु हाल के कुछ वर्षों में संरक्षण सम्बन्धी उपाय अपनाने से इन प्रजातियों की स्थिति में सुधार की रिपोर्ट मिली है।

(ङ) हाल में इस प्रकार की कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) इन दोनों प्रजापतियों को वन्य प्राणि संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है। अतः इन के शिकार और वाणिज्यक उपयोग के विरुद्ध पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए आश्रय स्थलों में इन प्रजापतियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकरण का पुनरीक्षण।

1717. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1981-82 में केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (काम के बदले अनाज कार्यक्रम) के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है तथा उसके निष्कर्ष क्या रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मूल्यांकन 1979-80 में किया गया था। इसकी अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में आई थी। उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनियमितताओं के बारे में शिकायतें।

1718. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य की ओर से काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बन्धित खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री, मंजूरी के अनियमित भुगतान; खाद्यान्न वितरण में त्रुटियों, मस्टर रोलों में हेरा-फेरी, खाद्यान्न की घटिया किस्म आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसद् सदस्यों एव राजनीतिक दलों को फ्लैट बंगले का आबंटित करने का मानदण्ड

1719. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीतिक दलों तथा संसद सदस्यों को बंगले । फ्लैट आबंटित करने का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या इन नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है और उन्हें अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राष्ट्रीय स्तर और मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों/ग्रुपों को सामान्य पूल से सरकारी वास आबंटित किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) उस मामले में जहां आबंटिती निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलता है, आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

जल और मल व्ययन विभाग द्वारा यमुना के पानी का पीने का प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जाना

1720. श्री राम सिंह शाक्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री जल और मल व्ययन विभाग द्वारा यमुना के पानी को पीने के रूप में प्रयोग के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वजीराबाद से ओखला बांध तक के गन्दे नालों के यमुना में गिरने के बारे में सूचना एकत्र की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जी, हां।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली में 17 नाले हैं जो दिल्ली में वजीराबाद की निचली धारा में यमुना नदी में या आगरा नहर में गिरते हैं। जल प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कुछ समय पहले किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन 17 नालो से प्रतिदिन 5,37,360 किलो मीटर गन्दा पानी बहता है।

जल आपूर्ति विभाग, दिल्ली

1721. श्री राम सिंह शाक्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री जल आपूर्ति विभाग, दिल्ली के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान अनुबन्ध करारों के मामले में मध्यस्थता के लिए जल आपूर्ति विभाग द्वारा बहुत बड़ी राशि के भुगतान के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं व्ययन संस्थान द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान मध्यस्थ के लिए भुगतान की गई राशि का ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 1977 से जनवरी, 1982 के मध्य गत पांच वर्षों के दौरान निर्णीत उन मध्यस्थ के मामलों का विवरण जिनमें अवार्ड के अनुसार भुगतान किया गया है।

क्रम सं०	पार्टियों का नाम	निर्माण कार्य	राशि	मध्यस्थ का नाम	अवार्ड की तारीख	अवार्ड की राशि	ठेकेदार/निगम के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8
			रुपये				
1.	मै० एन० पी० सी० सी० बनाम एम० सी० डी०	रामलीला मैदान जलाशय,	15,09,217.50	श्री एस० ए० स्वामी अधीक्षक इंजीनियर (डब्ल्यू) सी	16-11-79	92,549.82 (इसमें 40,000 रुपये का रोका गया भुगतान धरोहर राशि 5000 शामिल है।	ठेकेदार के पक्ष में
2.	मै० नरायणदास इसरानी बनाम एम० सी० डी०	वजीराबाद में 48 टाईप-	10,04,360.00	श्री बी० बी० नन्दा निदेशक (सी० एस० ई०)	1-2 80	92,321.00 रुपये (12000 जमानत की राशि +	ठेकेदार के पक्ष में

1	2	3	4	5	6	7	8
		क्वार्टरों का निर्माण				2744 ब्याज सहित वापस की गई राशि शामिल है)	
3.	मै० खूब चन्द त्यागी बनाम एम० सी० डी०	राजोरी गार्डन के निकट 4,5 लाख गैलन की क्षमता वाला भूमिगत जलाशय का निर्माण	11,05,000.00	श्री एम० एन० जैन मुख्य इंजीनियर (डब्ल्यू)	30-5-78	1,95,000,00 रु०	ठेकेदार के पक्ष में
4.	मै० पपूलर कंसट्रक्शन कंपनी बनाम एम० सी० डी०	कालिन्दी कालोनी से ओखला वाटर्स वर्क्स तक 30 मिमी व्यास का सी० आई० पानी की मुख्य लाइन बिछाना तथा जोड़ना	उपलब्ध नहीं	श्री एस० प्रकाश अधीक्षक इंजीनियर (डब्ल्यू०)	6-11-76	2,653.60 रु०	ठेकेदार के पक्ष में
5.	श्री गोविन्द स्वरूप गोयल बनाम एम० सी० डी०	पटेल चैस्ट इन्स्टिट्यूट, यूनिवर्सिटी एरिया सिविल लाइन दिल्ली के साथ-साथ ट्रेन की पुनः मंजूरी देना	उपलब्ध नहीं	श्री एस० एस० रामरख्यानी अधीक्षक इंजीनियर (पी) निदेशक	26-12-79	2,671,00 रु०	ठेकेदार के पक्ष में

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मैं० भण्डारी कन्स्ट्रक्शन क० बनाम एम० सी० डी०	विजयघाट के निकट बरसाती पानी की नाली का निर्माण	—वही—	श्री एस० एस० रामरख्यानी अधीक्षक इंजीनियर (पी) निदेशक	26·12-79	1,151.00	ठेकेदार के पक्ष में
7.	मोहिन्द्रा कंस्ट्रक्शन क० बनाम एम० एस० डी०	मोती नगर के 1 से 9 तक के ब्लाक में 250 मिमी० व्यास के आर० सी० पी० पाइपों के सीवर लाइन बिछाना एवं उनकी व्यवस्था करना	1,39,968.00	श्री एम० एल० आनन्द अधीक्षक इन्जीनियर (आर० पी० वाई०)	8-.-81	2,800,00	—वही—
8.	मैं० एक्सप्रेस इन्जीनियर्स बनाम एम० सी० डी०	किलोकड़ी पम्पिंग स्टेशन में टाइप-1 के क्वार्टरों का निर्माण	8,78,600.03	श्री एम० एन० जैन मुख्य इन्जीनियर डब्लू०	2-6-79	51,210.00	—वही

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मै० पी० एम० कौल एण्ड कंपनी बनाम एम० सी० डी०	पश्चिमी दिल्ली में पी० एस० सी० मुख्य लाइन के लिए सीवर कार्य के लिए सीमेंट और इस्पात की दर जारी करना	2,40,180.03	श्री एस० ए० स्वामी अधीक्षक इन्जीनियर (डी० आर०) सी०	9-2-77	12,521.95 निर्णीत सीमेंट तथा इस्पात की दर जारी करना तथा ठेकेदार ने तदनुसार शेष राशि का भुगतान किया । अवार्ड की राशि 12,521.95 रुपये	—वही—

संस्थान की तुलना में कुल राशि दी गई 4,[illegible]5,880.00

ह० कानून अधिकारी (जल)

दक्षिण दिल्ली में पानी की कमी

1722. डा० ए० यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में पानी की भारी कमी है जिसके परिणाम-स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं को दिल्ली जल एवं मल व्ययन संस्थान के कार्यालय में दूसरी मंजिल पर धरना देना पड़ा;

(ख) क्या पानी कुछ समय के लिए प्रातः काल और कुछ समय के लिए सांय काल को थोड़ा-थोड़ा करके आता है और क्या पानी पूरे प्रवाह के साथ पर्याप्त समय तक उपलब्ध नहीं होता है ;

(ग) क्या अधिकांश पानी के मीटर या तो त्रुटिपूर्ण है या उपभोक्ताओं को अधिक धनराशि के बिल दिए जाते हैं;

(घ) क्या पानी के मीटर ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं जहां मीटर पठन (रीडिंग) ठीक से नहीं किया जा सकता; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कालका जी झुग्गी-झोपड़ी मलिन बस्ती टेनामेंटों के कुछ लोगों ने उनके टेनामेंटों में पानी की कमी के सम्बन्ध में लिंक हाउस में स्थित दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के कार्यालय के सामने 24.6.1982 को प्रदर्शन किया था। दक्षिण दिल्ली के कतिपय पाकेटों में जो कि वितरण पद्धति के अन्तिम किनारे पर या ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं, गर्मियों के दौरान पानी की कमी महसूस की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ.) इस संस्थान ने सूचित किया है कि जब कभी भी ठीक प्रकार से मीटर रीडिंग लेने में कठिनाई होती है तो आबंटियों से मीटरों को उचित स्थान पर लगवाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

1723. श्री हरीश रावत : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है कि भविष्य में दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का निर्माण न हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कालोनियों की वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं।—

1. भूमि/प्लाटों की अवैध बिक्री के मामलों की रिपोर्ट पुलिस के विशेष कक्ष को की जाती है जिसे इस प्रयोजन हेतु दिल्ली प्रशासन के अधीन गठित किया गया है।

2. ज्यों ही नवीन अनाधिकृत निर्माण ध्यान में आता है दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे गिराने की कार्यवाही की जाती है।

3. रिक्त भूमि पर बाढ़ लगाई जा रही है।

4. विकसित प्लाटों/फ्लैटों को बड़ी संख्या में जनता को दिया जा रहा है ताकि वे प्लाटों की अवैध बिक्री/खरीद में शामिल न हों।

5. भूमि पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में चौकीदार रखे गये हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा भी अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली में ऐसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस विषय में कानून के प्रावधानों को सख्त करने के लिए प्रासंगिक संविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

स्वीकृति के लिए पड़ी पुनपुन नदी पर बांध के निर्माण की योजना

1724. श्री राम विलास पासवान :
श्री रामावतार शास्त्री : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना जिले के हमीद नगर में पुनपुन नदी पर बांध के निर्माण सम्बन्धी 21 करोड़ रुपये की योजना कई वर्षों में केन्द्रीय जल आयोग के विचारार्थ पड़ी हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर चुकी है;

(ग) क्या इस योजना के पूरा हो जाने से लगभग पचास हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा इससे बाढ़ों को नियन्त्रित करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस योजना को कब स्वीकृति देने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) बिहार सरकार द्वारा अप्रैल, 1981 में भेजी गई पुनपुन बांध सिंचाई परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है और उसके बारे में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार के अनुमोदन के बारे में केन्द्र को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस स्कीम में बिहार के गया और पटना जिलों में 55,120 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

(घ) योजना आयोग द्वारा इस स्कीम को स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने और उसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावकारिता सिद्ध हो जाने पर निर्भर करेगी।

कीटों के आक्रमण के कारण आम की फसलों को हानि

1726. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कीटों के आक्रमण के कारण आम की फसलों को पिछले 3-4 वर्षों से निरन्तर भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिजन गांवों में पेय जल का संकट

1727. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हरिजन आदिवासी गांवों में पेय जल का गम्भीर संकट है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी जिलों में हरिजनों को पानी की घोर कमी के कारण अपने मकानों को छोड़कर अन्य स्थानों में चले जाना पड़ा और सवर्ण हिन्दुओं ने उन्हें अपने कुंओं से पानी लेने से रोका; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन स्थानों में पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और विशेष क्षेत्रों की स्थिति की सूचना उन सम्बन्धित राज्य

सरकारों के पास उपलब्ध होगी जिन्हें स्थिति से निपटने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने होते हैं। तथापि, राज्य सरकारों को उनके ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्य क्रमों में अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं पर उच्च अग्रता देने का अनुरोध किया गया गया है।

जिला मधुबनी में चनपुरा स्थान पर वृत्ताकार बांध का निर्माण करने के लिए बिहार को सलाह

1728. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को राज्य में मधुबनी जिले के बेनीहादती खण्ड के अन्तर्गत चनपुरा पूर्व गांव के चारों ओर वृत्ताकार बांध का निर्माण करने की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा आवश्यकता क्या थी;

(ग) चनपुरा के चारों ओर वृत्ताकार बांध, तत्सम्बन्धी तकनीकी प्रतिवेदन, उसके अन्तर्गत आने वाली कुल भूमि आदि के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) क्या बांध के तीसरे मार्ग के सम्बन्ध में जनता ने विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोकराहा, घोस और बहनद नदियों के बाढ़ उमड़ जल से चनपुरा गांव की सुरक्षा करने के लिए 31.50 लाख रुपए की लागत पर एक स्कीम दिसम्बर, 1980 में राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इस स्कीम में, लगभग 172.10 हैक्टेयर (425 एकड़) भूमि की सुरक्षा करने के लिए चनपुरा गांव के चारों ओर वर्तमान वलय (रिंग) बंध को ऊंचा करने और उसे सुदृढ़ बनाने तथा दो पम्प केन्द्रों और जल निकास-एवं-बाढ़ रोधी जल द्वार के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, संरेखन में कुछ परिवर्तन किया गया है कि बंध के संरेखन से असन्तुष्ट हुए कुछ लोगों ने स्थगन आदेश के लिए बिहार उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तथापि, कार्य प्रगति पर है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान

1729. श्री राजनाथान सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के पास कुल कितनी भूमि उपलब्ध है और उसमें से कितनी भूमि पर इमारतें हैं और कितनी पर फसलें हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक संस्थान का उत्पादन क्या था और सिंचित और गैर-सिंचित भूमि के लिए प्रति एकड़ वार्षिक लाभ दिखाते हुए बीज आदि की बिक्री सहित मार्किट भाव पर फसलों का कुल मूल्य कितना था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक संस्थान में फसल/बीज उत्पादन, कर्मचारियों, मशीनरी और रख-रखाव पर कितना व्यय और पूंजी-निवेश हुआ; और

(घ) क्या उपर्युक्त के आधार पर कार्य निष्पादन को संतोषजनक समझा जाता है और प्रत्येक संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त विश्लेषण नेमी रूप से किया जाता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सामने रखा जाता है, और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का सार क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) तथा (ग) जिन खातों को रखा जाना अपेक्षित है उनमें निवेशों की लागत या अन्य लागतों को पृथक रूप से फसलों/बीज उत्पादन तथा सिंचित और गैर-सिंचित भूमि के लिए नहीं दिखाया जाता है । संस्थाओं का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कार्य करना है और संस्थानों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । इस कारण से ही अनुसंधान सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए निवेशों को जान-बूझकर बढ़ाया या कम किया जाता है जो कि अनुसंधान की आवश्यकताओं पर निर्भर है । अब जो तीन वर्षों के लिए सभी उप केन्द्रों से विश्लेषणों को मांगा गया है उसे संस्थानों द्वारा फिर से तैयार करना होगा और इसे तैयार करने में जो समय और श्रम लगेगा उसे उपलब्ध परिणामों के साथ आनुपातिक नहीं किया जाएगा ।

(घ) संस्थानों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए मानदंडों पर फैसला नहीं किया जाना है । अतः इस प्रकार का कोई विश्लेषण करना या उसे प्रबन्ध समिति के सामने रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के अनुसार, संस्थानों की प्रबंध समिति की कार्यवाही को शासी निकाय के सामने रखे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

तथापि, अनुसंधान कार्य और उपलब्धियों से सम्बन्धित एक रिपोर्ट शासी निकाय के सामने रखी जाती है । किसी एक विशिष्ट वर्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के सम्पूर्ण

कार्य को परिषद की वार्षिक रिपोर्ट में भी दिखाया जाता है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय तथा वार्षिक सामान्य निकाय के सामने रखा जाता है।

हजीरा, गुजरात में गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र की स्थापना करना

1730. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में हजीरा में गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र की स्थापना करने की लागत कितनी है;

(ख) निर्माण-कार्य कब शुरू किया गया था और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इसका उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(घ) क्या यह सच है कि निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) हजारी उवरक कम्पलेक्स कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। कृषक भारती सहकारी समिति ने परियोजना की संशोधित पूंजी लागत का अनुमान 980 करोड़ रुपये लगाया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की प्रारम्भिक तिथि 31 मार्च, 1981 है। परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक चरण में 1350 एम० टी० पी० डी० का एक अमोनिया संयत्र और प्रति 1100 एम० टी० पी० डी० के दो यूरिया स्ट्रीम शामिल हैं। प्रथम चरण का व्यापारिक उत्पादन दिसम्बर, 1984 से और द्वितीय चरण का सितम्बर, 1985 से शुरू होने की आशा है परियोजना की यूरिया उत्पादन करने की प्रति वर्ष क्षमता 14.5 लाख मीटरी टन होगी। निर्माण कार्य समयबद्ध चल रहा है।

तुर्कमान गेट के सामने पड़े कूड़े करकट को हटाना

1731. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुर्कमान गेट के सामने मेजर चमन लाल रोड पर पड़े कूड़े करकट को हटाने के लिए कितनी बार ठेका दिया गया था और ठेकेदारों को अलग-अलग, कितनी राशि दी गई और क्या कूड़ा करकट पहले की तरह वहां पड़ा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली नगर निगम ने निम्न प्रकार से सूचना दी है :—

1) कितनी बार ठेके दिए गए

(1) 1981-82 में 12

(2) 1982-83 में 3

(30-6-82 तक)

2) 1-4-81 से 31-3-82 तक आबंटित किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक समय किया गया भुगतान।

(क) प्रीतम सिह मोदी	1-19,134.31 रुपये
	2-29,926.44 रुपये
(ख) श्री चरण सिह मोदी	1-29,403.21 रुपये
	2-27,4‹8.59 रुपये
	3-29,925.47 रुपये
	4-37,215.92 रुपये
	5-33,118.62 रुपये
(ग) एच० पी० एस० ट्रेडर्स	1-39,853.93 रुपये
	2-5,950,83 रुपये
	3-29,857.44 रुपये
	4-29,998.47 रुपये
(घ) मैसर्स एस० के० एण्ड कम्पनी	1-28,485.36 रुपये
उपर्युक्त ठेकेदारों को किया गया कुल भुगतान	3,40,333.59 रुपये

1-4-1982 से 30-6-82 तक आबंटित कार्यों के लिए प्रत्येक समय किया गया भुगतान

(क) मैसर्स एच० पी० एस० ट्रेडर्स	1-32,443.95 रुपये
	2-29,974.70 रुपये
	3-28,989.95 रुपये
योग	91,408.60 रुपये

दिल्ली नगर निगम ने आगे बताया है कि मेजर चमन लाल मार्ग पर एक स्थल उद्दिष्ट किया गया है जहां नित्य प्रति शहर से मलवा डाला जा रहा है। यह मलबा समय-समय पर

हटाया जा रहा है जिसके लिए निविदाएं आमन्त्रित करके और औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आंकलनों के आधार पर ठेके दिए जाते हैं। यह मलवा सैनिटरी लैण्ड फिल (एस० एल० एफ०) स्थल विंग रोड पर डाला जाता है जहां इसे कूड़ा करकट को ढकने के उपयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि मलबा प्रतिदिन डाला डाला है इसलिए कुछ मलवा स्थल पर रह जाता है। हालांकि उसे नियमित रूप से हटाने के प्रयास किये जाते हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका में जूनियर क्लर्कों की भर्ती

1732. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जूनियर क्लर्कों की भर्ती में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 12 और 13 जुलाई, 1980 को लिखित परीक्षा में बैठने वाले 16500 आवेदकों की उपेक्षा की गई थी और राजनैतिक आधार पर तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के संकल्प दिनांक 10 अप्रैल, 1981 के द्वारा तदर्थ नियुक्तियों को नियमित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका के संकल्प दिनांक 10 अप्रैल, 1982 पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा ग्रामीण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि यह सत्य है कि 12-7-80 और 13-7-80 को 16500 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया है कि यह कहना असत्य है कि तदर्थ नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की गई।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि तदर्थ नियुक्ती के लिए पालिका द्वारा एक लिखित परीक्षा ली गई थी और जो इस परीक्षा में सफल हुए उन्हें पालिका के 10-4-1981 के संकल्प से नियमित किया गया।

(घ) ये शिकायतें दिल्ली प्रशासन के जांच के अधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आबंटन

1733. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने श्रेणी-वार, कितने-कितने फ्लैट और भूखण्ड आबन्टित किए हैं;

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान, अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक श्रेणी-वार कितने-कितने फ्लैट और भूखण्ड आबन्टित किए जाने हैं;

(ग) वर्तमान समय में उनकी श्रेणीवार, अनुमानित लागत क्या है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी-कितनी हो जाएगी ;

(घ) इस मूल्य पर मध्यम आय वर्ग निम्न आय वर्ग और कमजोर वर्ग उन्हें कैसे खरीदने में समर्थ होंगे तथा उनका भुगतान किस ढंग से किया जाएगा; और

(ङ.) इन फ्लैटों के आबन्टन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी-निदेशों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा ऊन विकास निगमों की स्थापना

1734. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की, भेड़ तथा भेड़ उत्पादों के विपणन हेतु भेड़ नस्ल सुधार सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए ऊन विकास निगमों का गठन करने सम्बन्धी सलाह का अनुपालन करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां। जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तथा कर्नाटक राज्यों ने भेड़ तथा ऊन विकास निगमों/बोर्डों की स्थापना की है। राज्य सरकारों से उपलब्ध हुई प्रगति सम्बन्धी जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी सम्बन्धी नीति

1735. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के सम्बन्ध में कोई दीर्घावधि नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीति निर्धारण का उद्देश्य 80 लाख टन और इससे अधिक मात्रा में चीनी के वार्षिक उत्पादन को व्यवस्थित करना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का एक वर्ष चीनी के अत्यधिक उत्पादन और दूसरे वर्ष चीनी की कमी से उत्पन्न घट-बढ़ की स्थिति का मुकाबला किस प्रकार करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) चीनी की दीर्घकालीन नीति, गन्ने और चीनी के उत्पादन, उपलब्धता और मूल्य आदि में प्रत्येक वर्ष व्यापक उतार-चढ़ाव होने के कारण आने वाली विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखकर की जाती है। फलतः इसमें ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जिसके लिए नीति सम्बन्धी पेरामीटरों में उपयुक्त सुधारात्मक उपाय और सूझ बूझ के साथ परिवर्तन करना लाजिमी हो जाता है ताकि विभिन्न स्थितियों से निपटा जा सके। नीति सम्बन्धी विभिन्न वैकल्पों पर विचार करने के बाद सरकार ने दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियन्त्रण की नीति तैयार की थी और नियन्त्रण के अल्प व्यवधान के साथ इसे 1967-68 से अपनाया है। इस नीति का उद्देश्य उपभोक्ता गन्ना उत्पादक और चीनी के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाए रखना और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करना है।

(ग) कुल मिलाकर, आंशिक नियन्त्रण की नीति से चीनी के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने में मदद मिली है और इसके उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव को रोका जा सका है। किसी भारी उतार-चढ़ाव की हालत में समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

प्रसाद नगर में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में सुधारात्मक कार्य

1736. **श्री जे० एस० पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय निर्माण और आवास मन्त्री ने सभा में यह घोषणा की थी कि प्रसाद नगर में 152 मध्यम आय वर्ग फ्लैटों में सुधारात्मक कार्य ठेकेदार के जोखिम और जिम्मेदारी पर किया जाएगा;

(ख) क्या ठेकेदारों ने कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया है; और

(ग) ऐसी परिस्थिति में मन्त्री, निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां । प्रसाद नगर में 352 मध्यम आय वर्ग के फ्लैट हैं न कि 152 फ्लैट ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आरम्भिक ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सुधार कार्य अन्य अभिकरणों से कराए जा रहे हैं ।

राजघाट में पैदल पथ पर लाल पत्थरों का बिछाया जाना

1737. **श्री मगल राम प्रेमी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट में पैदल पथ पर लाल पत्थरों को बिछाने के लिए दिए गए ठेके का मूल्य क्या है और उस फार्म का निवरण क्या है जिसे यह ठेका दिया गया है और क्या वहां लाल पत्थरों को बिछाने के बाद भूमि धस गई थी तथा क्या पत्थरों के बीच के स्थान में पीली मिट्टी भरने के लिए एक अलग ठेका दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां पीली मिट्टी के स्थान पर कूड़ा-करकट भरने के क्या कारण है तथा क्या पैदल पथ की मरम्मत का ठेका पुन: "रेट-एजेन्सी को दिया गया था ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चावल का निर्यात

1738. **श्री पी० राजगोपलन नायडू :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल का अन्य देशों को निर्यात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश से कितनी मात्रा निर्यात की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) 1982-83 के दौरान 1.75 लाख मीटरी टन बासमती चावल निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जहां तक अन्य चावल का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सोवियत संघ को निर्यात करने के लिए फिलहाल 3.46 लाख मीटरी टन की मात्रा का वायदा किया गया है ।

(ग) राज्यवार निर्यात करने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

होटल मेरीडीन के निर्माण के लिए सीमेंट की कठिनाई

1740. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किए जा रहे "होटल मेरीडिन" को 300 टन सीमेंट की सप्लाई की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सीमेंट प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका, जिसका भाई इस होटल परियोजना में जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, के अनुदेशों के अधीन सप्लाई किया गया था।

(ग) यदि हां, तो "होटल मेरीडिन" को सीमेंट की सप्लाई करने के क्या कारण हैं और किन नियमों के अन्तर्गत यह प्राइवेट पार्टी को सप्लाई किया गया जबकि नई दिल्ली नगर पालिका को अपनी परियोजनाओं के लिए सीमेंट के न होने से कठिनाइयां हो रही हैं, और इसने अतिरिक्त मूल्य पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे से सीमेंट खरीदा था; और

(घ) सीमेंट के कब तक वापस मिल जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि सीमेंट उधार पर उस समय सप्लाई किया गया था जब कि नई दिल्ली नगर पालिका के पास सीमेंट के भण्डार की स्थिति सन्तोषजनक थी। इस होटल परियोजना का निर्माण एशियाड के लिये किया जा रहा है और भवन पूर्ण होने पर नई दिल्ली नगर पालिका को सौंपा जाना है। इससे नई दिल्ली नगर पालिका की किसी भी परियोजना को नुकसान नहीं हुआ। जब नई दिल्ली नगर पालिका को सीमेंट की सप्लाई मिलने में विलम्ब हुआ तो उन्हें भी दूसरे संगठनों से सीमेंट उधार लेना पड़ा।

(घ) शीघ्र ही, जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है।

चेरापूंजी में पेड़ों का गिराया जाना

1741. **श्री अजय विश्वास :**
श्री रेणु पद दास :
श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मेघालय में चेरापूंजी में पेड़ों के अन्धाधुन्ध गिराये जाने के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूर्णतः बंजर होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस क्षेत्र में पेड़ों को काटने की अनुमति कैसे दी गई है;

(घ) उस क्षेत्र में इस प्रकार के अन्धाधुन्ध पेड़ों को काटने का काम किसने किया;

(ङ) ऐसे उत्तरदायी प्राधिकरण के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है; और

(च) उस क्षेत्र की परिस्थिति की दिशा में सुधार लाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मेघालय सरकार ने बताया है कि मुख्य चेरापूंजी के पठार बहुत अधिक समय से बंजर पड़े हुए हैं और हाल मे इस क्षेत्र में वृक्षों की कोई कटाई नहीं की गई है। इस क्षेत्र में भूमि निजी स्वामित्व में हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

(च) पठार का अधिकांश क्षेत्र वृक्षों को लगाने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। नीचे सख्त चट्टान परत होने के कारण वहां केवल घास और झाड़ियां उग सकती हैं। जहां कहीं मृदा की स्थिति उपयुक्त है, वहां राज्य सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त वृक्षों का रोपण किया गया है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आप के सामने कामरोको प्रस्ताव रखे थे। एक तो फौज देश की रक्षा के लिए होती है...

अध्यक्ष महोदय : उसके वास्ते मैंने मांग लिया है। मैंने सूचना मांगी है और मैं फिर उस पर विचार करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरा जो खान की दुर्घटना हुई है जिसमें सैकड़ों आदमी मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे हैं। आप चर्चा के लिए कह सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : तीसरा...

अध्यक्ष महोदय : अब सारी बातें आप ही कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मनीराम बागड़ी : अब सारी बातें मैंने रखी हैं तो वह तो कहूंगा।

...(व्यवधान)...

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्या कोई तरीका है कि एक आदमी एक ही बात कहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कह रहा हूं कि बारी-बारी से आयें ।

श्री मनीराम बागड़ी : बारी-बारी आयें, तो ठीक है, यह जो बात मैंने कही है यह और किसी ने नहीं कही । हरियाणा के एक मन्त्री, पंजाब के एक मन्त्री और जम्मू कश्मीर के एक मंत्री का लड़का...

अध्यक्ष महोदय : जब तक मेरे पास कोई ठोस बात न हो तब तक मैं नहीं करूंगा ।

आपने मुझे लिखा है, मैं देखूंगा । मुझे पता कर लेने दीजिए । ये बातें अनसबस्टेंशिएटेड हैं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आ रहा हूं बिहार से । पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरयाना जल रहा है, सूखे की स्थिति पूरे देश में है...

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आ रहा हूं, कल ही आया हूं ।

आपने और हमने मिल कर फैसला किया है कि इस पर डिस्कशन करना है, वह करेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही हैं उस कमेटी में । कल मीटिंग है उस कमेटी की, आप फैसला कर लीजिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कह रहा हूं, आप की ही जिम्मेदारी है । आप जो कहेंगे उसी हिसाब से होगा ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात करने लगे आप ।

श्री हरिकेश बहादुर : अब तो ही हो जाना चाहिए ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है...

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । यह राज्य का विषय है ।

...(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ? मैंने आपको मना कर दिया, फिर भी लगे हुए हैं आप।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपस में क्या कर रहे हैं आप ? कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी नहीं जायेगा। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)*...

श्री टाइटलर : मैंने अनुमति नही दी है। कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं है।

...(व्यवधान)...*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने पिछले एक सप्ताह से उठाये जा रहे कुओं तेल के मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है...

अध्यक्ष महोदय : यह समिति को भेज दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप सदन में किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : समिति अभी इस पर विचार कर रही है...

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संक्षिप्त चर्चा और 77...के बारे में सूचना दी है...किसानों का गेहूं एफ० सी० आई० नहीं खरीद रही है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप दीजिए कुछ। आप मोशन दीजिए तो मैं एलाऊ करूं आपको। इस तरीके से थोड़े ही होता है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तो देंगे न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, किसी मोशन के हिसाब से लाएगा या ऐसे ही आ जायेगा ? ऊपर से तो नहीं उतरेगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप हर दफा बीच में क्यों बोलते हैं ।

श्री नारायण चोबे (मिदनापुर) : मैंने दो प्रस्ताव दिए थे ।

एक आई० आई० टी, खड़गपुर के बारे में हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह इन सब के लिए मंच नहीं हैं । अनुमति नहीं है। यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री नारायण चोबे : सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा का क्या हुआ ? यह विषय कब लिया जायेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच रहा हूं ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने जवाब यह दिया था कि मुझे लिख कर दें कोई काम । श्री शैलानी ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : फिर बीच में बोल रहे हैं आप । बहुत बुरी आदत है । मैंने आपको एलाऊ नहीं किया । आप हर दफा बीच में बोलने की क्यों कोशिश करते हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटेंशन दिया है...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है । मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । नहीं अनुमति नहीं है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे 115 के अधीन एक मामला उठाने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस दीजिए ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : गृह मन्त्री ने एक असंगत वक्तव्य दिया है । उन्होंने एक पत्र पढ़ा है जिसका कि इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर): मैंने श्री पीलू मोदी के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 11	— आठवां सत्र, 1979		छठी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 12	— दूसरा सत्र, 1980		
(तीन) विवरण संख्या 19	— तीसरा सत्र, 1980		
(चार) विवरण संख्या 12	— चौथा सत्र, 1980		
(पांच) विवरण संख्या 12	— पांचवां सत्र, 1981		सातवीं लोक सभा
(छः) विवरण संख्या 6	— छठा सत्र, 1981		
(सात) विवरण संख्या 4	— सातवां सत्र, 1981		
(आठ) विवरण संख्या 3	— आठवां सत्र, 1982		

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4266/82]

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1980-81 की समीक्षा और प्रतिवेदन आदि

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य-मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1656 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4267/82]

बेतवा नदी बोर्ड झांसी के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अन्सारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4268/82]

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 की समीक्षा और प्रतिवेदन आदि।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): मैं (कुमारी कमला कुमारी की ओर से): निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) धान कुटाई उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) तथा लाइसेंस देना संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 जुलाई 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 490 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4269/82]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी वर्ष 1981-82 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1982, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 जून 1982 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 465 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4270/82]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फेडररेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) उपर्युक्त फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-4271/82]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 15 जुलाई, 1982 को उसकी बैठक में पारित सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमन्, मैं, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1982 सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक कलिंग अटेंशन दिया है राजस्थान स्पिनिंग मिल बन्द होने के सिलसिले में।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह राज्य का विषय है। आवास और निर्माण मंत्री महोदय कृपया इन्हें समझाइये।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : स्पीकर साहब, आज के नेशनल न्यूजपेपर्स में 28 आर्गेनाइजेशन्स के ऊपर फारेन ऐनेशन्स लेने पर बैन लगाने की...

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमति देने योग्य नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। मुझे देखना होगा। नहीं। मैं अनुमति नहीं दे सकता। बिल्कुल अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

बिहार के हजारीबाग जिले में ढोया कोयला खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मुझे सदन को एक बड़ी दुर्घटना की सूचना देते हुए खेद है कि सेन्ट्रल कोल-फील्डस लिमिटेड की टोपा कोलियरी, जिला हजारीबाग (बिहार) में 16 जुलाई, 1982 को दिन में दो बजकर 45 मिनट पर यह दुर्घटना हुई। इसमें 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 4 अन्य व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब लोडर गोफ में और उसके आस-पास डीपिलरिंग क्षेत्र में खनन सरदार के निरीक्षण में विस्फोट किए हुए कोयले को उठा रहे थे। लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई से एक चौथाई मीटर मोटी छत गिर गयी जिसकी लम्बाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी। घटना-स्थल पर खनन सरदार सहित 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और चार अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक, उप महानिदेशक और निदेशक इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

3. इस दुर्घटना को गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए खान अधिनियम, 1952 (1982 को 35) की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन जांच न्यायालय नियुक्त किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप नोटिस दे दें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : बिना सूचना के इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्याना ध्यान दिलाना

देश में बिजली की कमी

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजेश पाइलट]

विषय की ओर ऊर्जा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :—

"देश में, विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, हरियाणा, पंजाब उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में विद्युत की अत्याधिक कमी, जिसमे देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को हानि हो रही है, से उत्पन्न स्थिति'।

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० खान गनी चौधरी) लोक सभा के पिछले सत्र में मैंने देश में विद्युत की सुधरी हुई हालत के सम्बन्ध में जो परिचय दिया था माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान दें। जैसाकि मैंने उस समय सूचित किया था कि 1981-82 के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन के 1.2 बिलियन यूनिट के लक्ष्य से हमने एक बिलियन यूनिट का अधिक उत्पादन किया था। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान 2175 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित की गयी थी। मैं गौरव के साथ यह विनम्र उल्लेख करना चाहूंगा कि इस्पात, कोयला, सीमेंट और उर्वरक के उत्पादन में हुई पर्याप्त बढ़ोतरी में विद्युत की बेहतर उपलब्धता एक सहायक अंग था। कृषि को विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों से देश के कुछ भागों में आंशिक रूप से वर्षा न होने के कारण लिफ्ट सिंचाई द्वारा सिंचित क्षेत्र को बचाए रखने में सहायता मिली।

जैसाकि मैंने पहले बताया था कि हमारी हर सम्भव कोशिश ताप विद्युत उत्पादन की ओर है क्योंकि इसके विपरीत जल विद्युत उत्पादन प्रमुख रूप से मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि ताप विद्युत केन्द्रों में कार्य निष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने की काफी गुंजाइश है। हमारे द्वारा और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप 1981-82 के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में 13.4% की वृद्धि हुई है, वृद्धि का यह प्रवाह चालू वर्ष के दौरान भी बनाए रखा गया है। अप्रैल से जून, 1982 की तिमाही में ताप विद्युत केन्द्रों का संयत्र भार अनुपात 51.?%रहा है।

मैं यह एहसास नहीं होने देना चाहता हूं कि देश में कहीं भी विद्युत की कमी नहीं है और देश के कुछ भागों में महसूस की जा रही विद्युत की कमी के बारे में सदस्यों की चिन्ता में मैं भी पूरी तरह साथ हूं।

दक्षिणी क्षेत्र में, केरल में लगातार बिजली फालतू रही है जबकि आन्ध्र प्रदेश अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से कर रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक, जो केरल से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, मानसून के आ जाने के बाद सभी विद्युत कटौतियां हाल ही के कुछ सप्ताह से हटा ली हैं। दक्षिणी क्षेत्र के जलाशयों में जल का प्रवाह अनियमित मानसून के कारण अब तक अच्छा नहीं रहा है वहां पर यह जल विद्युत क्षमता का बहुत बड़ा स्रोत है। तथापि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना असामयिक है।

पश्चिमी क्षेत्र में, यद्यपि मध्य प्रदेश में समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी यह समस्त मांग को पूरा करने मे अभी भी अपर्याप्त है। तथापि कृषि क्षेत्र को पूरी सप्लाई दी जा रही है और महत्वपूर्ण उद्योगों को विद्युत सप्लाई में प्राथमिकता दी जाती है। गुजरात कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने मे सक्षम है। महाराष्ट्र में विद्युत उपलब्धता आवश्यकता से कम है और ऊर्जा तथा मांग, दोनों प्रकार की 20 से 30% तक की मात्रा में विद्युत कटौतियां लगानी पड़ी थीं। महाराष्ट्र में इस वर्ष के दौरान पर्याप्त मात्रा में नई उत्पादन क्षमता चालू होने की संभावना है और मुझे आशा है कि इस वर्ष के दौरान बाद में स्थिति में सुधार हो जाएगा।

उत्तरी क्षेत्र में, वर्ष 1982-83 की प्रथम तिमाही के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों में अच्छा उत्पादन होने के कारण तथा अप्रैल और मई के महीने में गैर-मौसमी वर्षा होने के परिणामस्वरूप मांग में कमी होने के कारण विद्युत की स्थिति काफी अच्छी रही थी। सौभाग्यवश, भाखड़ा तथा पौंग जलाशयों में जल भण्डारण की स्थिति अच्छी है तथा इसके बावजूद कि मानसून आने में देरी हो गई है फिर भी पंजाब तथा हरियाणा में कृषि के लिए 10 से 12 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जा रही है। पंजाब ने कृषि मांग को पूरा करने के लिए अभी हाल में बड़े उद्योगों पर विद्युत कटौतियां लगाई हैं जबकि हरियाणा ने व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लगाए हैं। उत्तर प्रदेश ने अप्रैल के मध्य में सभी विद्युत कटौतियां हटा ली थी परन्तु मानसून आरम्भ होने में देरी होने के कारण रोलिंग मिलों तथा आर्क भट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि पम्पसेटों को विद्युत सप्लाई 10 घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सके।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की दोनों यूनिटों के बन्द हो जाने के कारण राजस्थान 1982 के आरम्भ से ही विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान को केन्द्रीय क्षेत्र बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से अप्रैल मे 82.6 मिलियन यूनिट, मई म 70.3 मिलियन यूनिट तथा जून, 1982 में 57.4 मिलियन यूनिट की मात्रा मे सहायता दी गई। मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका तथा विद्युत कटौतियां काफी समय से लागू हैं। परमाणु विद्युत केन्द्र के यूनिट 2 के अगले सप्ताह में पुनः चालू हो जाने की आशा है जिससे स्थिति म सुधार होने की सम्भावना है।

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों को छोड़कर विद्युत उत्पादन ऊंचे स्तर तक होता रहा है। मई के अन्त तक स्थिति काफी आरामदायक थी सता जैसाकि पहले बताया गया है, हमने दिल्ली से दूसरी प्रणालियों को विद्युत दी थी। तथापि, विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली में जून से विद्युत सप्लाई में कुछ लोड शैडिंग और बाधाएं हुई हैं। यद्यपि उत्पादन पर्याप्त हुआ था, पर वितरण प्रणाली में बाधाओं के परिणामस्वरूप स्थिति असंतोषजनक बन गई थी। रोहतक रोड उप-केन्द्र के दो बड़े ट्रांसफार्मरों के फेल हो जाने के कारण उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली में विद्युत सप्लाई पर प्रभाव पड़ा था। इन क्षेत्रों को रोहतक रोड उप-केन्द्र से अस्थाई व्यवस्था

करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए थे और इसी लिए जुलाई के पहले सप्ताह से लोड-शैडिंग समाप्त कर दिया गया है। एक नए ट्रांसफार्मर का प्रतिष्ठापन कार्य और एक क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य अगस्त के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की सभावना है। तथापि, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तरी क्षेत्र में कृषि की मांग अधिक होने के कारण दिन के समय ग्रिड की वोल्टता कम रही है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में कुछ लोड-शैडिंग भी की गई। प्रणाली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तकनीकी उपाय किए जा रहे है।

पूर्वी क्षेत्र में, 1981-82 के दौरान कार्य-निष्पादन में प्राप्त हुए सुधारों को बनाए रखा जा रहा है। तथापि, नए दुर्गापुर-यूनिट-4 के स्थिरीकरण मे कुछ विलम्ब हुआ है। इसमें कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां थी। उड़ीसा, सामान्य तौर पर फालतू विद्युत वाला राज्य है किन्तु बलिमेला और मचकुंड जलाशयों के अपवाह क्षेत्रों में पिछले वर्ष कम वर्षा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विद्युत की कमी हो गई थी। कुछ श्रेणी के उद्योगों पर विद्युत कटौतियां पिछले नवम्बर से लागू है। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ हो जाने पर स्थिति में सुधार होने की आशा है पश्चिमी बंगाल और बिहार अपने ताप विद्युत केन्द्रों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। जब तक ये राज्य ताप विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए ठोस उपाय नहीं करते हैं तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कोई कमी नहीं है और स्थिति सुखद है।

जैसाकि मैंने पहले बताया है कि किसानों को खरीफ की फसल संबंधी प्रचालन पूरा करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। मैंने कुछ ही दिनों पूर्व सभी मुख्यमन्त्रियों को पुनः पत्र लिखा है कि किसानों को 8-10 घंटे की विद्युत सप्लाई, सुनिश्चित की जानी चाहिए। पंजाब ने पहले से ही किसानों को 12 घंटे विद्युत सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है तथा 1 मेगावाट और इससे अधिक मांग वाले उद्योगों पर विद्युत कटौतियां लगा दी हैं। हरियाणा धान वाले क्षेत्रों में किसानों को 9 घंटे विद्युत सप्लाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवैलों के लिए विद्युत सप्लाई की अवधि 7 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी है। कृषि की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताप विद्युत सेटों के ओवरहालिंग के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है तथा ताप विद्युत केन्द्र अब इस महीने के निर्धारित लक्ष्य से 10 से 15% तक अधिक विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे राज्य जिनमें कृषि खपत का अनुपात अधिक है, वहां पर कृषि मौसम के व्यस्ततम समय में उद्योगों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य हो जाता है।

हमने 1982-83 के दौरान 132 मिलियन यूनिट के विद्युत उत्पादन तथा 3500 मेगावाट की क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य का निर्धारण किया है। इस वर्ष की प्रथम तिमाही में जल विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार था। तथापि जुलाई के महीने में आरम्भ में मानसून से वर्षा कम होने के परिणामस्वरूप जल विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं हो पा

रहा है। पिछले साल कम वर्षा होने के कारण बेलिमेला में जलाशय स्तर कम होने के परिणामस्वरूप विशेष रूप से उड़ीसा को अत्यधिक विद्युत कटौतियां लगाई थीं। इस वर्ष के दौरान उड़ीसा में मानसून की वर्षा अभी आरम्भ नहीं हुई है और वहां वर्षा होने तक विद्युत कटौतियां चालू रहेंगी। कर्नाटक भी मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर करता है। यदि मानसून से वर्षा सामान्य रूप से नहीं होती है तो इसका जल विद्युत उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा जल विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहूंगा कि चूंकि क्षमता समुपयोजन महत्वपूर्ण है अतः चालू परियोजनाओं में किसी भी कीमत पर कमियों को दूर करना होगा। ऊर्जा संरक्षण भी समान रूप से एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारी बारम्बार दी गई चेतावनी कि बिजली, जो कि आज के युग में बहुत कीमती है, उसके इस्तेमाल में किफायत बरतने के लिए कैपेसिटर्स तथा अच्छी गुणवत्ता वाले पम्पों का प्रयोग किया जाय किन्तु इसके बावजूद दुर्भाग्यवश जिन राज्यों में ट्यूब वैलों के भार अधिक हैं, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया है। दिल्ली में निम्नवोल्टता के कारणों में से यह भी एक कारण है क्योंकि जब हम हरियाणा और पंजाब की कृषि की मांग को पूरा करने के प्रयत्न कर रहे हैं तो दिल्ली की वोल्टता पर उसका प्रभाव पड़ता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने स्थिति को सुधारने के लिए सराहनीय कार्य किया है। लेकिन साथ ही मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे प्रयासों से सरकार को आत्मसंतोष नहीं हो जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले फिर चेतावनी।

श्री राजेश पायलट : आपके वक्तव्य से आरम्भ करते हुए आरम्भ में मैं यह कहूंगा कि ऐसा लगता है कि आपने अपने आंकड़े टैलेक्स से प्राप्त किये हैं। आपने कहा है कि 10 घन्टे तक लगातार बिजली दी जा रही है। (व्यवधान)। इसमें सुधार हो रहा है। पर इतनी गति से नहीं, जिसका की मन्त्री महोदय ने जिक्र किया है। आपने कहा है कि उत्तरी राज्यों में खासकर पंजाब और हरियाणा में 10 से 12 घन्टे तक सप्लाई दी जा रही है। श्रीमान, कल मैं पंजाब में था। मैं वहां किसानों से मिला था। मुझे बताया गया कि पंजाब में 9 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है। हरियाणा में 9 घन्टे से काफी कम दी जा रही है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब कभी आप ऐसे आंकड़े दें तो कृपया उन्हें स्थानीय लोगों के अनुभवों से भी मिला लें, सिर्फ अपने सरकारी रिकार्ड के आधार पर ही न कहें। कई दफा सरकारी आंकड़े गुमराह करने वाले हो सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में खुद ही यह माना है कि सारे देश में हमें बिजली की सप्लाई में कटौती करनी पड़ रही है। हमारी मांग ज्यादा है। हमारा उत्पादन कम है। केरल के सिवाय, सारे देश में यही स्थिति है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यही कहा है। क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि

[श्री राजेश पाइलट]

क्या हम छठी योजना के लक्ष्य के अनुसार उत्पादन कर रहे है ? आपने वायदा किया था कि छठी योजना में 20,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त हो सकेगी । क्या हम इस योजना के अनुसार चल रहे है जिससे कि हमारी भावी योजनाओं को कोई हानि है ? और हमें किसी विषय स्थिति में न फंसना पड़े । इसलिए, मेरा प्रश्न यह है : क्या हम छठी योजना के लिए निर्धारित 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य के कार्यक्रम को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है : यह भी एक सीधा स्पष्ट प्रश्न है... (व्यवधान) । जैसाकि आपने बताया कि विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में कमियां रह गई हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सबध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? यह हमारे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी । अतः आप इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है ।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है । मैंने कुछ पत्र देखें हैं और उनमें मैंने देखा है कि आसाम, तथा जम्मू और काश्मीर आदि राज्यों में विद्युत उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है । विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में, ये दो राज्य बहुत समृद्ध हैं । लेकिन हम अभी तक इस सुविधा का पूरा, उपयोग नहीं कर पाए हैं । उदारहण के लिए, हमारे यहां ब्रह्मपुत्र नदी है । उस पानी से 2000 मेगावाट विद्युत पैदा कर सकते हैं । आप मुश्किल से केवल 310 मेगावट बिजली पैदा कर रहे हैं । उसकी लागत क्या है ? आपने ब्रह्मपुत्र के पानी का उपयोग करने के क्या प्रयास किए हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० घनीखान चौधरी) : कृपया प्रश्न को दोहरायिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि आप प्रश्न को दोहराएं ।

श्री राजेश पाइलट : मैं प्रश्न को दोहराता हूं । आसाम तथा जम्मू और काश्मीर जैसे राज्यों की विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है । आसाम में के पानी का यदि आप ठीक से उपयोग कर सकें तो उससे आप 2000 मेगावट विद्युत उत्पादन कर सकते हैं । यदि मेरी सूचना ठीक है तो आप वहां से केवल 312 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं । वहां आप को क्या कठिनाई है ? आप 200। मेगावाट तक उत्पादन क्यों नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके आंकड़े सही नहीं है तो उन्हें कहिए कि वे सही आंकड़े प्रस्तुत करें ।

श्री राजेश पाइलट : ठीक है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के कथन को दोहराता हूं ; यदि मेरे आंकड़े सही नहीं है तो कृपया आप सही आंकड़े प्रस्तुत कीजिए ।

अब मेरा चौथा प्रश्न यह है : क्या हम देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में गैर-सरकारी क्षेत्रों की मदद लेने हेतु उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं अथवा ऐसा करने की कोई योजना

बना रहे हैं ? क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है। हमें यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रतिदिन केवल 5 या 6 घन्टे बिजली मिल रही है, वह भी केवल पूर्वी क्षेत्र में। जहां तक पश्चिमी क्षेत्र का प्रश्न है, वहां पर बिजली की पूर्ति काफी कम है। आपके बिजली सप्लाई की प्रणाली को भी सुधारने की जरूरत है। होता यह है कि किसान को अपने खेत में जाकर घन्टों इन्तजार करना पड़ता है ; वह हर समय बल्ब की ओर देखता रहता है कि बल्ब जला है या नहीं। इस तरह उसका बहुत अधिक समय नष्ट होता है । जब भी बिजली आती है वह अपना ट्यूब-वैल चालू कर देता है। आप ऐसी कौन सी प्रणाली आपनाने जा रहे हैं ताकि किसानों को यह बताया जा सके कि अमुक समय पर उन्हें उनके खेतों के लिए बिजली की सप्लाई की जाएगी। किसानों का समय इस तरह नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है।

घन्टे, मैं आपके मन्त्रालय के भ्रष्टाचार विरोधी सैल की बात कहूंगा। क्या इस समय आपके मन्त्रालय में कोई भ्रष्टाचार-विरोधी सैल है अथवा नहीं ? (व्यवधान) आप उसे सतर्कता सैल कह सकते हैं। सतर्कता अधिक अच्छा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस समय आपके मन्त्रालय में कोई सतर्कता सैल अथवा सतर्कता विभाग है जो मुख्य मन्त्रियों को निर्देश अथवा राज्यों के सम्बन्धित विभागों को निर्देश दे सकें ? यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि आपके बिजली देने वाले के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं, तो आपको बिजली ठीक समय में मिल सकती है। अन्यथा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। निर्धन किसानों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसान उनसे बिजली का कनैक्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ अनाज या इसी तरह का कुछ और या फिर नकद पैसा देते हैं। क्या आपने कभी इस स्थिति की जांच की है कि विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है ? जब सम्बन्धी इंजीनियरों द्वारा किसानों को कनैक्शन मंजूर कर दिया जाता है तो निर्धन अशीक्षित किसानों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि इंजीनियरों द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद कनैक्शन किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अतः उन्हें ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए 2000 रुपए और अन्य छोटे कनैक्शनों के लिए 1000 रुपए देने के लिए कहा जाता है। आपके विभाग में यह सब हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है। यदि वे इस तथ्य से अवगत हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कम से कम 10-15 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कहा गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी उन्हें कनैक्शन नहीं दिया गया। कभी वह कहते हैं कि बिजली की तारें नहीं हैं, बिजली के खम्मे अभी नहीं मिले हैं और कभी कोई और चीज अभी उपलब्ध नहीं है। अतः यह सब इस तरह ही चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि आदेश जारी किए जाने से पहले आवश्यक सामान जैसे तारें, खम्भे आदि वहां उपलब्ध कराए जाएं ताकि बिजली का कनैक्शन देना सम्भव हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट कहा जाता है।

[श्री राजेश पाइलट]

राजेश पाइलट : जी हां, सम्भावना बनती चाहिए। मान लीजिए कनेक्शन देने के किसी विशेष मामले में, यदि 3 या 4 बिजली के खंभों की आवश्यकता है, तो उपभोक्ता को 1000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके विभाग में यह सब हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 7 प्रश्न पूछ चुके हैं। जब वे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको ये प्रश्न याद रखने होंगे।

श्री राजेश पाइलट : सरकार ने अपनी नीति में यह निर्णय लिया है कि बिजली का कनेक्शन देते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाए। सरकार हमेशा ही यह कहती रही है कि वह इन लोगों के घरेलू प्रयोग के लिए, उद्योगों के लिए तथा खेती-बाड़ी के लिए बिजली का कनेक्शन देने को प्राथमिकता देती है। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है, हम सख्ती से इसका अनुसरण नहीं कर रहे और इन निर्धन लोगों को उनके घरों के लिए भी बिजली प्रदान न करके आज भी इनकी उपेक्षा की जा रही है। आप उन्हें कागजों में सुविधायें देते हैं, आप उन्हें धन देते हैं, मुफ्त बिजली के कनेक्शन देते है, लेकिन इन सब बातों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस तथ्य की जानकारी है अथवा नहीं। यदि उन्हें इसकी जानकारी है, तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की है?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार बदरपुर विद्युत केन्द्र से और अधिक बिजली की मांग कर रही है। बदरपुर विद्युत केन्द्र से राजस्थान राज्य को सप्लाई की जा रही बिजली पहले ही कम करके 574 लाख मेगावाट कर दी गई है। महीना-दर-महीना इसमें कटौती की जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर अधिक बिजली प्राप्त करने की मांग के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। मैं मन्त्री महोदय निवेदन करता हूं कि जहां तक बिजली और सप्लाई करने का प्रश्न है उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करें क्योंकि राजस्थान का अपना विद्युत उत्पादन अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय राजस्थान सरकार की मांग पर पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उन्हें आवश्यक विद्युत प्रदान करेंगे और ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य में मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि हम ट्यूब वेलों के लिए 10-12 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। हमें यह सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई है और इस सूचना के आधार पर ही हमने यह वक्तव्य दिया है। हमने यह निर्णय भी लिया है कि आर० ई० सी० की एक टीम भेजी जाए। वह दल दौरा करेगा और राज्य बिजली बोर्ड से सम्बन्ध स्थापित करेगा और हमें स्थिति से अवगत कराएगा। मैंने कृषि मन्त्री को भी सुझाव दिया है कि वे अपने अधिकारियों का एक दल भेजें जो पता लगाए कि हम किस हद तक किसानों

की सहायता कर सकते है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां यह हो रहा है वह हो रहा है लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि उनकी बात सही है या नहीं। लेकिन जहां तक उन आंकड़ों का प्रश्न है, जो मैंने दिए हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर दिए गए हैं।

अब मैं 20,000 मेगावाट की बात पर आता हूं। 31-3-1980 को स्थापित क्षमता इस प्रकार थी : तापीय बिजली—16424 मेगावाट, आणविक 640 मेगावाट तथा पनबिजली—11384; यह कुल मिलाकर 28.448 मेगावाट है। 31-3-1982 को स्थापित क्षमता इस प्रकार थी—तापीय बिजली 19,358 मेगावाट, आणविक 890 मेगावाट तथा पनबिजली 12,177 मेगावाट, जो कि कुल मिलाकर 32,·89 मेगावाट बैठती है।

जहां तक छठी योजना के लक्ष्य और उपलब्धि का सम्बन्ध है 1980-81 में 2687 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था और हम केवल 1,82· मेगावाट बिजली उत्पादित कर सके इसका अर्थ है इसमें 32 प्रतिशत तक की कमी रही। 198.-82 के लिए हमारा लक्ष्य 3212 मेगावाट का था और हमारी उपलब्धि थी 2175 मेगावाट रही। पुनः 32 प्रतिशत तक की कमी रही। उत्पादकता वर्ष 1982 में नयी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 3500 मेगावाट रखा गया है और जनवरी 1982 से जून 1982 तक की अवधि में हम 50 प्रतिशत से भी अधिक बिजली उत्पादित कर चुके हैं, हम 900 मेगावाट बिजली पैदा कर चुके है।

1982-83 वर्ष के लक्ष्य इस प्रकार हैं : पन बिजली 1045 मेगावाट और जून 1982 तक की उपलब्धि 100 मेगावाट; ताप बिजली—लक्ष्य है 2437 मेगावाट और जून 1982 तक उपलब्धि 270 मेगावाट, लेकिन हमें विश्वास है कि हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि छठी योजना के दौरान हम अपने लक्ष्य के 70 या 80 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि नहीं कर पायेंगे। इस समय तो ऐसा ही लगता है।

अध्यक्ष महोदय : छठी योजना की आधी अवधि पूरी हो चुकी है। फिर आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ? आपका यह दृष्टिकोण निराशावादी है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस स्थिति को समाप्त करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, हम निष्क्रिय होकर नहीं बैठे हैं। हम कुछ और नई ताप बिजली परियोजनाएं बनाने जा रहे हैं-उनमें से उत्तरी क्षेत्र की 1000 मेगावाट क्षमता का रिहन्द सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र ब्रिटेन की सहायता से बनाया जाएगा। इसकी 500 मेगावाट की पहली यूनिट 1987 में शुरू हो जाएगी। हम एक पश्चिमी क्षेत्र में भी 1.60 मेगावाट क्षमता का वैंधान सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र रूस की सहायता से बनाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के लिए भी 1000 मेगावाट क्षमता का अनपारा 'बी' तापीय केन्द्रीय बनाने जा रहे हैं। इस आरम्भ करने का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक जापानी मूल्यांकन मिशन भारत आ रहा है। हम

[श्री राजेश पायलट]

कहालगांव बिहार में भी 600 मेगावाट या इससे अधिक का एक ताप बिजली घर खोलने के बारे में सोच रहे है। हम अन्य परियोजना...के बारे में भी सोच रहे हैं।

एक माननीय महोदय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृपया बैठ जाइये। इसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। श्री यादव आपका नाम सूची में है और आपको बुलाया जाएगा। अतः आपको व्यवस्था का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको मौका दिया जाएगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कमियां विभिन्न राज्य क्षेत्र में हो रही हैं केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं। केन्द्रीय क्षेत्रों में कोई कमियां नहीं हुई। राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम द्वारा किए कार्य में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये कमियां राज्य क्षेत्रों में हो रही है। इसके तीन मुख्य कारण हैं—पहला वित्तीय अड़चन, दूसरे राज्य विद्युत बोर्डों का प्रबन्ध अथवा परियोजना प्रबन्ध, तीसरे भारत हैवी इलैक्ट्रिक लिमिटेड तथा अन्यों द्वारा अच्छे उपकरणों की सप्लाई न करना, कमियों के यही कारण हैं। लेकिन जहां तक केन्द्रीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, कहीं भी कोई कमी नहीं हुई है।

आपने कहा है कि ब्रह्मपुत्र आदि के बारे में भी कुछ कहा है। उसकी जांच की जा रही है और मैं आपको ठीक-ठीक कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यह अत्याधिक पैसे, लागत तथा जांच तथा आंकड़ों और अन्य सभी आवश्यक बातों का प्रश्न है। अतः मैं आपको इसकी और अधिक कोई सूचना नहीं दे पाऊंगा।

आपने गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में पूछा है। मैंने इस सदन में एक वक्तव्य अवश्य दिया और गैर-सरकारी क्षेत्रों को आमन्त्रित किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अतः बात समाप्त हो गई। मैं समझता हूं जितने पैसे की उन्हें आवश्यकता है और उससे जो लाभ उन्हें मिलेगा, उनको देखते हुए जो अब बिजली क्षेत्र में आने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।

फिर आपने भ्रष्टाचार विरोधी बातों के बारे में भी कुछ कहा। आप जानते हैं कि राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय हैं और हम केवल सलाहकार का ही काम करते हैं। आपने मन्त्रालय के लिए हमारे पास भ्रष्टाचार विरोधी 'सेल' हैं, लेकिन राज्य बिजली बोर्डों को अपने 'सतर्कता सेल' हैं और अपराधियों का पता लगाना आदि उनका अपना काम है।

आपने राजस्थान की चर्चा विशेष रूप से की है। जहां तक बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है, राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि आर० ए० पी० इसे बहुत बिजली सप्लाई करता

था। इसे न तो नवम्बर 1 और नहीं नवम्बर 2 से बिजली मिल रही है। अब चम्बल पनबिजली परियोजना से इसे 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसे वहां से बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पानी नही है। ब्यास और भाखड़ा समूह में उनका 426 मेगावाट का हिस्सा है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश से उनका 125 मेगावाट का हिस्सा है, लेकिन उन्हें केवल 66 प्रतिशत मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्तम्भ संकट में है। वे उनका बिजली का पूरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं।

स्थिति यह है अब हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली से बदरपुर से कभी 150 मेगावाट और कभी 100 मेगावाट की सप्लाई होती है। यह सब स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन पर निर्भर करता है। मैं यह गारन्टी नहीं दे सकता कि प्रतिदिन 150 मेगावाट बिजली दी जायेगी। यह दिल्ली बिजली उत्पादन पर भी निर्भर करता है।

दिल्ली राजधानी के लिए हमारे पास बिजली 'स्पिनिंग रिजर्व' होना चाहिए। लेकिन मैं कोई 'स्पिनिंग रिजर्व' नहीं रख रहा हूं। मैं इसे अन्य राज्यों को दे रहा हूं। उदाहरण के लिए राजस्थान को, अन्यथा दिल्ली में वोल्टेज की कोई समस्या ही न होती। बिजली की कटौती को आप सुनते हैं, वह भी यहां न होती। लेकिन अन्य राज्यों को राहत देने के लिए मैं बिजली दे रहा हूं, जैसे कि बिहार, राजस्थान और कभी-कभी डी० वी० सी० को भी मुझे यही कुछ कहना है।

श्री राजेश पाइलट : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट, इन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री राजेश पाइलट : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। सरकार कहती है कि यह स्वायत्तशासी विकाय है और इसलिए वह इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। क्या हम जाकर मतदाताओं से कह सकते हैं कि सरकार स्वायत्तशासी विकायों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती यह एक-एक निश्चित उत्तर नहीं है। सरकार को यह बचन देना है कि वह उन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव न हो।

मन्त्री महोदय ने विवरण में कहा है कि राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय है और उनके अपने संस होंगे। यह कोई उत्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कह सकते हैं। वह कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? अन्यथा यह एक अतिक्रमण होगा।

श्री राजेश पाइलट : उन्हें एक निश्चित उत्तर देना है कि सरकार कार्यवाही करेगी। हम मतदाताओं के पास जाते हैं हम उन्हें यह नहीं कह सकते। आपने हमें वोट दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह एक स्वायत्तशासी निकाय है।

[श्री राजेश पाइलट]

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : यह एक ऐसा मामला नहीं है। इन्हें वचन देना पड़ेगा कि सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी : वर्तमान अधिनियम के अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं विद्युत मन्त्रियों का सम्मेलन बुला रहा हूं। हम इस पर विचार करेंगे, और यदि वे सहमत होते हैं तो हम संशोधन लायेंगे। यदि वे सहमत नहीं होते तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। इस समय मैं उन्हें अपनी सलाह देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मन्त्री महोदय ने इस ढंग से वक्तव्य दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वह बिजली की वर्तमान स्थिति से काफी सन्तुष्ट हैं। लेकिन स्थिति खराब है। देश भर में बिजली का संकट चल रहा है, यहां तक कि दक्षिण के राज्य में भी।

मैं केरल के बारे में नहीं कह रहा हूं। निश्चय ही वहां बिजली का अत्यधिक उत्पादन होता है। लेकिन जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है इसकी जानकारी मुझे अभी-अभी ही मिली है। मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है :—

> "तमिलनाडु तथा कर्नाटक, जो केरल से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, ने मानसून के आ जाने के बाद सभी विद्युत कटौतियां हाल ही के कुछ सप्ताह से हटा ली हैं।"

इसे केवल सरकारी तौर पर उठाया गया है। वास्तव में तमिलनाडु में भी बिजली का बहुत संकट चल रहा है।

आप तमिलनाडु के बारे में अधिक जानते होंगे। मानसून पूरे जोर पर नहीं हैं। यह एक कारण है। साथ-साथ मैं यह कहकर अपने प्रश्न को उचित ठहरा सकता हूं कि किसानों के पम्प सेटों को इस समय बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि बिजली नहीं है। अत: यह कहना गलत है कि तमिलनाडु ने बिजली की सभी कटौतियां बन्द कर दी है। अत: मैं मन्त्री के इस ब्यान से सहमत नहीं हूं। उन्हें हमें सही जानकारी देनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश का वर्तमान संकट कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक हर क्षेत्र में है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। किसानों को कहा जा रहा है कि उन्हें 9 से 10 घण्टे

तक बिजली सप्लाई की जाएगी। लेकिन वास्तव में यदि आप उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि किसानों को 3 अथवा 4 घंटों से अधिक समय तक बिजली नहीं मिलती। वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने कहा है "उत्तर प्रदेश ने नलकूपों के लिए बिजली सप्लाई का समय 7 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है।"

वास्तव में जब यह समय 7 घटे था तो किसानों को मुश्किल से 2 घंटे तक बिजली थी। अब उन्हें अधिक से अधिक 4 अथवा 6 घंटे तक बिजली सप्लाई की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके निर्वाचन क्षेत्र में स्थिति क्या है ?

श्री हरिकेश बहादुर : मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थिति बहुत ही खराब है। कारखानों के मालिक भी कठिनाई में हैं। उस क्षेत्र में भी बिजली की बहुत कटौती की जाती है। आम आदमी के लिए सरकार हर जगह कई बातों का वायदा करती है। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

हम दिल्ली की ही बात लें। दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान हमेशा बिजली सप्लायी में सुधार का दावा करता है। लेकिन दिल्ली में, बिजली में बहुत कटौती की जाती है। मन्त्री महोदय को दिल्ली की समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजधानी में ही बिजली की भारी कटौती होती है। दिल्ली विद्युत सप्लायी उप संस्थान हमेशा सुधार का दावा करता है। मैं एक विशेष बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्री एच० के० एल० भगत हमें बतायें कि आज की स्थिति क्या है। दक्षिणी दिल्ली में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। पश्चिम दिल्ली में केवल कुछ ही दिन पहले कारखानों के मालिकों ने दिल्ली विद्युत सप्लायी उपक्रम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ये सब बातें हो चुकी है। हम ऐसी बातें अनेक समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि अस्पतालों में भी बिजली की सप्लाई उचित ढग से नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने कारण बता दिये हैं क्योंकि यह राजस्थान तथा बिहार की सहायता करते रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं देश के अन्य स्थानों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, के अस्पतालों को भी बिजली की उचित सप्लायी नहीं हो रही है। तापीय बिजली संयत्रों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। कहीं-कहीं तो कुल क्षमता के 30 अथवा 35 प्रतिशत भाग का ही उत्पादन हो रहा है। उनकी कठिनाई यह है कि उन्हें अच्छी किस्म का कोयला नहीं मिल रहा है। इसी कारण बिजली सप्लायी में बाध्य पड़ती है क्योंकि कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। अच्छे किस्म के कोयले की सप्लायी नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप कठोर तो बन जाती है। स्टीम का उत्पादन भी उचित ढंग से नहीं होता और कभी-कभी बायलर भी नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें अधिक कोयला धावनशालाओं की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता

[श्री हरिकेश बहादुर]

हूं कि क्या कुछ अधिक कोयला धोवनशालायें स्थापित की जा रही है या नहीं। बंदरपुर तापीय बिजली सयंत्र के काम में भी सुधार लाया जाना चाहिए। कुछ सुधार हुए हैं लेकिन उतने सन्तोषजनक नहीं। जहां तक हमारे बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, वे हर राज्य में भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं और मंत्री महोदय इस बारे में जानते ही हैं। माननीय सदस्य श्री पाइलट ने इस बारे में पूछा था लेकिन मन्त्री ने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। हम कई सूत्रों से सुनते रहते हैं कि बिजली बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है, जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है लेकिन सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। वे कहते हैं कि ये राज्य सरकार अथवा राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी है, वे स्वायत्तशाली निकाय है, आदि आदि। केवल ऐसी ही बात कहकर वे अपनी जिम्मेवारियों से जी चुरा रहे हैं। यदि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो उन्हें अधिनियम को संशोधित करना पड़ेगा। लेकिन वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान अधिनियम को संशोधित करने में सरकार क्यों संकोच कर रही है? इसे संशोधित किया जाना चाहिए और सरकार जहां भी भ्रष्टाचार हो, वहां हस्तक्षेप कर सकती है।

जहां तक उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का सम्बन्ध है, सारे विभाग में लूट चल रही है कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हम यहां हमेशा ही घाटा देखते हैं कि और उस को बिजली शुल्क, जो उपभोक्ता के लिए भारी बोझ है से पूरा किया जाता है लेकिन सरकार इसकी कोई भी परवाह नहीं करती। उपभोक्ताओं को ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड इस देश में सरकारी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है जो हमेशा घाटे में ही चलता है। हर वर्ष 6 करोड़ रुपये का घाटा होता है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड में कुल 2000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। इस समय तक 00 करोड़ रुपए की हानि हो चुकी है और हर वर्ष 6 करोड़ रुपए की हानि होती है। 100 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा देय है जिसकी सरकार वसूली नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड जितना भी ऋण ले रहा है उसे वापिस नहीं किया जा रहा है। ब्याज भी नहीं लिया जाता जो लगभग 430 करोड़ रुपये के करीब है।

मन्त्री महोदय ओबरा तापीय बिजली संयंत्र के बारे में भी जानते होंगे। इसकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1150 मेगावाट है लेकिन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत भाग का उत्पादन भी नहीं किया जा रहा है। कभी कभी वे उत्पादन क्षमता के 35 प्रतिशत भाग का उत्पादन नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि कोयले की किस्म अच्छी नहीं है। उसी किस्म के कोयले की सप्लायी रेणुकफगर बिजली सयंत्र से भी की जा रही है और वे अपनी कुल क्षमता से 90 प्रतिशत भाग का उत्पादन कर रहे हैं। ओबरा तापीय बिजली सयंत्र की क्या कठिनाई है जिससे कि वह उत्पादन नहीं कर सकता है।

योजना आयोग ने अभी हाल में अनुमान लगाया है कि छठी योजना के अन्त तक 5000 मेगावाट बिजली की कमी होगी। यदि यह स्थिति है तो हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर

पायेंगे जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इसकी स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है। हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण देश भर में हर जगह उचित ढंग से नहीं हो रहा है।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है, उसके आधार पर मैं अपना प्रश्न पूछना चाहूंगा। (क) अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राख की मात्रा कम हो ? (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी कोयला धोवनशालायें स्थापित की जा रही हैं।

प्रश्न (ग) क्या यह एक सत्य है कि मजदूरों में असन्तोष की वजह से भी विद्युत का उत्पादन कम है ; यदि हां तो मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने को सोच रही है ? जहां तक मजदूरों की समस्याओं का सम्बन्ध है सरकार उदासीन रही है और कभी इसको परिव्यय नहीं करती है वह तो सिर्फ मजदूरों का दमन करती रहती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप किसी भी तरह से मजदूरों की समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : प्रश्न (घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बकाया राशि की वसूली के लिए निदेश जारी कर रही है। और आखिरी प्रश्न। क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एजेंन्सियों जैसे विश्व बैंक आदि से छठी योजना के दौरान और विद्युत उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए ऋण लेने के बारे में सोच रही है और इन एजेंसियों से कितना धन प्राप्त होने की आशा है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये कई एक प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जहां तक राज्य बिजली बोर्डों की आन्तरिक समस्याओं का प्रश्न है, उसके लिए मैंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। चाहे यह वित्तीय मामला हो चाहे मजदूरों में असंतोष का मामला हो या कम विद्युत उत्पादन का मामला हो ये सभी आन्तरिक मामले हैं। ये मामले उन्हें ही सुलझाने हैं। वे इन मामलों में हमसे जो कुछ भी सहायता मांगते हैं, हम उन्हें देते हैं अगर वे सहायता नहीं मांगते है तो हम नहीं देते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : आपकी सहायता का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, हमने दल नियुक्त किये हैं—एक दल प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड से, एक दल रेल विभाग से और एक दल विद्युत विभागों से जब कभी हमें कोई शिकायत मिलती है तो यह तीनों एजेंन्सियां वहां जाकर जांच करती हैं कि उस यूनिट विशेष के लिए क्या कोयला उपयुक्त है या नहीं। अगर कोई शिकायत होती है तो वे उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं।

[श्री हरिकेश बहादुर]

जहां तक धोवनशालाओं का सम्बन्ध है मुझे बिजली घरों के लिए काफी संख्या में धोवनशालायें बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप धोवनशालाएं बनायेंगे तो निश्चय ही इससे कोयले का दाम बढ़ेगा और इस खर्चे को राज्य बिजली बोर्डों को वहन करना होगा और उन्हें इसके लिए सहमत भी होना होगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है कोयला विभाग को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

आपने तीसरी बात यह कही कि बिजली सिर्फ दो, तीन या कई जगह चार घंटों के लिए उपलब्ध है। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि यह जानकारी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी गई है। हम अपने दलों को कृषि मन्त्रालयों के अधिकारियों के साथ भेज रहे हैं और वह हमें बतायेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो सूचना उन्होंने दी है, वही मैं आपको बता रहा हूं।

जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, हमारी सूचना के अनुसार वहां बिजली की कटौती नहीं है। अगर आप कहते हैं कि वहां कटौती की जा रही है तो हम निश्चय ही इसकी जाँच करायेंगे और आपको सूचना देंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : विश्व बैंक से ऋण के बारे में क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सावधान रहना चाहिए। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नहीं है। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में नहीं पूछ रहे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : साधारणतया सुपर थर्मल पावर स्टेशनों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलती है और (*व्यवधान*)

श्री हरिकेश बहादुर : छठी पंच वर्षीय योजना के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : छठी पंच वर्षीय योजना में उन्होंने अभी तक फरक्का-I चरण की स्वीकृति दी है। अब वे दूसरे चरण की मंजूरी देने जा रहे हैं, क्योंकि वे फरक्का का दौरा करने के बाद काफी संतुष्ट हुये हैं। जब फरक्का का दूसरा चरण पूरा हो जायेगा, तब हम दूसरा प्रस्ताव भेजेंगे। हमें इसके बारे में अभी सोचना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि जेना। अपना भाषण काफी संक्षिप्त रखें और केवल प्रश्न ही पूछें, क्योंकि आपने और दूसरे माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने के पश्चात हमें सभा को स्थगित करना है। हम पहले ही बहस कर चुके हैं।

श्री चिंता मणि जेना (बालासोर) : एक समय था जब ऊर्जा सभ्यता का ही भाग माना जाता था। लेकिन बिजली अब जीवन का एक अंग बन गई है। इसलिए इस सैक्टर को मंत्रालय

द्वारा उच्च प्राथमिका दी जानी चाहिए। मैं सरकार का आभारी हूं कि वह कृषि क्षेत्र को बिजली सप्लाई करने में उच्च प्राथमिकता दे रही है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में स्थिति क्या है? मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में माना है कि विभिन्न राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है। अगर इसे कुछ और समय तक जारी रहने दिया जाता है तो इससे निश्चित रूप से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। मन्त्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि वर्षा न होने व समय पर मानसून न आने की वजह से पन-बिजली का उत्पादन कम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने पहले ही मान लिया है कि उड़ीसा में स्थिति काफी खराब है। इसलिए आप कृपया उड़ीसा से सम्बन्धित ही कुछ प्रश्न पूछें।

श्री चिन्तामणि जेना : श्रीमन, मैं इसी पर आ रहा हूं।

सरकार को समुद्र के पानी मे बिजली पैदा करने की क्या नीति और कार्यक्रम हैं? इसी तरह, हमें पन बिजली और तापीय बिजली पर भार कम करने के लिए बायो गैस संयंत्रों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, यहां तक कि यह ऊर्जा मन्त्रालय के अन्तर्गत भी नहीं है। सारे देश में बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

बिजली उत्पादन मे विफलता कई कारणों से हो सकती है। सरकार द्वारा इन्हें सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं? इनम से एक वर्तमान सयंत्रों की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम है लेकिन मन्त्री महोदय ने इस जोरदार कार्यक्रम के कार्य बारे में अपने वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा है।

बी० एच० ई० एल० और ऊर्जा क्षेत्र में तालमेल की कमी है। बी० एच० ई० एल० कहता है कि बिजली बोर्ड और अन्य ऊर्जा क्षेत्र वाले मशीनरियों को उठा नहीं रहे हैं, दूसरी ओर ऊर्जा क्षेत्र वाले कहते हैं कि बी० एच० ई० एल० समय पर उपस्करों की सप्लाई नहीं करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं बिजली बोर्ड केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन नहीं करते हैं। मन्त्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों मे बिजली बोर्डों की प्रणाली में सुधार लाने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि ये स्वायत-शासी निकाय हैं। सारे वर्ष एक स्थायी कार्यक्रम के अनुसार दोषों और कमियों का पता लगाते रहना चाहिए और विशेषज्ञों और तकनीशनों के एक चलता फिरता दल होना चाहिए जो मौके पर जाकर इन समस्याओं को देखें और ऊर्जा उत्पादन और इसके आदि के बारे मे सुझाव दें। सरकार ने राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है? इसे कहां तक लागू किया गया है?

[श्री चिन्तामणि जेना]

इसी तरह मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार लाभ वाले बड़े उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली देने की अपनी नीति की समीक्षा करे। उन सभी बड़े उद्योगों को जो काफी लाभ कमा रहे हैं भविष्य में रियायती दरों पर बिजली न दी जाय।

इसके अलावा, हमें बिजली बोर्डों को होने वाले भारी नुकसान के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मन्त्री इस बात की जांच करें कि क्या यह सत्य नहीं है कि 1.4-1979 तक। राज्य बिजली बोर्डों को 773.73 करोड़ का घाटा हुआ इसका मतलब है कि 1982 तक यह बढ़कर 10,00 करोड़ रु० हो जाता। इसका इलाज क्या है ? उनको बिजली उत्पादन को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि उनको भारी हानि हो रही है, इसलिए सरकार को उपचारात्मक उपायों के बारे में सोचना होगा।

मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में बिजली की और बिजली सप्लाई में बाधायें काफी होती हैं। जैसाकि आपको भी पता है, आज ही सुबह 11-45 पर संसद भवन में अंधेरा था। लाइब्रेरी, केन्द्रीय कक्ष और यहां तक कि चेम्बर में भी बिजली नहीं थी। क्योंकि हम शीघ्र ही एशियाड करवाने जा रहे हैं, जिसमें की गई एक विदेशी मेहमान शामिल होंगे, हमें इस बारे में उपचारात्मक उपाय शीघ्र ही करने चाहिए। अब अपने राज्य उड़ीसा के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा था कि आप उड़ीसा के बारे में बोलिए। जब तुम्हारा अपना घर ही ठीक नहीं आपने सारे विश्व की बातें कह डाली हैं।

श्री चिंतामणि जेना : श्रीमान, उड़ीसा में 614 मेगावाट की कुल क्षमता में से 75 प्रतिशत पन-बिजली से और 25 प्रतिशत तापीय संयंत्रों से प्राप्त होती है। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि :

> "उड़ीसा, सामान्य तौर पर फालतू विद्युत वाला राज्य है किन्तु बलिमेला और मचकुंड जलाशयों के अपवाह क्षेत्रों में पिछले वर्ष कम वर्षा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विद्युत की कमी हो गई थी। कुछ श्रेणी के उद्योगों पर विद्युत कटौतियों पिछले नवम्बर से लागू हैं।"

मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत की कटौतियां केवल कुछ श्रेणी के उद्योगों में ही नहीं बल्कि सभी मामले में होती है। इसलिए उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। मन्त्री महोदय ने आगे कहा है कि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ तक उड़ीसा में बिजली की कटौती की जाती रहेगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि हमें सिर्फ उड़ीसा के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के किस तापीय विद्यु आदि जैसे बिजली के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचना चाहिए।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बिजली उत्पादन का प्रश्न है, विभिन्न विभागों में कोई ताल मेल नहीं। उदाहरण के तौर पर तलचर तापीय संयंत्र को निम्न ग्रेड का कोयला दिया जाता है और वह भी समय पर नहीं. दिया जाता जिसके फलस्वरूप तलचर तामीप सयत्र मे बिजली उत्पादन में बाधा आती है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। सुपर थर्मल पावर स्टेशनों के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर दें। यह ज्यादा समय ले रहे हैं। मन्त्री महोदय ने प्रश्न समझ लिया है। वह इसका जवाब देंगे।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं सिर्फ तलचर में सुपर थर्मल स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं, जिसके बारे में पिछले कई वर्षों से चर्चा की जाती रही है।

मैं सरकार से इसकी जांच करने का आग्रह करूंगा, ताकि उड़ीसा में विद्युत संकट समाप्त किया जा सके, क्योंकि उड़ीसा के मुख्य मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक के वर्तमान नेतृत्व में उड़ीसा का औद्योगिकरण किया जा रहा है। अतः विद्युत की मांग और भी बढ़ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये। वह उत्तर देंगे। आप अनावश्यक बातें कहते चले जा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : और मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चत करें कि तलचर के सुपर थर्मल प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की जाए और काम इस वर्ष से आरम्भ किया जाए।

इसी के साथ में समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृपया बाधा न डालें।

(व्यवधान)

(श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जहां तक भारत का सम्बन्ध है ज्वारीय विद्युत अधिक संभवानाएं नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह उन्हें उत्तर न दें?

(व्यवधान)

यह ठीक है? नियम पढ़ लीजिए। आपको अनुमति नहीं दी जाएगी।

[श्री चिन्तामणि जेना]

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : गुजरात तट पर ज्वारीय विद्युत परियोजना हेतु संभाव्यता अध्ययन आरम्भ किया गया है बायो गैस कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के पास है और उन्होंने लगभग 4 लाख यूनिटों को स्थापित करने की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है ?

जहां तक भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और आई० एल० के० के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स और आई० एल० के० के बीच समय-समय पर समन्वय स्थापित करेंगे और वे प्रत्येक महीने परस्पर एक बैठक करेंगे और करते हैं। कभी-कभी में अपने स्तर पर भी करता हूं।

जहां तक राजाध्यक्ष सीमित का संबन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी राज्य ने राज्याध्यक्ष समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है यद्यपि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हमारी राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में बहुत रुचि है। फिर भी हम विद्युत मंत्रियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और एक बात फिर हम राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर आम सहमति प्राप्त करने का प्रचार करेंगे।

राज्य विद्युत बोर्ड हानि का जहां तक सम्बन्ध है, मैं विवश हूं। मै कुछ नहीं कर सकता जैसाकि मै स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं मौजूदा विद्युत स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता।

उड़ीसा में विद्युत स्थिति के सम्बन्ध में उड़ीसा बुनियादी तौर पर जल विद्युत पर निर्भर राज्य है। उड़ीसा में जल विद्युत की स्थापित क्षमता 664 मेगावाट है और ताप विद्युत की 360 मेगावाट। उड़ीसा राज्य मुख्यत: जलविद्युत पर निर्भर है और राज्य में विद्युत की स्थिति बलिमेला और हीराकुड जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। गत वर्ष वर्षा अच्छी न होने के कारण बलिमेला जलाशय में जलस्तर कम रहा है। अत: सरकार को नवम्बर, 1981 में विद्युत कटौती लागू करनी पडी। मानसून विलम्ब से आने के कारण इस वर्ष उड़ीसा में जल विद्युत का उत्पादन बहुत ही कम रहा। वास्तव मे विद्युत की उपलब्धता 100 लाख यूनिटों की तुलना में 50 लाख यूनिट प्रतिदिन है। इसीलिए राज्य में 50 प्रतिशत विद्युत की कमी है और उद्योगों के मामले में विद्युत की अत्यधिक कटौती की गई है। उड़ीसा में यह स्थिति है।

तलचर के विस्तार के बारे में, यह 100 मेगावाट है। हमें आशा है कि यह 1982-83 में आरम्भ हो जाएगा। एक और जल-विद्युत परियोजना-रांगली 1984-85 में आरम्भ की जाएगी और अपर कोलार भी छठी योजना अवधि में आरम्भ हो जाएगी स्थिति यह है।

श्री चिन्तामणि जेना : तलचर सुपर ताप विद्युत परियोजना की क्या स्थिति है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तलचर के सुपर ताप विद्युत परियोजना का जहां तक संबन्ध है, इसकी जांच हो रही है। हम परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 21 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

देश में बिजली की कमी – जारी

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप औरों के लिए बहुत ही उदार और धैर्यवान हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे प्रति भी उदार रहेंगे।

मुझे आज कुछ बातें कहनी हैं और ऊर्जा मन्त्री से कुछ प्रश्न पूछने हैं। अच्छा मैं सीधे यह स्वीकार करता हूं कि जहां तक देश में सम्पूर्ण विद्युत आपूर्ति की स्थिति का सम्बन्ध है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने समस्या को समझा और इसमें सराहनीय सुधार हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं किसी राजनीति वश यह नहीं कह रहा हूं। जहां तक देश में विद्युत आपूर्ति की सम्पूर्ण स्थिति का सम्बन्ध है इसमें पर्यटन सुधार हो रहा है। अब उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातों की जानकारी चाहता हू।

मैं अब दिल्ली राज्य पर आता हू। (व्यवधान) दिल्ली की एक विशिष्ट स्थिति है। मंत्री महोदय की बहुत ही सहानभूति, आदि रही हैं। हाल ही में मंत्री ने भी दिल्ली में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में बहुत रुचि ली है। फिर भी, मैं यह महसूस करता हूं कि दिल्ली की एक विशिष्ट स्थिति है क्योंकि यह देश की राजधानी तथा अति महत्वपूर्ण बड़े अन्तर्राष्ट्रीय नगरों में से एक है सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकार और विशेष रूप से प्रधान मंत्री इसका बहुत ही ध्यान रखती है। वे इस पर अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं और इसका प्रति व्यक्ति खर्च भी काफी है। दिल्ली के प्रति इतना ध्यान और स्नेह रखने के बावजूद, इसकी स्थिति उस दुलहन जैसी है जिसके कई पति

हों कई पतियों में हमारी विभिन्न एजेंसिया तथा प्राधिकरण एवम स्थानीय निकाय आते हैं। यदि मैं इनकी गिनती करने लगूं तो शायद न गिन पाऊं क्योंकि ये अनगिनत हैं यही कारण है। जैसे कहा जाता है कि बहुत सी बिल्लियां चूहे नहीं मार सकती इसी प्रकार कभी-कभी दिल्ली को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि इस पर नियन्त्रण करने वाले अनेक हैं एक नहीं हैं।

अब हम इसकी विद्युत स्थिति को लेते हैं जहां तक दिल्ली की विद्युत स्थिति का सम्बन्ध हैं, हमारे पास दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान है हमारे पास भाखड़ा है, हमारे पास बदरपुर है, हमारे पास हरियाणा है, हमारे पास मंत्रालय हैं, बहुत से प्राधिकरण और अभिकरण हैं। जो दिल्ली में विद्युत आपूर्ति के किसी न किसी पक्ष को देखते हैं। अब, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में यह कहा गया है कि रोहतक रोड़ पर हो सब स्टेशन क्षतिग्रत हो गए और खराब हो गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस तारीख को और कब खराब हुए ? उनकी मरम्मत किसके द्वारा की जानी थी ? मरम्मत कार्य कब आरम्भ हुआ ?

उन्होंने कहा यह अब समाप्त होने वाला है। मेरा अनुभव और सूचना कुछ इस प्रकार है। समस्या चल रही है परन्तु उसके लिए कोन उत्तरदायी है ? न केवल अब बल्कि पहले भी। किसके द्वारा यह किया जाना था ? एक प्राधिकरण कहता है यह हमारा काम नहीं है दूसरा कहता है, यह हमारा नहीं है और इस प्रकार इसमें समय लगता है। इस प्रक्रिया में सुधार अथवा मरम्मत कार्य को नुकसान पहुंचता है। प्रायः इसमें विलम्ब हो जाता है। मंत्री और मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है और इसमें समय लगता है। इसका अर्थ होता है काफी विलम्ब। इसके परिणामस्वरूप लोगो को भुगतना पड़ता है।

ठीक है, दिल्ली के लोग भारत के अंग हैं। दिल्ली वाले अन्य लोगों के साथ कष्ट उठाकर प्रसन्न होंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं इसे बुरा नहीं मानता। राजस्थान में कृषि की सहायता हेतु दिल्ली वाले कष्ट उठा लेंगे। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि हमें राजस्थान में कृषि की सहायता करनी है तो हमें इस नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं भारत का होने के नाते राजस्थान का भी उतना ही हूं जितना भारत के किसी अन्य भाग का मैं संकीर्ण भावना से नहीं बोल रहा हूं। परन्तु बहुत सी परिचार्य कठिनाइयां प्रणाली और मानवीय दोषों के कारण होती हैं।

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि सरकार पिछले ढाई वर्षों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का महाप्रबन्धक नियुक्त नहीं कर सकी है। इससे सरकार के बारे में क्या रहस्य बन भी कई बार हम कह चुके हैं। यह कह कर स्थिति स्पष्ट की जाती है "हमने यह किया है, हमने वह किया है। हमने इस व्यक्ति को लिखा है, हमने उस व्यक्ति को लिखा है।" अनेक बार हम यह प्रश्न उठा चुके हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का महाप्रबन्धक क्यों नियुक्त कर दिया जाए ? मैं किसी पर

आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दि० वि० प्र० सं० का महाप्रबन्धक कब नियुक्त किया जाएगा। मैं उस निगम आयुक्त पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं जिसने दोहरा कार्यभार सभाल रखा है। दि० वि० प्र० स० पर एक महाप्रबन्धक द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसस सरकार का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं :

"हमने कागजात उपराज्य पाल को भेज दिए हैं, हमने यहां भेज दिए हैं, हमने वहां भेज दिए हैं।"

इससे हमारी और दिल्ली के लोगों की सन्तुष्टि नहीं होती।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत कौन करेगा। यह या वह, इसमें बहुत ही उपयोगी समय नष्ट कर दिया गया जिसके कारण लोगों को और अधिक समय तक कठिनाई सहनी पड़ी।.

तीसरे, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनके पास काफी विद्युत है और पर्याप्त विद्युत होने के बावजूद भी वितरण प्रणाली में कठिनाइयां हैं। मैं वितरण प्रणाली की कठिनाइयों को समान रूप से जानना चाहता हूं और वितरण प्रणाली की उन बाधाओं को दूर करने हेतु वे कौन से समय-समय बद्ध उपाय करने जा रहे हैं।

चौथे उन्होंने कहा है कि वह सुधार हेतु कुछ तकनीकी उपाय करने जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वह तकनीकी उपाय क्या हैं और उनसे क्या सुधार होने की संभावना है।

दिल्ली का बड़ी तीव्रता से विस्तार हो रहा है। आज इस नगर में 70 लाख लोग रहते हैं। जनगणना के समय हम 67 लाख थे। अब हम 70 लाख हैं। यह बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय के पास दिल्ली के लिए कौन सी दीर्घ अवधि योजनाएं हैं। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र हैं। अन्ततः उत्तरदायित्व संघ सरकार पर ही है। कोई भी यह कहकर कि यह राज्य का विषय है उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। यह सघ शासित क्षेत्र है और इस लिए इसके लिए वही उत्तरदायी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कौन सी दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गयी हैं।

दिल्ली के लोगों को किसी वस्तु की कमी के बारे में आपत्ति नहीं होगी। मुझे स्थिति का पता है। आज दिल्ली में कहा जाता है कि बिजली में कटौती की जाएगी। दिल्ली के विभिन्न भागों में काफी मात्रा में बिजली की कटौती की जाती है। हमें बिजली की कटौती का अनुभव है। हम सभा में भी उसका उदाहरण देख चुके हैं। मेरी शिकायत यह नहीं है। मेरी शिकायत यह

है कि बिजली कम होने की स्थिति में इसका वितरण भी तर्कसंगत ढंग से किया जाए। मैं यह महसूस करता हूं कि दिल्ली में बिजली कम होने की स्थिति में इसका वितरण तर्कसंगत ढंग से नहीं किया जाता है। इसका वितरण अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है। मैं जान बूझकर उन क्षेत्रों का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहता। परन्तु यह तथ्य है कि कुछ क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा की जाती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानों उनका कोई अस्तित्व ही न हो और वहां लगातार कई घंटों तक विद्युत की कटौती की जाती है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का, जो निस्सन्देह एक अपेक्षित क्षेत्र है, नाम नहीं ले रहा हूं। उदाहरण के लिए नजफगढ़ रोड क्षेत्र को लीजिए जो कि औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र है। लगातार कई घंटे, कभी-कभी लगातार कई दिन बिजली नहीं होती। यह सच्चाई है। अधिकारीगण मन्त्री महोदय को कुछ भी बता सकते हैं। परन्तु मैं उसका निजी तौर पर साक्षी हूं। कई बार लगातार कई घंटे बिजली नहीं होती। इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वहां निम्न वोल्टता रहती है। माननीय मन्त्री महोदय ने ठीक कहा है कि क्योंकि वह राजस्थान को विद्युत सप्लाई कर रहे हैं इसलिए कम वोल्टेज है। मैंने जैसा कि कहा है हम उठाने के लिए तैयार है राजस्थानी भाई हमारे अपने भाई है। हम उनके लिए कष्ट उठाने को और उन्हें अधिक बिजली देने के लिए तैयार हैं। परन्तु मैं सोचता हूं कि कुछ परिहार्य कठिनाइयां है जिनसे बचना चाहिए। कम वोल्टेज की वजह से औद्योगिक मशीनरी में खराबी आती है, रिफ्रेक्टरों में खराबी आती है, रेडियो और टेलीविजन सेटों में खराबी आती है। इससे काफी कठिनाई होती है।

मैं जानता हूं कि मुझे माननीय मन्त्री के प्रति अवश्य ही ईमानदार और न्यायपूर्ण होना चाहिए। वह अपने मित्र श्री विक्रम महाजन तथा अन्यों के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। वे कार्य कुशल है। फिर भी स्थिति में उस सीमा तक सुधार नहीं हुआ है जितनी हमें आशा थी। इसमें कुछ बुनियादी कठिनाइयां है। यह भारत की राजधानी का नगर है। यह प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय नगरों में से एक है।

मैं विश्व के कुछ देशों में गया हूं और हर जगह मैंने देखा है कि वे राजधानी शहर पर विशेष ध्यान देते हैं। अब हम सभी दिल्ली के निवासी हैं। दोनों ही पक्षों के मेरे मित्र देश के भिन्न-भिन्न स्थानों से चुनकर यहां आए हैं। दिल्ली को केवल केन्द्र शासित क्षेत्र ही नहीं मानना चाहिये। मै जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली पर बड़ी मेहरबान है और बहुत सारा धन भी इस पर व्यय कर रही है परन्तु कहीं कुछ गड़बड़ है जिसके परिणामस्वरुप केन्द्रीय सरकार जनता को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाने की इच्छुक है, वह लाभ उसको उस सीमा तक नहीं मिल पा रहे है जिस तक मिलने चाहिये।

बिजली की स्थिति के सन्दर्भ में मैं कहूंगा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपेक्षा की गई है। कोई भी यह जाकर नहीं देखता है कि वहां बिजली है कि नहीं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उसके बारे में तो जितना ही कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। स्वामित्व के अधिकारों आदि के अथवा आपने पुनर्वास कालोनियों में 15 लाख लोगों को व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन देकर बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था। सरकार द्वारा किया गया हाल ही में एक निणय किया किया गया है और उसके फलस्वरूप काफी धन खर्च किया गया है। यह बहुत बड़ा काम है। परन्तु बदनामी इस काम से हो रही है कि बिजली का कनेक्शन देते समय लोग रिस्वत मांगते हैं। लोगों पर किस बात का प्रभाव पड़ा है ? सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय कर दिये हैं और फिर भी सारा लाभ नकारात्मक है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे आदेश दें कि पुनर्वास कालोनियों में बिजली देने के लिए स्थापित पढ़े हुए सभी आवेदन-पत्रों को थोड़े ही समय में निपटा दिया जाए जिससे कि निरीक्षक और अन्य लोग रिस्वत न ले सकें। रिस्वत का कारण होता है विलम्ब।

इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय हमारे साथ मिलकर व्यवहार करेंगे।

सभी समस्याओं का एक ही सुस्पष्ट हल है कि केन्द्रीय सरकार या दिल्ली प्रशासन के उप-राज्य पाल के अधीन एक बोर्ड अलग से बनाया जाए और इसमें अधिकारी रखे जाएं। सब कुछ ठीक हो जायेगा। हमने देखा है कि मुख्य आयुक्त के अधीन जो बोर्ड होते हैं वे काम नहीं करते हमने केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे प्राधिकरण देखे हैं जो काम नहीं करते केवल नौकरशाह ही उनमें रखे जाते हैं। नौकरशाह भी अच्छे होते हैं और रखने आवश्यक हैं, हमें उनकी आवश्यकता होती है, परन्तु केवल नौकरशाही मात्र इसका हल नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे भविष्य में इसे उप-राज्यपाल को सौंप दें।

कृपया दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सम्बद्ध कोई भी निर्णय लेने के विषय में दिल्ली के सांसदों के साथ विचार-विमर्श कीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

मैंने ये सब बातें अच्छी भावना से कहीं हैं और मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय दिल्ली पर काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं।

आशा है कि वह इस पर और बेहतर ध्यान देंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : दिल्ली की समस्या विद्युत उत्पादन की नहीं है। यह मुख्य रूप से वितरण की समस्या है। दिल्ली में वितरण प्रणाली अति विशाल है और उसकी

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

अनेक समस्याएं हैं। प्रतिदिन 4,000 मामले बिजली खराब होने के होते हैं। मेरी समझ विश्व में कहीं भी किसी नगर में 24 घन्टे में बिजली खराब होने के 400 मामले होते हों। मैं स्वयं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यालय तथा नियन्त्रण-कक्ष में गया हूं। मैने उनकी उपस्थिति की जांच पड़ताल की है और यह देखा है कि वे किस प्रकार इन शिकायतों को दूर करते हैं।

अब सम्भवतः स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। मेरे विचार से अब वे ८0% से अधिक ब्रेकडाउनों पर ध्यान दे रहे हैं। हमने एक कार्य-बल नियुक्त किया है और यदि स्थिति मांग करती हैं तो यह देखने के लिए मैं विदेशियों को निमन्त्रित करूंगा कि दिल्ली की वितरण प्रणाली को किस प्रकार सशक्त और आधुनिक बनाया जा सकता है।

दिल्ली की प्रमुख्य समस्या वितरण प्रणाली की है। जैसाकि मेरे मित्र ने ठीक ही कहा हैं कि कुछ स्थानों को बिजली मिलती ही नहीं है। उनका कहना है कि उत्पादन नहीं होता है। परन्तु बात ऐसी नहीं है, उत्पादन तो होता है, लेकिन वितरण प्रणाली बड़ी कमजोर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कु-प्रशासन।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : एक और भी समस्या है। मैं उत्पादन की बात बाद में करूंगा मैं 'देसू' की बात कर रहा हूं : देसू का ढांचा ही एक समस्या है। इसे किस प्रकार पुनर्गठित किया जाना है और कितनी शीघ्रता से किया जाना है, यही हमारी समस्या है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान की स्थापना, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अधीन की गई है। महाप्रबन्धक इस संस्थान का मुख्य कार्यकारी होता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन स्थापित दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति नाम की समिति द्वारा संस्थान पर नियन्त्रण रखा जाता है। सामान्यतया दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के कार्यों की देख-भाल गृह मन्त्रालय करता है। तथापि, जैसी कि गृह मन्त्री महोदय ने इच्छा प्रकार की है, दिल्ली में बिजली सप्लाई सम्बन्धी मामले पर ऊर्जा मन्त्रालय की देखभाल चल रही है। यह मेरा उत्तरदायित्व नहीं है परन्तु उन्होने ऐसा करने का मुझसे निवेदन किया तो मैं इसकी देखभाल करता हूं। वास्तव में मेरे पास कोई प्राधिकार नहीं हैं। राज्य बिजली बोर्डों की तरह ही 'देसू' के प्रबन्धकीय ढाचे का पुनर्निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। पुनर्निर्माण प्रस्तावों को लागू करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम को सशोधित करना भी आवश्यक हो जायेगा। अब तक जो कुछ भी कदम हम उठाते रहे, उसके बारे मे हम सांसदो और दूसरे लोगों से चर्चा करते रहे है, जिससे कि एक सर्व सहमति बन सके और वैसा हम कर सकते हैं। समस्या का यही मर्म है और यही हमें करना होगा।

जहां तक 'देसू' के प्रबन्धक की नियुक्ति का प्रश्न है, उसका पद 6.6.1980 को रिक्त हुआ था। अपने दायित्वों के साथ-साथ दिल्ली के निगमायुक्त महा-प्रबन्धक के कार्य की भी देख-भाल करते आ रहे थे। जुलाई 1980 में, उप-राज्य को चार नामों की तालिका की सिफारिश की गई थी जिन्होंने हरियाणा के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम की नियुक्ति हेतु गृह मन्त्रालय को सिफारिश की। किन्तु यह अधिकारी महा-प्रबन्धक बनने के लिए राजी नहीं हुआ। अक्तूबर 1980 में ऊर्जा मन्त्रालय ने रक्षा मन्त्रालय से कहा था कि वह इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी असैनिक अधिकारी के नाम का सुझाव दे उन्होंने इस पद के लिए एक सिविल इन्जीनियर की सिफारिश की। कुछ और नाम भी प्राप्त हुए थे... (व्यवधान)

श्री हरिकिशन लाल भगत : उसकी नियुक्ति कब की जायेगी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि मैं बतला चुका हूं, यह गृह मन्त्रालय का काम है। मैं कल गृह मन्त्रालय से महाबन्धक की नियुक्ति के लिए निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह गृह मन्त्रालय से सिफारिश करेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे माननीय मित्र दूसरी बात यह जानना चाहते थे। रोहतक रोड का पहला ट्रान्सफार्मर जुलाई; 1980 में खराब हो गया था और दूसरा मार्च, 1981 में। जब पहला ट्रान्सफार्मर खराब हुआ तो भाखड़ा ब्यास काम्पलेक्स ने इसकी मरम्मत के प्रयास किये और अन्तत: जापान से "वाइन्डिंग-अप" का आयात करने के आदेश दिया मरम्मत का काम अगस्त के अन्त तक पूरा हो जायेगा। 'देसू' ने जो नया ट्रान्सफार्मर मंगवाया था वह रोहतक रोड स्टेशन पर पहुंच चुका है और अगस्त के अन्त तक उसे वहां लगा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्वतन्त्रता दिवस के बाद।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक विद्युतोत्पादन की बात है, आजकल इन्द्रप्रस्थ और राजघाट से हमें 200 मेगावाट बिजली मिल रही है और बदरपुर से हमें 450 मेगावाट मिलती है, कुल मिलाकर 650 मेगावाट। दिल्ली की मांग 600 मेगावाट की है। सामान्यतया बदरपुर और "देसू" के बिजली घरों से दिल्ली की 600 मेगावाट की मांग की पूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त बैड़ा स्थूल परियोजना से भी दिल्ली को आजकल 180 मेगावाट बिजली मिल रही है।

इस प्रकार दिल्ली के 600 मेगावाट की मांग के मुकाबले आजकल उसे लगभग 800 मेगावाट बिजली मिल रही है। यह व्यवस्था एशियाई खेलों के समाप्त होने तक चलती रहेगी।

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

दिल्ली के पास उपलब्ध 100 से 200 मेगावाट अधिक बिजली को समय-समय पर राजस्थान बिहार और दामोदर घाटी निगम को दिया जाता है।

श्री एच० के० एल० भगत : तो मन्त्री महोदय यह बताएं कि वह वितरण सम्बन्धी अड़चनों को दूर करने के लिए वह कौन से विशिष्ट समयानिष्ट उपाय कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे द्वारा इसमें रुचि लिये जाने से पूर्व इन 400 ब्रेक डाउनों की मरम्मत में 3,4,5, और 6 दिन तक लग जाते थे, जोकि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय नगर में सर्वाधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विश्व-रिकार्ड है।

श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी : यह स्थिति है। किसी और शहर में ऐसा नहीं होता है। कलकत्ता में बिजली उत्पादन की तो समस्या है परन्तु वहां ब्रेकडाउन की नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं। एक कार्य-बल की नियुक्त कर दी गई है और मुझे शीघ्र ही उनका प्रतिवेदन मिल जायेगा और यदि स्थिति की मांग है तो जैसाकि मैंने कहा है हम अमरीका और ब्रिटेन से विशेषज्ञ बुलालेंगे और वे आयेंगे तथा प्रणाली को सशक्ति बनाने के लिए टनों रुपया चाहिये और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामसिंह यादव (**व्यवधान**) कृपया श्री रामसिंह यादव के सिवाय और किसी की भी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मत कीजिए। (**व्यवधान**) हम 1 1/2 घन्टा पहले ही ले चुके हैं। कृपया सहयोग कीजिए। (**व्यवधान**) मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपमें से हर किसी को नियमों की एक कापी रखनी चाहिये। फिर हमारा काम आसान हो जायेगा। श्री रामसिंह यादव।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने पावर सब्जेक्ट को कानकरेन्ट लिस्ट में रखा है और उसके पीछे सबसे बड़ी भावना यह रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर की शासन व्यवस्था में पावर और पानी किसी एक स्टेट या शहर का नहीं होता बल्कि वह सारे राष्ट्र का होता है। इसी सिद्धान्त को लेकर हमें आगे चलना है। इसी भावना के अन्तर्गत आज जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन्टर-स्टेट या सेन्ट्रल सेक्टर के—उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन करना मिनिस्ट्री के लिए जरूरी है। राजाध्यक्ष कमेटी ने 1980 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कुछ मूलभूत सुझाव दिये हैं जिनसे राष्ट्र का भी हित होगा, मंत्रालय का भी हित होगा और प्रत्येक प्रान्त का भी हित होगा।

मैं समझता हूं मंत्री जी ने इस सदन में तथा राज्य सभा में भी इस बात को कहा था कि

वे राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल पावर ग्रिड बनाने पर विचार कर रहे हैं। नेशनल पावर ग्रिड के अभाव में आज पावर के सम्बन्ध में जो अन्तर्राज्यीय विवाद पैदा हो रहे हैं उनका निपटारा भी सम्भव नहीं है और न ही आज स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्डस में जो निकम्मापन और आलस्य आ चुका है या जो भ्रष्टाचार की कहानियां सुनने को मिलती हैं, उनको ही आप समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आज इस बुराई को खत्म करने की सबसे बड़ी दवा यही है कि आप नेशनल पावर ग्रिड की स्थापना कर दें।

इसके अतिरिक्त राज्याध्यक्ष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय (4) में जो बात कही है वह भी आपके ध्यान में आई होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन रीजनल लेविल पर भी रीजनल एथारिटीज कायम करनी होंगी। यदि आप रीजनल एथारिटीज कायम करते हैं तो उससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा।

खास तौर से जो इन्टरस्टेट ट्रांसमीशन लाइन्स है और जो इन्टरस्टेट प्रोजेक्टस हैं, उनके इलैक्ट्रिसिटी इन्फलो को कन्ट्रोल करने के लिए आपको एक शक्ति मिलेगी। आपके पास एक और अथोरिटी होगी। हर स्टेट से सवाल आता है और जो आप का सतपुरा में प्रोजेक्ट है, उससे राजस्थान को हिस्सा नहीं मिलता है और भाकड़ा से राजस्थान को पूरी बिजली नहीं मिलती है, सिंगरौली से राजस्थान को और दूसरी स्टेट्स को बिजली नहीं मिलती है, इन सब के लिए राज्याध्यक्ष कमेटी ने सुझाव दिया है कि आप रीजनल अथारिटीज इलेक्ट्रिसिटी कायम करें और उन रीजनल अथारिटीज से इसका काम करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि आपकी जो समस्या है, उनको आप हल कर सकते हैं। इस तरह के सुझाव तो आपके पास पहले ही आए हुए हैं, केवल उन पर अमल करने की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड पर खर्चा कर रहे हैं और खर्चा करने के बावजूद भी यहां जो माननीय सदस्य, चाहे वे लोकसभा के हों या राज्य के यहां पर प्रश्न करता है, तो आपका मंत्रालय उसमें अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है कि हम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 बन जाने के बाद हर इलेक्टिसिटी बोर्ड ओटोनामस है, स्वतन्त्र है और उनको अपना कार्य के लिए पूरी स्वतन्त्रता है। उस में किसी तरह दखल करने का आपको अधिकार नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, आज राष्ट्रिक आवाज है, आज राष्ट्र की आवश्यकता है, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है राष्ट्र के उत्पादन से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक अवस्था को ऊंचा उठाने के लिए जो पावर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो इन्डस्ट्रियलिस्ट, करोड़पति के लिए जरूरी है, तो गरीब के लिए भी जरूरी है और उसकी व्यवस्था करने के लिए यदि आप इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में किसी तरह का संशोधन करना उचित समझते हैं, तो क्यों नहीं आप पार्लियामेंट के

[श्री रामसिंह यादव]

सामने आते हैं ? उसमें संशोधन कराइए और उसमें आप पावर लीजिए कि ऐसे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी कारण वश इन—एफिशियेंट हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, काम नहीं कर सकता है, उसके अन्दर भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उस इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजमेंट को आप क्यों नहीं ले सकते हैं ।

राज्याध्यक्ष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के चैप्टर-4 में कहा है कि आपको पावर है और कहा है कि ऐसे बोर्ड जो निकम्मे बोर्ड हैं और स्टेट गवर्नमेंट आपकी सिफारिश करती है कि यह बोर्ड ठीक काम नहीं करता है, या उसका रवैया ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है पर फार्मेंस ठीक नहीं है, तो आपवहां की राज्य सरकार से सहमति लेकर उसके मैनेजमेंट को कन्ट्रोल करें । उसके डिस्ट्रीब्यूशन की ओर उसकी परफार्मेंस को आप अपने हाथ में ले सकते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि आप क्यों असमर्थ जाहिर कर रहे हैं मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस तरह की बात कहना उचित नहीं है, हम यह चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक पावर मिले ।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के पास जो महकमा है । यह मन्त्रालय केवल अपने तक ही सीमित नहीं है और दूसरे मन्त्रालय भी हैं, जिनसे आपका सम्बन्ध है, जैसे अटामिक पावर है और एटामिट इनर्जी है, लेकिन इसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है । आप देखेंगे कि अटामिक पावर प्लान्ट जितने भी आपने शुरू किए हैं, उन की आपको एसैसमेंट करना पड़ेगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकेले राजस्थान के अन्दर एटामिक पावर-प्लान्ट में कोटा के अन्दर 174 करोड़ रु० इनिशियल इनवेस्टमेंट है । इसके अलावा सालाना 45 करोड़ रुपया आपरेशनल और कैपिटल एक्सपेन्डीचर इन्वेस्टमेंट हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पूछिये । अब हमें इसे पांच की बजाय तीन करना होगा । और कोई चारा ही नहीं है ।

श्री रामसिंह यादव : एक और प्लान्ट, शायद ऐसा कोई प्लान्ट दुनिया में नहीं होगा, जो कमीशन होने के बाद उनकी दोनों युनिटें तीन सौ बार खराब हो चुकी हैं । उसका कैपेसिटी जनरेशन किसी तरह से भी 20-30 प्रतिशत से कभी भी ऊंचा नहीं गया है । यदि वह एक दिन चलता है, तो सात दिन बन्द रहता ।

मान्यवर, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्रालय भी इस बारे में दुविधा में है । यह जो डिपार्टमेन्ट आफ एटामिक एनर्जी की रिपोर्ट है जिसमें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आप ये सब बातें उद्धृत नहीं कर सकते है । आप पर्याप्त पृष्ठभूमि में जा चुके हैं । कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री रामसिंह यादव : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री रामसिंह यादव : राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट का फर्स्ट यूनिट पिछले साल सितम्बर में बन्द हुआ था और इस साल सितम्बर तक भी उस के चालू होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा यूनिट फरवरी में बन्द हुआ था, बीच में एक दिन चला लेकिन फिर बन्द हो गया। जब एटामिक पावर प्रोजेक्ट से हमको बिजली नहीं मिलती तो हमको दूसरे सोर्स बिजली मिलनी चाहिए। दिल्ली के चौराहों पर आप 500 वाट बिजली जलाते हैं।

दिल्ली के चौराहों और सड़कों को दुल्हन की तरह से सजाया जाय, लेकिन राजस्थान के किसान को अपने कुंए के लिए भी बिजली न मिले—इस के लिये आप को विचार करना चाहिये।

हमारे यहां की इण्डस्ट्रीज बिजली के अभाव में बन्द हो जाय और यहां दिल्ली की सुरक्षा और साज-सज्जा के लिए बिजली देते रहें—ऐसा नहीं चल सकता। बिजली केवल दिल्ली को नहीं है, सारे हिन्दुस्तान को है, उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है, दूसरे प्रदेशों का भी हिस्सा है —यह कह कर राजस्थान के लोगों का मुंह बन्द नहीं किया जा सकता। बिजली कम है, लेकिन राजस्थान को एक यूनिट भी नहीं मिलती है। इस तरह से दिल्ली का आदमी रोजाना 100 यूनिट बिजली नहीं जला सकता, उस को रोजाना 100 यूनिट जलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। आपने अधिक समय ले लिया है।

मुझे खेद है। आप एक आप भाषण दे रहे हैं। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। राज्य बिजली बोर्डों के अकुशलतापूर्ण और अकर्मण्यतापूर्ण कार्य के बारे में योजना आयोग द्वारा प्रकट की गई चिन्ता को देखते हुए क्या विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का सरकार का कोई इरादा है तथा यदि आवश्यकता हुई तो क्या सरकार राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध और कार्य को अपने कार्यक्षेत्र में ले लेगी ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले रहे है या नहीं? यह मेरा प्रथम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपके कितने प्रश्न हैं ?

श्री रामसिंह यादव : केवल दो। मेरा द्वितीय प्रश्न यह है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऊर्जा मन्त्री महोदय राजस्थान नहर में छोटे जल-विद्युत संयन्त्र लगाने और पलाना

लिगनाइट विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति राजस्थान सरकार को प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या वे कोटा के ताप बिजली घर को चालू करने की कोई तिथि निश्चित करेंगे ? मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का इरादा राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड क्षेत्रीय और विद्युत प्राधिकरण स्थापित करने हैं जो कि राज्य से राज्य में अन्तर-राज्यीय परियोजनाओं को नियन्त्रित करने और अन्तर-राज्यीय परिषण लाइनों को ला सके । ये मेरे प्रश्न हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक राज्याध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है मैं सदन में अनेक बार बता चुका हूं कि जब तक आप सहमति नहीं हो जाती हैं हम इसके आगे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । मैं एक बार फिर से विद्युत मन्त्रियों का सम्मेलन बुला रहा हूं, जहां पर मैं एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे । यदि मतैक्य नहीं भी होगा तो हम इस पर कैबिनेट में विचार करने का प्रयास करेंगे और हम विद्युत (पूर्ति) अधिनियम को संशोधित करने का प्रयास करेंगे । मैं यह तो अनुभव करता हूं जब तक राज्यों मतैक्य नहीं हो जाता है तब तक हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे । यदि हम कुछ बातें लादी जायेंगी तो मैं अनुभव करता हूं कि नके उपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे । उन्होंने राजस्थान नहर में लघु जल-विद्युत परियोजना की बात की थी । कृपया कागजात मेरे पास भेजिए । यदि तकनीकी रूप से यह सम्भव है तो निश्चय ही यह किया जायेगा, इसके न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली डाक से उन्हें तुरन्त मन्त्री महोदय के पास भेजिए ।

एक माननीय सदस्य : डाक में विलम्ब में कारण वह उन्हें समय पर नहीं मिलेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए । अब हम दूसरी मद लेते हैं ।

विभिन्न भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदों आदि के कार्यकरण के बारे में याचिका

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं विभिन्न भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कार्यकरण विभिन्न अनुसंधान परिषदों का समेकित परिषद में विलय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के निर्वाचन एक केन्द्रीय अधिनियम बनाए जाने और भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार आदि के बारे में डा० वाई० के० त्रिपाठी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर

से प्रस्ताव करता हूं कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, यह केवल एक खण्ड का ही संशोधन है, जो नियम बनाने तथा इसको सभा पटल पर रखने का, उपबन्ध करने से सम्बन्धित है। क्या मन्त्री महोदय उन प्रारूप नियमों को हमें दे सकते हैं ताकि जब इस पर चर्चा होगी तब हम भी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय विधेयक को पुरःस्थापित किया जा रहा है। चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व मन्त्री महोदय प्रारूप नियम उपलब्ध करायेंगे। अब प्रश्न यह है :—

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के जौनपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : मि० डिप्टी स्पीकर, रूल 377 के तहत मैं आप के जरिए रेलवे मिनिस्टर की तवज्जह अपनी कांस्टीटुयेन्सी जौनपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ दिलाते हुए अर्ज करूंगा कि जौनपुर रेलवे जंक्शन पर कुल चार प्लेटफार्म हैं। प्लेटफार्म 2, 3 और 4 पर जाने के लिए एक सुरंग है, जैसे कि और स्टेशनों पर ठेले पर सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह सुरंग गन्दगी और सीलन की वजह से यूं भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत खराब होने की वजह से ज्यादातर अंधेरा रहता है। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर, डाकू और गुण्डे इससे गुजरने वाले लोगों का सामान छीन लेते हैं और खास तौर पर लड़कियों और औरतों का सामान छीनकर उन्हें बेइज्जत भी करते हैं, जिसकी वजह से आम तौर पर लोग और खास तौर पर लड़कियाँ, औरतें और बढ़े इस सुरंग से गुजरते हुए अपने को गैर-महफूज समझते हैं। जौनपुर जंक्शन के पहले और बाद में जफराबाद और शाहगंज रेलवे स्टेशन हैं। उन पर प्लेटफार्म भी कम हैं, फिर भी इन स्टेशनों पर ओवर-हैड ब्रिज बना कर आने जाने की आसानी मुहैयया की गई है। यह बहुत अच्छी बात है।

इसलिए इन बयानकर्ता और हालात और सच्चाई की रोशनी में मैं मतालबा करता हूं कि जौनपुर जंक्शन पर ओवरहैड-ब्रिज बनाकर मुसाफिरों को एक प्लेटफार्म पर आने और जाने का महफूज रास्ता फराहम किया जाए।

(दो) राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती जिलों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न-लिखित पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा देश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर महत्वपूर्ण नगरों एवं शहरों में न लगाने के कारण देश के 20 प्रतिशत भाग रेडियो प्रसारण की सुविधा से बिल्कुल वंचित रहते हैं। ये अधिकांश भाग सीमावर्ती क्षेत्र में आये हुए हैं। मिजोरम, लेह, यू० पी० का सीमावर्ती क्षेत्र जोकि चीन और नेपाल की सीमा पर आए हैं, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों का 60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जोकि पाकिस्तान की सीमा पर आये हुए हैं, के अधिकांश भाग रेडियो सुविधाओं से वंचिय हैं।

बाड़मेर एवं जेसलमेर में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के बारे में चौथवी एवं पांचवी पंच-वर्षीय योजनाओं में प्रस्ताव था परन्तु वित्तीय कठिनाई का सहारा लेकर उक्त प्रस्ताव को क्रिया-न्वित नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना सन् 1980-85 के प्रस्तावों को तैयार करते समय उक्त प्रस्ताव पर विचार किया था किन्तु संसाधनों की कमी का कारण बताकर उक्त प्रस्ताव को छोड दिया।

सूचना एव प्रसारण विभाग रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता नहीं देता। विभाग को यह भली-भांति जानकारी है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान और चीन का क्षेत्र जो कि इन क्षेत्रों से बिल्कुल लगा हुआ है, मैं रेडियो स्टेशन बड़ी शक्ति के हैं, जिनकी बुलन्द आवाज बाड़मेर, जेसलमेर, लेह, मिजोरम एवं यू० पी० के सीमावर्ती क्षेत्रों में जोरों से पहुंचती है परन्तु विभाग वास्तविकता की ओर आंखें मूंदे हुए है और संसाधनों की कमी का कारण बताकर सही निर्णय नहीं ले रहा है।

दूरदर्शन एवं रंगीन दूरदर्शन के विस्तार में अधिक संसाधन लगाने में विभाग को कोई वित्तीय कठिनाई नहीं आती परन्तु विभाग सीमावती पिछड़े क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न कर उनकी घोर उपेक्षा कर रहा है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को देश की प्रगति की जानकारी से वचित रखना उनके साथ

घोर अन्याय है। ये क्षेत्र देश के प्रहरी हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण की सेवा का लाभ देना केन्द्र सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

अतः सूचना एवं प्रसारण मन्त्री से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जेसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित कराकर सीमावर्ती क्षेत्र की जनता की आवश्यक से आवश्यक मांग की पूर्ति करें और देश के महत्वपूर्ण स्थानों में शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगा कर देश की आवश्यक मांग की पूर्ति करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश के कतिपय पहाड़ी मिलों और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वर्तमान दशक को अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल दशक के रूप में मनाने का सरकार का निश्चय निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। पेय जल के महत्व, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, को देखते हुए माननीय प्रधान मन्त्री जी के नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी पेयजल आपूर्ति को महत्व दिया गया है।

परन्तु यह कार्य बहुत मन्थर गति से चल रहा है। साथ ही पेयजल अभावग्रस्त गांवों की जो सर्वेक्षण सूची 1971 के सर्वेक्षण के आधार पर बनी है उसकी पुनरावृत्ति 1981 या नये सर्वेक्षण के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि 1971 के बाद प्राकृतिक व मानवजन्य कारणों से कई गांव पेयजल अभावग्रस्त हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि कई राज्य सरकारों द्वारा भी इस सूची में में परिवर्धन की मांग की गई है। इस कार्य में जितने धन की व्यवस्था की गई है। वह भी सर्वथा अपर्याप्त है। इसे भी बढ़ा कर चौगुना किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल के अभाव की भयावह स्थिति है। यदि शासन द्वारा शीघ्र कोई क्रेश प्रोग्राम इस हेतु नहीं बनाया गया तो लोगों को अपने गांव छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अतः मेरा आवास एवं निर्माण मन्त्रालय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही की जाये।

धन्यवाद।

(चार) दिल्ली में विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और वाणिज्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और कालेज खोलने की आवश्यकता

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय, सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा यह दावा करने के बावजूद कि विभिन्न पाठ्क्रमों में सीटें उपलब्ध है, तथ्यों तथा

आंकड़ों के आधार पर अब यह बात स्पष्ट है कि 15,000 से अधिक विद्यार्थियों को दिल्ली में दाखिला मिलने का कोई अवसर नहीं है। 11000 से अधिक विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किये, जबकि 12,000 ने 50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त किए हैं। जबकि इसके विपरीत सभी कालिजों के सभी पाठ्क्रमों में केवल लगभग 22800 सीटें ही उपलब्ध हैं। जिन विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं उनका क्या होगा ? दाखिलों में अनियमितताओं के अतिरिक्त इन अभागे विद्यार्थियों के माता-पिताओं की अन्य बातें भी परेशान करती हैं। वे हैं—दाखिलों में भ्रांति, शिक्षा के सम्बन्ध में आयोजन की पूर्णतः कमी तथा वर्ष-प्रति वर्ष नौकरी की तलाश में विद्यार्थियों को निरन्तर होने वाली कुंठा।

इसके अलावा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की दुर्दशा भी परेशान करती है। विज्ञान के विषयों में दाखिले के पात्र 8500 विद्यार्थियों की तुलना में केवल 4200 सीटें दी हैं। 90 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5500 है। इसके अतिरिक्त कालिजों द्वारा 'पहले आओ—पहले दाखिला कराओ' की नीति को अपना कर और भी गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है। इससे विश्वविद्यालय के उन नियमों का पूर्णतः उल्लंघन होता है, जिनके अन्तर्गत कालिजों को "अन्तिम-दिन" नियम का अनुसरण करना होता है। इन कारणों से 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनेकों विद्यार्थी दाखिला प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से गंभीरतापूर्वक तथा तत्कालिक रूप से यह अनुरोध करता कि वह 500 अतिरिक्त सीटों की। विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए तदर्थ आधार पर ही सही अनुमति प्रदान करें। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से यह अपील करता हूं कि वे ऐसे वास्तविक तथा यथार्थ मामलो की जांच करें जिनमें कि विभिन्न अनैतिक दबावों तथा भ्रष्टाचारण के कारण 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को दाखिला मिल गया जब 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इससे वंचित रह गये।

मैं सरकार से भी यह अपील करता हूं कि दिल्ली की शैक्षिक आवश्यकताओं की समीक्षा की जाये तथा विज्ञान, तकनीकी इंजीनियरी, वाणिज्य तथा अन्य संकायों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए नये कालिज खोलने की अनुमति प्रदान की जाये।

(पांच) दूसरी हुगली पुल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : कलकत्ता में यातायात की स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे हुगली पुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अतः निर्माण कार्य का निर्धारित अवधि के अनुसार पूरा हो जाना बहुत ही आवश्यक है। इस निर्माण कार्य को वर्ष 1989 तक पूरा करना है।

प्राप्त जानकारियों के अनुसार अब तक केवल 33 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। अतः इस कार्य में गति लाने की आवश्यकता है।

इसके लिए मुख्य बाधा धन की कमी है। यह बात नोट की जानी चाहिए कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में हुए असाधारण विलम्ब के कारण इसकी अनुमानित लागत बढ़कर 158.80 करोड़ रुपये हो गई हैं। बढ़ते हुए वित्तीय भार को देखते हुए केन्द्रीय सरकार इसके लिए 141.10 करोड़ रुपये देगी तथा राज्य सरकार का शेयर 17.70 करोड़ रु० होगा।

पता चला है कि केन्द्रीय सरकार इस अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए तैयार नहीं है और वह केवल 57.13 करोड़ रुपये की रकम जो वह दे चुकी है। देकर ही अपने प्रमुख उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहती है। लागत वृद्धि के कारण सम्पूर्ण अतिरिक्त भार राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस भार को वहन करना असम्भव है।

इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना की वित्तीय स्थिति आज संकटपूर्ण है। भारत सरकार अपनी वचनबद्धता के अनुसार 57.15 करोड़ रुपये देगी, परन्तु वर्ष 1982-83 के बजट में केवल 14.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यह धनराशि दिसम्बर 1982 तक खर्च हो जाएगी। उसके बाद सारे निर्माण कार्य ठप्प हो जायेंगे। अधिकतर कार्य न केवल अधूरा रह जाएगा बल्कि इसकी सुरक्षा की भी कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती। अब तक इस परियोजना पर खर्च की गई सम्पूर्ण पूंजी न केवल अवरुद्ध हो जायेगी बल्कि इससे परियोजना ही खतरे में पड़ जायेगी।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता हूं कि वह पूरे मामले पर पुनर्विचार करें तथा इसके लिए पर्याप्त धन का आवंटन करे ताकि दिसम्बर, 1982 के पश्चात् भी निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रहे तथा निर्धारित समय सूची के अनुसार इस परियोजना को पूरा किया जा सके।

नौवहन तथा परिवहन मन्त्री कृपया इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

(छः) बिहार में ग्रेटर महानन्द बांध में पड़ी दरार को रोकने के लिये कदम उठाने और बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच समन्वय के लिए केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

डा० गोलम माजदानी (रायगंज) : महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से कल (18-7-1982) टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली है कि बिहार में मालदा जिला की सीमा पर ग्रेटर महानन्द बांध जो अजीमगंज से दिल्ली—दीवानगंज (लगभग 12 किलोमीटर) तक फैला

हुआ है साथ की नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से खतरनाक स्थिति में। घूबल नामक स्थान पर यह बांध टूटने की स्थिति में है। यदि यह बांध टूट गया तो मालदा जिले के पास के ही हरीशचन्द्रपुर तथा चंचल पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों में बाढ़ आ जायेगी जिससे 4 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित होंगे, तथा फसलों को भारी नुकसान होगा। बिहार वाला क्षेत्र अधिक प्रभावित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में काफी प्रयत्नशील रही है। मालदा जिलों के जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य सिंचाई अभियन्ता द्वारा उस स्थान का दौरा किया गया है। उनका विचार है कि घूबल में प्रभावित स्थानों पर शिलाखण्ड डालकर बांध को टूटने से बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन बिहार सरकार इस सम्बन्ध में उदासीन हैं तथा पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी बिहार के किसी भी अधिकारी द्वारा इस स्थान का दौरा नहीं किया गया है।

मैंने तुरन्त ही आदरणीय केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से सम्पर्क स्थापित करके उनको स्थिति से अवगत करा दिया है। यह सौभाग्य की बात है कि मन्त्री महोदय ने इस पर उचित कार्यवाही की है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसकी सूचना बिहार के सिंचाई मन्त्री को भेज दी है और उनसे तुरन्त कार्यवाही करने का आग्रह किया है। चूंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग में चार लाख से अधिक लोगों के जीने तथा मरने का सम्बन्ध है इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से सिंचाई मन्त्री का ध्यान एक बार और आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए तुरन्त एक केन्द्रीय दल को वहां पर भेजा जायें।

(सात) पश्चिमी बंगाल के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि का न दिया जाना

श्री सुधीर गिरी (कन्टाई) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिस अनुदान को देने का वचन किया था उसको समय पर न देने के कारण पश्चिमी बंगाल में उच्चतर शिक्षा की प्रगति को काफी नुकसान पहुंचा है। इस आशा में कि दिये गए वचन के अनुसार आवश्यक अनुदान मिलेगा इस उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया था तथा विस्तार सम्बन्धी योजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा गया था। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राधिकारियों द्वारा वायदे को पूरा नहीं किया गया है। छठी योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ रु० की मांग की थी। लेकिन इसमें व्यापक रूप से कटौती कर दी गई है इससे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जो कुछ परियोजनायें पहले से चल रही थीं उनको त्यागना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जरा कलकत्ता विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करने के लिए पहले 7 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब केवल 1 करोड़ रुपया देने को ही सहमत है।

इन परिस्थितियों में मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल में उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित अनुसंधान और विस्तार कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन के लिए राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

(आठ) राजस्थान के जोधपुर जिले में विमान द्वारा चीनी भाषा में पर्चे तथा अन्य चीजें गिराए जाने की घटना की जांच करना

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : जोधपुर में कोई 50 किलोमीटर दूर शनिवार को रात्रि में लगभग 10 बजे एक अज्ञात विमान चीनी भाषा में लिखे पर्चे बिस्कुट के पैकेट व वस्त्र आदि बिखेर कर चला गया।

यह जरूरी सामग्री जोधपुर जिले के गांव खारी सखुर्द, खारी कलना और गोलियां गांव के कोई तीन किलोमीटर क्षेत्र में चीनी भाषा में लिखे पर्चे, पेंट. बुशर्ट, टीसर्ट, अंडर स्पेशल व बिस्कुटों के रूप में गिराई गई। एक डिब्बा ऐसा भी डाला जो सीलबन्द था। उस में कोई तरल पदार्थ था जो बिलकुल ठंडा था।

विमान तेज आवाज के साथ जिस में लाइट भी थी उपरोक्त गांवों में पहुंचा एवं पहुंचने के बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। सामग्री डालने के बाद जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में पुनः चला गया।

ग्रामीणों ने उपरोक्त मिली सामग्री को जोधपुर जिलाधीश को ला कर सौंप दिया है।

मेरा विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री से निवेदन है कि वे अविलम्ब इस गम्भीर घटना की जांच करवाएं एवं इस प्रकार की हरकत के पीछे क्या मंशा हो सकती है इसका पता लगा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

चिट फण्ड विधेयक जारी

विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम श्री जनार्दन पुजारी द्वारा 15 जुलाई, 1982 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

> "कि चिट फंड के विनियम और उससे सम्बन्धित विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री मोकूराम जैन कृपया अपना भाषण जारी करें। आप पहले एक मिनट का समय लें चुके हैं।

[श्री भीकू राम जैन]

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) : नहीं महोदय, मैंने अभी प्रारम्भ ही किया था, केवल एक सेकेण्ड का समय ही लिया था ?

मैंने कहा था कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस चिट फण्ड कारबार पर 1978 में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, क्योंकि उस समय यह आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा जन-साधारण को धोखा दिया जाता रहा है। और जिन लोगों को यहां प्रधान कहा गया है......(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : 1978 में जिस चिट फण्ड कारबार पर प्रतिबन्ध लगाया गया था वह प्राइज चिट फण्ड था।

श्री भीकू राम जैन : इसके लिए मुझे खेद है। हालांकि यह उसी का ही एक भाग है। तथापि, यह विधेयक जिसे आज लाया गया है ...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह भी "सी" वर्ण से सम्बन्धित है। यानि "चोट।"

श्री भीकू राम जैन : यह केवल चिट से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : इसकी स्पेलिंग सी० एच० आई० टी० है। अन्य स्पेलिंग नहीं है।

श्री भीकू राम जैन : पहले कुछ इस प्रकार का व्यवसाय हो रहा था जो साधारण आमदाता के हित मे नहीं था। इसलिए इस विषय पर विचार किया गया और उस विचार की परिणति इस विधेयक में हुई है। इसका उद्देश्य चिट फण्ड व्यवसाय इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना है। मैं समझता हूं कि यह देशीय प्रणाली इस देश में पिछले लगभग 150 वर्षों से प्रचलित है। मेरी जानकारी यदि सही है, तो इस दक्षिण में किसानों द्वारा प्रारम्भ किया गया था जो अपने अनाज भण्डार को पूल के रूप में रख देते थे और आवश्यकता के समय उसको लाभ उठाते थे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होता था।

दुर्भाग्य से, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री जगपाल ने उस दिन कहा था कहीं ऐसा न हो कि इसका उपयोग काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए किया जाये। मेरे इन दो मित्रों ने इसलिए इसे कुछ ऐसे उपाय की संज्ञा दी थी। जिससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास काला धन है। तथा वे काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर सकेंगे। विधेयक का अध्ययन करने के पश्चात मेरा यह विचार है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक उपाय

किये गये हैं जिनके रहते हुए साधारण अभिदाताओं को वे लोग धोखा नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने वाले लोगों को ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों क्योंकि प्रस्तावित कम्पनियों द्वारा चाहे वे फर्म हैं अथवा नियमित कम्पनियां जो धन प्राप्त किया जायेगा, उसका उचित ढग से लेखा-जोखा रखा जायेगा। रसीद जारी की जाएगी धन को बैंकों में जमा किया जायेगा तथा लेखों की उचित ढ़ग से लेखा-परीक्षण की जायेगी। आय-कर प्राधिकारी भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं।

किसी अन्य कम्पनी की भांति किसी को तथा कथित काला धन जमा करना होता है मैं 'तथकथित' शब्द प्रयोग कर रहा है क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में क्या हुआ कि जो कुछ भी वित्त से सम्बन्धित है उसको कभी-कभी काले धन से जोड़ दिया जाता है यह एक सामान्तर अर्थ-व्यवस्था हो सकती है या काला धन हो सकता है किन्तु मै महसूस करता हूं कि यह सब कुछ कठोर कानूनों की वजह से हो रहा है और इस हद तक होता है कि कभी-कभी सौदे करने सम्भव नही होते, और हम इसकी परवाह नहीं करते। हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते रहे हैं कि यह धन को, जो समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है, यदि, इतनी कठोर कानूनी प्रणाली न हो तो सफेद, धन में बदला जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आयकर के अन्तर्गत लगभग 40 लाख व्यक्तियों पर लगाया गया है और मैं कहूंगा कि औसत रूप में एक परिवार में 4-5 ऐसे निर्धारिती है इसलिए केवल 10 लाख परिवारों पर ही कर लगाया गया है और इसके अतिरिक्त मुश्किल से केवल लगभग 2 लाख परिवारों पर सम्पत्ति कर लगाया जाता है। और बाकी लोगों द्वारा और उस हो काला धन कहा जा सकता है कमाया जाता है उस पर कर नहीं लगाया जाता है। हमने उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आयकर और सम्पत्ति कर देते हैं। और हम इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते कि काला धन का कैसे पैदा होता है और इसलिए हम इसको काला धन कहते हैं। यद्यपि मैं इसको हम सभी की अधिक सुगमता के लिए सामानान्तर अर्थ-व्यवस्था कहना चाहूंगा। हमें यह सोचना है कि समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कैसे पैदा होती है या क्या यह कुछ उन कानूनों की वजह से है जो हमने बनाये हैं और इसको समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कहकर ही हम सतुष्ट हैं; क्योंकि विद्वान वित्त-मत्री ने कहा है कि समानान्तर अर्थ-व्यवस्था भी देश की निमित अर्थ-व्यवस्था के बराबर है अर्थात यह राजकीय का ही परिचालन में धन में धन के बराबर है। परन्तु हम केवल इसकी बात ही करते हैं। हम इसमें कोई रुचि नहीं रखते। इसलिए मैं यही कहूंगा कि समानान्तर अर्थ-व्यवस्था या काले धन का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि प्रतिबन्ध यह है कि इस विधेयक में अधिकतम 5 वर्ष की व्यवस्था ही की गयी है और जब तक कुछ विशेष नहीं है यह 10 वर्ष तक हो सकती है और यदि आप इसकी ठीक से गणना करें पांच वर्षों में अर्थात 60 महीनों में आप 60 सदस्य रख सकते हैं।

[श्री भीकू राम जैन]

एक ओर सुरक्षा है। कोई व्यक्ति को कम्पनी या फर्म बनाना चाहता है जिससे चिट व्यापार किया जाये या यदि वह एक व्यक्ति है तो वह 25,000 रु० के अधिक कोई व्यापार या निवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से कोई कम्पनी 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकती और दस गुने से अधिक सौदे नहीं किये जा सकते। जब तक हम इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहित नहीं देते और जब तक हम ऐसे खमियां को बन्द नहीं करते जिनकी पैदा होने की सम्भावना है आखिर विधेयक और अधिनियम इसलिए पारित किये जाते है कि सौदे पूर्णतया नियमित रूप से किये जायें और लोगों को ठगा न जा सके। परन्तु यदि हम हर एक बात को हल्के रूप में लेते है विशेष रूप से इस बात को जिसमें लोगों के ठगे जाने की सम्भावना है और हम कुछ नहीं करते तो जितनी धोखाधड़ी वन चिट फंड कम्पनियों ने अब तक की है उससे भी अधिक धोखाधड़ी होगी।

मेरा सविनय निवेदन यह कि यह जो विधेयक लाया गया है इससे सम्भवतः गरीब लोगों की विशेषरूप से ग्रामीण लोगों की आवश्यकतायें पूरी होंगी।

अच्छा होता कि मेरे मित्र श्री जगपाल सिंह यहां पर उपस्थित होते यह विधेयक कारीगरों के लिए है और दस्तकारों के लिए है। यह बेरोजगारों के लिए है। यह गरीब लोगों के लिए है जो केवल 100 रु० या 1000 रु० की छोटी राशि या अधिकतम 10,000 रु० की राशि दे सकते हैं और आसानी से कोई छोटा व्यापार, कुटीर उद्योग या व्यवसाय या किसी लघु उद्योग को शुरू कराने के लिए कुछ धन वसूल भी कर सकते हैं। उनमें से 1000 रु० का योगदान देती हैं। उसमें से पहली 60,000 रु० कोई भी ले सकता हैं। इन की लामियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया हैं कि इन मामलों में 30%से अधिक बट्टा नहीं दिया जायेगा।

अतः उस राशि में से अधिकतम 18,000 रु० कम किये जा सकते है और व्यक्ति बाकी धन प्राप्त कर सकता है और वह 60,000 रु० की राशि का उपयोग कर सकता है। इस 60,000 रु० की राशि को उपयोग करने के लिए मान लीजिए वह बैंक से लेता तो लघु उद्योग के लिए बैंक की औसत पर 15%है और बड़े उद्योग के लिए 21%है उसका अर्थ है कि 5 वर्ष तक वह 30% देगा अर्थात् 6% प्रति वर्ष और उसको वह आना मिलेगा। और अन्तिम व्यक्ति को भी व आना मिलेगा। इसलिए यह सहकारिता के प्रकार का कार्य है और इस सहकारिता की प्रणाली से गरीब कारीगर गरीब दस्तकार को सहायता मिलेगी। वे एक बैंक का कार्य कर रहे हैं।

किसी मित्र ने सुझाव दिया कि यह कार्य बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि फिर इसका लाभ बैंक को ही होगा।

यह कहा गया है कि 5000 रु० किसी को भी एक एक व्यक्तिगत गारन्टी बान्ड पर मिल सकते हैं (व्यवधान) परन्तु यह ऐसा नहीं है इसलिए गरीब लोगों को ऋण नहीं मिलते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो फिर बैंक को समाप्त कीजिए ओर सभी को चिट फंड लेना चाहिए।

श्री भीकू राम जैन : मुझे नहीं मालूम परन्तु हो रहा है कि लोग चिटों को वरीयता दे रहे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय चिट फंड इस तरीके से व्यापार चला रहे हैं जिसके लिए कठोर विनियमों तथा प्रतिबन्धों की आवश्यकता है। ओर इस बात को माना जा चुका है। अन्यथा यह विधेयक नहीं लाया जाता। बैंकिंग आयोग ने कहा है कि 'राज समिति' ने ऐसा कहा है। प्रश्न यह है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में विनियमों से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जड़ को काट डालिए। यदि लोगों में पैसा बचाने की प्रवृति है तो यह बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। वे धन का इसमें निवेश करके वे अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे।

श्री भीकू राम जैन : श्री चटर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस देश में दुर्भाग्य से कानूनों का पालन उतना अच्छा नहीं है जितना हम उनसे उम्मीद करते है मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु क्या यह कानून को क्रियान्वित करने का तरीका ही है? ओर क्या हमें उस पर ही छोड़ देना चाहिए नहीं......(व्यवधान) और फिर हमें इसके लिए लोगों को सजा क्यों देनी चाहिए? पिछले 150 वर्षों से हो रहा है।

इसलिए इस सम्बन्ध मे मेरा निवेदन यह है कि यदि विधेयक में कोई कमी है तो हमें इसे इसलिए स्थगित नहीं करना चाहिए कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम विधेयक को समाप्त करते हैं तो हमे (व्यवधान) जैसाकि मैंने हिसाब लगाया है कि एक छोटा आदमी 1000 रुपये देकर एक व्यापार शुरू करने के लिए, 50,000 रु० प्राप्त कर सकता है। एक छोटे आदमी को व्यापार शुरू करने के लिए 45,000 या 40,000 या 30,000 मिल सकते हैं विधेयक के पीछे इरादा यह है कि बैंक के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। कम्पनी चलाने वाला व्यक्ति 5,000 रु० कमा सकता है, यदि उसको सारे धन को भी बैंक में रखना पड़े, वह 5% से अधिक खर्च नहीं कर सकता। वह इसलिए भाग नहीं सकता क्योंकि वह 100% प्रतिभूति जमा कराता है? फिर मुझे खेद है कि अन्यथा हमें ऐसे सभी अधिनियमों को समाप्त करना पड़ेगा जिनमें कमी है आयकर अधिनियम में कमियां हैं—जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि इतनी माला में काला धन, समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है कि वह वास्तविक अर्थ-व्यवस्था के बराबर है। यदि समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है तो क्या हमें आयकर अधिनियम को ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमें बिक्री कर अधिनियम को छोड़ देना चाहिए जो देश में सारे काले धन की जननी है। 90 से 80 प्र० तक कर

[श्री भीकू राम जैन]

उद्योगों की जेबों में जा रहा है बंगाल या पंजाब का एक व्यापारी रूप या दो प्रतिशत कमाता है परन्तु उसे बिक्री कर के रूप में 10% चुकाना पड़ता है। यह पूर्णतया अवास्तविक है और सरकार ईमानदार व्यापारियों से इसकी वसूली करके खुश है और दूसरे लोग बिक्री कर से प्राप्त आप का एक या दो प्रतिशत भी नहीं चुकाते ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इसको उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं ।

श्री भीकू राम जैन : वे इसको उपभोक्ताओं पर नहीं डालते ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि मैं ठीक तरह से समझ पाया हूं तो माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं जिन लोगों के पास काला धन है विधेयक में ली गयी कुछ पूर्व चेतावनियों की वजह से काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । वे यही कहने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह काले धन की विद्यमानता नहीं मानते हैं वह इसे समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कहते हैं।

श्री भीकू राम जैन : यह शब्दावली का प्रश्न है । यह उसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसे सलेटी धन कह सकते हैं।

श्री भीकू राम जैन : आप इसको जो चाहें नाम दे सकते हैं परन्तु मैंने यह शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि दिन प्रतिदिन हम काले धन की बात कह रहे हैं परन्तु हमने यह सुझाव कभी नहीं दिया कि हम काले धन का क्या करना चाहते हैं और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। समस्या उन स्थानों पर है जहां पर काला धन पैदा होता है और हम उसको प्राप्त नहीं करते । यदि हमें पता चल जाए कि काला धन यहां पर है तो कोई उपाय सुझाया जा सकता है। मेरे दो विद्वान मित्रों ने कुछ सुझाव नहीं दिया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप इसको कार्यान्वित नहीं करेंगे क्योंकि उस स्थिति में आपका सारा काला धन चला जाएगा ।

श्री भीकू राम जैन : हम आपको भी शामिल कर लेंगे।

सभापति महोदय : आप किसको सम्मिलित करना चाहते हैं··· डा० स्वामी को ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया एक समिति भी नियुक्त करें जो डा० स्वामी और श्री भीकू राम जैन के काले धन का पता लगाएगी ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रूस से आने वाले धन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री भीकू राम जैन : वह आपका धन है। परन्तु आप इसे काला धन कह सकते हैं यदि यह अनधिकृत रूप से आ रही है। हम उस धन की बात नहीं कर रहे हैं मेरा धन हो या उनका धन हो। मैं उस धन की बात कर रहा हूं जो सरकार द्वारा करों के लिए प्राप्त नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय : आप टिप्पणी को इतनी गम्भीरता से क्यों लेते हैं ?

श्री भीकू राम जैन : मैंने टिप्पणी को उतनी ही गम्भीरता से लिया है जितनी गम्भीरता से वे की गयी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मैंने कहा । कि इन चिट फंड व्यापारों को खत्म कीजिए।

सभापति महोदय : उनका तात्पर्य कुछ और है।

श्री भीकू राम जैन : वह इस हंसिनी को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि यह सोने के अण्डे नहीं देगी। विधेयक के सभी खण्डों का अध्ययन करने के पश्चात् मैं यही समझता हूं कि काले धन को सफेद में बदलने की कोई सम्भावना नहीं है। यदि यह किया जाता है तो यह मेरे और उन जैसे राजनैतिक लोगों या अधिकारियों की सांठ गांठ से होगा। जब तक इन तीनों में सहयोग नहीं होगा यह करना सम्भव नहीं हो सकता। यदि कल हम यह निर्णय लेते हैं कि देश में कोई काला धन नहीं रहना चाहिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं बशर्ते कि राजनैतिक लोगों की यह करने की इच्छा हो।

सभापति महोदय : आपका तात्पर्य इस सभा के सदस्यों से है ?

श्री भीकू राम जैन : हो सकता है वे भी इसमें हों परन्तु अन्य लोग भी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इस समस्या को यह कहकर हल कर सकते हैं कि कोई काला धन नहीं है।

श्री भीकू राम जैन : अत: यह ऐसा विधेयक है जो निर्धन लोगों, किसानों, कारीगरों, शिल्पियों और सामान्यत: उन लोगों के लिए भी सहायक होगा जिनका चिट फंडों में अंशदान करते हैं। मैं समझता हूं यह एक अच्छा कानून है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैंने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। आप चाहते हैं कि चिट फंड कम्पनी आरम्भ होने से पहले ही पैसा जमा करा दे। आप उन्हें धन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते लेकिन फिर

[श्री भीकू राम जैन]

भी आप चाहते हैं कि वे धन पहले ही जमा करा दें। पैसा आएगा कहां से ? क्या आप इस तरह से काले धन को बना नहीं रहे हैं ? अतः उचित बात कीजिए और कहिए कि जब तक वे धन जमा नहीं कराते तब तक उन्हें काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन यह उन्हें लाइसेन्स मिलने के बाद ही हो सकता है।

उदाहरण के लिए खंड 20 (i) लीजिए। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे देखें कि क्या इसमें औचित्य है। मान लीजिए कोई कम्पनी 1 लाख रुपए की पूंजी से खोली जाती है। आप चाहते हैं कि वह आवेदन करने के समय 1 लाख रुपए का भुगतान करे जबकि उस समय उसने कहीं से भी धन एकत्र नहीं किया है। जब उसने अंशदाताओं से पैसा एकत्र नहीं किया है, जब वह अभी उनसे पैसा एकत्र नहीं कर सका, तो वह पैसा कहां से आएगा ? इसका अर्थ है अनियमित व्यापार। इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वह इस बात की जांच करें कि क्या उस कम्पनी को लाइसेन्स दिए बिना और उसके द्वारा अपना व्यापार शुरू बिना उसे पैसा जमा कराने के लिए कहना उपयुक्त है।

साथ ही कभी-कभी दण्ड बहुत अधिक बड़ा होता है। किसी ईमानदार आसामी पर बहुत छोटे-छोटे अथवा तकनीकी कारणों से जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह अधिकार इन्सपैक्टर को मत दीजिए। अन्यथा वह फारमैन के पास जाकर उन्हें धमकायेगा कि "यदि आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अमुक-अमुक धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा। और जब वह इन्सपेक्टर को पैसे न देता हो तो वह उस धन किसी और तरीके से पूरा कर लेता है। अतः आपको खंड इस तरीके से बनाना करना चाहिए कि उसमें से किसी व्यक्ति द्वारा लाभ उठाने की गुंजाइश न हो। यद्यपि उन लोगों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए जो वास्तव में दोषी है, लेकिन छोटे-छोटे अल्प विराम आदि का सही प्रयोजन करने जैसे के लिए किसी व्यक्ति को खंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन ईमानदार लोगों पर जो ईमानदारी मे काम कर रहे हैं मात्र इसलिए जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए, कि वे अपने लेखे उचित तरीके से नहीं रख पाए अथवा प्रत्यक्षतः दो एक अधिकारियों को सन्तुष्ट नहीं कर पाए।

तीसरे, यह प्रावधान किया गया है कि उसी विभाग के किसी कनिष्ठ अधिकारी के सुझाव पर अध्यक्ष पर जुर्माना किया जायेगा। हमने देखा कि विभिन्न अन्य विभागों में अधिकारी इस प्रकार की शक्ति का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जुर्माने के विरोध में अपील करना चाहता है तो अपील अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो उसकी न्यायिक दृष्टि से जांच करे। यदि अन्तिम अपील जिला मजिस्ट्रेट को अथवा वरिष्ट न्यायिक अधिकारी को की जाती है, तो उन बातों की उचित सन्दर्भ में जांच की जाएगी। अन्यथा मुझे डर है कि वहां ऐसा ही भ्रष्टाचार फैल जाएगा। जैसा कि आजकल आयकर, सम्पत्ति कर तथा अन्य विभागों में फैला हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधयक का समर्थ करता हूं ।

श्री कृष्ण कमार गोयल : सभापति महोदय, चिट फंड बिल के सम्बन्ध में जो सेलेक्ट कमेटी थी, उसका मैं भी एक सदस्य था और जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं लगभग सभा में मैं उपस्थित रहा। सब कुछ देखने के बाद और कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने स्वयं अपनी असहमति टिप्पणी दी है जो इस प्रकार है :

"मेरा विचार है कि प्रस्तावित कानून चिट व्यापार की जांच, नियन्त्रण अथवा उसके दुरुपयोग का नियमन नहीं होगा। इस प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद बेइमानी, गबन आदि मामले और अधिक तथा खुले आम किए जाने लगेंगे।

कानूनी चिटें काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का एक सुरक्षित माध्यम बन जाएगी।

मैं पूर्ण रूप से व्यापारों तथा साथ ही प्रस्तावित कानून का विरोध करता हूं।

यह जो टिप्पणी में दी है वह इसलिए कि जिस प्रकार के साक्ष्य कमेटी के सामने आए उनको देखकर ऐसा लगा कि शायद इस कानून के द्वारा कोशिश यह की जा रही है···**व्यवधान**··· जिस किसान की बात की जा रही है, जिस गरीब की बात की जा रही है, जिस आर्टिजन की बात की जा रही है कि इस चिट फंड के द्वारा वह पैसा उसको समय-समय पर मिलेगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा मजाक किसान साथ और गरीब के साथ और कोई हो नहीं सकता है। यह सारी चिट फंड एक्टिविटीज जो हैं कि फोरमेन सारी फार्मेलिटीज पूरी करने के बाद अपने को रजिस्टर करवाएगा, सब्सक्रीबर्स को इन्वाइट करेगा, वे इस्टालमेंट देना शुरू करेंगे और जब इंस्टालमेंट इकट्ठा जायेगा तब एक फिक्स्ड डेट के ऊपर आक्शन होगा और उसमें जो सबसे अधिक डिसकाउन्ट देगा (जिसकी लिमिट इस ऐक्ट में रखी गई है) उसको उस डिसकाउन्ट पर प्राइज्म मनी मिल जाएगा। जैन साहब तो यहां से चले गए हैं, मैं उनसे जानना चाहता था कि वह कौन सा गरीब आदमी होगा जो आक्शन लगाकर प्राइज एमाउन्ट लेगा ? मैं तो समझता हूं इसको वही लेगा जिसके पास ब्लैकमनी है, वही प्रीमियम देकर अपने ब्लैकमनी को व्हाइट में कन्वर्ट करेगा।

सभापति महोदय, जिस समय कमेटी में साक्ष्य चल रहा था, हमारे पास लोग रो-रोकर पास-बुक्स के ढेर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि यह पास-बुक्स देखिए, हमने पूरी इन्सालमेन्ट्स पे कर दी है लेकिन अब पता नहीं इस कम्पनी का आफिस कहां है, किसके पास जाकर हम अपना पैसा मांगें। वे कह रहे थे कि गवर्नमेंट को भी एप्रोच किया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज किए जाएं लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं की। मुझे आपत्ति नहीं है बताने में कि सुदर्शन नाम की एक कम्पनी थी जिसने करोड़ों रुपये की चीटिंग इस देश की गरीब जनता के

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

साथ की है । आज फिल्म इण्डस्ट्री में उसका करोड़ों रुपया लगा हुआ है लेकिन जिन गरीबों से 10-15 रुपये महीना इंस्टालमेंट लिया गया, चिट फंड आपरेट करने के लिए, उनको देने के लिए आज उनके पास एक पैसा भी नहीं है ।

इस बात का पता भी नहीं होता था कि आक्शन कब और कहां पर होगा । अगर किसी ने मैक्सिमम डिस्काउन्ट पर आक्शन लिया भी और पैसा मांगा तो उससे कहा गया कि सिक्योरिटी लाओ —ऐसी सिक्योरिटी जोकि फोरमैन के सेटिस्फैक्शन की हो । ऐसी दशा में किसी जेन्युइन व्यक्ति को कभी भी प्राइज एमाउन्ट नहीं मिल सकेगा । आपने इस बिल में कहा है कि कोई डिसप्यूट होने पर रजिस्ट्रार के सामने जायेंगे लेकिन रजिस्ट्रार किस प्रकार के होंगे, यह आप जानते होंगे ।

मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप चिट फंड एक्टिविटीज किसके लिए इन्करेज करना चाहते हैं ? आपके पास इतने सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स हैं तथा अन्य प्रकार की पैसा देने की एजेंसीज हैं, पांच हजार तक का लोन तो पार्सनल बाण्ड पर ही लिया जा सकता है फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस गरीब व्यक्ति को आप इसके द्वारा पैसा देना चाहते हैं ?

यदि देश हित में आवश्यकता ही हो तो आप इसके लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं । जहां तक चिट फंड एक्टिविटीज का सम्बन्ध है । आपको मालूम ही है कि इसकी कहानी एक काली कहानी है, इसने देश के गरीबों को खूब लूटा है । क्या आप इसको इसलिए रेग्युलराइज करना चाहते हैं ताकि ये इस देश की गरीब जनता को और लूट सकें ?

मैं किसी भावनावश यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि बैंकिंग कमीशन और स्टडी ग्रुप की भी यही रिपोर्ट है जिसके पैराज मैं बाद रेफर करूंगा । उन्होंने भी इसका विरोध किया है लेकिन पता नहीं कौन सी लाबी है जिसके प्रेशर में उनको अपनी आवाज बदलनी पड़ी है ? आज पीयर-लेस लाइफ इंश्योरेंश जो कुछ काम कर रही है उसकी जानकारी आप इस देश को दे दीजिए कि कि उसके कितने फिक्स्ड डिपाजिट्स रिजर्व बैंक में हैं ? क्या आप यह मानकर चलते हैं कि जो लोग उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं वे रिस्क नहीं ले रहे हैं ?

सभापति जी, मैं पीयरलैस के बारे में कहना चाहता हूं । पीयरलैस के नाम पर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके लड़के, सबके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, उनकी पत्नी उसके एजेंट बने हुए हैं और हजारों रुपये महीने की कमाई चल रही हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की पीयरलैस और लाइफ-इंश्योरेंस कारपोरेशन के बारे में क्या मान्यता है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए । जनता जो कुछ कर रही है, वह रिस्क पर हैं या नहीं है या उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ।

सभापति जी, अब मैं आपको ध्यान बैंकिंग-कमीशन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

बैंकिंग आयोग 1972 की रिपोर्ट के पृष्ठ 426 पैरा 17.37 में कहा गया है :

"विभिन्न वित्तीय सस्थानों द्वारा आरम्भ की गई ऐसी वैकल्पिक योजनाएं हैं; जो चिट फंड योजना से अधिक बेहतर हैं जैसे --आवर्ती जमा, मासिक आय, जमा योजना, बीमा सम्बन्धी जमा योजना, छोटी बचतें, भविष्य निधि, बीमा आदि योजनाएं।"

ज्यादा न कहते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद भी लोग इसके पीछे क्यों लगते हैं, सदियों से चिट-फंड क्यों चल रहा है, उसके ऊपर भी एककमेंट है :

"चिट फंड की लोकप्रियता का एक कारण बहुत पुरानी सामाजिक आदतें तथा इस योजना में जुए का तत्व होना है जिससे सम्भवतः अंशदाताओं को आकर्षण है।"

कमीशन ने कहा है कि यह जो स्कीम चल रही है, इसके पीछे कोई भावना नहीं हैं, सिवाय जुआ खेलने की मनोवृत्तियों को एनक्रेज किया जाए। क्या सरकार इस जुआ खेलने की मनोवृत्ति को एनक्रेज करना चाहती है? ब्लेकमनी को व्हाइट करने के बारे में भी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है—

17.38. "यह भी रिपोर्ट की गई है कि कुछ प्रधान इन संस्थानों में कुछ व्यक्तियो द्वारा कर-अपवंचित आय को 'अभिलेखित धन' में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। ये प्रधान बोली के परिणाम इतनी चालाकी से निकालने हैं कि जिस व्यक्ति के पास कर-अपवंचन का धन होता है उसे ही पुरस्कृत व्यक्ति रूप में दिखाया जाता है। सम्बन्धित व्यक्ति इस सुविधा के बदले में प्रधान को लाभांश का भुगतान करता है।"

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे किस प्रकार से होगा। प्रीमियम के आधार पर, प्रीमियम देकर जितना प्राइस एमाउन्ट आएगा, वह ले लेगा और जो प्रीमियम है, उसमें सारा पैसा ब्लैक का चला जाएगा और इस प्रकार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने इसीलिए इसका विरोध किया है। आखिर में कहा है :

17.41. "यह जान पड़ता है कि पुरस्कृत धनराशि के उत्पादक उपयोग की बहुत कम सम्भावना है। कोई भी भावी उत्पादक चिट फंड की आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं करेगा। पुरस्कार पाने वाले को सामान्यत: चिट फंड में इतनी अधिक ऊंची दर पर ब्याज देना पड़ता है कि इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस पुरस्कृत धन-राशि का अधिकांशतः उपभोग अथवा सत्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।"

17.42. "उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि बचत संस्थाओं की भांति चिट फंडों की अपने सभी बचतकर्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं से कोई अधिक योजनाएं अच्छी नहीं हैं।"

17.48. "आयोग का विचार है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह लाभ कम होगा जिनके बैंक रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए उचित सुरक्षा उपायों के अधीन चिट फंड चलाना लाभकर होगा।"

बहुत साफ अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग कमीशन ने इसको कन्डैम किया है; माना है, इससे प्रोडक्सन यूज के लिए पैसा नहीं आ सकता है, बल्कि लोग प्रीमियम देकर ब्लैकमनी को व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसको चलने दिया जाए तो, खुद बैंकिंग कमीशन ने कहा है कि यदि आपको लगता है कि इसकी आदत लोगों को लगी हुई है और लोग कहते हैं कि इसको चलने दिया जाए तो सरकार इन सब चीजों को देखते हुए यह कमर्शियल बैंक के द्वारा इसको चलाए, रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स के ऊपर।

यह सब हो जाने के बाद आज यह समझ में नहीं आता कि इसको किस प्रकार से लेकर आ रहे हैं।

सभापति जी, 1972 में नान-बैंकिंग कम्पनीज के ऊपर एक स्टडी ग्रुप की नियुक्ति हुई थी। उसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था उनकी लाबी तब से ही काम कर रही है। आज जिस बिल पर हम विचार कर रहे हैं, उनकी फैडरेशन के द्वारा क्लाज-वाई-क्लाज क्या अमेण्डमेंट लाई जाय, उसके साइक्लोस्टाइल्ड पेपर्स सब मेम्बर्स के पास भेजे गए हैं और मुझे दुःख है— आज जो भी चर्चा हो रही है उसमें सब यही कह रहे है कि इसको रोकने के लिए कानून आना चाहिए, लेकिन उस तरफ से जो भी अमेण्डमेंट्स सजेस्ट की गई हैं उनमें ज्यादातर "फोरमैन" को जिताने के लिए की गई हैं, सब्सक्राईबर का इन्टरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है, उसके सम्बन्ध में एक भी सदस्य ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

यह जो कमेटी बनी थी, इसकी रिपोर्ट के पेज 86 पर पैरा ग्राफ 6.15 को देखिए :

"चिट फंड में प्रधान द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है जो अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीके अपना सकता है। ऐसे अनुचित तरीकों में चिट फंड के आवश्यक सदस्यों की संख्या पूरी करने के लिए उसमें फर्जी सदस्यों को भी मिला लिया जाता है। इसी तरह जरूरतमन्द गैर-इनामी सदस्य का शोषण किया जा सकता है ताकि वह केवल अधिकतम बट्टे पर ही इनाम ले सके। प्रधान इनाम प्राप्त व्यक्तियों को इनाम की राशि देने में इसलिए देरी कर देते है कि उन्होंने जो अमानत की थी उसे अभी स्वीकार नहीं किया गया अथवा वह अपर्याप्त है।"

यह उस स्टडी ग्रुप का कामेन्ट है। उसने यह भी रिकमण्ड किया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट माडल-बिल बनाये और वे माडल बिल ही इस बिल के रूप में यहां पेश किए गए हैं जो सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिए गए। मैं एक चार्ज लगाना चाहता हूं — यह वह रिपोर्ट थी जिसके बाद "प्राइज चिट फंड" को देश के अन्दर बन्द किया गया, लेकिन...

सभपति महोदय : जो तर्क आप यहां उपस्थित कर रहे हैं, क्या सिलेक्ट कमेटी के सामने भी आपने पेश किए थे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जी हां, किए थे। वे सब रिकार्ड पर हैं।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 10 मिनट से कम ही लूंगा। आप इस रिपोर्ट के पेज 82 पर पैराग्राफ 6.6 को देखिए इसमें प्राइज चिट फंड को कन्डेम करने के लिए प्वाइंट्स दिए हैं और बहुत डिटेल्ज में दिए गए हैं :

> "अधिकतर ये संस्थायें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां होती हैं जिनकी पूंजी बहुत कम होती है और जिसका अभिप्राय संप्रवर्तकों, निदेशकों अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा उन 71 इनामी चिट कम्पनियों का अध्ययन किया गया जिनके भुगतान-पत्रक उपलब्ध थे (यद्यपि उनकी तिथियां भिन्न थीं) जिससे पता चलता है कि उनकी कुल चुकता पूंजी तथा आरक्षित राशि 41.9 लाख रुपये थी और पुराने अग्रसित की गई हानि की राशि को मिलाकर कुल राशि 90.8 लाख रुपये थी इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए एकत्र किया गया चंदा कुल मिलाकर 1647.2 लाख रुपए था। इससे यह जान पड़ेगा कि न केवल चुकता पूंजी तथा आरक्षित को ही बल्कि पूंजी 48.9 लाख रुपए का चंदा भी हड़प लिया गया। इस तरह से कम्पनियो का इस व्यापार में कोई पूंजी नहीं होती और वे मात्र जनता के धन पर आश्रित होते हैं। इसका मुख्य कारण इन कम्पनियों द्वारा दी जाने कमीशन का बहुत अधिक खर्चा करना है।"

इसके बाद वे इस तर्क पर आये कि देश के अन्दर प्राइज चिट फण्ड कम्पलीटली बन्द कर देना चाहिए। मेरा चार्ज है कि जिस समय वे कन्वेन्शनल चिट के केस को एक्जामिन कर रहे थे, तो उसकी डिटेल में क्यों नहीं गये, उन्होंने पैरा भी कन्वेन्शन चिट फण्ड की एक्टीविटीज के बारे में नहीं दिया ? वे बिना किसी पेड-अप कैपिटल के, बिना फाइनेन्शल-साउण्डनेस के चल रही हैं उनको बन्द करने के लिए क्यों नहीं कहा ? इन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और डाइवर्ट किया लेकिन इस स्टडी ग्रुप ने एक पैरा एक शब्द भी इस बारे में इसमें नहीं दिया। जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेसर बिल्ट-अप किया लाबी चली और इससे दबी जुबान में यह कहा गया, हम अमुक-अमुक

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

पाबंदियों और विनियमों को लागू कर पारस्परिक चिटों की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कौन-सी आवश्यकता आ गई थी। जब देश के अन्दर प्राइज चिट फंड को बैन कर सकते हैं, तो कन्वेन्शनल चिट्स को इलाऊ करने का कारण क्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे स्टडी ग्रुप हो 1975 का और चाहे 1972 का बैंकिंग कमीशन हो, दोनों ने ही स्पष्ट रूप से चिट फण्ड एक्ट को कन्डेम किया है।

अन्त में मैं एक केस आप के सामने रखना चाहूंगा और यह केस हाई कोर्ट जजमेंट के ऊपर बेस किया हुआ है। यह जजमेंट है :

"1975 की कम्पनी याचका सख्या 59, न्यायाधीश जे० ठक्कर द्वारा दिया गया निर्णय फैसले की तिथि—17 अगस्त, 1977।"

यह एक बड़ा अजीब केस है एक कम्पनी लिक्यूडेशन के लिए गई और उस केस में जजेज ने अपने ये रिमार्क्स दिये कि किस प्रकार से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया। इस कम्पनी पेड-अप कैपीटल केवल 4500 रुपए था और उसने एडवरटाइजमेंट के माध्यम से सब्सक्राइबर्स को इन्वाइट किया। नतीजा यह हुआ कि दो साल के अन्दर 1 याख सदस्यों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए का कलेक्शन किया और कलक्शन करने के बाद जिस समय यह मामला हाई कोर्ड के सामने लिम्युडेशन के लिए गया तो वहां पर जजेज की आंखे खुलीं और उनको यह देखकर दुःख हुआ कि 1 करोड 42 लाख में से पौन 73 लाख रुपया तो लास में दिखाया गया था और जो कम्पनी के डाइरेक्टर्स थे उनको साढ़े 36 लाख रुपया लोन दे दिया गया। गरीबों से 10 रुपया महीना लेकर 1 करोड़ 42 लाख रुपए इकट्ठा किए गए और उसमें इतना सारा लास दिखाया गया। डाइरेक्टर्स को बड़ी अच्छी-अच्छी सैलरीज दी गई, बड़े-बड़े बंगले किराये पर लिये और उनके सारे रिलेटिव्ज और रिश्तेदारों को ओबलाइज करने के लिए बंगले लिए गए और इस तरह से पौने 73 लाख रुपये का लास दिखाया गया। डाइरेक्टर्स जो उनके थे, उनको साढ़े 36 लाख रुपये लोन के दे दिए गए। इस सबको देखकर जजेज ने यह कहा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए जब इस प्रकार की दर्दनाक स्थिति हो, तो यह जो बिल है, जो यह एक्ट आप बनाने जा रहे है, इसमें यह क्या गारन्टी है, ऐसी बात नहीं होगी। इस एक्ट के अन्दर जो यह है कि पहले जो कम्पनी चिट फंड की एक्टविटीज में संलग्न हैं, उनको वांड-आपके लिए समय दिया जाएगा। जब उनको वांड-अप करने के लिए 5-5 और 6-6 साल समय मिल जाएगा, जब फार्मलिटीज को पूरा करने के लिए इतना समय इनको मिल जाएगा, तो इस पीरियड में ये सारा पैसा खा जाएंगी। आपको जरूरत क्या है इतना समय देने की और चिट फण्ड आप देश के अन्दर क्यों रखना चाहते हैं।

अब मैं एक प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करूगा। जब प्राइज चिट्स एण्ड सर्कूलेशन

स्कीम्स (बैंड) एक्ड, 1978 आप लेकर आए हैं, तो मेरी मान्यता है कि इसी एक्ट के द्वारा यहां तक कि पारम्परिक चिटों और उनके कार्य कलापों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सरकार आंखें मूंद कर पड़ी हुई है और कोई अमल नहीं कर रही है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्ट की धारा 3 जो है, उसमें यह दिया हुआ है :

"कोई भी व्यक्ति किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन करेगा या किसी चिट या स्कीम के सदस्यों के रूप में नामांकन नहीं करेगा या उसमें अन्यथा भाग लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा।"

"इसमें धन परिचालन स्कीम" की भी परिभाषा दी गई है :—

"धन परिचालन स्कीम से कोई ऐसी स्कीम, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो अभिप्रेत है, जो सदस्यों को उस स्कीम में नामांकित करने से सम्बन्धित या उसको लागू किसी घटना या आकस्मिकता पर, तुरन्त सुलभ धन उपार्जित करने के लिए या धन के संदाय के किसी वचन के लिए प्रतिफल के रूप में किसी धन या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए है, चाहे ऐसा धन या वस्तु ऐसी स्कीम के सदस्यों के प्रवेश धन या कालिक अभिदानों से व्युत्पन्न होती है या नहीं,"

मेरा कहना यह है कि यह जो आपका आलरेडी प्राइज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम्स (बेनिंग एक्ट बना है इसके अन्तर्गत जो कंवेंशन चिट की परिभाषा दी हुई है उनके अनुसार आपकी चिट तो पहले ही बेंड हैं लेकिन आपने आज तक इस कानून को एग्जामिन नहीं करवाया और न करवाना चाहते हैं।

अन्त में, आपको मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को औब्लाइज करना है तो आप सबसे पहले गरीब को औब्लाइज कीजिए क्योंकि गरीबों के दुख-दर्द की हम बात करते हैं। हम अब तक चिट फण्ड एक्ट को इसी दृष्टि से देखते रहे हैं कि चिट फण्ड के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं कहीं उनका खात्म न हो जाए। इसीलिए आप यह कानून बनाना चाहते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप चिट फण्ड को चाहे वह कंवेंशनल हों, चाहे कोई और हों, इनको अविलम्ब कानून बनाकर प्रतिबंधित करें। वे प्रतिबंधित तो आलरेडी हैं लेकिन दुर्भाग्य से उस कानून को आपने एग्जामिन नहीं किया है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : हमें माननीय सदस्य का भाषण तथा जिन बातों से वह सहमत नहीं है उन्हें सुनने का अवसर मिला है। धन मूल्य का मापक है। यह भी कहा गया है कि यह परिचालन का माध्यम, भुगतान, संचय और व्यापार तथा विश्व की ऊंची व्यवस्था का साधन है। धन के उपयोग के ये पांच तरीके हैं।

[श्री जेवियर अराकल]

सदन में इस समय जिस सौदे पर वाद-विवाद हो रहा है, उसका इतिहास बहुत लम्बा है। यह प्रथमतः प्रधान के लाभ के लिए बनाया गया था। यह कोई लाटरी या वाणिज्यिक अथवा अन्य किसी अन्य प्रकार के निवेश की अपेक्षा दीर्घकालीन सौदा है।

1976 में यह कुल 110 करोड़ रुपए का था।

कुछ राज्यों, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली ने हाल ही में इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया है।

बंगाल में अकेले एक कम्पनी ने 128 करोड़ रुपए का लेन-देन किया।

इसी तरह एक अन्य कम्पनी, सुदर्शन चिट फंड ने करोड़ों रुपयों का ब्योरा किया।

स्वभावतः इसे काफी पहले ही नोट किया जाना यह मामला संविधान की समवर्ती सूची की मद 7 से सबद्ध है। इसमें कहा गया है—

"संविदाएं, जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हैं, किन्तु कृषि-भूमि सम्बन्धी संविदाएं नहीं हैं।"

अतः गरीब ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की शक्तियां इससे सम्बद्ध हैं।

जहां तक उद्देश्यों तथा कारणों से कथन का सम्बन्ध है, पैरा 2 में कहा गया है:—

"कि सभी राज्यों द्वारा लागू किये जाने के लिए पूरे देश पर लागू होने वाले एक समान चिट फंड विधान बनाना अनिवार्य है"

"उपयोग ने यह भी अनुभव किया कि कानून में यह व्यवस्था करना उचित होगा कि केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां ही चिट फंड चला सकती है"

उद्देश्यों तथा कारणों से कथन में इन दो आपत्तियों का जिक्र है। अब हमें वर्तमान विधेयक की जांच करनी है और देखना है कि क्या यह इन उद्देश्यों तथा कारणों के अनुसार है और क्या यह इन उद्देश्यों को पूरा करता है। मुझे सदेह है कि वे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे; ऐसा विधेयक नहीं है जो समान रूप से देश भर में लागू किया जा सके

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर): क्या आप विधेयक का विरोध कर रहे हैं?

श्री जेवियर अराकल : मैं इसका कर रहा हूं (व्यवधान)

इस विधेयक से अन्तर्गत 10 केन्द्रीय अधिनियम आते हैं और ये हैं : भारतीय रिजंव बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, भारतीय स्टेट बैंक (सब्सीडियरी बैंक) अधिनियम 1959, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम 1970 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1980 में वित्तीय अधिनियम सीधें लागू है और इसके अतिरिक्त न्याय अधिनियम 1982, कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा ठेका अधिनियम भी है। इन अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों का समावेश सम्भवतः इस विधेयक में है। क्या इसके द्वारा एक रूपता लायी जा सकेगी ?

यदि आप इस विधेयक के नाम को देखें तो इसमें कहा गया है "चिट फंड विधेयक 1980, यदि आप खंड 1 को देखें तो इसमें कहा गया है, 'इस विधेयक को चिट फंड अधिनियम 1981 कहा जायेगा'। मेरा पहला सदेह वर्ष के बारे में है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके बारे में एक सरकारी संशोधन है।

श्री जेवियर अराकल : इन बातों का पहले ध्यान रखा जाना चाहिए था यदि आप विभिन्न खण्डों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस विधेयक में बहुत सी अनियमिततायें अथवा त्रुटियां हैं। ये त्रुटियां छोटी-छोटी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सारे विधेयक को देखें तो आपको पता चलेगा कि आप उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे।

अब खंड 1 को लीजिए। खड 1 (3) कहा गया है :

> "यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।"

अब एकरूपता कहां है इसे सारे देश में समानरूप से कैसे लागू किया जायेगा ?

खण्ड 12 में भी यही समस्या है। खण्ड 12 में कहा गया है।

> "कोई कम्पनी जो चिट कारोबार कर रही है, राज्य सरकार की साधारण या विशेष अनुज्ञा के बिना किसी अन्य सरकार का संचालन नहीं करेगी।"

यदि आप खण्ड 87 को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को वर्ग अथवा चिटों के वर्ग के सारे प्रावधानों से मुक्त कर सकता है।

मेरा पहला अनुरोध यह है : यह अधिनियम समानरूप से कैसे लागू होगा जहां तक मैं देखता हूं इस विधेयक के आनुसार सारा काम राज्यों ने चलाना है, विभिन्न प्रावधानों अथवा

[श्री जेवियर अराकल]

अधिनियम तथा प्रशासनिक मामलों को कार्यान्वित करने के लिये सारा भार राज्यों पर डाला गया है क्या उस स्थिति में एकरूपता आयेगी ? ऐसी स्थिति में एकरूपता का लाया जाना सम्भव नहीं है, जबकि ऐसे खंडों का समावेश किया जाता है।

अब खंड 4 को लीजिए। कई बातें प्रधान पर लागू की गयी हैं—शायद अच्छे उद्देश्यों से खंड 4, चिटों के पंजीकरण, कार्य शुरू करने तथा संचालित करने से सम्बन्धित है। एक चिट फण्ड को शुरू करने से पहले पांच चरणों से गुजरना पड़ता है। यदि आप खंड 4 को लें तो आप देखेंगे कि प्रधान को स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र देने से पहले कुछ दस्तावेज तथा कागजात प्रस्तुत करने पड़ते हैं जैसे कि पहले कहा गया है, उसे कुछ राशी भी जमा करनी पड़ती है। मैं उस खंड की चर्चा बाद में करूंगा। अब खंड 4 में कहा गया है "कोई चिट फंड उस राज्य सरकार की जिसकी अधिकारिकता के भीतर चिट प्रारम्भ की जाती है या उनका संचालन किया जाता है की पूर्व मंजूरी लिए बिना प्रारम्भ नहीं की जायेगी या उसका संचालन नहीं किया जायेगा अब अन्य खंडों को देखें।

उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व मंजूरी उस दशा में इनकार की जा सकेगी जब प्रधान इस अधिनियम के अधीन या चिट बराबर का विनिमयन करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है"

क्या मैं इस प्रश्न पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण देने का अनुरोध कर सकता हूं। किस प्रकार का अपराध ? कोई अपराध ? जैस कि अन्य वक्ताओं ने पहले भी कहा है, इसके लिए स्पष्टीकरण जरूरी है।

अब खंड 4 (ग) को लें—

"किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दंडादृष्टि किया गया है जब तक कि उसकी उन्मुक्ति से पांच वर्ष की अवधि न बीत गयी हो"

उस किस्म के कितने होंगे ? इस खंड का उद्देश्य क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और पांच वर्ष की जेल दी जाती है—तो इस वर्ग के फोरमैन दुर्लभ ही होंगे। मेरा अनुरोध है कि इस पांच वर्ष की अवधि का लोप किया जाये। पांच वर्ष की अवधि क्यों होनी चाहिए ? यदि यह नैतिक प्रवृता से सम्बन्धित है तो यही अपराध चिट फंड स्वकृित न करने के लिए पर्याप्त है कृपया इस पर विचार करें।

मैं खंड 3 की चर्चा करना भूल गया। एक और खंड है—"इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किये गये उपबंध को छोड़कर..." मेरा संदेह यह है। क्या यह अन्य दंडनीय

अपराध भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य कानूनों के अन्तंगत है ? इस खंड के पढ़ने से पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य कानून के अन्तंगत अपराध किया है तो वह चिट फंड कार्य को नहीं कर सकता। इस खंड की पुनः परिभाषा तथा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

जहां तक पंजीकरण का सम्बन्ध है, खंड 7 की भी वही समस्या है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। रजिस्ट्रेशन से इनकार भी किया जा सकता है यदि प्रधान द्वारा खण्ड (2) के अन्तर्गत दी गयी जमानत अपर्याप्त हो और (ख) यदि प्रधान को इस अधिनियम अथवा चिट फंड सम्बन्धी किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो। मुझे एक और प्रश्न पूछने दीजिए। मान लीजिए प्रधान को अपराधिक कानून के अन्तर्गत दण्डित किया मिले, तो एक उससे रजिट्रेशन पर रोक लगेगी ? मेरा अनुरोध है कि किसी भी सजा को जुर्माने की राशि अथवा जल अवधि पर विचार किये बिना (1) स्वीकृति तथा (2) रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जैसे कि मैंने कहा चिट फंड को क्या शुरू करने से पहले पांच चरण होते हैं। स्वीकृति से पहले उसे कुछ कागज देन पड़ते है, फिर स्वीकृति रजिस्ट्रेशन, प्रारम्भ करने का घोषणा का प्रमाण पत्र तथा चिट फंड बन्द करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता। इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत कागजी रूप करना पड़ेगा और एक से दूसरे दफ्तर जाना पड़ेगा। प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया गया। यह प्रश्न ऐसा है जिसकी ओर सरकार तथा विभाग का ध्यान आना चाहिए। यदि आप खड-खड करके देखें तो विधेयक की योजना यह है। प्रधान को काफी समय तक एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। आप खंड 8 देखे। यह अरक्षित निधि के बारे में है अर्थात लाभ के 10 प्रतिशत भाग को अरक्षित निधि में जमा करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। आरक्षित तिथि का उद्देश्य क्या है ? क्या 10 प्रतिशत जमा करना सम्भव है ? मान लीजिए कि 'x' कम्पनी इतना लाभ कमाती है। इसका क्या परिणाम होगा ? खण्ड 9 की चर्चा कर चुका। खंड 12 सबसे विचित्र खड है। इसमें कहा गया है।

> "कम्पनी द्वारा चिट कारबार से भिन्न कारबार का सव्यवहार करने का का प्रतिशोध"

> "कोई कम्पनी, जो चिट कारबार कर रही है, राज्य सरकार की साधारण या विशेष अनुज्ञा के बिना किसी अन्य कारबार का संचालन नहीं करेगी"

यदि कोई राज्य सरकार महसूस करे, कि इसे छूट दी जा सकती है अथवा उस पर जोर दे तो बे ऐसा करवा सकते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य निष्फल सिद्ध होगा। सबका उद्देश्य वही है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं अर्थात खंड 871 यदि आप खंड 20 को देखें तो मेरे विचार

[श्री जेवियर अराकल]

में यह एक कठोर खंड है जिसमें प्रधान को जमानत जमा करने लिए कहा गया है। उपखंड (क) उसे कहता है।

(क) "......किसी अनुमोदित बैंक में चिट रकम के बराबर की रकम रजिस्ट्रार के नाम जमा करेगा।"

मेरे विचार में बरावर की रकम अनुमोदित बैंक में जमा करने सम्बन्धी यह खण्ड इस योजना को उचित ढंग से चलाने के लिये हितकारी नहीं है। अब मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए : क्या सरकार की इच्छा इस प्रकार के कारबार को प्रोत्साहन देने की नहीं है? यदि नहीं तो बैंकिंग आयोग अधिनियम 1972 के अनुसार एक विधेयक लायें और किसी गैर-वित्तीय संस्था द्वारा इस प्रकार के कारबार पर पाबन्दी लगायें।

कार्यों को विनियमित, नियंत्रित करने के बजाए इस प्रकार के वित्तीय सौदे करने से आप उन्हें नष्ट करेंगे। यह कानून काफी सीमा तक इन संस्थाओं से समेचित कार्यकरण के लिये पर्याप्त नहीं होगा। अब मैं आपको खंड 24 की ओर ले जाता हूं। इस विधेयक को कम्पनी अधिनियम के समान बनाने की कोशिश की गयी है। रजिस्ट्रार को एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाया गया है। इसमें दो बातें हैं, एक राज्य सरकार तथा दूसरी रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रार एक तानाशाहा है; वह बहुत शक्तिशाली है। उसे बहुत सी शक्तियां दी गयी हैं। जैसे कि पहले वक्ता ने कहा, आप उसे कैसे विनियमित करेंगे? इसकी न्यायिक प्रक्रिया क्या है? निस्संदेह राज्य सरकार एक प्रावधान के बारे में सहमत हुई है। यदि इस विधेयक के अन्तर्गत गतिविधियों पर न्यायिक निर्णय अथवा रजिस्ट्रार से निर्णय का प्रावधान हो तो यह ठीक रहेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस विधेयक के अन्तर्गत न्यायिक छानबीन क्यों नहीं की जाती।

अध्याय आठ, खण्ड 39, चिट फण्ड समाप्त करने के बारे में है। खण्ड 39 (2) में कहा गया है :—

"जहां कोई प्रधान दिवालिया न्यायमूर्ति किया जाता है या धारा 26 के अधीन चिट से अलग हो जाता है या चिट के किसी किस्त पर या ठीक आगामी किस्त के पूर्व किसी अन्य तारीख को जैसा कि विशेष संकल्प द्वारा तथा पाया गया हो संचालन करने में असफल रहता है।

सभापति महोदय : यह एक विवादपूर्ण खण्ड है।

"वहां ऐसे संकल्प द्वारा प्राधिकृत गैर इनामी या असंदत्त इनामी अभिदाताओं में से एक या एक से अधिक अभिदाता चिट से पानी संचालन के लिए चिट करार में कोई

उपबंध न होने पर प्रधान का स्थान ले सकेंगे और चिट बनाये रख सकेंगे या चिट के पानी संचालन के लिए अन्य व्यवस्थायें कर सकेंगे"

मेरा संदेह यह है। क्या इस व्यक्ति के अधिकार कर्त्तव्य तथा दायित्व भी वही होंगे जो प्रधान के होंगे अथवा न्यूजमेंन इस विधेयक से बाध्य नहीं होगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पर उचित विचार करे।

अब मैं खण्ड 45 पर आता हूं। इसमें कहा गया है :

"चिट से सम्बन्धित सभी अभिलेख प्रधान द्वारा चिट की समाप्ति की तारीख से आठ वर्ष की अवधि तक रखे जायेंगे।"

मैं इसे नहीं समझता। यदि आप परिसीमत खण्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि तीन वर्ष की अवधि की व्यवस्था की गयी है। यदि परिसीमित अधिनियम लागू है तो यह तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा तो उसे 8 वर्ष के लिए रखने के लिए क्यों कहा जाये। खण्ड 45 में रिकार्ड को 8 वर्ष तक रखने का प्रावधान है। घटा कर तीन वर्ष किया जाये

खण्ड 67 एक विचित्र खण्ड है। विधिक व्यावसायी पर उपस्थित नहीं हो सकते। विधिक व्यवसायिकों पर पाबंदी क्यों लगे ? यह बहुत ही विचित्र खण्ड है। एक दूसरा विचित्र खण्ड 76 जिसके द्वारा 2 वर्ष तक दण्ड लगेगा जबकि नैतिक भ्रष्टता के मामले में 5 वर्ष के दण्ड की व्यवस्था है। अतः मैं सुझाव दूंगा कि इस अपराध की सजा बढ़ाकर 5 अथवा 10 वर्ष की जायें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री जेवियर अराकल : खण्ड 9 के अन्तर्गत कम्पनियों को इस अपराध से छूट दी गयी है। इस पर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। यद्यपि यह विधेयक प्रवर समिति को जा चुके हैं, फिर भी कई प्रश्नों के बारे में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना जरूरी है। खण्ड 87 में छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। मेरे विचार में छूट देने की शक्तियां बहुत हैं। यदि यह शक्ति दी जाये तो हम एक केन्द्रीय कानून कैसे लागू कर सकते हैं।

अत: जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं यह विधेयक उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में परिकल्पित उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। इन सौदों पर रोक लगाने। विनियमित करने तथा कदाचारों को कम करने कि सरकार की इच्छा स्वागत योग्य है। लेकिन इस विधेयक के प्रावधानों से वांछित उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

[श्री जेवियर अराकल]

जो राज्य कठोर कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हैं अथवा जो इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने में असफल रहते हैं, ऐसी स्थिति में चिट फण्ड जैसी इन गैर-वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय लेन देन को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को बहुत ही कठोर कार्रवाई करने के लिये आगे आना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं व शर्ते कि मैंने जो सुझाव दिया हैं उन पर विचार किया जाये और यह आशा भी करता हूं कि सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मित्र श्री अराकल द्वारा दिये गये सुझावों की सराहना करता हूं मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरता से विचार किया जाये। यदि श्री अराकल साहब प्रवर समिति में होते तो हम इन सभी परेशानियों तथा त्रुटियों से बच सकते थे जो अब सामने आ रही हैं।

कुछ मित्रों द्वारा इस विधेयक के विरुद्ध प्रमुख रूप से यह तर्क दिया गया है कि यह काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का एक माध्यम है तथा उस आधार पर सदन के इस पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया है। मैं वास्तव में इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि सरकार मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेती है, तो हमें उससे वास्तव में हमें बहुत प्रसन्नता होगी और कम से कम मुझे तथा मेरे दल को इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरा यह विचार है कि शायद मन्त्री महोदय इन संशोधनों को मंजूर नहीं करेंगे और अन्त में मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ेगा।

हमारे देश में काले धन की एक बहुत बड़ी समस्या है। काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तथा सफेद धन को पुनः काला धन में बदल दिया जाता है और इसी तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिये चिट फण्ड ही अकेला माध्यम नहीं है। इससे भी बेहतर माध्यम मौजूद हैं। मैंने बेहतर माध्यमों की उपलब्धता के बारे में कहा है, यदि किसी को इसमें कोई संदेह हैं।

मैं उससे केवल यह निवेदन करता हूं कि वह बम्बई चलें मैं उनको यह दिखा सकता हूं कि ऐसे 20 विभिन्न तरीके हैं, जिनके द्वारा एक ही रात में काले धन को सफेद धन में बदला जा सकता है। तथा अगली रात ही उस सफेद धन को काले धन में बदला जा सकता है। (व्यवधान) मुझे इस प्रकार के व्यापार से कुछ भी लेना-देना नहीं है लेकिन मैं आपके साथियों को वहां गौर से देख रहा हूं। अतः जो कुछ होता रहता है, हमें उसकी जानकारी

रहती हैं, । मैं यह नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति सदबुद्धि चित फण्ड का उपयोग काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिये करेगा। जबकि इसके लिये अन्य बहुत से बेहतर उपाय तथा अधिक लाभप्रद उपाय उपलब्ध हैं ।

दूसरी बात यह है कि यदि इन चिट फण्डों को सही ढंग से विनियमित किया जाता है, तो इससे निश्चय ही-मध्यम वर्ग तथा वेतन भोगियों को सहायता मिलेगी । इस उपाय के द्वारा वे कम अवधि में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं विशेषकर जबकि वे कुछ विशेष प्रकार की खरीददारी करना चाहते हैं, जिसे बैंकों के माध्यम से नहीं कर सकते।

यह सही तथा उचित ही है कि एक अखिल भारतीय अधिनियम होना चाहिए तथा यह अखिल भारतीय अधिनियम सारे देश पर एक समान विनियमित तथा लागू होना चाहिए। क्योंकि इस समय भिन्न भिन्न राज्यों मे भिन्न भिन्न अधिनियम बनाने का मैं स्वागत करता हूं ।

वास्तव में इम, विधेयक में जिसे सदन में लाया गया है कुछ बहुत ही मोलिक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं यह जानना हूं :—वास्तव में ऐसे बहुत से चिट फण्ड हैं जिन्होंने चिट फण्डों को बदनाम किया है । जिन निर्दोष लोगों को उनके कारण क्षति हुई है उनको राहत देने के लिये क्या किया जा रहा है ?

उदाहृण के तोर पर सुदर्शन चिट फन्ड के मामले का कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जिक्र किया गया है । मेरे मित्र माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने संचमिता चित फण्ड के बारे में कहा है । इन बातों के बारे में वह मुझ से बहुत अधिक जानते हैं ।

श्री सोम नाथ चटर्जी : ऐसे सैकड़ों गरीब तथा निर्दोष व्यक्ति हैं जो अपना धन उनमें गवां बैठे । सरकार ने उनका कुछ भी नहीं किया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उस विषय पर केवल अनभिज्ञता प्रकट करना चाहूंगा लेकिन सुदर्शन चिट फन्ड के सम्बन्ध में मुझे मालूम है कि इससे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह पे प्रभावित हुए हैं । गरीब लोगों तथा मध्य वर्ग के लोगों के करोड़ों रुपयों का विनियोग कर दिया गया है । यद्यपि ऐसे विभिन्न उपाय मौजूद हैं जिनके द्वारा कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सुदर्शन चिट फन्ड पूर्णत सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामित्व में उसकी सहायक कम्पनी है । जिसके प्रमुख श्री वेलायुधन हैं तथा जिनकी पत्नी तमिलनाडू में एक प्रसिद्ध अभिनेत्र है । वह अभी भी इसका संचालन करते हैं । उनको इस समय कठिनाई क्यों हो रही है, उसका कारण यह है कि इन गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के धन को जहाज बनाने आदि जैसे अन्य व्यवसायों में उपयोग किया गया है जिसकी बिल्कुल

[श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी]

भी अनुमति नहीं है। वे इस प्रकार के कार्यकलापों से अपना धन वापस लेने में समर्थ नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप वे एक साधारण अंशदाओं को भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

लेकिन महोदय, इस सम्बन्ध में कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रश्न यह है कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है? यदि सुदर्शन चिट फन्ड का दिवाला होने जा रहा है तब इन गरीब लोगों को अपना देय शेयर नहीं मिलेगा। अतः सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन लोगों की बकाया धनराशि इनको वापस मिलें। मैं यह चाहता हूं कि आज सरकार इस विषय पर आश्वासन दे। क्योंकि वित्त मन्त्रालय के लिये यह कोई नया विषय नहीं है। उन्हें काफी मात्रा में पत्र प्राप्त हुए है जिनमें इन गरीब लोगों तथा मध्यम वर्ग के प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह विधेयक एक अधिनियम बन जायेगा तब सुदर्शन चिट फन्ड जैसे बेईमान तत्वों द्वारा सताये गये लोगों को किस प्रकार राहत मिलेगी। वास्तव में रूप से सरकार फन्ड का अधिग्रहण करके परिसम्पत्तियों का इस तरह से समापन कर सकती है, ताकि जिन लोगों ने अपना-अपना धन इसमें जमा किया है वह उनको वापस मिल सके। मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे इसके अपराधियों को बिना सजा दिये बचने न दें। मैंने कुछ खंडों को छोड़ दिया है क्योंकि उन खंडों पर मेरे से पूर्व वक्ताओं द्वारा विशेष रूप से श्री अराकल द्वारा जो अभी मुझसे पहले बोले हैं, काफी कुछ कहा गया है।

अब मैं खन्ड 8 को लेता हूं जो न्यूनतम आवश्यक पूंजी से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि एक लाख रुपये की न्यूनतम शर्त क्या है, तथा इसका क्या उद्देश्य है। जहां तक खन्ड 12 का सम्बन्ध है, जिसमें चिट फन्ड द्वारा किसी अन्य व्यवसाय को करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, यदि इसको समाप्त करना है, तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि मेरे विचार से इस विशेष खन्ड में भी कुछ कमियां हैं। मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय खन्ड 13 पर विशेष ध्यान दें, जोकि चिटों की कुछ धनराशि पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बंधित है। मैं खन्ड 13 (2) (क) को पढ़ना चाहूंगा:

> "13 (2) (क) जहां फर्म के भागीदारों की संख्या या संगम गठित करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 से कम नहीं है वहां एक लाख रुपये की राशि।"

ऐसा क्यों है? यदि अधिकतम भागीदारी 20 तक है और उप-खंड 13 (2) (ख) में प्रति व्यक्ति 25000 रु० का उल्लेख किया गया है तो हम इसे संख्या बनाकर प्रति व्यक्ति पच्चीस

हजार रुपये भी कह सकते हैं। और खंड (क) की क्या स्थिति है? वास्तव में मेरे मित्र श्री पेरूलेकर ने श्री मूल चन्द डागा के साथ मैं श्री मूलचन्द डागा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनको अपना संशोधन वापस लेने के लिये वाध्य किया जा सकता है—सूची संख्या 3 में एक संशोधन पेश किया है जिसमें कि पृष्ठ 8 में संशोधन में उन्होंने कहा है—

पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—

"से कम नहीं" का लोप किया जाये।

इसका तात्पर्य है चाट से कम नहीं। यह अनावश्यक है। मेरा विचार है कि प्रति व्यक्ति 25,000 रु० किया जा सकता है। वास्तव में इस प्रकार के प्रतिबन्ध को लगाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में प्रवर समिति द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई थी। मैं यह नहीं जानता कि वित्त मन्त्रालय में यह उपाय विचार किसने दिया प्रवर समिति के सदस्यों से बातचीत करने के पश्चात, मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने संख्या की सीमा को निर्धारित करने का सुझाव नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करें और में विशेष रूप से यह चाहता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में वह श्री पेरूलेकर के संशोधन को स्पष्ट करने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खंड 64 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो विवादों तथा मध्यस्थता के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्यवर्ग के लोगों को किस प्रकार शीघ्र राहत दी जा सकती है। श्री अराकल द्वारा यह पहले ही बताया गया है कि यह दण्ड बहुत कम है। वास्तव में वह चाहते थे कि दन्ड की अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की होनी चाहिये। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को चिट फन्डों से हानि हुई है, उनको किस प्रकार राहत दी जा सकती है। इस तन्त्र के माध्यम से उन्हें क्या राहत दी जा सकती है और ऐसा किस प्रकार शीघ्र किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड 90 को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जिसमें राज्य के सभी वर्तमान नियमों का लोप किया गया है अथवा उन्हें निरस्त किया गया है। अतः महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि श्री परूलेकर द्वारा सुझाये गये संशोधनों के अनुसार विधेयक को संशोधित किया जाता है तब मैं निश्चय ही इस विधेयक का समर्थन करूंगा।

तथापि चिट फन्डों के लिये एक अखिल भारतीय अधिनियम के विचार का मैं समर्थन करता हूं। फिर भी मेरे विचार से यदि चिट फन्डों को उचित ढंग से विनियमित किया जाता है, तो यह एक न्यायसगत कार्य होगा और इस कार्य पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। यद्यपि सुदर्शन चिट फन्ड कम्पनी जैसे मामलों में जहां कि धन का दुरुपयोग किया गया है, यदि सरकार कोई उपयुक्त कार्यवाही करती है, तो भविष्य में इसके प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सकता हैं।

इन टिप्पणियों के साथ मैं न तो इस विधेयक का समर्थन करता हूं । और न ही इसका विरोध करता हूं। मैं यह देखूंगा कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ।

श्री के० एन० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, वर्तमान विधेयक से सम्बन्धित उठाए गए विभिन्न अथवा उन मुद्दों पर जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है । मैं अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहूंगा । इन चिट फंडों के सचालन से काले धन की उत्पत्ति क सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन चिट फंड कम्पनियों का वार्षिक लेन देन 250 करोड़ रुपये हैं । जब हम इसकी तुलना देश मे उत्पन्न सम्पूर्ण काले धन की धनराशि से करते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाया है । तब काले धन के बारे में इतना क्यों कहा जाये । जैसा कि मैंने कहा है, मैं इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट नहीं करूंगा ।

वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में हमें यथार्थ स्थिति के अनुसार विचार करना है । इस विधेयक को वर्ष 19..0 में पुनः स्थापित किया गया था तथा इसको प्रवर समिति के पास भेजा गया था और जहां तक मुझे याद है कि प्रवर समिति ने केवल एक असहमति टिप्पण के साथ लोगों के हितों सम्बद्ध अधिकांश सभी उपबन्धों को इसमें सम्मिलित किया है । प्रवर समिति ने सारे प्रश्न पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया है ।

निःसन्देह अब भी कुछ त्रुटियां हैं, जिनको दूर किए जाने की आवश्यकता है । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ चिट फण्ड कम्पनियां लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी कर रही हैं । ऐसे भी कुछ गरीब लोग है, जो इन कम्पनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं । जैसा कि मेरे मित्र श्री अराकल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताया है परम्परागत चिट फण्ड कम्पनियों की कुल संख्या लगभग 8000 है । इन 8000 कम्पनियों में से लगभग 5000 चिट कम्पनियां दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में है । जैसा कि मैंने बताया है इस प्रकार की कम्पनियां लोगों के साथ छल-कपट तथा धोखाधड़ी कर उन्हें परेशान कर रही है । आज इस प्रकार की कोई कम्पनी स्थापित की जाती है और अगले दिन यह गायब हो जाती है । इससे जमाकर्ता कठिनाई में पड़ जाते है ।

इन कम्पनियों के लिए किसी प्रकार के विनियमन की व्यवस्था के लिए इस विधेयक को लाया गया है । जब किसी विशेष सन्दर्भ में किसी विधान को लाया गया हो तब हमें उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । हमें एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि विभिन्न त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन दल द्वारा भी गैर-बैंककारी संस्थाओं के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है । श्री जेम्स राज द्वारा एक सिफारिश की गयी है कि चूंकि गैर-बैंककारी संस्थाएं बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर रही है । इसलिए उनके कार्यकरण के सम्बन्ध में एक

व्यापक विधान लाया जाना चाहिए । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री अराकल द्वारा बताया गया है, इसमें कुछ त्रुटियां तथा कमियां है तथा कदाचारों को रोकने के लिए इनको दूर करने की आवश्यकता है । मै विशेष रूप से विधेयक के खण्ड 64 में की गई व्यवस्थ पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मध्यस्थता आदि के सम्बन्ध है ।

किसी व्यक्ति को नामित करने का काम रजिस्ट्रार के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है और सम्बन्धित राज्य सरकार अपीलीय अधिकरण होगा । निरीक्षक भी है और उनका कर्त्तव्य विभिन्न उपबन्धों का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है । रजिस्ट्रार को विवाद में हस्तक्षेप करने का प्राधिकार होगा और यदि वह चाहे तो किसी को मनोनीत कर सकेगा । अब मनोनीत या नामजद व्यक्ति का दर्जा क्या होगा ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कोई योग्यता नहीं ?

श्री के० ए० राजन : इसमें कुछ नहीं है । केवल रजिस्ट्रार की परिभाषा की गई है परन्तु नामजद कौन होगा ? नामजद व्यक्ति का दर्जा क्या होगा ? इसे परिभाषित नहीं किया गया है । क्या वह रजिस्ट्रार के समकक्ष उसी स्तर का अधिकारी होगा अथवा उसका कोई न्यायिक दर्जा होगा अथवा वह कोई भी साधारण व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी होगा ? अतः उसकी परिभाषा नहीं करेंगे, बहुत से गलत कार्य किए जाएंगे । हम नेक इरादों से देश में कानून बनाते हैं परन्तु जब वह क्रियान्वयन की अवस्था में पहुंचता है तब दुर्भाग्यवश ये सभी गलत कार्य और कदाचार होते हैं । अत: मैं उस मुद्दे विशेष के बारे में बहुत चिंतित हूं अर्थात् किसे नामजद किया जाएगा, नामजद व्यक्ति का दर्जा क्या होगा और यदि रजिस्ट्रार नामजद व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है तो वह किस सन्दर्भ के अन्तर्गत उसे शक्ति प्रदान करता है ? अतः उसे केवल एक व्यक्ति को नामजद क्यों करना चाहिए यदि ऐसी स्थिति हो तो आपको स्वयं स्पष्ट करना चाहिए कि नामजद व्यक्ति का दर्जा क्या होगा । अधिनियम में उसकी परिभाषा नहीं की गई है ।

साथ ही इसमें दो खण्ड-खण्ड 76 और 77 हैं । मंत्री महोदय खण्ड 76 के होते हुए मैं खण्ड 77 को अनावश्यक समझता हूं । आप इसे पढ़िए । यह उसकी पुनरावृत्ति मात्र है जब खण्ड 76 इस सन्दर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है तब खंड 77 को क्यों रखा गया है ? यह एक अनावश्यक खंड है ।

एक दूसरी बात जिसके लिए मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं, खंड 76 से संबंधित है । खंड 86 में लिखा है :

"इस अधिनियम अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैंक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई चिट कार बार प्रारम्भ या संचालित नहीं करेगा ।"

[प्रो० एन० जी रंगा०]

विधेयक में यह एक संगत खंड है जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है। परन्तु कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो कारबार कर रही है। केरल वित्त उद्यम (केरल फाइनेनशियल इन्टरप्राइज) है। मैं नहीं जानता परन्तु अन्य राज्यों में भी ऐसे संगठन अथवा बैंकिंग कम्पनियां हैं और विभिन्न राज्यों में भी ऐसे संगठन अथवा बैंकिंग कम्पनियां हैं। और विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक सहकारी बैंक है जो परम्परागत चिट फंड का काम करते हैं। मैं जो संशोधन रख रहा हूं, वह इस खंड का लोप करने से सम्बन्धित है। क्योंकि उनके संरक्षण की व्यवस्था पहले से की गई है और इन संस्थाओं के अन्दर ही अन्य तंत्र विद्यमान हैं। यद्यपि सरकार सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रर्ड वित्तीय उद्यम चला रही है और सहकारी विकास नियमों के अन्य सहकारी बैंक जो सहकारी नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है चल रही है तथा अन्य बैंकिंग संस्थाएं इसे चला रही हैं और इन संगठनों में पहले से ही संरक्षक की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है अत: हमें इनके बारे में इसलिए चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको निजी फर्में अथवा निजी कम्पनियां चला रही हैं। ये काफी कारबार कर रही है क्योंकि वे मध्यम श्रेणी और निम्न-मध्यम श्रेणी के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चिट फंड के कारबार कौन लोग सम्मिलित होते हैं ? वास्तव में इनमें गांवों-कस्बों में रहने वाले निम्न मध्यम श्रेणी के लोग और निर्धन लोग तथा सरकारी अधिकारी, अराजय वित्त अधिकारी तथा सभी प्रकार के लोग हैं। इन उद्यमों द्वारा बहुत अधिक कारबार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन इसका लोप करने के बारे में है। इसे क्यों रखा जाना चाहिए ? मन्त्री महोदय कृपया स्थिति स्पष्ट करें। यदि उन्हें कारबार करने वाली अन्य फर्मों की भांति दुरुपयोग की आशंका है तब उन्हें किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने कानून द्वारा इस संस्था में पहले से ही संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है जब वे इसे चला रहे है तब इसकी क्या आवश्यकता है ? अत: मेरा सुझाव उस उपबन्ध को लोप करने के बारे में है।

मैं एक और बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। मैंने पहले भी अपीलीय अधिकरण के बारे मे जोर डाला है। अपीलीय अधिकरण राज्य सरकार है जैसे कि मानो राज्य सरकार ने ही उसका प्रशासन चलाना हो। परन्तु ऐसे मामलों अपीलीय अधिकरण न्यायिक अधिकरण के पास होना चाहिए। आपने केवल यही कहा है कि राज्य सरकार को अपीलीय अधिकरण होना चाहिए। परन्तु मेरे विचार में ऐसे मामलों में जिनमे सभी प्रकार के कदाचार, धोखाधड़ी चल रही है आप...

प्रो० एन० जी० रंगा० : तब इसमें काफी विलम्ब हो जाएगा।

श्री के० एन० राजन : मेरा यह केवल सुझाव मात्र है। आप समस्या पर विचार कर सकते हैं। और यह देखें कि क्या इस पर विचार किया जा सकता है। एक और उपबन्ध की ओर भी संकेत किया गया है।

कतिपय संस्थाएं कतिपय कार-बार कर रही हों और यदि वे इसके अलावा अन्य कोई कार-बार करना चाहती है तो वे नहीं कर सकती हैं। हो सकता है वे करें। इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है कतिपय कम्पनियां परम्परागत चिट चला रही हों। इसके लिए आपको उनके दरवाजे बन्द करने होंगे और कहना होगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई और व्यवसाय या कारबार नही कर सकती हैं। क्योंकि इसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है इसके पीछे क्या तर्क है मैं नही समझ पाया हूं। (व्यवधान)

मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसे किसी और तरह से भी लिया जा सकता है।

इन शब्दों के समाप्त करते हुए म यह कहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु वास्तव में मैं यह नही जानता कि हम किस हद तक इस सम्पूर्ण तन्त्र को कर सकेंगे। मैंने जैसा कि कहा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक इसे नियन्त्रित या प्रशासित कर पाते हैं और किस सामा तक निरीक्षक और रजिस्ट्रार इस मामले में सतर्क रह सकेंगे। अन्य कानूनों की भांति यदि क्रियान्वयन पक्ष कुछ नहीं करता है तो इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए, मैं समाप्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस चिट फंड बिल का समर्थन करता हूं और चूंकि मैं भी इसकी प्रवर समिति में था, जो जानकारी सारे देश में हमको मिली, उससे यह महसूस होता था कि खासतौर से दक्षिण में—केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन सब प्रदेशों में चिट फंड कार्यक्रम काफी प्रचलित है और लोग यह महसूस करते थे यदि चिट फंड सिस्टम न होता तो छोटे-मोटे लोगों का रोजगार का काम है वह भी नहीं चल सकता था।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जो दिए कि बैंकों के जरिए इस प्रकार की व्यवस्था चलाई जाय। हम सब जानते हैं कि अब हमारे बैंक किस तरह से काम करते है। किसी भी प्रकार के ऋण के लिए लोगों को महीने-दो-महीने बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद भी मुश्किल से पैसा मिल पाता है। इस व्यवस्था में 30% डिस्काउन्ट पर सारा पैसा आराम से मिल जाता है। बैंक से अगर 5 हजार रुपये कर्जा लेना है तो मैनेजर, एग्रीकल्चर अधिकारी, वैल्यूएशन आफिसर, सब के लिए व्यवस्था करनी पडती है। इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। यह कह देना बहुत सरल है कि सारी कार्यवाही चिट फंड कम्पनी के जरिए न होकर बैंकिंग संस्था के जरिए की जाय, लेकिन उसमें जो कठिनाइयां हैं उनको भी देखना होगा। यह ठीक है कि चिट फंड कम्पनियों में भी बहुत गड़बड़ी हुई है। खासतौर से "सुदर्शन कम्पनी" का उल्लेख

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अनेक सदस्यों ने किया है, लेकिन अगर चिट फंड कम्पनी को इस काम के अलावा दूसरा काम न करने दिया जाय तो व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है। अगर चिट फंड कम्पनी दूसरे कामों में लग जायेंगी, अपना पैसा बिल्डिंग के कामों में या सिनेमा के कामों में लगायेंगी जिसमें उनको घाटा भी हो सकता है...

श्री हरीश रावत (अल्मोडा) : होटल में भी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : होस्टल के कामों में अगर चिट फंड कम्पनी पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो यह इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है और उसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। इसलिए चिट फ़ंड कम्पनियों को अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट का अधिकार नहीं होगा तो इस तरह की गड़बड़ नहीं होगी और वे सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

इसलिए जो बिल आपके सामने लाया गया है उसमें ऐसी चिट फंड कम्पनियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा प्रवर समिति ने ऐसे सब सुझावों पर विचार करके बहुत सोच-समझकर संशोधन किए हैं।

अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ बातें रखीं और कुछ सवाल लीगल से प्रैक्टीशनर्स के बारे में उठाया। इसमें झगड़ा कहां है, जो उसको लाया जाए। एक फोरमैन और सब्सक्राइबर के बीच में झगड़ा है, तो उसमें लीगल प्रैक्टीशनर क्या करेगा। रजिस्ट्रार के सामने दावा पेश किया जाएगा कि हमारा इतना पैसा नहीं दिया गया या इसमें फलानी गड़बड़ हुई है, तो रजिस्ट्रार उसको डिसाइड कर देगा। अगर प्रैक्टीशनर को लाया जाएगा, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए मैं यह समझता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर को इसमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़ी सरलता से रजिस्ट्रार इसको कर सकता है और सारी समस्या का समाधान हो सकता है।

इसी तरह से और भी बहुत सी बातें कही गई और खास तौर पर रजिस्ट्रार के बारे में यह कहा गया कि वह सारी व्यवस्था को कैसे सुचारु रूप से चला सकेगा। मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो चिट फंड कम्पनी थी, वह अगर किसी दूसरी स्टेट में जा कर काम करती थी, तो उस पर उस स्टेट के रजिस्ट्रार का कोई जूरिसडिक्शन नहीं था। हमने इस बिल के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान करने की व्यवस्था की है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा कर कोई कम्पनी अपना कारोबार चलाती है, तो वहां का रजिस्ट्रार उसकी सारी व्यवस्था को देखेगा। आज तक तो यह होता था कि एक चिट फंड कम्पनी दूसरी स्टेट में जाकर अपना कारोबार करती है, अपने कारोबार को बढ़ाती है, तो उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं देख पाता है कि वह जो रुपया उसके पास है, उसको किस तरह से खर्च कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है या गलत रास्तों पर जाकर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसको रोकने का

कोई अधिकार किसी के पास नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है और इस प्रकार से बहुत सारी चिट फंड कम्पनियां खराब हुई हैं और उन से लोगों को नुकसान हुआ है। इसलिए यह प्रावधान इस बिल के अन्दर किया गया है कि अगर एक स्टेट में वह कम्पनी रजिस्टर्ड है और दूसरी स्टेट में जाकर वह काम करना चाहती है, तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार के तहत में उसको काम करना पड़ेगा और जितने भी उसके डाकूमेंटस हैं, कागजात वगैरह हैं, उनको देखने का अधिकार वहां के रजिस्ट्रार को होगा और उसके सम्बन्ध में वह जो कुछ भी निर्णय लेगा, वह उसको मान्य होगा। इस प्रकार की व्यवस्था जो इस बिल में की गई है, उससे जो लूपहोल्स पहले थे वह लूपहोल्स एक तरह से अब नहीं रहेंगे।

राजन साहब ने एक बात कही बैंकों के बारे में। यह भी कहा गया कि सरकारी समितियों को इस काम को करने की इजाजत दी जाए। हमने प्रवर समिति में इसका विरोध किया कि सहकारी संस्थाओं को चिट फंड का काम दिया जाए और विरोध इसलिए किया कि सरकारी समितियों के जिम्मे जो काम है, उसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम है। उसमें इस प्रकार के कारोबार को अगर शामिल कर दिया जाता है, तो लोग चिट फंड के काम को प्राथमिकता देंगे और एग्रीकल्चरल के डवलपमेंट का काम सारा का सारा ठप्प पड़ जाएगा। देश में जो सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं कि इस देश के विकास को वे तेज गति दे सके, विकास देश की गति को वे आगे बढ़ाएं और हमारे देश की जो 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है, उस किसान को ज्यादा से ज्यादा हम लाभान्वित कर सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स दिलाएं और उनकी जो दूसरी आवश्यकता हैं, उनकी पूर्ति करें तब जाकर खेतीबाड़ी में तरक्की के काम हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डवलपमेंट का काम इसलिए इन सहकारी समितियों को सुपुर्द किया है। अब अगर उनको चिटफंड का काम भी सुपुर्द कर दिया जाता है, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में जो व्यवस्था सरकारी समितियों द्वारा की गई है, वह सब गड़बड़ हो जाएगी और उसमें विसंगतियां आ जाएगी और वे बर्बाद हो जाएंगी। यह कहा गया कि केरल में इस प्रकार की व्यवस्था है और केरल की सहकारी संस्थाएं चिट फंड का काम भी करती। वहां के रिप्रेजेन्टेटिव्ज का कहना यह है कि केरल में कोआपरेटिव सोसाइटीज व्यवस्थित तरीके से इस काम को कर रही हैं मगर क्या दूसरी जगहों पर यह व्यवस्था फिट हो पाएगी। हमने कई जगहों पर इस के बारे में पूछा है...

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) : आप के ज्ञान का लाभ सलेक्ट कमेटी को हो चुका है और मैं जानता हूं कि आप कई घंटे तक इस पर भाषण दे सकते है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : चेअरमैन साहब, आप पहले मना कर देते तो मैं नहीं बोलता।

सभापति महोदय : देखिये, आप सैलेक्ट कमेटी में पहले बोल चुके हैं और इस बिल को पास भी होना है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

गिरधारी लाल व्यास : पास होने मे तो अभी डेढ़ घटा है।

सभापति महोदय : आज हाफ एन आवर डिस्कशन भी है, इसलिए आप अपनी बात संक्षेप में कह दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर वे मेरी बात नही सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात सदन को सुनानी है। जल्दी से अपनी बात कह दीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब उपमन्त्री महोदय

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए आभारी हूं। वास्तव में माननीय सदस्यो ने इस विधेयक का गहन अध्ययन किया हैं और ठोस सुझाव दिए हैं। मेरे पास समय बहुत कम है अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा, इस सभा में उठाए गए सभी मुद्दा का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

महोदय, चिट फड देश की प्राचीन तम देश वित्तीय संस्था है और समाज के कतिमय वर्गों में यह बहुत ही लोक प्रिय है क्योंकि इसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक आसानी से धन एकत्रित किया जा सकता है दुर्भाग्यवस जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें कुछ कदाचार और अनियमिताएं हो सकती हैं और कुछ प्रधानों या संचालकों ने अभिदाओं को धोखा भी दिया हो देश के कुछ भागों में विशेषरूप से कुछ राज्यों में वे इसको चला रहे है। कुछ राज्यों में चिट फडों के कार्यचालत को निमन्त्रित करने के लिए कोई कानून नहीं हैं वहीं अनियमितताएं हो रही थीं। हम स्वीकार करते है कुछ कम्पनियां द्वारा अनियमितताएं की गई हैं यही कारण है कि ससद में एक स्पष्ट केन्द्रीय कानून पुन: स्थापित किया गया है।

इस विधान का इतिहास क्या है? इस विधान को वर्ष 1979 में पुनः स्थापित किया गया था और 1979 में जब इसे तत्कालीन सरकार द्वारा पुन स्थापित किया गया तब ऐसा ही एक अधिनियम मोजूद था उस विधान पर श्री चरण सिंह के हस्ताक्षर थे। इस विधेयक पर श्री आर० वेंकटरामन के हस्ताक्षर हैं। केवल यही अन्तर है। वर्ष 1980 में जब हमारी सरकार द्वारा यह विधेयक पुनः स्थापित किया गया तब इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था।

और प्रवर समिति ने वर्ष 1981 में इस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। अतः हमारे माननीय मित्र श्री जेवियर अराकल ने जिस तारीख का उल्लेख किया है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने तारीखों में कुछ त्रुटियों का भी उल्लेख किया है क्योंकि इसे 1980 में पुनः स्थापित किया गया था तत्पश्चात इसे 1981 में प्रवर समिति को भेजा गया था और इस विधेयक को अब 1982 में पुनः स्थापित किया गया है इसी कारण इसमें कुछ त्रुटियां हैं और इसलिए हमने सभा में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। हमने सभा में कुछ आगे संशोधन भी प्रस्तुत किये हैं।

इस विधेयक पर बहुत परिश्रम किया गया है। इस विधेयक को तैयार करने और इसका प्रारूप बनाने में लगभग सात वर्ष का समय लगा है। इसे हम देख सकते हैं।

1972 में बैंकिंग आयोग ने भी इन चिट फन्डों के सभी पहलुओं की जांच की थी। तत्पश्चात् 1974 में एक अध्ययन दल, अर्थात राज अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। उस अध्ययन दल ने भी इसकी जांच की थी और उसके द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद उन सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक को संसद के समक्ष लाया गया है। वे सिफारिशें क्या हैं? जादवपुर के माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने बैंकिंग आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया था।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बैंकिंग आयोग ने सभी प्रकार के कदाचार प्रधान के कार्य और अभिदाताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों का अध्ययन करने के पश्चात पृष्ठ 427 के पैरा 17.42 पर निम्नलिखित सिफारिश की है:

> "चूंकि चिट फन्ड स्वदेशी मूल की हैं और उनकी लोक प्रियता निरन्तर बढ़ती रही है तो बिना कोई वैकल्पिक योजना चालू किए उनके हटाने से एक रिक्तता जन्म ले लेगी। अतः, अब समस्या उनको व्यवस्थित करने की है।"

उसके पश्चात अध्ययन दल ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और उन्होंने यह सिफारिश की है:

> "स्थिति जो भी हो सच्चाई यह है कि चिट फन्डों द्वारा जुटाई गई रकमें और इनाम राशि के रूप में उनके द्वारा उनका वितरण समाज के एक वर्ग की आवश्यकता को पूर्ति करता है। चूंकि संस्थानों के रूप में चिट फन्डों ने अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया है और उनकी लोक प्रियता में निरन्तर वृद्धि हुई है इसलिए उनकी कार्य-पद्धति का विनियमन करने हेतु मार्गोपाय ढूंढने होंगे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

वे एक सुदृढ़ आधार पर काम करें और चिट-फन्डों के संचालन में प्राय: दिखाई देने वाला कदाचार यथासम्भव सीमा तक दूर किया जा सके।"

इससे यह कतई स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही समितियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि परम्परागत चिट फन्डों का विनियमन करने की आवश्यकता है।

जब 1979 में इस विधेयक का पुन:स्थापित किया गया था तो माननीय सदस्य श्री गोयल मन्त्री मन्डल में थे। मेरे विचार से उस समय वे इसकी इतनी आलोचना नहीं करते थे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जब इसे पुर:स्थापित किया गया था तो मैं मन्त्री मन्डल में नहीं था। यह श्री चरणसिंह जी के समय में पुर:स्थापित किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : अब वह सदन में इस विधेयक पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहे हैं।

मुद्दा यह है कि क्या चिट फन्डों पर रोक लगा दी जाए या इसका विनियमन किया जाए मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में इस विधेयक के इरादे के बारे में सविस्तार स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर दिया था। अत: अब मैं उस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता।

माननीय सदस्य विधेयक के खन्ड 20 की बात कर रहे थे अर्थात प्रधान की भूमिका के बारे में। जहां तक प्रधान या प्रवर्तक, जोकि चिट फन्ड संस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी या कार्यकर्ता होता है का सम्बन्ध है उसे अभिदाताओं के मन में विश्वास जगाना पड़ता है। संस्था की सफलता अथवा अन्यथा बातें प्रधान की ईमानदारी पर ही निर्भर करेंगी।

माननीय सदस्यों ने कुछ चिट फन्ड कम्पनियों के कार्य-कलापों और प्रधानों के अनाचार का भी उल्लेख किया है उस पहलू के विस्तार में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब, प्रश्न यह है कि क्या हम इस सम्पूर्ण संस्था का विनियमन करें या उस पर रोक लगाएं। देशभर म लगभग 500 संस्थान हैं। और हजारों लोग इन संस्थाओं में कार्यरत हैं। कई लाख अभिदाता हैं और ये लोग निर्धन वर्गों के होने के कारण इन संस्थाओं से लाभ उठा रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम इन सब लोगों का रोजगार छीन लें या वैकल्पिक रूप में प्रधान के कार्य का नियमन करें अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रधान के अनाचारों से इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियामक उपायों द्वारा इन संस्थाओं को नियन्त्रित करना बेहतर है।

विधेयक में लगभग 90 खन्ड हैं। प्रवर समिति ने इन सभी का अध्ययन किया है। इसकी 25 बैठकें हुई। इसने सारे देश का भ्रमण किया और व्यक्तियों, संघों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये। इन सभी

सुझावों पर विचार करने के बाद, समिति ने अपने प्रतिवेदन में संसद को अपनी सिफारिशें भेजी हैं। खन्ड वार विचार करते समय, सरकार कुछ सरकारी संशोधन भी पुरःस्थापित करेगी।

संचयता का कुछ उल्लेख किया गया है। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी कुछ आरोप लगाए गये है। चूंकि वह माननीय सदस्य जिन्होंने इसका उल्लेख किया था यहां पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस मामले पर 2.3.82 और 23.3.82 को राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है और वित मन्त्री महोदय ने विस्तार से उत्तर दिया है। अब मामला उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है और न्यायालय के विचाराधीन है।

मैं यह कहूंगा कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह सही नहीं हैं। जहां तक संचयता के मामले का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा है कि यदि राज्य सरकार थोड़ी-सी भी और सावधान रहती तो स्थिति बिलकुल भिन्न होती और कुछ और अधिक कार्यवाही भी की जा सकती थी। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसने सभी आवश्यक कार्यवाही की है। परन्तु दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं सभा के सूचनार्थ बताता हूं कि 6 जुलाई, 1979 को एक माननीय संसद सदस्य ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था कि यह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा लगाए गये आरोपों की ओर राज्य सरकार का ध्यान खींचते हुए उन्हें एक पत्र लिखा था परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वास्तव में, राज्य सरकार तो यहां तक कह गई थी कि इन लोगों ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती है। अतः हमारे मित्र केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं दें सकते हैं। संचयता के मामले में राज्य सरकार ही समय पर कार्यवाही करने में असफल रही है।

श्री राजन ने नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का उल्लेख किया है। इस केन्द्रीय अधिनियम को लागू तो राज्य सरकारें ही करेंगी। इस सम्बन्ध में उपबन्ध करने के लिए खण्ड 89 क के अधीन राज्य सरकार को शक्ति दी गई हैं। नियम बनना राज्य सरकार का कार्य है और वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर सकते हैं, वे उल्लेख कर सकते हैं या निवेदन कर सकते हैं और एक ऐसा निकाय खड़ा कर सकते हैं जहां वे मनोनीत कर सकते हैं तथा एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। (व्यवधान)

एक और बात खण्ड 20 के बारे में कहनी है। यह कहा गया है कि यह खण्ड बड़ा ही सख्त और कटु भी है। खण्ड 20 में स्पष्टतया यह कहा गया है ;

> "चिट के उचित संचालन के लिए प्रत्येक प्रधान धारा 4 के अधीन पूर्व मन्जूरी के लिए आवेदन करने के पूर्व—
>
> (क) किसी अनुमोदित बैंक में चिट रकम के बराबर की रकम रजिस्ट्रार के नाम जमा करेगा।"

[श्री जनार्दन पुजारी]

जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं इसके अनुसार उसे चिट मूल्य की 100 प्रतिशत रकम जमा करानी पड़ेगी। अधिनियम में इसकी इस प्रकार व्याख्या क्यों की गई है ? जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि उसे अभिदाताओं के मन में विश्वास जगाना होता है। अनुमति मांगते समय, यदि वह यह रकम जमा राता है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उसे रकम वापिस मिल सकती है। यदि हां तो किस तरह ? यह कहा गया गया है कि इस रकम को जमा रखा जाएगा और वह उसे निकाल नहीं सकेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह कहा जा सकता है कि वह व्यवसाय चलाने में असफल है। जो व्यक्ति चिट फण्ड चलाना चाहता है उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए और उसके पास साधन भी होने चाहिए। अब बात यह है कि क्या इस राशि को रोके रखा जायेगा और जब एक बार एक आदमी ने रकम जमा करा दी और यदि वह चिटों के रजिस्ट्रार से अनुमति ले लेता है और यदि विधान का रवैया व्यवसाय के चलाने में हुए विलम्ब को दूर करने का है तो वह इसके वापसी तुरन्त चालू कर सकता है और वह अन्शदान की पहली किश्त बिना किसी छूट के दे सकता है। यदि वह अनुमति प्राप्त करने के तीन दिन के अन्दर-अन्दर व्यवसाय आरम्भ कर देता है तो वह उस रकम को प्राप्त कर सकता है। चिट रकम उसके पास रहेगी तो इस प्रधान के लिए क्या कठिनाई रहेगी ? क्या मेरी बात स्पष्ट हो गई है ? अतः मेरा निवेदन यह है कि इस विधान को केवल व्यवसाय को गति प्रदान करने के लिए लाया जा रहा है। अन्यथा ये लोग क्या करते हैं वे कारबार आरम्भ नहीं करते वे इसको दीर्घकाल तक लटका सकते हैं। यदि सदस्य 50 हैं तो, केवल 40 से ही अन्श दान लेकर वे कह सकते हैं। कि हमने तो केवल 40 से अन्शदान एकत्र किया है। दस से हम एकत्र करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः वे इसे और एक वर्ष तक लटका सकते हैं और वे 40 अन्शदाताओं के धन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इससे बचने के लिए ही यह किया गया है। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों की शंकाएं और संदेह दूर हो गए होंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक जैसे खण्डों 76 और 77 में कुछ अन्तर क्यों है वे एक समान नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तो उससे अलग ढंग से निपटा जाएगा। इसीलिए दूसरी बार के अपराध के लिए अधिक दंड का विधान किया गया है।

माननीय सदस्य श्री गोयल ने यह एक बात उठाई है कि विशेषकर इन पुरस्कार चिटों और धन परिचालन योजनाओं ने परम्परागत चिटों के कारबार को भी ठप्प कर दिया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** : जी, हां।

श्री जानर्दन पुजारी : और उन्होंने कहा है "इस पर कहीं भी रोक नहीं लगाई गई है।" क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जी, हां।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप आगे बोलिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा उनसे स्पष्टीकरण मांगना ठीक ही है।

महोदय, अब आप 'इनामी चिटों' की परिभाषा को पढ़िए। इनामी चिटों और धन परिचालन योजना के अधीन 'इनामी चिट' में किसी प्रकार का लेन-देन या किसी भी नाम से प्रबन्ध जिसमें एक व्यक्ति धन एकत्र करता है फिर चाहे वह प्रवर्तक बनकर, प्रधान या अभिकर्त्ता बनकर करे क्या अब मैं खण्ड 2 पर आ सकता हूं ? इसमें 'परम्परागत चिट' सम्मिलित नहीं हैं।

अत: इसमें परम्परागत चिट सम्मिलित नहीं हैं। इस पर भी अधिनियम लागू नहीं होता इसीलिए इन सभी पहलूओं का पूर्ण अध्ययन करने के बाद केन्द्र सरकार इस केन्द्रीय विधान को लेकर आई है।

पियर लेस इन्शोरेन्श कम्पनी के बारे में भी एक मुद्दा उठाया गया है। यह कलकत्ता की एक निवेश संस्था है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यवाही की है। परन्तु दुर्भाग्य से कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दिए हैं यह विचाराधीन है। अत: मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लेकिन यह फैक्ट है कि पीअरलैस जनरल इन्श्योरेंस कं० का आपरेशन आज सारे देश में है, लोग करोड़ों रुपया इसमें कन्ट्रब्यूट कर रहे हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं। इसकी फाइनेन्शियल पोजिशन किस प्रकार की है, रिजर्व बैंक के पास इसके फिक्सड डिपाजिट्स हैं या नहीं, लोगों का रुपया सेफ है या नहीं, यह तो बताना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर सरकार विचार कर रही है और हम सही समय पर आवश्यक कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे।

जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है दुर्भाग्य से उस पर स्थगन आदेश दे दिए गये हैं।

मेरे विचार से सभी मुद्दों को न समेटने पर माननीय सदस्यगण मुझे क्षमा कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सभी मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं। इस ओर से कोई मांग नहीं की जा रही है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा सभा से यह निवेदन है कि हम इस विधेयक को पर रखकर देखें कि क्या यह सुचारू रूप से चलता भी है। हमें शीघ्रता से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। हमें यह अनुमान लगाकर नहीं बैठ जाना चाहिए। कि यह काम नहीं करेगा। सरकार का इरादा तो यह देखने का है यह सुचारू ढंग से चले।

अपने अनुभव के आधार पर यदि हम देखेंगे कि यह कारगर साबित नहीं हो रहा है तो हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि यह किस प्रकार कार्य करता है क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इसकी भावना शुभ है।

मैं माननीय सदस्यों उनके मूल्यवान सुझावों के लिए को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि वे अपने संशोधनों के लिए आग्रह नहीं करेंगे और मेरे संशोधनों सहित इसे पास करने की मुझे अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिट फण्ड को विनियमन और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

जो सदस्य पक्ष में हों कृपया वे 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : 'हां'

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके पक्ष में नहीं है कृपया वे न कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नही'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि चिट फंड के विनियमन और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2

उपाध्क्ष महोदय : संशोधन संख्या 35 ।

श्री सोमनाथ चटर्जी—उपस्थित नहीं है।

मैं खण्ड 2 तथा 3 को एक साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है;

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 और 11,—

"किया गया है" के पश्चात

और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दंडाविष्ट किया गया है" अन्तःस्थापित किया जाये। (3)

श्री भीकू राम जैन : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री बापूसाहेब परूलेकर (रत्नगिरि) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4,—पंक्ति 9 से 11 का लोप किया जाये।

पृष्ठ 4,—पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए। (23)

"परन्तु ऐसा कोई व्यक्तिक्रम/उल्लघन पूर्व मन्जूरी के वास्तव में दिये जाने से पूर्व परिशोधित कर दिया जाता है, तो तो व्यक्तिक्रम/उल्लंघन माफ कर दिया जायेगा। (24)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 4 पर श्री जनार्दन पुजारी द्वारा प्रस्तुत किये गए संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है ;

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 और 11 —

"किया गया है" के पश्चात

"और ऐसे किसी अपराध के लिए कारवास से दंडादिष्ट किया गया है" अन्तःस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 23 और 24 को सभा में मत दान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक से जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 7

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ;

पृष्ठ 6, पंक्ति 18—

"किया गया है" के पश्चात

"और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है" अन्तःस्थापित किए जायें। (24)

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 6,—पंक्ति 16 से 18 का लोप किया जाये। (25)

पृष्ठ 6,—पंक्ति 22 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु यह और कि यदि ऐसा कोई व्यक्तिक्रम/उल्लंघन चिट सम्बन्धी करार के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व परिशोधित कर दिया जाता है, तो व्यक्तिक्रम/उल्लंघन माफ कर दिया जायेगा।"(26)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 25 और 26 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 25 और 26 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जनार्दन पुजारी द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 7 के संशोधन संख्या 4 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है ;

पृष्ठ 6, पंक्ति 18—

"किया गया है" के पश्चात

"और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है" अन्त:स्थापित किया जाए। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं : "कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 13

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 8, पंक्ति 17—

"से कम नहीं" का लोप किया जाए। (27)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 27 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 16

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

पृष्ठ 9, पंक्ति 10,—

"अभिदाताओं" के स्थान पर

"साक्षियों" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 28 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ;

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस खण्ड को मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 17

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 18,—

"जो" के स्थान पर

"यदि" प्रतिस्थापित किया जाए। (29)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 29 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 29 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस खण्ड को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ;

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 और 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 20

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 10, पंक्ति 16 और 17,—

"धारा 4 के अधीन पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करने" के स्थान पर

"धारा 7 के अधीन चिट करार फाइल करने" प्रतिस्थापित किया जाय। (30)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 30 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 20 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 विधेयक से जोड़ दिया गया।

2005 22

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 4,—

"किस्त की" के पश्चात

"अन्तिम" अन्तःस्थापित किया जाए। (31)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 31 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 31 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 22 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 से 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु जब गैर इनामी अभिदाता अपनी जमा रकम की वापसी के लिए दावा करे तो उन्हें वह रकम लौटाए जाने की गारन्टी दी जाएगी—और उस जमा रकम से 5 प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं की जाएगी।" (47)

उपाध्क्ष महोदय : अब मैं श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 47 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 47 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 73

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 30 से 73 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 से 73 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 73 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 74 तथा 75

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 74 और 75 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 74 और 75 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 74 तथा 75 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 76

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 28, पंक्ति 14,—

"22" के स्थान पर

"धारा 22 की उपधाराओं (3), (4) (5) और (6), धारा" अन्तःस्थापित किया जाए । (32)

पृष्ठ 28,—

पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ख) जो धारा 22 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा ; या" (33)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 32 तथा 33 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 32 और 33 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय अब साढ़े पांच बज चुके हैं । अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे...

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम इसे समाप्त कर लें फिर आधे घंटे की चर्चा करेंगे । यह निवेदन संसदीय कार्य मन्त्री ने किया है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म सिंह नारायण) : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस विधेयक को पूरा करके आधे घंटे की चर्चा की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री ने निवेदन किया है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह निवेदन किया है और सभा की भावना भी यही है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 76 विधेयक का अंग बनें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 77

संशोधन किया गया

पृष्ठ 28, पंक्ति 36 और 37

"इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है" के स्थान पर "धारा 76 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति उक्त अपराधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष किया जाता है "प्रतिस्थापित किया जाये।" (5)

श्री जनार्दन पुजारी

श्री बापू साहिब परुलेकर: मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 28, पंक्ति 36

"अधिनियम" के पश्चात

"की धारा 76 की उपधारा (1) और (3)" अन्तःस्थापित किया जाए। (34)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 34 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड 77 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 77, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 78 से 84 में कोई संशोधन करने सूचना नहीं दी गई है। प्रश्न यह है।

4 कि खन्ड 78 से 83 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 78 से 84 विधेयक जोड़ दिए गए ।

खंड 85 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 86

श्री के० ए० राजन : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 30 खण्ड 89 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"86 इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात"—

(क) किसी राज्य सरकार या उसकी ओर से किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी ;

(ख) किसी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन किसी ऐसे कम्पनी, जो किसी चिट या करारजनित चिट के संचालन से भिन्न कोई कारबार नहीं करती है ;

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कम्पनी या उस अधिनियम की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंककारी संस्था, या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (आनुषंगिक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अधीन गठित किसी आनुषंगिक) बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1976 कि धारा 3 के अधीन गठित तत्समान किसी नये बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा के अधीन स्थापित किसी प्रादेशिक ग्रामीड़ बैंक या रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित किसी सहकारी बैंक ; या ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस निमित किसी पूर्ण या शैक्षणिक संस्था द्वारा संपरिवर्तित किसी चिट या करारजनित चिट को लागू नहीं होगी ।"(48)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० ए० राजन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को मतदान के लिए सभा में रखता हूं ।

[श्री टी० आर० रामन्ना]

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 86 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 86 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 87 और 88 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

नया खंड 88 क

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० आर० रामन्ना ने एक नया खण्ड 88 क जोड़ने के लिए विधेयक में संशोधन करने की सूचना दी है क्या वह उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री टी० आर० रामन्ना : (बंगलौर दक्षिण) मैं केवल प्रस्ताव ही प्रस्तुत नहीं कर रहा बल्कि मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपके राज्य से है । संभवतः अब आप अपना अन्तिम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री टी० आर० रामन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 30

संप्रवर्तकों को वैयक्तिक दायित्व ।

> 88(क) "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार को अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान चिट फण्डो के ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति होगी, जहां कि चिट से सम्बन्धित उन संप्रवर्तकों या अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने कपटपूर्वक या उपेक्षा के कारण चिट फण्ड दुरुपयोग का दुर्विनियोग किया है और अभिदाताओं को हानि पहुंचाई है ।
>
> चिट बराबर को हुई हानि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रुप से दायी बनाया जाएगा और वसूल किया गया धन तथा उपलब्ध निधियां अभिदाताओं में वितरित की जायेंगी ।" (49)

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। यदि संशोधन पढ़ा जाए और उस ? आपका ध्यान आकर्षित किया जाए तो इस महत्ता को समझना आसान होगा। इसमे कहा गया है।

> इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान चिट फण्डों के ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने कि शक्ति होगी, जहां कि चिट से सम्बन्धित उन संप्रवर्तकों या अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने कपटपूर्वक या उपेक्षा के कारण चिट फण्ड का दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया हैं और अभिदाताओं को हानि पहुंचाई है।
>
> चिट कारबार की हुई हानि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया जायेगा और वसूल किया गया धन तथा उपलब्ध निधियां अभिदाताओं में वितरित की जायेगी।"(49)

प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते सामान्यत: मुझे संशोधन का नोटिस देना अथवा भाषण देने का अवसर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि एक बहुत ही महत्व बात छोड़ दी गई है और इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत करना अनिवार्य समझा और इस कारण से इस पर दबाव डाला कि हजारों लोगों का पैसा डूब गया है। समिति ने अहमदाबाद, बम्बई, बंगलौर और तमिनाडू का दौरा किया। हम जहां कहीं भी गए, हमने देखा कि इसके लिए बहुत ही जोरदार तर्क दिए गए कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिए। बहुत से परिवारों का बहुत सा धन डूब गया है। उदाहरण के लिए, सुदर्शन चिट फंड ने 8 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग तथा गबन किया तथा हजारों परिवार को विपत्ति में डाल दिया। ये लोग जिन्होंने छल कपट, धोखा और लोगों के पैसों का गबन किया उन्हें साफ बचकर नहीं निकलने दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, समिति का निर्देशन हमारे माननीय मन्त्री श्री वेंकटरामण कर रहे हैं तथा हमारे अध्यक्ष ने समिति को कई सुविधाएं भी प्रदान की है। बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे-क्या चिट फंडों को चालू रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा उन पर पूर्णत: पाबंदी लगा दी जानी चाहिए ; दूसरे, क्या वाणिज्यिक बैंकों और समितियों को ऐसा कार्य व्यापार चलाना चाहिए या नहीं अथवा क्या व्यक्तिगत रूप से संप्रवर्तक बनने की अनुमति देना उचित होगा, इसमें कितनी पूंजी लगायी जा सकती है तथा कितनी किश्तों की अदायगी करनी पड़ती है। अधिकतम कितने बट्टे की अनुमति दी जाती है आदि इन सभी प्रश्नों पर पूरी चर्चा की गई और तब ही निर्णय लिए गए। क्षेत्र विधेयक में जो एकमात्र बात छोड़ दी गई वह यह कि उन धूर्त्त लोगों को जो लोगों का धन हड़प लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और बचकर निकल जाने दिया जाता है। जितने लोगों ने भी समिति के

[श्री टी० आर० शमन्ना]

समक्ष साक्ष्य दिया उन्हें समिति द्वारा आश्वासन दिया गया कि सम इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करेंगे और देखेंगे कि उनसे हितों की रक्षा हो । यह सब करने के बाद भी, जो लोग यह अगित अपराध करते हैं और लोगों का पैसा हड़प लेते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है तो यह उन लोगों के के साथ जिन्होंने चिट फंड में पैसा लगाया हुआ है । साथ मैं उसको बता देना चाहता हूं कि इन कंपनियों ने अपने धन का निवेश किया है और भारी संपत्ति खरीद ली है । अत: जिन व्यक्तियों ने लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उन्हें ऐसे ही छोड़ देना ठीक उचित नहीं है। मुझे खुशी है, कुछ कानून बनाए गए हैं और अगर कुछ कमियां रह गयी हैं तो हम उन में बाद में परिवर्तन कर सकते हैं । लेकिन इस समय मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय और सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे देखें कि मेरा संशोधन जो उचित एवं आवश्यक है उसका समर्थन करके उसे स्वीकार किया जाए तथा इसे विधेयक का अंग माना जाए ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य के मत से पूर्णतः सहमत हूं । दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उन्हें इन सब पहलुओं पर ध्यान देने का अवसर प्राप्त हुए । वह प्रवर समिति के एक सदस्य हैं । केवल इतना ही नहीं, प्रवर समिति तथा सरकार ने भी इस पहलू पर विचार किया । अत: मैं अपने माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस के लिए दबाव न डालें ।

जहां तक पहले कुछ चिट कम्पनियों ने जो अनियमितताएं बरतीं, उस पर कार्यवाही की गई ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सुदर्शन चिट फंड का क्या हुआ ?

श्री जनार्दन पुजारी : वह मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय कृपया अलग से नोटिस दीजिए । आप केवल श्री शमन्ना के प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

श्री जनार्दन पुजारी : यह मामला निर्णयाधीन है ।

मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है । वह कृपया अपना संशोधन वापिस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

> "संप्रवर्तकों का वैयक्तिक दायित्व । इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान चिट फन्डों के ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति होगी,

जहां कि चिट से सम्बन्धित उन संप्रवर्तकों या अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने कपट-पूर्वक या उपेक्षा के कारण चिट फंड का दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है और अभिदाताओं को हानि पहुचाई है, चिट कारबार को हुई हानि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया जायेगा और वसूल किया गया धन तथा उपलब्ध निधियां अभिदाताओं में वितरित की जायेंगी ।" (49)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या 10

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बसु, श्री चित्त
भीम सिंह, श्री
दंडवते, प्रो० मधु
दिगम्बर सिंह, श्री
गिरि, श्री सुधीर
हन्नान मोल्लाह, श्री
होरो, श्री एन० ई०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
निहाल सिंह, श्री
पंडित, डा० वसंत कुमार
वरांजवे, श्री बाबू राव
परुलेकर, श्री बापू साहिब
राजदा, श्री रतन सिंह
साहा, श्री अजित कुमार
शमन्ना, श्री टी० आर०
शेजएलकर, श्री एन० के०
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
तिरकी, श्री पीयूष
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीत लाल प्रसाद
जैनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत श्री बी० आर०
भीखाभाई श्री
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चरण सिंह, श्री
चरणजीत सिंह श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
दाभी, श्री अजीत सिंह
दलबरी सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
दिग्विजय सिंह, श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनाबारासु, श्री
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गांधी, श्री राजीव

गुफ़रान आजम, श्री

गोमांगो, श्री गिरिधर

जडेजा, श्री दौलत सिंह जी

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जेना, श्री चिन्तामणि

कौशल, श्री जगन्नाथ

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा,, श्री के०

मकवाना, श्री नरसिंह

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन श्री

मल्लु श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री उपा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

नायक, श्री जी० देवराय

नामग्याल, श्री पी०

पाँड़े, श्री केदार

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभानआठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

फुलवारिया, श्री बिरदा राम

पुजारी, श्री जनार्दन

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी

राममूर्ति श्री, के०

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राठोर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश

साहू, श्री शिव प्रसाद

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम

सेबस्तिय, श्री एस० ए० दोराई

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

स्पैरो, श्री आर० एस०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री

तैयब, हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाई साहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री चन्द्रभान मणि

थैराले, श्री मधु सूदन

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

व्यास, श्री गिरधारी लाल

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम * इस प्रकार है :

पक्ष में-22

विपक्ष में-94

बहुमत विपक्ष में है। बहुमत विपक्ष में है। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 89 और 90 का कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में मतदान किया 'सर्व श्री पी० वी० नरसिंह राव, रामायण राय, ए० सेनापति गौंडर।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 89 और 90 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 89 और 90 विधेयक में जोड़ दिए गए

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड-1

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

'पृष्ठ 1, पंक्ति 5

"1981" के स्थान पर

"1982" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(जनार्दन पुजारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अधिनियम सूत्र लेते हैं । सरकार की तरफ से एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया "पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"बत्तीसवें के स्थान पर

"तेतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री जनार्दन पुजारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आधे घंटे की चर्चा

कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को टेंडर

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा करेगी शुरू करेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 9 जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या 23 का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए मैं यह आधे घण्टे की चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 8 दिसम्बर, 1981 को 30 लाख 10 हजार 3 सौ ओलिफ ग्रीन पोलियस्टर कपड़े का टेंडर नम्बर बी० 1891811 डी० जी० आई० 1 स्टोर-4 रक्षा मंत्रालय ने निकाला था । जिसमें 0 मिलों ने टेन्डर भरा । जिसमें "बिन्नी" ने 44.65 रुपए का टेन्डर भरा था । परन्तु आप जानते हैं कि एन० टी० सी० पब्लिक अन्डर टेकिंग है और देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो जनता शासन में 10 प्रतिशत प्राइस प्रिफरेंस पब्लिक सेक्टर्स से छीना गया था, उसका दुबारा आदेश किया । आज जो वर्तमान वाणिज्य मन्त्री हैं, उस वक्त वे रक्षा मन्त्री थे । उन्होंने एन० टी० सी० को नेगोसिएशन के लिए बुलाया और 49 रुपए तथा ड्यूटी पर मीटर के हिसाब से एन० टी० सी० को कपड़ा सप्लाई करने के लिए आदेश दिया । एन० टी० सी० ने कपड़ा सप्लाई नहीं किया, परन्तु एन० टी० सी० ने रक्षा मन्त्रालय को यह नहीं बताया कि मूल टेन्डर जो कपड़े की सप्लाई का है वह किस दर पर पड़ा था ।

मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी को भी एन० टी० सी० के अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया है । मन्त्री जी को भी नहीं बताया गया कि जो टेन्डर था, उसमें बिन्नी लिमि-

टेड ने कितना पैसा कोट किया था। मन्त्री जी ने बिना सोचे-विचारे रक्षा मन्त्रालय को पत्र लिखा कि मैं कपड़े की सप्लाई समय पर नहीं कर पा रहा हूं, इस कारण मैं बिन्नी लिमिटेड से कपड़ा सप्लाई करवाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी बजट सेशन में, 1882-83 का जो बजट पेश हुआ था, उस ब्लेंडेड यार्न पर भारी छूट दी गयी और उसका परिणाम यह हुआ कि जो कपड़ा रक्षा मन्त्रालय को चाहिए था वह प्रति मीटर दो रुपए कम हो गया। जो मूल टेन्डर बिन्नी ने डाला था 44.65 रुपए का वह घटकर 42.65 रुपए पर आ गया। लेकिन वाणिज्य मन्त्री महोदय को एन० टी० सी० के डायरेक्टर मार्केटिंग महोदय ने धोखे में रखा, गुमराह किया और बताया नहीं, नहीं तो रक्षा मन्त्रालय का दो करोड़ 6 लाख 89 हजार 55 रुपए का नुकसान नहीं होता। उपाध्यक्ष जी, एन० टी० सी० ने बिना सोचे-समझे अपना टेन्डर जो 49 रुपए का मिला था, उसको बिन्नी लिमिटेड मद्रास को 48 रुपए में ट्रान्सफर कर दिया। बिन्नी लिमिटेड को आर्डर दे दिया गया।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने 9 तारीख को प्रश्न के उत्तर में इस सदन में बताया था कि बाम्बे में हड़ताल है, इस कारण मैं कपड़े की सप्लाई नहीं कर पा रहा था। रक्षा मन्त्रालय को समय पर कपड़ा देना जरूरी था। परन्तु मन्त्री जी ने नहीं सोचा कि एन० टी० सी० में केवल बम्बई की ही मिलें नही है। उसमें 112 मिलें हैं। डायरेक्टर मार्केटिंग ने अपने सब सीडरीज को तक को नहीं बताया जैसे एन० टी० सी० (ए० पी० के० एम०) एन० टी० सी० (डी० पी० आर०) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी०) एवं अन्य इकाइयों को भी नहीं बताया कि हम कपड़े की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और मन्त्री जी से लिखवा दिया कि रक्षा मन्त्रालय को हम 48 रुपए में कपड़ा सप्लाई करते हैं। मन्त्री जी ने 9 तारीख को कहा कि क्योंकि बिन्नी में सरकार का पैसा लगा हुआ है।

पब्लिक बैंकिंग इन्स्टीट्यूशंज का पैसा लगा हुआ है। परन्तु बिन्नी लिमिटेड न तो पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं और न ही एन० सी० द्वारा० मैनेज्ड है। पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंज से इसका पैसा मिलता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की बड़ी से बड़ी मिलों में बैंकों का पैसा लगा होता हैं, बैंक उनको पैसा देते हैं, पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंज उनको पैसा देती है परन्तु सरकार का नहीं होता। 9 तारीख को मन्त्री महोदय ने सदन को पूरी तरन से गुमराह किया जब उन्होंने बताया कि बैंकों का पैसा लगा हुआ है, बैंकों ने पैसा खर्च किया है, इस नाते मैंने बिन्नी को यह आर्डर सौंप दिया। रक्षा मन्त्रालय को अवश्य ही कपड़े की जरूरत थी। जब ब्लेंडिड यार्न की कीमत कम हो गई, टेन्डर उसका 42 रुपए पर आ गया, मूल टेन्डर जो बिन्नी ने 44.65 पैसे का भरा तो 48 रुपया देने की कृपा आपने कैसे की। स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी लैवेल पर भारी घोटाला हुआ है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर मन्त्री महोदय से चाहता हूं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रक्षा मन्त्रालय का एक और टेन्डर था। पैंतीस लाख मीटर खाकी ड्रिल का। उसने डी० जी० एस० एंड डी० को खाकी ड्रिल की सप्लायी के लिए कहा। डी० जी० एस० एंड डी० ने डिमांड निकाली, टेन्डर नम्बर बी० टी० एक्स 211269। सी० और ए० डी० 10941 18-12 821 इस टेंडर के जवाब में एंग्लो फ्रेंच मिल पांडिचेरी का 6 रुपया 54 पैसे का टेन्डर लोएस्ट पाया गया। परन्तु फिर डी० जी० एस० एंड डी० ने एन० टी० सी० को बुलाया और कहा कि आप अगर कपड़ा सप्लाई करना चाहते हैं तो चूंकि आपको प्राइस प्रेफ़ेंस है दस परसेन्ट का, मैं आपको कपड़ा सप्लाई करने के लिए देता हूं। 7 रुपये 4 पैसे में खाकी ड्रिल सप्लाई करने का आर्डर इस तरह से एन० टी० सी. को मिला। परन्तु हुआ क्या? एन० टी० सी० वहां भी कपड़े की सप्लायी कर नहीं पायी। एन. टी. सी. ने डी. जी. एस. एंड डी. को फिर लिखा कि हम कपड़ा सप्लायी नहीं कर पा रहे हैं।

हम स्वदेशी काटन मिल पांडिचेरी से कपड़ा सप्लाई कराना चाहते हैं, इस वास्ते कृपा कर हमें आदेश दें। डी. जी. एस. एंड डी. ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि चूंकि स्वदेशी काटन मिल पांडिचेरी को आपकी मैनेज्ड मिल है, उसे किसी प्रकार का प्रेफ़ेंस नहीं है, इस वास्ते यदि आप कपड़ा सप्लायी करना चाहते हैं तो आप करें लेकिन आपको इसे लोएस्ट टेन्डर पर करना होगा, एंग्लो फ्रेंच मिल पांडिचेरी ने जिस रेट पर सप्लायी करने का टेन्डर भरा है 6·54 उसी दर पर भी करना पड़ेगा। एन. टी. सी. ने उसे स्वीकार किया। डी जी एस. एंड डी. का आर्डर 1 जुलाई 1982 का है यानि हमारे प्रश्न के बाद का है। पचास पैसे के फर्क को न तो डी. जी. एस. एंड डी. मानने के लिए तैयार है और न रक्षा मन्त्रालय और न ही पब्लिक एन्टरप्राइजिज ब्यूरो। पांच रुपया 35 पैसे कैसे रक्षा मत्रालय ने मान लिया?

इस फर्क को, मान्यवर, यह सोचने की बात है। इसमें कहां घपला है, कहां अन्तर है, यह कौन तत्व है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के मजबूत शासन को बदनाम करना चाहते हैं, इसका साफ साफ जवाब मै मत्री जी से चाहता हूं। मन्त्री जी को किसने गुमराह किया है, और उस अधिकारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्यवाही की? रक्षा मन्त्रालय को इन्होंने कैसे लेटर लिखा? क्या इन्होंने ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज से पूछा बिन्नी मिल को प्राइस प्रीफरेन्स है क्या? क्या इन्होंने मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स से पूछा कि बिन्नी को आपने दे दिया है पैसा इस नाते बिन्नी को प्राइस प्रीफरेन्स दे दें? हमें मालूम है माननीय प्रणव कुमार मुखर्जी वाणिज्य मन्त्री थे, बिन्नी स्ट्राइक थी, मजदूर आन्दोलन कर रहे थे, उस समय बैंकों द्वारा बिन्नी को पैसा दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट आज भी बिन्नी का ही है। हमारे अधिकारी कुछ डायरेक्टर मात्र हैं। 5 रु. 35 पैसा रक्षा मन्त्रालय ने...

उपाध्यक्ष महोदय : वह मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : और रक्षा मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी, इसके बावजूद हेरा-फेरी हो रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : सवाल यह है कि 50 नया पैसा खाकी ड्रिल में जो डी. जी. एस. डी. से एन. टी. सी. लेना चाहती थी उसको दिलाने के लिए डी. जी. एस. डी. तैयार नहीं हुए, न ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज तैयार हुआ, फिर इस केस में 5 रुपए 35 पैसा कैसे रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया। हमें माननीय पाटिल की योग्यता में अविश्वास नहीं है, लेकिन इनको किसने गुमराह किया और हमारी सरकार और रक्षा मन्त्रालय को गुमराह करने की कोशिश की है ?

बिन्नी मिल को सप्लायी का जो मूल टेन्डर दिया गया था उसमें और जो आज आर्डर दिया गया 48 रुपए पर, उसमें फर्क है 1 करोड़ 61 लाख 58 हजार 605 रुपए का। जब बिन्नी ने मूल टेन्डर में 44, 65 पैसे लिखा तो उसे 48 रुपए पर रक्षा मन्त्रालय को कपड़ा सप्लायी करने का आदेश कैसे मिल गया ? इन बातों का खुलासा होना चाहिए।

बिन्नी मिल तथा पब्लिक अन्डरटेकिंग है ? क्या यह एन. टी. सी. द्वारा या ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा मैनेज्ड है ? क्या बिन्नी को प्राइस प्रीफरेन्स दिया गया ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा ? इसका खुलासा होना चाहिए ?

एन. टी. सी. को 112 मिल्स हैं जिनमें से केवल 12 मिल्स में हड़ताल रही। 100 मिलें काम कर रही थीं। एन. टी. सी. के मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय को उनसे पूछना चाहिए था कि आप लोग कपड़ा सप्लायी कर सकते हैं कि नहीं ? लेकिन किसी से कोई बात नहीं पूछी गई, किसी भी सब्सिडियरी के जनरल मैनेजर से कोई जानकारी नहीं की गयी और आर्डर तोहफे के तौर पर बिन्नी मिल्स को ट्रांसफर कर दिया गया। रक्षा मत्रालय को बिन्नी लिमिटेड को टेन्डर देते समय क्या यह बताया गया था कि बिन्नी मिल्स ने जो मूल टेन्डर भरा था वह 44 रुपए 65 पैसे का भरा था। क्या यह बताया गया था कि 1982-83 के बजट में कपड़े का दाम ब्लेन्डर्ड यार्न का बढ़े हुए कपड़े के दाम पर प्रति मीटर 2 रुपये का हो गया था ?

रक्षा मंत्रालय ने 42 रुपए 65 पैसे के स्थान पर 48 रुपये देना स्वीकार कर लिया था, यह सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। कपड़े की रंगाई में भी बहुत घपला हो रहा है। कपड़े की रंगायी के लिए फरवरी, 1982 में एन. टी. सी. ने कुछ कंपनियों से 8 रुपए प्रति मीटर पर बात चीत की, लेकिन आज कपड़ा किस दर पर रंगा जा रहा है, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

जब फरवरी, 1982 में 8 रुपये प्रति मीटर पर रंगने के लिए कहा गया तो आज 9 रुपये 50 पैसे पर रंगाई कैसे हो रही है ? इससे 45 लाख 30 हजार रुपए की हानि हो रही है। मूल टेन्डर में जब बिन्नी ने 42 रुपए 65 पैसे रेट भरा तो उसे 48 रुपए कैसे दिए गए ? रंगायी में क्यों बढ़ोतरी की गयी ? इन सारी बातों की मैं जानकारी चाहता हूं।

वाणिज्य मंत्री ने जो रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा, उसमें क्या यह लिखा कि बिन्नी ने मूल टेन्डर में 42 रुपए 65 पैसे भरा है? अगर लिख देते तो शायद ऐसा है होता। अब 50 पैसे स्वदेश काटन मिल को आप नहीं देना चाहते, 5 रुपए 35 पैसे देना नहीं चाहते तो इसमें बहुत घपला घोटाला है। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि अनहित को दृष्टि में रखते हुए, पार्टी के इमेज को कायम रखते हुए, वह साफ-साफ जवाब दें।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 30 लाख मीटर कपड़ा बनाने का आर्डर डिफन्स मिनिस्ट्री की तरफ से एन. टी. सी. को दिया गया था। प्रश्न का जवाब देते समय भी मैंने यह बतलाया था कि उस समय में ही डिफेंन्स मिनिस्ट्री में था और मेरे कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, मेरे उसमें होने के नाते से यह आर्डर दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की मालूमात के लिए बताना चाहता हू कि जब भी कोई ऐसे टेन्डर निकलते हैं तो उस समय मिनिस्टर उसमें कोई हिस्सा नहीं लेते हैं, न बोलते हैं न किसी से बात करते हैं और न टेन्डर पर सही करते हैं। जब यह आर्डर दिया गया तो मैंने यह आर्डर पास कर दिया कि यह एन. टी. सी. पर जाना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर एन. टी. सी. से दूसरे मिल कम पैसे पर देने के लिए तैयार हैं तो भी एन टी. सी. सी. को यह आर्डर दिया जाना चाहिए। एन. टी. सी. को इसलिए ताकि मजदूरों को काम मिले और एन. टी. सी. को फायदा हो?

जब आर्डर दिया गया, उस समय इस आर्डर के नेगोसियेशन में किसी भी समय मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। मेरे पास जो नोट आया था उसके सिवाय मैंने और कोई काएजात नहीं देखें थे।

दूसरी चीज मैं यह बताना चाहता हू कि कामर्स मिनिस्ट्री में जाने के बाद मैंने डिफेन्स मिनिस्ट्री की बिन्नी को कपड़ा देने के लिए खत लिखा हुआ नहीं हैं। वहां पर बैठकर भी जो एन. टी. सी. काम करती है, उसके सम्बन्ध में मिनिस्टर कोई नेगोसियेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं।

एन. टी. सी. एक कोर्पोरेशन है, एस. टी. सी. और एम. एम. टी. सी. कार्पोरेशन्ज है। उनके अधिकार हैं, वे अपने अधिकारों में काम करते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है और हम उस के बारे में मालूमात चाहें, तो हम मंगा सकते हैं या आवश्यकता होने पर डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब वे कन्ट्रेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में मिनिस्टर से पूछने की पद्धति नहीं है।

मैं बताना चाहता हूं कि मैंने डिफेन्स मिनिस्ट्री को पत्र नहीं लिखा है, मैंने इसमें पूछना नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन यह जरूर है कि कामर्स मिनिस्ट्री के एक आफिसर ने डिफेंन्स मिनिस्ट्री को पत्र लिखा कि ऐसा कहा जाता है कि आपको कपड़ा जल्दी चाहिये।

बम्बई में हमारी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं और बम्बई की मिलें ही नूतन, माडर्न मिलें हैं, वहां एक-तिहाई कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया था, इसलिये अगर आपको आपत्ति न हो, तो

कपड़ा दूसरी जगह से मंगा लिया जाए। मुझे उस पत्र के सारे कन्टेन्ट्स याद नहीं हैं, लेकिन शायद बिन्नी का नाम उसमें लिखा हुआ था। डिफेन्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने उनको लिखा कि आप बिन्नी से कपड़ा ले सकते हैं। इसके बाद उन्होंने शायद बिन्नी को आर्डर दिया। कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये सब बातें मेरी मालूमात में नहीं आईं। कब आई ? जब उससे एक दूसरा सवाल उठा, तब मेरी मालूमात में आई।

किसी अधिकारी ने मिनिस्टर को गुमराह किया, यह कहना गलत होगा। किसी अधिकारी ने मिनिस्टर को गुमराह नहीं किया है। मिनिस्टर ने खत नहीं लिखा है, किसी से पूछा नहीं है, नेगोशिएशन्ज में भाग नहीं लिया है।

अब सवाल पैदा होता है कि 30 लाख मीटर कपड़ा बनाना है और एक-तिहाई कपड़ा बम्बई की मिलों में बन रहा है। बम्बई की मिलें उस समय चार महीने से बन्द थीं। जब कपड़ा बनाने का आर्डर डिफेन्स मिनिस्ट्री से दिया गया था, तो यह सवाल भी उठाया गया था कि शायद एन. टी. सी. की कपड़ा बनाने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं वह बना पाएगी या नहीं। मगर एन. टी. सी. को बनाने के लिए कहते हुए यह इच्छा थी कि टाइम-फ्रेम के अन्दर कपड़ा सप्लाई किया जाएगा। इसलिए यह पूछा गया था कि उधर से कपड़ा बनाने के लिए कहना है या नहीं।

इसके बाद यह सवाल किया गया है कि बम्बई की मिलों द्वारा कपड़ा बनाना बन्द करने के बाद दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने के लिए आर्डर दिया गया या नहीं। हां, दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा कि एन. टी. सी. के पास 110, 112 मिलें हैं, सिर्फ बम्बई की मिलें बन्द हैं, तो दूसरी मिलों को आर्डर क्यों नहीं दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे बताया गया है कि जो टेरीकाट कपड़ा बनाना है मैं एक्सपर्ट नहीं हूं वह कुछ खास प्रकार की मिलों में बन सकता है, वह सब में बनाना मुश्किल है।

बम्बई में मिलें वह कपड़ा बनाने के योग्य थीं और दूसरी जगह जो मिलें वह कपड़ा बनाने के योग्य थीं, उनको कपड़ा बनाने का ज्यादा आर्डर दिया है। एन. टी. सी. गुजरात एन. टी. सी. तमिलनाडु को ज्यादा आर्डर दिया गया है। एन. टी. सी. मध्य प्रदेश को भी ज्यादा कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। एन. टी. सी. डी. पी. आर. को भी ज्यादा कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। मगर पता चला कि यहां पर काम करने वाले लोग स्किलफुल नहीं है और वहां की मशीनें भी उस प्रकार की बनी हुई नहीं है। एन. टी. सी. का कहना है कि इसलिए हमने बिन्नी को कपड़ा बनाने के लिए दिया है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एन. टी. सी. की दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने के लिए नहीं दिया गया है। दूसरी मिलों को भी कपड़ा बनाने के लिए दिया गया है।

एक सवाल यह भी उठाया गया है कि बिन्नी ने 44 रुपए यार्ड कपड़ा बनाने का टेन्डर दिया था और एन. टी. सी. ने 48 रुपए यार्ड से कपड़ा बनाने का आर्डर उनको दिया है। मुझे

यह मालूम नहीं है कि जब इन दोनों में यह कन्ट्रेक्ट हुआ, उस समय उनके ध्यान में यह बात आई या नहीं, बिन्नी ने उनके ध्यान में यह बात लाई या नहीं, एन. टी. सी. को यह बात मालूम थी या नहीं। इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। जब मैंने यह पूछने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि कन्ट्रेक्ट के बाद बिन्नी का कहना था कि कोई पैंकिंग वगैरह को फर्क है इसलिए पहले 44 रुपए देने के लिए कहा था।

बाद में 48 रुपये में देने के लिए कहा है। दूसरी चीज जो बतायी गयी गई वह यह है कि उस समय वह टेन्डर दिया गया था और बाद में जो दिया गया है वह शायद इसलिए कि हम एक अलग परिस्थिति में हैं यह देखकर भी शायद उस को ध्यान में लिया गया होगा और इसलिए 48 में उनको आर्डर दिया गया।

अब यहां पर सवाल ऐसा पैदा हो जाता है कि उन्होंने अगर 44 रुपये में डिफेन्स मिनिस्ट्री को कपड़ा देने के लिए कहा था और बाद में 48 रुपये में एन. टी. सी. से आर्डर लिया है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनको उस समय बताना चाहिए था कि 44 रुपये में हमने कान्ट्रेक्ट किया है और आर्डर लिया है और नहीं तो 44 रुपये में ही उनको देना चाहिये।

48 रुपये के अन्दर अगर वह चाहते हैं कि एन. टी. सी. कपड़ा ले तो मैंने पहले भी यहां पर क्वेश्चन के समय भी कहा था कि कपड़ा हमने लिया नहीं है, उनको पैसे हमने दिये नहीं हैं, अगर यह इस तरह की इन्फार्मेशन उन्होंने उस समय डिस्क्लोज नहीं की है तो यह तो बात दुरुस्त नहीं है और इस हालत में जबकि 44 रुपये के अन्दर वह कपड़ा डिफेन्स मिनिस्ट्री को देना चाहते थे और 48 रुपये के अन्दर एन. टी. सी. की तरफ से देना चाहते हैं तो यह कान्ट्रेक्ट का कपड़ा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसका निश्चय हम आपके कहने पर छोड़ देते हैं।

हम यह कहेंगे कि हम ऐसा कान्ट्रेक्ट नहीं चाहते हैं। 44 रुपये में अगर वह मिल सकता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेना चाहते। 48 रुपये में मिलता है तो नहीं लेना चाहते।

हम यह जरूर करेंगे कि डिफेन्स मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें थोड़ा टाइम एक दो महीने का दे दीजिए। वह हमको दे देंगे। हम उनको समझा लेंगे। इसके बाद भी हम कहते हैं कि एन. टी. सी. की तरफ से पूरी ताकत लगाकर यह काम करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन यह जो कान्ट्रेक्ट दिया गया है मुझे ऐसा बताया गया है कि इस हालत के अंदर एक कान्ट्रेक्ट दिया गया है और इसलिए दिया गया है, उन्होंने यह भी मुझे बताया कि यह जो बिन्नी मिल है यह पहले पूरी तरह से बिगड़ गई थी। आप तो जानते ही हैं, आपके इलाके की मिल है, वहां मिल चलाने का सवाल पैदा हो गया था और इसलिए यह किया था। आपको मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिन्नी मिल के अन्दर जो शेयर्स हैं वह सारे फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस के शेयर्स है। आपने बार-बार पूछा है कि मैनेज कौन करता है? सरकारी लोग करते हैं या खानगी लोग करते। मै बताना चाहता हूं कि मैनेज कौन-कौन करते

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

है —इसके चेयरमैन हैं एस. एन. हाडा, नामिनी आई. डी. बी. आई. । दूसरे लोग हैं—श्री बी. के. पी. राव, होल टाइम डायरेक्टर, श्री आर. एल. प्रभु, डायरेक्टर इन चार्ज आइ. एफ. सी. आइ, श्री एल. के. रत्ना, डायरेक्टर, फर्गुसन रेप्रेजेन्टिग ग्रुप, श्री पी. के. शाह, डायरेक्टर, यू. टी. आइ., श्री एन. सी. कृष्णा, डायरेक्टर एल. आई. सी., श्री आर. सी. मेया, डायरेक्टर, एस. बी. आई., श्री बी. के. शुन्गलू, डायरेक्टर गवर्नमेंट आफ इण्डिया, श्री जे. सी. अलेग्जेन्डर, डायरेक्टर कर्नाटक स्टेट, श्री सी. रामचन्द्रन, डायरेक्टर गवर्नमेंट आफ तामिलनाडु, और श्री एम. दामोदरन हैं आलटरनेट डायरेक्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया फार श्री बी. के. शुन्गलू ।

ये सारी चीजें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां का पूरा डायरेक्टरेट गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस की तरफ से चलाया गया है...

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : जवाब क्लीअर नहीं हुआ, मैंने पूछा कि क्या यह पब्लिक अन्डरटेकिंग है या मैनेज्ड है एन. टी. के द्वारा ? अगर बिन्नी को प्रेफरेन्स मिलता है, 44 रुपये 65 पैसे के बजाय 48 रुपये के टेन्डर मिलाए गए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एन. टी. के द्वारा मैनेज्ड है या पब्लिक अन्डरटेकिंग है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने यह बताया है कि एम टी सी की या कामर्स मिनिस्ट्री की उस में कोई रुचि नहीं है बिन्नी से लेन में । हमारा प्रयास यह रहा है कि हमने जिद् करके और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिद् करके यह कान्ट्रेक्ट एन टी सी को दिया है और एन टी सी ने जिद् करके यह कान्ट्रेक्ट लिया है । न डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको दिया और न एन टी सी ने उनको देने दिया । बहुत सारी मिल्स वहां पर कपड़ा बनाने के लिए आई लेकिन न डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको दिया न एन टी सी ने देने दिया । अब जिद् यह है कि कपड़ा तैयार करके देना है । लेकिन अब बाम्बे की स्ट्राइक तो एन टी सी ने नहीं की है और बाम्बे की स्ट्राइक की वजह से, 12 मिलों की स्ट्राइक वहां है । एक तिहाई कपड़ा वहां बनना है, यानी कम से कम 2-10 लाख मीटर कपड़ा वहां बनना है।

इसलिए प्रयत्न है कि उसको देना है । लेकिन आप सभी नहीं चाहते हैं तो हमें कोई रुचि नहीं (व्यवधान) मैं यह बता रहा था कि यह जो बिन्नी मिल है, आप जानते हैं कि यह बेकार ही मिल थी और वहां पर लोगों को काम देने के लिए आप सभी ने कहा कि उसको उठाना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसे पैसा देने के लिए भी कहा गया, ताकि मजदूरों को काम दिया जा सके। उसके बाद उसका मैनेजमेंट भी किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं रखा गया, यह बात भी मैंने आपको बता दी है । पहले मैंने हिन्दी में बताया था और अब डा० स्वामी को शायद अंग्रेजी में बताना पड़ेगा । मैंने बताया कि इस हालत में उनको दिया गया वरना हमारी किसी में भी कोई रुचि नहीं है । आप कहें तो हम छोड़ दें । जैसा मैंने आपको पहले बताया

कि हमने जिद करके डिफेंस मिनिस्ट्री से यह आर्डर लिया है और जिद हम जरूर करेंगे। बाद में भी इतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम और हमें दे दें ताकि हम कपड़ा दे सकें।

जहां तक प्रोसेसिंग का सवाल है, एन टी सी की टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी तीन लाख मीटर प्रति माह की है। इसमें से एक लाख मीटर की प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी बाम्बे मिल की है और बाम्बे की मिलें 6 महीने से बन्द हैं। अब जो कपड़ा हम बना रहे हैं हर महीने चार, साढ़े चार लाख मीटर, उस कपड़े को प्रोसेस करना है। अगर हम चार, साढ़े चार लाख मीटर कपड़ा भी बनाकर और प्रोसेस करके डिफेन्स मिनिस्ट्री को दें तब भी हम एक्सटेन्डेड टाइम में ही दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दो लाख मीटर की प्रोसेसिंग तो हम कर सकते है फिर बाकी क्या करें ? अब जो कार्पोरेशन्स हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा आटोनामी देने की वजह से, कांट्रैक्ट्स वगैरह की जानकारी मिनिस्ट्री को नहीं होती है। हम उनको डायरेक्शन्स देते हैं लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि उन्होंने किसको प्रोसेसिंग के लिए दिया। लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि कपड़ा देना है और फाइनेन्स मिनिस्ट्री से कहा कि प्रोसेसिंग का काम करके देंगे अब इसमें कोई गल्ती हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता है लेकिन आप कहते हैं कि गल्ती हुई है तो यह पार्लमेंट सुप्रीम है।

रक्षा और गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : चूंकि वक्तव्य में रक्षा मन्त्रालय की चर्चा है, इसलिए मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिभी द्वारा एक गज कपड़ा भी नहीं दिया गया है। और बिभी को एक पाई भी नहीं दी गई है। वाणिज्य मन्त्रालय ने कहा था कि वह करार को पूरा करने में असमर्थ हैं और रक्षा मन्त्रालय से पूछा था कि क्या हमें बिभी का कपड़ा स्वीकार्य होगा। आप जानते ही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से बिन्नी रक्षा मन्त्रालय को कपड़ा सप्लाई करती रही है। इसलिए रक्षा मन्त्रालय को कोई अपत्ति नहीं थी। जब इसके मूल्यों की बात चली तो, वाणिज्य मन्त्रालय के अधिकारियों का मत था कि चूंकि इसका प्रबन्ध भारत के औद्योगिक विकास बैंक के हाथ में है और इसका ढांचा भी सरकारी उपक्रमों जैसा है, इसलिए यह दस प्रतिशत मूल्य अधिकान के हकदार हैं। हमने उनसे कहा कि अगर हम बिन्नी से कपड़ा स्वीकार करते हैं तो उन्हें यह हमें टेंडर मूल्य 44 रु० 65 पैसे के हिसाब से देना होगा। नहीं तो रक्षा मन्त्रालय इसे स्वीकार नहीं करेगा। और वह सरकारी उपक्रमों को दिये जाने वाले दस प्रतिशत मूल्य अधिमान के हकदार नहीं होंगे। इसलिए न तो एक गज कपड़ा ही दिया गया और न ही हमने उन्हें एक पाई ही अदा की है। कुछ भी नहीं हैं। प्रश्न केवल यह है कि इस बात को देखते हुए कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक तथा दूसरे बैंकों ने बिन्नी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है, क्या वे दस प्रतिशत के हकदार हैं या नहीं।

हमारा यह निर्णय है कि वह उसके हकदार नहीं होते। इसलिए उन्होंने कपड़ा नहीं

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

दिया। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ भी पैसा नहीं दिया गया। पांडे जी ने कहा है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है असल में, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि एक आन्तरिक बैंक में, जिसमें वाणिज्य तथा रक्षा मन्त्रालय के अधिकारी उपस्थित थे, रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों ने यह कहा था कि सही बात यह है कि वह दस प्रतिशत मूल्य अधिमान के हकदार नहीं है और इसलिए उन्हें 4 रु० 65 पैसे के टेंडर मूल्य पर ही कपड़ा सप्लाई करना होगा। इसलिए इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मेरा यह कहना है कि मामले को समाप्त किया जाय।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोती हारी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एन० टी० सी० राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इस देश के हर इन्सान को यह अधिकार है कि एन० टी० सी० मे चलने वाली गड़बड़ी की ठीक से जांच की जाए। मैं मानता हूं कि वाणिज्य मन्त्री जी की नीयत साफ है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह घोटाला कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम लोगों को यह मालूम है कि आपके डिपार्टमेंट मे ऐसे कामर्शियल है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ एक प्रश्न ही पूछने के हकदार हैं। कृपया प्रश्न ही पूछें। उन्होंने पहले ही इस पर विस्तार से कह दिया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करता हूं।

(क) क्या बात सत्य है कि**

वर्तमान में जो एन० टी० सी० के कामर्शियल निदेशक है, ने आप को मिस-लीड किया है और उन्होंने पांच लाख रुपया बिन्नी से इस डिल में कमा लिया है? (ख) क्या यह सत्य है कि कामर्शियल डायरेक्टर के नाम का स्टेट बैंक हैदराबाद-सूर्य किरण बिल्डिंग मे बैंक एकाउन्ट हैं? यदि हैं, तो क्या आप जांच करने के लिए तैयार हैं कि उनको कितनी सेलरी मिलती है और उनके एकाउन्ट में कितना पैसा जमा है? (ग) क्या उन्होंने इन्डियन पैट्रोकेमिकल बड़ोला से कच्चे माल के लिए कोई डील किया है तथा स्वदेशी पोलीटेक्स फार कन्वर्जन इनटफैब्रिक के लिए डील किया है। (घ) क्या यह बात सत्य है कि बम्बई के सी० सी० आई० कलब म उन्होंने जुआ खेला और पचास हजार रुपया हार गए? अगर बात सत्य है, तो यह रुपया उनके पास कहां से आया?

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या ये सभी प्रश्न प्रासंगिक है?

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री ने बहुत ही शब्दों में कहा है कि एक गज कपड़ा भी नहीं

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिया गया है और एक भी पाई खर्च नहीं की गई है, इसलिए आप कृपया प्रासंगिक प्रश्न ही पूछें। मैं हरके बात पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या यह बात सत्य है कि एन० टी० सी० अपने कपड़ों को रंगने के लिए दूसरे एजेंसियों को भी अपने माप दण्ड के अनुसार देती है और जो एजेंसियां उस मापदंड के अनुसार काम नहीं करती, उनसे मुआवजा नहीं लिया जाता तथा इससे सरकार को भी घाटा है ? क्या यह बात सत्य है कि ए० टी० सी० में ऐसे अधिकारी उच्च पदों पर हैं, जो चार पदों को एक साथ संभालते हैं और मैनेजमेंट में एफिशियेंसी आ रही है या उससे गिरावट आ रही है ? क्या यह बात सत्य है कि इस चीज को दूर करने के लिए कि एक ही आदमी चार पदों पर काम न करें, अलग-अलग पदों पर अलग-अलग आदमी काम करे, इस ओर ध्यान देंगी ?

क्या आप सी० बी० आई० की या पार्लियामेंट की कोई हाई-पावर्ड कमेटी इन बातों की डिटेल जानने के लिए तथा एन्कवायरी के लिए एप्वाइन्ट करने जा रहे हैं ?

क्या ऐसा करने वाले लोगों को आप सस्पेन्ड करने जा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बहुत हद तक इस बात को स्वीकार किया है कि जो रक्षा मन्त्रालय का मूल टेंडर था उस में बिन्नी में 44 रुपये 6: पैसे का रेट कोट किया था। जब एन० टी० सी० ने अपने टेंडर के अगेंस्ट उन को सप्लाई का आर्डर दिया तो वह 48 रुपये पर दिया...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने रक्षा मन्त्री को सुना था ? कोई भी सौदा नहीं किया गया, एक भी पाई नहीं दी गई। एक गज कपड़ा भी नहीं लिया गया ? यह बिल्कुल स्पष्ट है। आधे घन्टे की चर्चा सिर्फ चर्चा करने के लिए ही नहीं है। इसको थोड़ा सा और तर्क संगत होना चाहिये।

श्री हरीश रावत : एन० टी० सी० ने बिन्नी को 48 रुपये पर ठेका क्यों दिया। उस समय अन्य मिलों से भी पूछना चाहिये था, हो सकता है अन्य मिलें कम पैसे पर एग्री कर जाती, 42 रुपये, 44 रुपये या 46 रुपये पर एग्री कर सकती थी। इस से साफ जाहिर होता है कि जल्दबाजी में एन० टी० सी० के मेनेजमेंट ने बिन्नी को यह ठेका दे दिया।

मैं मानता हूं – इसमें कोई गड़बड़ नहीं हैं, उनके इरादे में कोई गलती नहीं है, लेकिन स्थिति को देख कर यह लगता है कि एन० टी० सी० मेनेजमेंट में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इन्टरेस्ट बिन्नी के साथ जुड़ा हुआ था। मन्त्री जी खुद इस बात को मानते हैं कि कोई पैसा नहीं लिया गया, अभी तक कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी, अगर यह बात यहां न उठती। इस में एन० टी० सी० को नुकसान हो सकता था। जिस की लापरवाही से यह स्थिति पैदा हुई है, जो लोग इस के लिये जिम्मेदार हैं उन के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

नट-शेल में मैं यह कहना चाहता हूं—एन० टी सी० द्वारा बिन्नी को जो सप्लाई का टेण्डर दिया गया है, रक्षा मन्त्रालय से बातचीत कर के आप कोई दूसरा तरीका निकालिये जिस से बिन्नी को यह आर्डर न दिया जाए, ताकि लोगों को जो आशंका है कि इसमें जो इल्लीगल ट्रांजेक्शन हुआ है, वह रुक सके।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि वह इन्सिस्ट कर रहे थे कि कपड़ा 44 रुपये पर-मीटर पर मिलेगा, लेकिन बिन्नी वाले 48 रुपये पर रुके हुए थे। अब मूल प्रश्न यहां उठा तो यह स्थिति वाणिज्य मन्त्री जी ने क्यों नहीं बतलाई। उस वक्त हाउस को बतलाना चाहिए था कि डिफेन्स मिनिस्ट्री यह चाहती हैं और बिन्नी वाले यह चाहते हैं।

दूसरी बात -- इस वक्त यह सवाल नहीं है कि पैसे का ट्रान्जेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि लोक सभा में यह प्रश्न नहीं उठता तो यह घुटाला हो गया होता और इस में कपड़ा आप के आर्डर से बना है, यह आप ने खुद कहा है। आप ने ता० 9 को जो जवाब दिया है उस में आप कहते हैं कि 18 हजार मीटर कपड़ा अभी तक बन चुका है। यदि बन चुका है तो वह आप के आर्डर से बना है...

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह हमारी एन० टी० सी० में बना है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : हम तो यह कहना चाहते हैं कि जो बात आज डिफेन्स मिनिस्टर ने कही है कि वह इन्सिस्ट कर रहे थे, अगर यह उस वक्त कह दी जाती तो यह सारी डिस्कशन बेमानी हो जाती। उस वक्त कह दिया जाता कि डिफेन्स मिनिस्ट्री की यह राय है और हमारी यह राय है इन्होंने 1981 का उद्धरण बतलाया कि इतने पैसे पर डी० जी० एस० एण्ड डी० और पब्लिक ब्यूरो एन्टरप्राइजेज ने इन्कार किया कि नहीं दे सकते हैं 50 पैसे भी। तो उस वक्त तो रोक लगा दी गई, अब रोक क्यों नहीं लगा दी गई। सवाल सिर्फ इतना है। यह एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि 1981 में जब आप ने रोक लगा दी थी, तो अब क्यों नहीं लगाई। कपड़े सप्लाई किये गए या नहीं, पैसा दिया गया है या नहीं, यह मुख्य मुद्दे से बिल्कुल अलग है। मुख्य मुद्दा यह है कि 1981 में आपने कोई और कार्यवाही की है और 1982 में आप और कार्यवाही कर रहे हैं, और रक्षा मन्त्रालय का अपना अलग मत है। और वह व्यू आप ने क्यों नहीं बताया और क्यों उस के बाद यह ट्रांजेक्शन हो गया ?

इस के पार्ट में आपने यह भी कहा है कि आप की बम्बई की जो मिल्स हैं, वे माडर्न मिलें हैं और वे एक-तिहाई बना सकती हैं। इस का मतलब यह है कि आप के पास दो-तिहाई कपड़ा बनाने वाली दूसरी मिलें हैं। अगर आप चाहते तो उन को ज्यादा कपड़े बनाने के लिए कह सकते थे लेकिन अब आप यह कह रहे हैं कि टाइम दीजिए और बाद में बना देंगे। यह ठीक है कि बम्बई की मिलें स्ट्राइक पर चली गई लेकिन जो बाकी मिलें हैं, उन को आप और ज्यादा टाइम दे कर आर्डर पूरा करवा सकते थे। आप बिन्नी मिल्स के चक्कर में क्यों पड़ें, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : श्रीमन् मैं केवल पांच सेकिंड के लिए बोलूंगा।

उपाध्याक्ष महोदय : नहीं, आपको अनुमति नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसमे इसमें मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हमारे उधर बैठे हुए साथी ने बहुत सारे सवाल किसी अफसर के खिलाफ उठाए हैं। मैं समझता हूं कि आप उन सवालों का जवाब देने को मुझे कहेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति रूप से अगर उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ कहा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस हाऊस का, इस सदन के फ्लोर का उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहने के लिए न किया जाए, तो अच्छा रहता है...(व्यवधान)

श्री कमला मिश्र मधुकर : अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहा हो, तो पब्लिकमैन की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह उस को बतावे।

उपाध्क्ष महोदय : अगर उन्होंने किसी अधिकारी के नाम का जिक्र किया है, तो मैं रिकार्ड देखूंगा :

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। कृपया बैठ जाइये। हर मामले में आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : किसी का बैंक बैलंस कितना है और क्या कितना है, यह मुझे कैसे मालम हो सकता है। सारे अफसरों के बैंक बैलेंस की जानकारी हमारे पास हो, तो हमारे लिए यह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

एक बात और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं। कभी-कभी अफसरों में भी झगड़े होते

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

हैं और कभी-कभी दूसरी जो मिले हैं, उनमें भी झगड़े हो जाते हैं और वे झगड़े इसी सदन में लड़े जाते हैं। हम लोग उन्हे भी बचाने की कोशिश करते है और इनको भी बचाने की कोशिश करते हैं, इन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी आप से एक बिन्ती है कि आप अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो सोच-समझ कर बोलियेगा और हम को उस के अन्दर मत लाइएगा। किसी अफसर ने अगर गलती की है और वह गलती नजर आएगी, तो कानून के मुताबिक जो हो सकता है, वह किया जाएगा। आप बोल रहे हैं जो उस को प्रेटिक्शन देने का काम हमारा भी हो जाता है और अगर हम प्रोटेक्शन देने जाते हैं, तो हम भी उसी के साथी बन जाते हैं। तो मैं आप से विन्ती करता हूं कि किसी अफसर की बाजू ले कर यहां पर न आए, तो उस में हम लोगों भी बच सकते हैं और हमारी मिनिस्टरी भी बच सकती है। अब पांडे जी हंस रहे हैं, तो देखिये इस का मतलब क्या है।

(व्यवधान)

दूसरा सवाल हमारे साथी ने यहां पर यह उठाया बिन्नी को क्यों यह दिया गया, दूसरों को क्यों नहीं दिया गया ? यह एक अहम सवाल है। में बार बार इस सदन में कह रहा था कि बहुत सारी मिलें कपडे का काट्रेक्ट लेने आई थी। उनको वह नहीं मिला। इसलिए उनकी क्या भावना है, यह हमें मालूम नही हैं मगर एन० टी० सी० को यह दिया गया। इसके बाद बिन्नी को क्या दिया गया, मैंने उस का जवाब दिया है। मैंने यह बताया है कि यह जो मिल थी, यह बिगाड़ी हुई मिल थी, बन्द होने वाली मिल थी। वहां के लोगोंको काम देने के लिए फाइनेन्शियल इंस्टीटयूशन्स की तरफ से पैसा दिया गया।।

श्री हरीश रावत : (अलमोडा)वह कि सिक मिल थी। ठीक स्थिति में लाने के लिए यदि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ने पैसा लगा दिया और कुछ डाइरेक्टर्स उसमें रख दिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गवर्नमेंट की पब्लिक अन्डरटेकिंग हो गई आप सिक मिल पर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं बता रहा था कि सिक मिल होने कि वजह से फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ने उसको पैसा दिया है और दूसरी बात जो खास बात वह है वह यह है कि दूसरी जो प्राइवेट मिले हैं, वे बिल्कुल अलग हैं और इससे अलग बात है। इसका मेनेजमैंट पूरा गवर्नमेंट के अफसरों के पास है।

मैं आप को बता दूं कि पूरे डायरेक्टर्स की लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको पढ़ कर बता सकता हूं। उन 11 डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स फाइनेशयल इंस्टीच्युशंस के हैं, 11 डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं। शायद इसकी वजह से दिया होगा।

(व्यवधान)

आपने दूसरा सवाल उठाया कि आपने बिन्नी को क्यों दिया ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही अपने प्रश्न पूछ लिए हैं। हर विषय पर आप टिप्पणी करते हैं। आप सन्तुष्ट है या नहीं कृपया पहले उन्हें उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न उठाया है। वह इसका जवाब दे रहे हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : वह हमारी बातों का उत्तर नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ अपनी राय हो सकती है।

श्री हरीश रावत : हम इनके व्यू को डाऊट नहीं कर रहे हैं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अभी डिफेंस मिनिस्टर सहाब जवाब दे कर गये हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। यह बात सही है कि बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री बड़े अधिकारी ने इस कांट्रेक्ट को कबूल करने को कहा। 44 रुपए का भी है ऐसा भी उन्होंने कहा था। जो पत्र कामर्स मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा गया है और जो पत्र वहां के ज्वाएंट सेक्रेटरी हमारे ज्वाएंट सेक्रेटरी को लिखा है वह भी मेरे पास है। उसमें उन्होंने लिखा कि यह कांट्रेक्ट दे दो यह सारी बातें मालूम होने के बाद, डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से ऐसी चीजें आने के बाद यह किया गया। चूंकि उधर से उत्तर आया, दे दीजिए तो दिया गया। मैंने पूछा नहीं, हमारे अधिकारी ने पूछा नहीं, उनके अधिकारी ने बता दिया और उनको दे दिया गया। जब डिफेंस मिनिस्ट्री से उनके बड़े अधिकारी से चीजें मालूम हो गयीं कि सब दुरुस्त हैं तो दे दिया गया। जो डिफेंस मिनिस्ट्री से उत्तर आया वह हमारे पास है। यही कारण है कि उनको टेंडर दिया गया।

प्रो० नारायन चन्द पराशर . दिस इज ए कन्ट्राडिक्सन इन द टू मिनिस्टर्स। ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन्सीस्ट किया कि 44 में दिया जाए, 48 में नहीं लेकिन उनकी तरफ से उत्तर आया वह आप बता दीजिए।

आप यह कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उत्तर आया और वह 9 तारीख के पहले का है और आपने यहां 9 तारीख को सवाल का जबाब दिया है तो उस दिन आपको अपने जवाब में यह कहना चाहिए था। वह आपने क्यों नहीं कहा ?

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे पास लेटर भी है और जो जवाब मैंने उस दिन दिया है, वह भी मेरे पास है । मैं आनन्दित हूं कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है ।

मैंने इस सवाल के जवाब में बताया है —

"पहले 44 रु० के हिसाब से बनाकर देने को कहा गया था, अब 48 रु० पर दिया जा रहा है, इसलिए 4 रु० का फर्क आ गया जिस से उनको टोटा है । तो जब पब्लिक अंडरटेकिंग काम करने के लिए आती है तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जब ऐसा पता चलता है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को ही आर्डर दिया जा रहा है तो दूसरे लोग भी सामने आते हैं और कम दाम भी कोट करते हैं जिससे तकलीफ होती । यही सब देखने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जितना पैसा एन० टी० सी० को जाने वाला था उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं दिया जा रहा है ।" यह मैंने उस वक्त भी बताया था । लेटर कि डेट आप पूछ रहे हैं, वह भी मेरे पास है ।"

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : आप लेटर की डेट दे दीजिए ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आप इस मामले को कम्पलीकेटिड मत बनाइए । मैं यह कह रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा और मैंने जो कहा उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है ।

डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है, कि फर्क है । उनके सेक्रेटरी साहब ने जो कहा है, वह बिल्कुल ठीक है । जूनियर आफिसर जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप ले सकते हैं । जब पता चला कि फर्क है तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे । इसमें कंट्राडिक्ट्री कुछ नहीं है । आप तारीख चाहते हैं । 27 अप्रेल 1982 को कामर्स मिनिस्टरी का जवाब गया है, 28 अप्रैल 1982 को जूनियर अधिकारी का जवाब गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें उत्तर देने दें । कृपया बैठ जाइए । आप कृपया उन्हें सुनें । कृपया उन्हें उत्तर देने दें । क्या वे उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें । (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है । कांट्राडिक्ट्री कुछ नहीं है । कि आप कह रहे हैं । अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो संरक्षण देने का काम मेरा नहीं है । मैं उनको संरक्षण नहीं दूंगा लेकिन उनकी गलती नहीं है । अगर मैं बिना गलती के कार्यवाही करूंगा तो एन टी सी चलाना मुश्किल हो जाएगा । मैं बताना चाहता हूं कि एन टी सी का कारोबार कैसे चला है । यह

बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी मिलें जो बंद हो गयी थीं, उनको हम चला रहे हैं। सभी जगह के लोगों को हम लेते हैं और अगर कोई गलती करता है तो कार्यवाही करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अगर गलती नहीं है तो उनको पूरी तरह से प्रोडक्शन देने का काम भी हमारा है, नहीं तो अधिकारियों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं रहेगा।

मैं पाण्डे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करने का मौका दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कार्य किया जाता है, कर्त्तव्य समझ कर किया जाता है। अगर कोई नुकसान होता है तो उसको आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसको भी देखेंगे मगर आप भरोसा कीजिए कि ईमानदारी से काम करने को हर जगह पर कोशिश हो रही है।

6.48 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 20 जुलाई 1982/29 आषाढ़ 1904 (शक) के ग्यारह बजे के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स फुआरा दिल्ली-6